

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

OA NO. 233 OF 2026

IN THE MATTER OF:

SANDEEP NAGAR

.... APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS

.... RESPONDENT(s)

INDEX

S.NO	PARTICULARS	PG.NO
1.	JOINT COMMITTEE REPORT ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 6 , UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, IN COMPLIANCE OF THE ORDERS DATED 24.04.2026 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI	
2.	A COPY OF THE LETTER NO NGT-473(1)/81-7-2026-2050630 IS ANNEXED HEREIN AND MARKED AS ANNEXURE -1 .	

3.	A COPY OF THE VIDE LETTER DATED 15.05.2026 IS ANNEXED HEREIN AND MARKED AS ANNEXURE – 2.	
4.	A COPY OF THE LETTER DATED 21.05.2026 IS ANNEXED HEREIN AND MARKED AS ANNEXURE- 3.	
5.	A COPY OF VIDE LETTER DATED 07.05.2026 IS ANNEXED HEREIN AND MARKED AS ANNEXURE- 4.	
6.	A COPY OF THE REPORT OF MUZAFFARNAGARH IS ANNEXED HEREIN AND MARKED AS ANNEXURE- 5.	
7.	A COPY OF VIDE LETTER DATED 15.05.2026 IS ANNEXED HEREIN AND MARKED AS ANNEXURE- 6.	
8.	A COPY OF THE INSPECTION REPORT OF DISTRICT MEERUT IS ANNEXED HEREIN AND MARKED AS ANNEXURE- 7.	

9.	A COPY OF THE VIDE LETTER DATED 16.05.2026 IS ANNEXED HEREIN AND MARKED AS ANNEXURE- 8.	
10.	A COPY OF THE INSPECTION REPORT OF THE BULANDSHAHR IS ANNEXED HEREIN AND MARKED AS ANNEXURE- 9.	
11.	A COPY OF THE LETTER DATED 21.05.2026 IS ANNEXED HEREIN AND MARKED AS ANNEXURE- 10.	

THROUGH COUNSEL




BHANWAR PAL SINGH JADON
STANDING COUNSEL FOR THE STATE OF U.P.
EMAIL-bhanwar09jadon@gmail.com
PHONE NO.-6375115224

DATE: - 26.05.2026

PLACE: - NOIDA

148



BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

OA NO. 233 OF 2026

IN THE MATTER OF:

SANDEEP NAGAR

.... APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS

.... RESPONDENT(s)

JOINT COMMITTEE REPORT ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 6,


UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, IN

COMPLIANCE OF THE ORDERS DATED 24.04.2026 PASSED BY THE

HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI

I, Vimal Kumar, aged about 59 years, S/o Late Shri Shiv Prasad, presently posted as Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Bulandshahar do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That I, the Deponent in the above captioned matter, am fully conversant with the facts of the case and am competent and authorized to swear the present response.



(Handwritten Signature)

2. That I, state that the contents of the response have been drafted by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed there from.

I. BACKGROUND OF THE MATTER

3. That, the present Original Application the applicant raised grievances against the huge quantity of silt being deposited on the side of road while desilting of the 120km long Ganga Canal travelling from village Jolly of Janpad Mujaffarnagar to Aupshahr of Janpad Bulandshahr, Anupshahr Shakha by khand Meerut, in violation of environmental norms thereby causing damage to environment due to dust pollution and serious health hazard to local residents and posing inconvenience in movement of vehicles.

4. That, it is humbly submitted that, in the said matter, the Hon'ble Tribunal, vide order dated 24.04.2026, was pleased to direct as follows:

".....13. In view of the facts and circumstances of the case, we consider it appropriate that a Joint Committee be constituted with direction to verify the factual position and to suggest appropriate remedial measures. Accordingly,

we constitute a Joint Committee comprising of representatives of Principal


Secretary, Environment, Forest and Climate Change, Government of U.P.,

*Ashok Kumar
Advocate*

Principal Secretary, Irrigation and Water Resources Department, Uttar

Pradesh

*Regd. No. 1688
Ex. Date 24-5-2030*



Pradesh, Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board

(UPPCB), District Magistrate, Meerut, District Magistrate, Muzaffarnagar

and District Magistrate, Bulandshahr and direct the same to meet within

two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the

applicant, associate the applicant and representative of the concerned

project proponent, verify the factual position and suggest appropriate

remedial action and to submit its report within one month to this Tribunal

and send a copy of the report to the concerned authorities who shall be

bound to take appropriate action in accordance with law and Principles of

Natural Justice by giving opportunity of being heard to the concerned

project proponent and to submit action taken report within next one month.

14. The Member Secretary, UPPCB will be the nodal agency for

coordination and compliance regarding submission of the report of the Joint

Committee and filing of action taken reports by the concerned authorities.

15. List on 28.05.2026 for further consideration.”

5. That it is germane to mention that vide letter no No. NGT-473(1)/81-7-

2026-2050630, the Joint Secretary, Environment, Forest and Climate

Change Department, Government of Uttar Pradesh, directed the Member

Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board, to expeditiously

Ashok Kumar

Advocate

Area-Bulandshahr

Regd. No. 1688

Ex Date 24-5-2030

NOTARY

GOVT. OF INDIA

151

prepare and submit the draft to be filed on behalf of Respondent No. 1 before the Hon'ble Tribunal in compliance with the order.

A copy of the letter No NGT-473(1)/81-7-2026-2050630 is annexed herein and marked as **ANNEXURE-1**.



That it is humbly submitted that vide letter dated **15.05.2026**, the member secretary Uttar Pradesh Pollution Control Board addressed the letter to the following authorities: -

- Principal Secretary, Environment, Forest and Climate Change Department, Government of Uttar Pradesh;
- Principal Secretary, Irrigation and Water Resources Department, Government of Uttar Pradesh;
- District Magistrate, Meerut;
- District Magistrate, Muzaffarnagar;
- District Magistrate, Bulandshahr,

requesting them to nominate members from their respective departments/institutions for the Joint Committee constituted by the Hon'ble Tribunal. That further, Shri Vimal Kumar, Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Bulandshahr, was nominated on behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board as a member of the said Joint Committee.

A copy of the vide letter dated 15.05.2026 is annexed herein and marked

as **ANNEXURE- 2**.




7. That it respectfully submitted that the Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Bulandshahr vide letter dated **21.05.2026** forwarded the inspection reports submitted by the district-level committees constituted by the District Magistrates of Muzaffarnagar, Meerut and Bulandshahr regarding inspection of the Anupshahr Branch Canal stretches falling within their respective jurisdictions. The said letter was addressed to the Chief Environmental Officer (Circle-4) and Environmental Engineer In-charge (Circle-3), Uttar Pradesh Pollution Control Board, Lucknow, with a request to take necessary action for filing timely Compliance Response. The observations are herein as follows: -

A copy of the letter dated 21.05.2026 is annexed herein and marked as **ANNEXURE- 3.**

MUZAFFARNAGAR

8. That it is germane to mention that vide letter dated **07.05.2026** the district magistrate in compliance of the order of the Hon'ble Tribunal constituted the following committee for conducting the site inspection: -

3 Sub-Divisional Magistrate, Jansath and Khatauli, District Muzaffarnagar.



b. Executive Engineer, Muzaffarnagar Division, Ganga Canal,
Muzaffarnagar.

c. Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board,
Muzaffarnagar.

d. District Panchayat Raj Officer, Muzaffarnagar.


A copy of vide letter dated 07.05.2026 is annexed herein and marked as
ANNEXURE-4.

9. That it is humbly submitted that the committee constituted for the purpose conducted a site inspection on **15.05.2026** of the Anupshahar Branch Canal originating from **Km 81.118** Left Bank of the Upper Ganga Canal at Village Joli, District Muzaffarnagar, covering the stretch from **Km 0.000 to Km 22.930.**


10. That it is submitted that during the inspection the observations done are herein as follows: -

a. The excavated silt has been utilized for construction of continuous "Dowla"/embankment along the canal service road situated on the

left bank.



- b. Excess silt has been kept appropriately on both left and right banks of the canal. Natural vegetation has developed over the deposited silt and constructed embankments, resulting in stabilization and settlement of the silt.




- c. Auction proceedings relating to remaining excess silt are under progress.
- d. Vehicular movement and public transportation were found operating smoothly throughout the inspected stretch. No situation causing dust pollution or air pollution due to silt deposition was observed during inspection.

A copy of the report of Muzaffarnagarh is annexed herein and marked as **ANNEXURE-5**.

MEERUT

11. That it is submitted that in compliance with the aforesaid orders, the District Magistrate, Meerut, vide dated **14.05.2026**, directed that a site inspection be conducted. Pursuant thereto, the Additional District Magistrate (Administration)/Nodal Officer, Meerut, vide Letter dated **15.05.2026**, formally constituted a committee comprising following: -



- 1) Sub-Divisional Magistrate, Mawana Tehsil, District Meerut.
- 2) Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Meerut.

c) Executive Engineer, Anupshahar Branch Division, Ganga Canal, Meerut.

A copy of vide letter dated 15.05.2026 is annexed herein and marked as

ANNEXURE- 6.

Ashok Kumar

Advocate

Area-Bulandshahr

Regd. No. 1688

Ex. Date 24-5-2030

12. That it is humbly submitted that the committee constituted under

directions of the District Magistrate, Meerut conducted inspection on

18.05.2026 covering canal stretch from **Km 22.930 to Km 65.570.**

13. That it is submitted that during the inspection the observations done are herein as follows: -

a) A continuous Dowla/embankment has been constructed along the canal service road using the excavated silt.

b) Excess silt has been suitably kept on both sides of the canal and auction proceedings regarding remaining silt are underway. Natural vegetation has grown over the deposited silt resulting in stabilization of the same.

c) The committee observed that the Irrigation Department has presently utilized the deposited silt for construction of Dowla on

the canal service road and the remaining excess silt has been

properly disposed of. Consequently, the issue relating to dust

NOTARY

Ashok Kumar
Advocate

Area-Bulandshahr
Regd. No. 1688

Ex. Date 24-5-2030

OF INDIA

generation and inconvenience in vehicular movement has substantially been resolved.

d) No dust pollution or air pollution due to silt was observed during inspection. Smooth movement of vehicles and public was observed throughout the inspected reach.

14. That it is respectfully submitted that the applicant, Mr. Sandeep Nagar, was present during inspection and expressed his satisfaction regarding the remedial measures undertaken by the concerned department. That no such environmental condition presently exists within the inspected stretch which may cause environmental degradation or air pollution.


A copy of the inspection report of district Meerut is annexed herein and marked as ANNEXURE- 7.

BULANDSHAHR

15. That it important to mention that in compliance with the order of the Hon'ble Tribunal, the District Magistrate, Bulandshahr, vide dated 16.05.2026, constituted the following committee for conducting a site

inspection:

1) Sub-Divisional Magistrate, Syana Tehsil, District Bulandshahr.



b) Sub-Divisional Magistrate, Anupshahr Tehsil, District Bulandshahr.

c) Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Bulandshahr.

d) Executive Engineer, Anupshahr Branch Division, Ganga Canal,

Ashok Kumar
Advocate
Area-Bulandshahr
Meerut.
Regd. No. 1658
EX. 01-5-2030

A copy of the vide letter dated 16.05.2026 is annexed herein and marked as **ANNEXURE- 8**.

16. That it is submitted that the committee constituted by the District Magistrate, Bulandshahr conducted site inspection on **20.05.2026** covering canal stretch from **Km 87.290 to Km 131.940**.

17. That it is submitted that during the inspection the observations done are herein as follows: -


a) Natural vegetation has developed over the deposited silt lying on both canal banks and over the constructed Dowla, due to which the silt has settled firmly.

Ashok Kumar
Advocate
Area-Bulandshahr
Meerut.
Regd. No. 1658
EX. 01-5-2030

At most locations, no dust generation problem was observed.

However, between **Km 121.500 and Km 131.940**, the width of the

paved road is less than 3 meters and dust generation may occur when vehicles move from paved to unpaved portions of the road.



c) The concerned Executive Engineer has been directed to expedite auction/disposal of remaining silt lying on canal banks.


d) Directions have also been issued to complete remaining unfinished work expeditiously and to ensure immediate disposal of silt at locations where dust generation persists.

A copy of the inspection report of the Bulandshahr is annexed herein and marked as **ANNEXURE- 9**.


18. That it is humbly submitted that the deponent has issued letter dated **21.05.2026** to the Executive Engineer, Anupshahr Branch Division, Ganga Canal, Meerut, for ensuring environmentally safe disposal of the silt generated during cleaning of the Anupshahr Branch Canal within District Bulandshahr.

A copy of the letter dated 21.05.2026 is annexed herein and marked as

ANNEXURE- 10.



19. That the deponent has been duly diligent in complying with the orders passed by the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi, and has taken all necessary measures to ensure timely and complete compliance therewith in letter and spirit.




20. Hence, the present affidavit is being submitted for the kind perusal of the Hon'ble Tribunal. It is prayed that the same be taken on record.

[Signature]
DEPONENT

VERIFICATION

Verified at Bulandshahr on this 26 day of May 2026, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 20 are true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed there from.



मना/पते करता हूँ कि श्री
Ashok Kumar Advocate
ने बुलंदशहर में 26 दिनांक मई 2026 को
आज दिनांक 26-5-2026 को बुलंदशहर
प्रातः साथ में 26 दिनांक पत्र से
उक्त लेख को समझकर समझकर सत्य होना
स्वीकार किया। मुद्रांक 58

[Signature]
DEPONENT

[Signature]
अशोक कुमार
एडवोकेट / नोटरी सचिव
बुलंदशहर (उ०प्र०)

160

ANNEXURE- 1

मा० एन०जी०टी० प्रकरण / महत्वपूर्णअग्रिम सुनवाई तिथि 28.05.2026संख्या-एन.जी.टी.-473(1)/81-7-2026-2050630

प्रेषक,

चिरौंजी लाल,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

सदस्य सचिव,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु

लखनऊ: दिनांक: 18 मई, 2026

परिवर्तन अनुभाग-7

विषय-मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-233/2026 संदीप नागर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित मा० अधिकरण के आदेश दिनांक 24.04.2026 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक परामर्शदाता (न्यायिक), प्रधान न्यायपीठ, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के पत्र संख्या-NGT(PB)/Judicial/OA/233/2026/1045-1050, दिनांक 07.05.2026 की छायाप्रति संलग्न कर करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.04.2026 के अनुपालन में प्रतिवादी संख्या-1 (प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन) की ओर से मा० अधिकरण में दाखिल किये जाने वाले Reply/Response का ड्राफ्ट तत्परता से तैयार कर शासन को ससमय उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

Digitally signed by **भवदीय,**
CHIRAUNJI LAL
Date: 15-05-2026 (**चिरौंजी लाल**)
18:39:28 **संयुक्त सचिव।**



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

ANNEXURE-2

संदर्भ संख्या: HA1066 / सी-3 / NGT/23 / 2026

दिनांक: 15/05/2026

सेवा में,

1. प्रमुख सचिव,
पर्यावरण, वन एवं
जलवायु परिवर्तन,
विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव,
सिंचाई एवं जल संसाधन
विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. जिलाधिकारी,
जनपद-मेरठ।
4. जिलाधिकारी,
जनपद-मुजफ्फरनगर।
5. जिलाधिकारी,
जनपद-बुलन्दशहर।

विषय:- मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित Original Application No. 233/2026 Sandeep Nagar Versus State of Uttar Pradesh & Ors. में पारित आदेश दिनांक-24.04.2026 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित Original Application No. 233/2026 Sandeep Nagar Versus State of Uttar Pradesh & Ors. में पारित आदेश दिनांक 24.04.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.04.2026 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैं:-

".....8. In view of the averments in the application, we consider it appropriate to have response of (1) State of Uttar Pradesh through Principal Secretary, Environment, Forest and Climate Change, Government of U.P.; (2) Principal Secretary, Irrigation and Water Resources Department, Uttar Pradesh; (3) District Magistrate, Meerut; (4) District Magistrate, Muzaffarnagar; (5) District Magistrate, Bulandsahar and (6) Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) through Member Secretary who are impleaded as respondents no. 1 to 6.

9. The Registry is directed to prepare and attach memo of parties to the application and to issue notices to respondents no. 1 to 6 along with copy.

12. Replies/responses by respondents no. 1 to 6 may be filed within two months.

13. In view of the facts and circumstances of the case, we consider it appropriate that a Joint Committee be constituted with direction to verify the factual position and to suggest appropriate remedial measures. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of representatives of Principal Secretary, Environment, Forest and Climate Change, Government of U.P.; Principal Secretary, Irrigation and Water Resources Department, Uttar Pradesh, Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB), District Magistrate, Meerut, District Magistrate, Muzaffarnagar, and District Magistrate, Bulandsahar and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and suggest appropriate remedial action and to submit its report within one month to this Tribunal and send a copy of the report to the concerned authorities who shall be bound to take appropriate action in accordance with law and Principle of Natural Justice by giving opportunity of being heard to the concerned project proponent and to submit action taken report within next one month.

14. The Member Secretary, UPPCB will be the nodal agency for coordination and compliance regarding submission of the report of the.

15. List on 25.05.2026 for further consideration."

(2)

उपरोक्त पारित आदेश दिनांक 24.04.2026 के पैरा-13 के अनुक्रम में संयुक्त समिति में राज्य बोर्ड की ओर से श्री विमल कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बुलन्दशहर मो० नं० 9151935845 है, को नामित किया जाता है। अतः आपसे अनुरोध है कि समिति में अपने विभाग/संस्था से सदस्य नामित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय

Digitally signed by
Sanjeev Kumar Singh
Date: 14-05-2026
14:35:58

(संजीव कुमार सिंह)
सदस्य सचिव

o/c

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-4 उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. मुख्य विधि अधिकारी (प्र०), उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बुलंदशहर को इस निर्देश के साथ कि पैरा-13 के अनुक्रम में बोर्ड की ओर से मा० अधिकरण में समयान्तर्गत एफिडेविट दाखिल करना सुनिश्चित करें, तथा पैरा-13 पर दिए गए निर्देशों के अनुपालन में संयुक्त समिति के अन्य नामित सदस्य से समन्वय स्थापित करते हुए अग्रिम आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
- 4- क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ/मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ कि क्षेत्रीय अधिकारी, बुलंदशहर से समन्वय स्थापित करते हुए वांछित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।



163

क्षेत्रीय कार्यालय

ANNEXURE- 3

फैक्स : 05732-233879

ई-मेल : robulandshahar@uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

Uttar Pradesh Pollution Control Board

F-5, यमुनापुरम (MMR मॉल के पीछे), बुलन्दशहर-203001

संदर्भ : 117/09-27/26

दिनांक : 21/05/26

सेवा में,

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-4)
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।
2. पर्यावरण अभियन्ता, प्रभारी (वृत्त-3)
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

मा० एन०जी०टी० प्रकरण
सुनवाई तिथि 28/05/2026

विषय: मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-233/2026 संदीप नागर बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.04.2026 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सदस्य सचिव महोदय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक: एच41066/सी-3/एन०जी०टी०/93/2026 दिनांक 15.05.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के क्रम में क्रमशः जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर/मेरठ/बुलन्दशहर द्वारा उक्त जनपदों में प्रवाहित गंगा कैनल अनूपशहर शाखा खण्ड-गंगा नहर मेरठ से सम्बन्धित शिकायत प्रकरण में शिकायती स्थल का निरीक्षण करने, शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत की तथ्यात्मक जाँच एवं वास्तविक स्थिति का सत्यापन कर यथोचित कार्यवाही की आख्या मा० अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु उक्त जनपदों में जाँच समितियों का गठन किया गया। उक्त समितियों द्वारा प्रस्तुत जनपदवार जाँच आख्या सम्बन्धी विवरण निम्नवत् हैं:-

1. **जनपद-मुजफ्फरनगर :** मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित उक्त ओ०ए० सं०-233/2026 संदीप नागर बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.04.2026 के अनुपालन में जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर द्वारा अपने पत्रांक : 170/ओ०ए० नं०: 233/संदीप नागर/2026 दिनांक 07.05.2026 के द्वारा गठित समिति द्वारा ग्राम-जोली जनपद-मुजफ्फरनगर में अपर गंगा नहर के कि०मी० 81.118 बायें बैंक से निकली अनूपशहर शाखा नहर के कि०मी० 0.000 से कि०मी० 22.930 के मध्य स्थलीय निरीक्षण दिनांक 15.05.2026 को किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि अनूपशहर शाखा नहर के कि०मी० 0.000 से कि०मी० 22.930 के मध्य निकाली गई सिल्ट से बायें बैंक पर स्थित नहर सेवा मार्ग (Canal Service Road) पर पूर्ण लम्बाई में डोला (Dowla) बना हुआ है और अतिरिक्त सिल्ट का उचित डिस्पोजल नहर के बायें व दायें बैंक पर किया गया है, जिसकी नीलामी की कार्यवाही प्रगति पर है, जो अतिरिक्त सिल्ट दायें व बायें बैंक पर पड़ी हुई है तथा डोला (Dowla) निर्माण में प्रयोग हुई हैं, उस पर वनस्पति उग आई हैं, जिसमें सिल्ट मजबूती से जम गई है। उक्त लम्बाई में वाहनों और आमजन का आवागमन सुचारु रूप से हो रहा है। किसी भी स्थल पर सिल्ट से वायु प्रदूषण जैसी स्थिति नहीं पाई गई है। जनपद-मुजफ्फरनगर की संयुक्त समिति की जाँच आख्या संलग्न है। (संलग्नक-1)

2. **जनपद-मेरठ** : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित उक्त ओ0ए0 सं0-233/2026 संदीप नागर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.04.2026 के अनुपालन में जिलाधिकारी मेरठ के पत्रांक: 7150/ओ-एस0डी0कैम्प/2026 दिनांक 14.05.2026 के अनुक्रम में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)/नोडल अधिकारी मेरठ के पत्रांक: 534/क्षे0प्रदू0अधि0/एन0जी0टी0 प्रकरण/2026 दिनांक 15.05.2026 के माध्यम से गठित समिति द्वारा ग्राम-जोली जनपद-मुजफ्फरनगर में अपर गंगा नहर के कि0मी0 81.118 बायें बैंक से निकली अनूपशहर शाखा के कि0मी0 22.930 से कि0मी0 65.570 के मध्य स्थलीय निरीक्षण दिनांक 18.05.2026 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि निकाली गई सिल्ट से बायें बैंक पर स्थित नहर सेवा मार्ग (Canal service Road) पर पूर्ण लम्बाई में डोला बना हुआ है और अतिरिक्त सिल्ट का उचित डिस्पोजल नहर के दायें व बायें बैंक पर किया गया है, जिसकी नीलामी की कार्यवाही प्रगति पर है। जो अतिरिक्त सिल्ट दायें व बायें बैंक पर पड़ी हुई है तथा डोला निर्माण में प्रयोग हुई है, उसपर प्राकृतिक रूप से वनस्पति उग आई है जिससे सिल्ट मजबूती से जम गई है। उक्त रींच में वाहनों और आम जन का आवागमन सुचारु रूप से हो रहा है। किसी भी स्थल पर सिल्ट से वायु प्रदूषण जैसी स्थिति नहीं पायी है। निरीक्षण के दौरान मौका स्थल पर वादी संदीप नागर उपस्थित रहे, जिसमें वादी द्वारा अवगत कराया गया कि कार्य के संपादन के दौरान सिंचाई विभाग द्वारा नहर के बैंको पर अत्यधिक मात्रा में सिल्ट डाल दी गई थी, जो वाहनों के आवागमन से उड़ रही थी। वर्तमान में सिंचाई विभाग द्वारा नहर के बैंक पर रखी गई सिल्ट से सेवामार्ग पर डोले का निर्माण करवा दिया गया है तथा अतिरिक्त सिल्ट का उचित निस्तारण कर दिया गया है, जिसके फलस्वरूप वाहनों के आवागमन एवं धूल उड़ने की समस्या भी समाप्त हो गयी है। शिकायत निस्तारण के सम्बन्ध की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में वादी द्वारा संतुष्टि व्यक्त की गई। उपरोक्तानुसार कार्यस्थल पर किये गये सिल्ट सफाई के कार्य के निरीक्षण में वर्तमान में जनपद मेरठ की सीमा में आने वाली अनूपशहर शाखा नहर की रींच कि0मी0 22.930 से कि0मी0 65.570 के मध्य ऐसी कोई स्थिति विद्यमान नहीं पाई गई, जिससे पर्यावरण अथवा वायु प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती हो। जनपद-मेरठ की संयुक्त समिति की जाँच आख्या संलग्न है। (संलग्नक-2)
3. **जनपद-बुलन्दशहर** : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित उक्त ओ0ए0 सं0-233/2026 संदीप नागर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.04.2026 के अनुपालन में जिलाधिकारी बुलन्दशहर के पत्रांक: 72/ओ0जी0-272/2026 दिनांक 16.05.2026 के माध्यम से गठित समिति द्वारा ग्राम-जोली, जनपद-मुजफ्फरनगर में अपर गंगा नहर के कि0मी0 81.118 बायें बैंक से निकली अनूपशहर शाखा नहर के जनपद-बुलन्दशहर के अन्तर्गत कि0मी0 87.290 से कि0मी0 131.940 के मध्य स्थलीय निरीक्षण दिनांक 20.05.2026 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि अनूपशहर शाखा नहर के किनारें अधिकांश जगह नहर के दायें एवं बायें बैंक पर पड़ी सिल्ट पर व डोले पर प्राकृतिक रूप से वनस्पति उग जाने के कारण सिल्ट मजबूती से जम गई हैं, जिससे धूल उड़ने की समस्या नहीं हो रही है। अनूपशहर शाखा नहर के कि0मी0 121.500 से कि0मी0 131.940 के मध्य पक्की सड़क की चौड़ाई 03 मी0 से कम होने के कारण जब वाहन पक्की सड़क से कच्ची सड़क की तरफ उतर जाते हैं, तब वाहनों के आवागमन से धूल उड़ने लगती है। उक्त के क्रम में संबंधित अधिशासी अभियन्ता को अनूपशहर शाखा नहर के कि0मी0 87.290 से कि0मी0 131.940 के मध्य किनारों पर पड़ी सिल्ट की नीलामी प्रक्रिया को तेज करने एवं शेष अपूर्ण कार्यों को शीघ्र-अतिशीघ्र पूर्ण कराये जाने हेतु निर्देशित कर दिया गया है, साथ ही जिन स्थलों पर धूल उड़ने की समस्या है, उन स्थलों पर तत्काल सिल्ट का उचित निस्तारण करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है। जनपद-बुलन्दशहर की संयुक्त समिति की जाँच आख्या संलग्न है। (संलग्नक-3)

अग्रतर समिति के उक्त निरीक्षण आख्या के अनुक्रम में जनपद-बुलन्दशहर के अन्तर्गत अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर की सफाई के दौरान जनित सिल्ट को पर्यावरणीय दृष्टिकोण से सुरक्षित निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता, अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर-मेरठ को इस कार्यालय द्वारा पत्र सं०-114/ओ०जी०-27/26 दिनांक 21.05.2026 (छायाप्रति संलग्न) प्रेषित किया गया है। पत्र दिनांक 21.05.2026 की प्रति संलग्न (संलग्नक-4)

कृपया उपरोक्तानुसार जनपद-मुजफ्फरनगर/मेरठ/बुलन्दशहर की जाँच समितियों द्वारा प्रस्तुत जाँच आख्यायें तथा अधिशासी अभियन्ता, अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ को प्रेषित पत्र दिनांक 21.05.2026 संलग्न कर इस अनुरोध से प्रेषित कि बोर्ड मुख्यालय से यथाशीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें, जिससे कि मा० एन०जी०टी० में ससमय Compliance Response दाखिल किया जा सके। प्रकरण की सुनवाई हेतु दिनांक 28.05.2026 की तिथि नियत है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(विमल कुमार)

क्षेत्रीय अधिकारी

- प्रतिलिपि : 1. सदस्य सचिव महोदय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ।
2. मुख्य विधि अधिकारी (प्रभारी), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को जनपद-मुजफ्फरनगर/मेरठ/बुलन्दशहर की समितियों द्वारा प्रस्तुत जाँच आख्यायें संलग्नकर इस अनुरोध से प्रेषित कि यथावॉछित आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें, जिससे मा० एन०जी०टी० में ससमय Compliance Response दाखिल किया जा सके।

क्षेत्रीय अधिकारी

166

कार्यालय जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर।

पत्रांक : 170/ओ.श.बं. 233/संदीप नागर/2026

दिनांक : 07.5.2026

- 1- उपजिलाधिकारी-जानसठ एवं खतौली, जनपद मुजफ्फरनगर।
- 2- अधिशासी अभियन्ता, मु0नगर खण्ड गंगा नहर, मुजफ्फरनगर।
- 3- क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर।
- 4- जिला पंचायत राज अधिकारी, मुजफ्फरनगर।

विषय- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या 233/2026 संदीप नागर बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 में पारित आदेश दिनांक 24.04.2026 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या 233/2026 संदीप नागर बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 में दिनांक 24.04.2026 को आदेश पारित किये गये हैं, जिसके सुसंगत अंश निम्नवत् हैं :-

"..... 2. The Applicant has raised grievances regarding huge quantity of silt being deposited on the side of road while desilting of the 120km long Ganga Canal travelling from village Jolly of Janpad Mujaffarnagar to Aupshahr of Janpad Bulandshahr, Anupshahr Shakha by khand Meerut, in violation of environmental norms thereby causing damage to environment due to dust pollution and serious health hazard to local residents and posing inconvenience in movement of vehicles.

मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश में शिकायती स्थल का निरीक्षण करने, शिकायतकर्ता द्वारा की गयी शिकायत की तथ्यात्मक जाँच एवं वास्तविक स्थिति का सत्यापन कर यथोचित उपचारात्मक कार्यवाही से अवगत कराते हुए, कार्यवाही की आख्या एक माह के अन्दर मा0 अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु आदेशित किया गया है।

तत्क्रम में निर्देशित किया जाता है कि शिकायतकर्ता द्वारा की गयी शिकायत की तथ्यात्मक जाँच एवं वास्तविक स्थिति का सत्यापन करते हुए यथोचित उपचारात्मक कार्यवाही से अवगत कराते हुए, कार्यवाही की आख्या एक सप्ताह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, जिससे अनुपालन आख्या मा0 अधिकरण के समक्ष ससमय प्रस्तुत की जा सके।

(उमेश मिश्रा)
जिलाधिकारी
मुजफ्फरनगर।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 233/2026 संदीप नागर बनाम स्टेट ऑफ उ०प्र० में पारित आदेश दिनांक 24.04.2026 के अनुपालन में निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त विषयक माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 233/2026 संदीप नागर बनाम स्टेट ऑफ उ०प्र० में मा० अधिकरण द्वारा दिनांक 24.04.2026 को आदेश पारित किये गये, जिसके सुसंगत अंश निम्नवत् हैं :-

"..... 2. The Applicant has raised grievances regarding huge quantity of silt being deposited on the side of road while desilting of the 120km long Ganga Canal travelling from Village Jolly of Janpad Mujaffarnagar to Aupshahr of Janpad Bulandshahr, Anupshahr Shakha by khand Meerut, **in violation of environmental norms thereby causing damage to environment due to dust pollution and serious health hazard to local residents and posing inconvenience in movement of vehicles.**

8. In view of the averments in the application, we consider it appropriate to have response of (1) State of Uttar Pradesh through Principal Secretary, Environment, Forest and Climate Change, Government of U.P.; (2) Principal Secretary, Irrigation and Water Resources Department, Uttar Pradesh; (3) District Magistrate, Meerut; (4) District Magistrate, Muzaffarnagar; (5) District Magistrate, Bulandsahar and (6) Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) through Member Secretary who are impleaded as respondents no. 1 to 6.

13. In view of the facts and circumstances of the case, we consider it appropriate that a Joint Committee be constituted with direction to verify the factual position and to suggest appropriate remedial measures. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of representatives of Principal Secretary, Environment, Forest and Climate Change, Government of U.P., Principal Secretary, Irrigation and Water Resources Department, Uttar Pradesh, Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB), District Magistrate, Meerut, District Magistrate, Muzaffarnagar and District Magistrate, Bulandshahar and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and suggest appropriate remedial action and to submit its report within one month to this Tribunal and send

३

(मनमोहन सिंह)
अधिशाली अभियन्ता
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर
मेरठ

a copy of the report to the concerned authorities who shall be bound to take appropriate action in accordance with law and Principles of Natural Justice by giving opportunity of being heard to the concerned project proponent and to submit action taken report within next one month.

16. List on 28.05.2026 for further consideration."

उक्त आदेशों के अनुपालन हेतु जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर द्वारा अपने पत्रांक 170/ओ0ए0 नं0 233/संदीप नागर/2026 दिनांक 07.05.2026 द्वारा स्थलीय निरीक्षण किये जाने हेतु निम्नवत् समिति गठित की गयी :-

- 1- उपजिलाधिकारी-जानसठ एवं खतौली, जनपद मुजफ्फरनगर।
- 2- अधिशासी अभियन्ता, मु0नगर खण्ड गंगा नहर, मुजफ्फरनगर।
- 3- क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर।
- 4- जिला पंचायत राज अधिकारी, मुजफ्फरनगर।

मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में गठित समिति द्वारा ग्राम जोली जनपद मुजफ्फरनगर में अपर गंगा नहर के कि0मी0 81.118 बाएं बैंक से निकली अनूपशहर शाखा नहर के कि0मी0 0.000 से कि0मी0 22.930 के मध्य का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 15.05.2026 को किया गया। अधिशासी अभियन्ता, अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ द्वारा अवगत कराया गया कि स्वीकृत परियोजना अनूपशहर शाखा नहर के कि0मी0 0.000 से कि0मी0 131.940 तक क्षमता पुर्नस्थापना एवं पक्की संरचनाओं की मरम्मत कार्यों की परियोजना के अन्तर्गत अनूपशहर शाखा के कि0मी0 0.000 से 131.940 कि0मी0 तक नहर के आन्तरिक अनुभाग में सिल्ट सफाई का कार्य पूर्ण लम्बाई में माह नवम्बर-दिसम्बर 2025 में पूर्ण किया गया है। कार्य के दौरान नहर से निकली सिल्ट का डिस्पोजल नहर के दाएं एवं बाएं बैंक पर किया गया तथा निकाली गई सिल्ट से नहर के बाएं बैंक पर डोला निर्माण एवं नहर के क्षतिग्रस्त बैंकों की मरम्मत करने के पश्चात अतिरिक्त बची सिल्ट की नीलामी शासनादेश संख्या-12/2020/2496/86-2019-46(सामान्य)/2019 भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊ दिनांक 31.12.2019 के अनुक्रम में जिलाधिकारी जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) जनपद मुजफ्फरनगर की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से नीलामी की कार्यवाही की जा रही है, जिसमें तीन बार ई-नीलामी के माध्यम से निविदा आमंत्रित की गई, परन्तु अब तक इस नीलामी में कोई भी निविदा प्राप्त नहीं हुई है, जिस कारण वर्तमान में पुनः दिनांक 14.05.2026 को ई-नीलामी हेतु निविदा आमंत्रित की गई है, जोकि दिनांक 02.06.2026 को खोली जानी प्रस्तावित है।

(मनमोहन सिंह)
अधिशासी अभियन्ता
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर
मेरठ

अधिकासी अभियन्ता, अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि वादी संदीप नागर ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 20.12.2025 में जो फोटोग्राफ संलग्न किये गये हैं, वह कार्य के दौरान के फोटोग्राफ है, जिसका मौका स्थल अनूपशहर शाखा नहर के कि०मी० 38.800 ग्राम कुडी कमालपुर तहसील मवाना जनपद मेरठ का है, जिसका सम्बन्ध जनपद मुजफ्फरनगर में पड़ने वाली अनूपशहर शाखा नहर (कुल लम्बाई कि०मी० 22.930) से नहीं है।

निष्कर्ष

समिति द्वारा दिनांक 15.05.2026 को जनपद मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत अनूपशहर शाखा नहर के कि०मी० 0.000 से कि०मी० 22.930 के मध्य किये गये निरीक्षण के समय पाया गया कि निकाली गई सिल्ट से बाँए बैंक पर स्थित नहर सेवा मार्ग पर पूर्ण लम्बाई में डोला बना हुआ है और अतिरिक्त सिल्ट का उचित डिस्पोजल नहर के बाँए व दाँए बैंक पर किया गया है, जिसकी नीलामी की कार्यवाही प्रगति में है। जो अतिरिक्त सिल्ट दाँए व बाँए बैंक पर पड़ी हुई है तथा डोला निर्माण में प्रयोग हुई है, उस पर वनस्पति उग आई है जिससे सिल्ट मजबूती से जम गई है। उक्त लम्बाई में वाहनो और आम जन का आवागमन सुचारु रूप से हो रहा है। किसी भी स्थल पर सिल्ट से वायु प्रदूषण जैसी स्थिति नहीं पाई गयी है।

संलग्नक:-

- 1- निरीक्षण के फोटोग्राफ्स।
- 2- अधिकासी अभियन्ता अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ द्वारा उपलब्ध कराये गये नीलामी प्रक्रिया से सम्बन्धित अभिलेखों की प्रतियाँ।



(धर्म सिंह)

सहायिका अधिकारी
जानसठ
मुजफ्फरनगर।



(रेणु श्रीवास्तव)

जिला पंचायत राज अधिकारी
मुजफ्फरनगर।




(कुंवर संतोष कुमार)

सहायिका अभियन्ता
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
मुजफ्फरनगर।



(मनमोहन सिंह)


अधिकासी अभियन्ता
अनूपशहर शाखा खण्ड
गंगा नहर मेरठ।



(रश्मि लम्बा)



उपजिलाधिकारी
जानसठ, मुजफ्फरनगर।

जनपद मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत अनूपशहर शाखा नहर के कि०मी० 0.000 से कि०मी० 22.930 के मध्य किये गये निरीक्षण के फोटोग्राफ।



Handwritten signature

(मममोहन सिंह)
आधिशारी अभियन्ता
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर
मेरठ



Handwritten signature

(सुनील सिंह)
अधिसासी अभियन्ता
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर
मेरठ

प्रेषक,

डा0 रोशन जैकब,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म,
उ0प्र0, लखनऊ।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग

लखनऊ: दिनांक 31 दिसम्बर, 2019

विषय:-परियोजना की स्थापना/निर्माण कार्य के अन्तर्गत खुदाई के दौरान निकले उपखनिजों के निस्तारण की प्रक्रिया।

महोदय,

उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित अपने पत्र संख्या-1427/एम-प्रवर्तन जालौन/2019, दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद जालौन में मेसर्स युड स्पिन टेक्सटाइल इण्डिया प्रा0लि0 द्वारा जनपद में टेक्सटाइल की औद्योगिक परियोजना की स्थापना के दौरान खुदाई से निकले उपखनिजों के निस्तारण के सम्बन्ध में विचार कर अद्यतन कराने का अनुरोध किया गया है।

2. उक्त के सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि किसी परियोजना की स्थापना/निर्माण कार्य के अन्तर्गत खुदाई के दौरान निकले उपखनिजों के निस्तारण हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निम्नवत् समिति का गठन किया जाता है :-

- | | |
|--|---------|
| (1) जिलाधिकारी या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि जो ए0डी0एम0 स्तर से कम न हो। | अध्यक्ष |
| (2) प्रभारी वनाधिकारी या उनके द्वारा नामित अधिकारी | सदस्य |
| (3) परियोजना से सम्बन्धित विभाग का अधिशाषी अभियन्ता | सदस्य |
| (4) सम्बन्धित उपजिलाधिकारी | सदस्य |
| (5) सम्बन्धित खान अधिकारी/खान निरीक्षक | सदस्य |

3. उक्त समिति द्वारा उपखनिज की गुणवत्ता के अनुसार उसका न्यूनतम आरक्षित मूल्य निर्धारित करने, तदुपरान्त उसको उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 के माध्यम से ई-निविदा द्वारा निस्तारित कराने की कार्यवाही किया जाएगा। सम्पूर्ण परियोजना का कार्य यथास्थिति नियमानुसार प्राप्त पर्यावरणीय अनापत्ति के अधीन किया जायेगा।

भवदीय,
(डा0 रोशन जैकब)
विशेष सचिव।

संख्या-2496(1)/86-2019, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
2. अपर मुख्य सचिव, हथकरघा एवं यस्त्रोद्योग विभाग, उ0प्र0 शासन को उनके पत्र संख्या-1860/अमुस/रे0ह0व0/2019, दिनांक 18.12.2019 के सन्दर्भ में।

भवदीय,
(हृदय नारायण सिंह यादव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

महोदय,

सूचनीय है कि जनपद मुजफ्फरनगर में ऊपरी गंगा नहर के बाएं बैंक के कि०मी० 81.118 से अनूपशहर शाखा नहर निकलती है, जिसकी कुल लम्बाई 131.940 कि०मी० है। उक्त नहर के संचालन, कृषकों को सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराने, मरम्मत आदि का कार्य कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर, मेरठ द्वारा किया जाता है। उक्त नहर के माध्यम से जनपद मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड, बुलन्दशहर के कृषकों को सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराया जाता है। अनूपशहर शाखा नहर जनपद मुजफ्फरनगर में कि०मी० 0.000 से कि०मी० 22.930 तक (कुल 22.930 कि०मी०) पड़ती है, जिसमें मुख्यतः ग्राम जौली, खेडी फिरोजाबाद, कम्हेडा, ढासरी, जटवाडा, सम्बलहेडा, एवं चुडियाला आदि ग्राम पड़ते हैं।


वर्तमान में राज्य सरकार से अनुमोदित "अनूपशहर शाखा नहर के कि०मी० 0.000 से कि०मी० 131.940 तक क्षमता पुनर्स्थापना एवं पक्की संरचनाओं की मरम्मत की परियोजना" के अन्तर्गत अनूपशहर शाखा नहर की पूर्ण लम्बाई में नहर के आन्तरिक अनुभाग में सिल्ट सफाई का कार्य सिंचाई विभाग के अन्तर्गत कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर, मेरठ द्वारा कराया जा रहा है। उक्त कार्य को सम्पादित किये जाने हेतु सक्षम स्तर से अनुबन्ध गठित किया गया है एवं परियोजना के अन्तर्गत कार्यों को जनवरी 2026 तक पूर्ण किया जाना है। जनपद मुजफ्फरनगर में नहर की कुल लम्बाई 22.930 कि०मी० के आन्तरिक अनुभाग में सफाई उपरान्त लगभग 1.84 लाख घनमीटर सिल्ट/मृदा एकत्र हुयी है, जिसका उपयोग नहर के सेक्शन को ठीक करने, डोला बनाने/बैंकों की मरम्मत आदि में किया जाना है। नहर के सेक्शन को ठीक करने के उपरान्त लगभग 0.27 लाख घनमीटर अतिरिक्त सिल्ट/मृदा शेष बच जाने का अनुमान है, जो बांयी पट्टी पर लगभग 0.10 लाख घनमीटर एवं दांयी पट्टी पर लगभग 0.17 लाख घनमीटर होगी। उक्त सिल्ट/मृदा की नियमानुसार नीलामी की जानी प्रस्तावित है।

प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के पत्र संख्या 2111/14-27-सिं०-4-78(डब्ल्यू)/14, दिनांक 16.10.2014 (संलग्नक-1) के अनुसार नहरों में जमा सिल्ट/मृदा आदि की निकासी कर, जल संरचनाओं को उनके वास्तविक स्वरूप में लाने हेतु प्रक्रिया निदान किया गया है, जिसके अनुसार सिल्ट/मृदा का सर्वेक्षण कर, चिन्हित कर, मात्रा एवं गुणवत्ता का आंकलन किया जायेगा तथा सिंचाई विभाग की संस्तुति के आधार पर खनन विभाग द्वारा लाईसेंस एवं परिवहन हेतु वांछित प्रपत्र निर्गत किया जायेगा। अधिकृत ठेकेदार एवं एजेंसी द्वारा आंकलित सिल्ट की मात्रा के आधार पर रायल्टी जमा करने के उपरान्त उसका नियमानुसार निष्पादन करने का अधिकार होगा।


विशेष सचिव, 30प्र०, शासन के पत्र सं० 12/2020/296/86-2019-46(सामान्य)/2019, दिनांक 31-12-2019 (संलग्नक-2) में दिये गये प्राविधानुसार किसी परियोजना की स्थापना/निर्माण कार्य के अन्तर्गत खुदाई के दौरान निकले उपखनिजों के निस्तारण के सम्बन्ध में के क्रम में उक्त सिल्ट की नीलामी हेतु आपके स्तर से समिति गठित की जानी है। उक्त पत्र के अनुसार समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य निम्नानुसार नामित किये गये हैं-

1	जिलाधिकारी या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि जो ए०डी०एम० स्तर से कम न हो।	अध्यक्ष
2	प्रभारी वनाधिकारी या उनके द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
3	परियोजना से सम्बन्धित विभाग का अधिशासी अभियन्ता	सदस्य
4	सम्बन्धित उपजिलाधिकारी	सदस्य
5	सम्बन्धित खान अधिकारी/खान निरीक्षण	सदस्य

उपरोक्त के क्रम में अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार समिति का गठन किये जाने हेतु अनुमति प्रदान करना चाहे।


3.12.2015
अधिशासी अभियन्ता,
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर,
मेरठ

ADME 71Mh


8.12.15
(उमेश मिश्रा)
जिलाधिकारी
मुजफ्फरनगर।

कार्यवृत्त

जिलाधिकारी महोदय, मुजफ्फरनगर के निर्देशानुसार अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ/हापुड के नियंत्रणाधीन प्रथम उपखण्ड मेरठ के कार्यक्षेत्र में अनूपशहर शाखा नहर के आन्तरिक अनुभाग की पुनर्स्थापना की परियोजना के कार्य से प्राप्त सिल्ट/मृदा का डिस्पोजल व ड्रेसिंग के पश्चात शेष सिल्ट/मृदा (उपखनिज) की नीलामी/निस्तारण हेतु एक बैठक अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), मुजफ्फरनगर की अध्यक्षता में दिनांक 12.01.2026 समय 04.00 बजे (अपराह्न) उनके कार्यालय कक्ष में आहुत की गयी, जिसमें निम्न अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।


1. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), मुजफ्फरनगर।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, मुजफ्फरनगर।
3. अधिशासी अभियन्ता, अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ/हापुड।
4. उप जिलाधिकारी जानसठ, मुजफ्फरनगर।
5. खान अधिकारी, मुजफ्फरनगर।


अधिशासी अभियन्ता, अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ/हापुड द्वारा कार्यालय पत्रांक 3718/अशाख/सिल्ट नीलामी/दिनांक 05.12.2025 के क्रम में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीसे मृदा परीक्षण कराकर रिपोर्ट पत्रांक 918/अ0मु0वि0 अलीगढ़/सीईडी दिनांक 31.12.2025 से उपलब्ध करायी गयी। परीक्षण के दौरान विभिन्न चैनजों पर मृदा में बालू (Sand) की मात्रा अलग-अलग पायी गयी, जिसका विवरण निम्नवत है।

क्रमांक	अनूपशहर शाखा के चैनज	बालू (Sand) की मात्रा (प्रतिशत में)	शेष (प्रतिशत में)
1	14.050	73%	27%
2	16.250	73.5%	26.5%
3	20.150	73%	27%
4	22.500	72%	28%
	औसत	72.88%	27.12%


उपरोक्तानुसार प्राप्त उपखनिज में औसतन 72.88 प्रतिशत बालू (Sand) की मात्रा एवं 27.12 प्रतिशत सिल्ट (Silt) अंकलित की गयी है। अधिशासी अभियन्ता, अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ/हापुड द्वारा संलग्न पत्र 3718/अशाख/दिनांक 05.12.2025 के अनुसार लगभग 27000.00 घन मी0 अंकलित की गयी है। उपरोक्त Samples की परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के अनुसूची-1 के अनुसार न्यूनतम दर रू0 65.00 प्रति घन मी0 अंकलित/निर्धारित की जाती है, जिसके आधार पर नियमानुसार ई-टेन्डर प्रक्रिया के माध्यम से नीलामी की जायेगी।


खान अधिकारी
मुजफ्फरनगर


उप जिलाधिकारी
जानसठ (मुजफ्फरनगर)


अधिशासी अभियन्ता
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ/हापुड


प्रभागीय वनाधिकारी
मुजफ्फरनगर।


अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
मुजफ्फरनगर

प्रेषक,

अधिशाली अभियन्ता
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ।

175

प्रेषित,

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पत्रांक:-260/अशाख/टी-10/ई-नीलामी

दिनांक:-29.01.2026

विषय:-
महोदय,

अल्पकालीन ऑनलाईन ई-नीलामी सूचना संख्या 10/ई0ई0/2025-26 का प्रकाशन।

अल्पकालीन ई-नीलामी सूचना सं0 10/ई0ई0/2025-26 आपको 6 प्रतियों में सी0डी0 सहित इस आशय से प्रेषित है कि कृपया इस निविदा सूचना का प्रकाशन मुजफ्फरनगर तथा उसके आस-पास सबसे अधिक क्रय किये वाले हिन्दी के दो प्रमुख, समाचार पत्रों में केवल एक-एक बार तीन दिन के अन्तराल से प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

आपके पत्रांक 82/सू0 एवं ज0सं0वि0(विज्ञा)-924/2014 दिनांक 17.03.2015 के द्वारा वांछित दूरभाष नं0 कार्यालय 0121-2664976 एवं ई-मेल आई0डी eeabmr@gmail.com है। कृपया प्रकाशन संबंधी सूचना इन्ही दूरभाष नम्बर व ई-मेल आई0डी0 पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अधिशाली अभियन्ता
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

पत्रांक:-260/अशाख/टी-10/ई-नीलामी

दिनांक:-29.01.2026

1. प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता, कंप्यूटर केन्द्र कार्यालय प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ को उपरोक्त अल्पकालीन ऑनलाईन ई-निविदा की हार्ड कापी एवं सी0डी0 सहित शासनादेश सं0 763/05/27-सी-3-8-टी0/84 दिनांक 03.03.2005 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

(मनमोहन सिंह)

अधिशाली अभियन्ता

अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ।

दिनांक:-29.01.2026

पत्रांक :-260/अशाख/टी-10/ई-नीलामी

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को ऑनलाईन ई-नीलामी सूचना की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
- 1- मुख्य अभियन्ता (पश्चिम) स्तर-1, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 मेरठ।
 - 2- मुख्य अभियन्ता (गंगा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 मेरठ।
 - 3- जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर
 - 4- अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), जनपद मुजफ्फरनगर।
 - 5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर।
 - 6- अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम मण्डल सिंचाई कार्य, मेरठ।
 - 7- उपजिलाधिकारी जनपद मुजफ्फरनगर।
 - 8- पुलिस अधीक्षक (नगर) मुजफ्फरनगर।
 - 9- प्रभागीय बनाधिकारी मुजफ्फरनगर।
 - 10- थाना भोपा जनपद मुजफ्फरनगर।
 - 11- जिला सूचना अधिकारी, मुजफ्फरनगर।
 - 12- जिला खनन अधिकारी, जनपद मुजफ्फरनगर।
 - 13- अधिशाली अभियन्ता मेरठ खण्ड गंगा नहर, मेरठ/मु0नगर खण्ड गंगा नहर मु0नगर को मुख्य अभियन्ता (गंगा) मेरठ के कार्यालय ज्ञाप सं0-12608/मु0अ0गंगा/निविदा समिति, दिनांक 12.12.2018 के सन्दर्भ में कृपया निर्धारित तिथि व समय पर निविदा खोलने हेतु उपस्थित होने का कष्ट करें।
 - 14- सहायक अभियन्ता प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ, हापुड एवं बुलन्दशहर।
 - 15- नोटिस बोर्ड हेतु।

अधिशाली अभियन्ता
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर, मेरठ।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर, मेरठ।
अल्पकालीन ऑनलाईन ई-नीलामी सूचना संख्या-10/ई0ई0/2025-2026

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या 113/2019/718/19-27-सि0(इब्लू)/2019 दिनांक 02.04.2019, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (अनुश्रवण एवं मूल्यांकन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के अ0शा0प0-1026/अनु0एव0मु0/अनिम0-5/सिनिक/सि0स0/दिनांक 18.12.2019 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में इस खण्ड के कार्यक्षेत्र जनपद मुजफ्फरनगर के तहसील जानसठ में अनूपशहर शाखा नहर के कि0मी0 0.000 से कि0मी0 22.930 तक मध्य दोनो बैंको पर अतिरिक्त सिल्ट/मिट्टी की नीलामी ऑनलाईन के माध्यम से दिनांक 13.02.2026 को अपराह्न 05:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है, जो अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में निविदा खोलने हेतु गठित समिति के सदस्यों द्वारा दिनांक 14.02.2026 पूर्वाह्न 11.00 बजे खोली जायेगी। कार्यालय बन्द होने अथवा अवकाश होने की दशा में यह निविदायें अगले कार्यदिवस में उसी समय खोली जायेगी। निविदा दिनांक 07.02.2026 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से दिनांक 13.02.2026 को अपराह्न 05.00 बजे तक डाउनलोड/अपलोड की जा सकती है।

प्रत्येक निविदादाता को ऑनलाईन ई-नीलामी की धरोहर धनराशि ऑनलाईन जमा करनी होगी तथा निविदादाता से अपेक्षा की जाती है कि ई-नीलामी की निविदा डालने से पूर्व निविदा प्रपत्र के क्लॉज में अंकित न्यूनतम अर्हता के सम्बन्ध में शर्तों का भली-भाँति अध्ययन कर लें।

क्र० सं०	कार्य का विवरण	सुरक्षित रूप से निकाली जाने वाली सिल्ट/मिट्टी की मात्रा (घन मीटर में)	अनुसूची के अनुसार निर्धारित दर रु० में (रायल्टी प्रति घन मीटर में)	अनुसूची के अनुसार निर्धारित दर से सम्भावित मात्रा के आधार पर आंकलित कुल रायल्टी (रु० में)	निविदा के साथ ई0एम0डी0 के रूप में जमा की जाने वाली धनराशि (रायल्टी का 10 प्रतिशत रु० में)	जनपद का नाम
1	जनपद मुजफ्फरनगर के तहसील जानसठ में अनूपशहर शाखा नहर के कि०मी० 0.000 से कि०मी० 22.930 तक मध्य दोनो बैंको पर अतिरिक्त सिल्ट/मिट्टी।	27000.00	65.00	1755000.00	175500.00	मुजफ्फर नगर

नियम व शर्तें:-

- उक्त ई-नीलामी प्रक्रिया में निविदाकारों की श्रेणी का वर्गीकरण नहीं किया गया है। राज्य सरकार में विभिन्न विभागों में पंजीकृत किसी भी श्रेणी के आवेदक ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।
- ई-निविदाकार का अपना पैनकार्ड, आधार कार्ड, जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण पत्र, सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी द्वारा जारी किया हुआ अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र एवं हैसियत प्रमाण-पत्र की छायाप्रति की स्वप्रमाणित प्रतियाँ अपलोड करना होगा। जिन ई-निविदाकारों द्वारा मूल-अभिलेख की स्वप्रमाणित छायाप्रति ऑनलाईन अपलोड नहीं की जायेगी, उनकी ई-निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
- ई-नीलामी कमेटी द्वारा ई-निविदाकारों के समक्ष ऑनलाईन ई-नीलामी खोली जायेगी। प्रति घन मीटर सर्वोच्च बोली के आधार पर ई-निविदाकार का चयन किया जायेगा।
- नहर से तालिका में उल्लिखित मापन के अनुसार उच्चतम बोलीदाता द्वारा स्वयं के व्यय पर नहर पर से अतिरिक्त सिल्ट/मिट्टी उखाई जायेगी। सिल्ट/मिट्टी उखाने हेतु विभाग द्वारा किसी प्रकार की धनराशि अथवा पारितोषिक देय नहीं होगा।
- नहर पर अतिरिक्त सिल्ट/मिट्टी हटाये/उखाये जाने पर यदि किसी भी प्रकार की क्षति होती है, तो उसकी प्रतिपूर्ति उच्चतम बोलीदाता को स्वयं के व्यय पर करनी होगा।
- सिल्ट/मिट्टी उखाये जाने हेतु रायल्टी की दर रु० 65.00 प्रति घन मीटर आधार मानते हुये उच्च बोली का प्रस्ताव ई-निविदा पोर्टल पर देना होगा। सर्वोच्च बोली के आधार पर उक्त कार्य हेतु ई-निविदाकार का चयन किया जायेगा।
- जनपद मुजफ्फरनगर के तहसील जानसठ में अनूपशहर शाखा नहर के कि०मी० 0.000 से कि०मी० 22.930 तक मध्य दोनो बैंको पर अतिरिक्त सिल्ट/मिट्टी के अतिरिक्त किसी अन्य जगह से सिल्ट/मिट्टी नहीं उखायी जायेगी, अन्य स्थल से सिल्ट/मिट्टी उखाने पर उच्चतम बोलीदाता के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

(मनमोहन सिंह)

अधिशासी अभियन्ता

अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ।

8. नहर के दोनों बैंको पर से सिल्ट/मिट्टी उठाने का कार्य सम्बन्धित रीच के सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर/जिलेदार की देख-रेख में सूर्योदय से सूर्यास्त तक मानव श्रम एवं राजस्थानी ट्रेक्टर द्वारा नहर को क्षतिग्रस्त किये बिना किया जायेगा।

9. चयनित ई-निविदाकार द्वारा ई-निविदा में उल्लिखित मात्रा की सिल्ट/मिट्टी उठायी जाना अनिवार्य होगा, यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो निविदादाता के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

10. उच्चतम बोली की धनराशि पर नियमानुसार 2.06 प्रतिशत टी0सी0एस0, 10 प्रतिशत डी0एम0एफ एवं 02 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क देय होगा।

11. माननीय न्यायालय/मा0 निर्वाचन आयोग, भारत सरकार/उ0प्र0 शासन/सिंचाई विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/शासनादेशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।

12. किसी भी समय उक्त कार्य की ई-नीलामी को बिना कारण बताये अस्वीकार/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अद्योहस्ताक्षरी का होगा।

13. ई-नीलामी में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निष्पादन जनपद मेरठ/अधीक्षण अभियन्ता प्रथम मण्डल सिंचाई कार्य मेरठ द्वारा किया जायेगा, जो समस्त निविदादाताओं को मान्य होगा।

14. ई-नीलामी की अधिकतम बोली स्वीकृत होने के एक सप्ताह के अन्दर समस्त राशि बैंक द्राफ्ट के माध्यम से जो अधिशासी अभियन्ता, अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ के नाम तथा जनपद मुजफ्फरनगर को देय होगी/जमा करनी होगी।

15. ई-नीलामी की अधिकतम बोली की धनराशि के 10 प्रतिशत धनराशि की एफ0डी0आर जो अधिशासी अभियन्ता अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ के नाम बन्धक होगी जमानत के रूप में जमा करनी होगी, जो कार्य पूर्ण होने के उपरान्त अवमुक्त कर दी जायेगी। निविदादाता द्वारा 10 प्रतिशत धनराशि जो ऑनलाईन निविदा अपलोड करते समय जमा होगी वह धनराशि एफ0डी0आर0 प्राप्त होने के उपरान्त वापस की जायेगी।

16. ई-नीलामी पूर्ण होने के उपरान्त उच्चतम बोलीदाता को शत-प्रतिशत धनराशि नीलामी की सिल्ट/मिट्टी उठाने से पूर्व कार्यालय अधिशासी अभियन्ता अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ में बैंक द्राफ्ट के माध्यम से जमा करनी होगी।

17. सिल्ट/मिट्टी उठाने की कार्य अवधि 30 दिन होगी।

18. निविदा निर्धारित दर से प्रारम्भ होकर अधिकतम प्राप्त दर ही स्वीकार की जायेगी।

19. यदि नहर का सैक्शन/डौला/सर्विस रोड सिल्ट/मिट्टी उठाने समय क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो उसको ठीक कराये जाने का व्यय उच्चतम बोलीदाता द्वारा वहन किया जायेगा।

20. नहर के सैक्शन को मॉटेन करने के उपरान्त ही अतिरिक्त सिल्ट/मिट्टी कार्य स्थल से उठयी जा सकेगी।

21. समस्त निविदादाताओं को सूचित किया जाता है कि उक्त कार्य हेतु ई-नीलामी में प्रतिभाग करने से पूर्व उक्त कार्यक्षेत्र का निरीक्षण एवं सिल्ट/मिट्टी की मात्रा का निरीक्षण भलीभांति करना अनिवार्य होगा एवं इस आशय का शपथ-पत्र भी अपलोड करना होगा जो उनके द्वारा कार्यक्षेत्र का निरीक्षण, सिल्ट/मिट्टी की मात्रा का निरीक्षण भलीभांति कर लिया गया है, एवं निविदादाता ने निरीक्षण के दौरान कार्य सम्पादन हेतु कार्य स्थल पर कोई अवरोध नहीं पाया है। ई-नीलामी की निविदा खुलने के उपरान्त कार्यक्षेत्र के सम्बन्ध में, सिल्ट/मिट्टी के उठाने कार्य के सम्बन्ध में एवं सिल्ट/मिट्टी की मात्रा के सम्बन्ध में उच्चतम बोलीदाता का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

22. निविदानुसार नीलामी की जाने वाली सिल्ट/मिट्टी उठाने का कार्य इंजीनियर इन्चार्ज की देख-रेख में किया जायेगा। निर्धारित समय के अतिरिक्त रात्रि/मध्य रात्रि में सिल्ट/मिट्टी उठाई जाती है तो उच्चतम बोलीदाता के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

23. जनपद मुजफ्फरनगर के तहसील जानसठ में अनूपशहर शाखा नहर के कि0मी0 0.000 से कि0मी0 22.930 तक मध्य दोनों बैंको पर अतिरिक्त सिल्ट/मिट्टी की मात्रा (घन मीटर में) 27000.00 के अतिरिक्त कार्य स्थल पर सिल्ट/मिट्टी की मात्रा उपलब्ध है, जिसका उपयोग डोला बनाने हेतु किया जाना है। 27000.00 घन मीटर सिल्ट/मिट्टी की मात्रा के अतिरिक्त कार्य स्थल पर अतिरिक्त उपलब्ध सिल्ट/मिट्टी को उच्चतम बोलीदाता द्वारा नहीं उठया जायेगा।

24. बैंक द्राफ्ट बनवाने का व्यय उच्चतम बोलीदाता द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

25. नीलामी के माध्यम से उठाई जाने वाली सिल्ट/मिट्टी का कार्य इस प्रकार निष्पादित किया जाएगा कि अनूपशहर शाखा के दोनों ओर स्थित नहरी पट्टी, जो कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का भाग है, पर वन विभाग द्वारा किए गए वृक्षारोपण को किसी भी प्रकार की क्षति न पहुँचे। यदि कार्य के दौरान किसी भी वृक्ष अथवा पौधारोपण को क्षति होती है, तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की होगी तथा क्षतिपूर्ति/दायित्व की कार्यवाही नियमानुसार ठेकेदार के विरुद्ध की जाएगी।

(मनमोहन सिंह)

अधिशासी अभियन्ता

अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ।

BID OPENING

Master Management

- Org Hierarchy Master
- View Internal Documents

User Management

- Debar User
- My Organisation Hierarchy
- My Accounts

Tender Management

- Create Tender / Tender List
- Publish Tender
- Published Tenders
- Seek Clarifications
- Pre-bid Meeting
- Downloaded Tenders
- Bids Submitted Tenders
- Tender Status
- Archived Tenders
- Archived Clarification

Corrigendum

- Create Corrigendum
- Publish Corrigendum
- Published Corrigendum

Bid Opening

- Tenders to be Opened

Bid Evaluation

Bid Opening → Bid Openers

Tender Reference Number : E-Auction TN-10/EE/2025-26

Tender ID : 2026_UPIDC_1113262_1

Tender Title : E-Auction/TN-10/EE/2025-26 E-Auction of/Removal of Excess silt/clay on both the middle banks of Anupshahar Branch Canal from Km 0.000 to Km 22.930 in Tehsil Jansath of Muzaffarnagar district.Lot-01

Bid Opening Date & Time : 14-Feb-2026 11:00 AM

Bid Opener Type : 2 Of 3 (Minimum 2 bid openers should decrypt)

Bid Openers

Refresh

vikas kumar



Man Mohan Singh



SUBHASH CHANDRA



Total No. of Bids : 0

Total No. of Withdrawn Bids : 0

Bid Packets

Fee/PreQual/Technical



180
कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर, मेरठ।

पत्रांक:- 388/अशाख/टी-10/ई-नीलामी

दिनांक:- 16.02.2026

:-कार्यालय ज्ञाप:-

पुनः ई-नीलामी आमंत्रण पत्र।

इस कार्यालय के पत्रांक 260/अशाख/टी-10/ई-नीलामी दिनांक 29.01.2026 के द्वारा अल्पकालीन ई-नीलामी सूचना संख्या-10/ई0ई0/2025-26 के अन्तर्गत जनपद मुजफ्फरनगर के तहसील जानसठ में अनूपशहर शाखा नहर के कि०मी० 0.000 से कि०मी० 22.930 तक मध्य दोनो बैंको पर अतिरिक्त सिल्ट/मिट्टी की ई-नीलामी हेतु निविदाएं आमंत्रित की गयी थी। उक्त ई-नीलामी सूचना संख्या के आमंत्रित की गई निविदाओं हेतु डाउनलोडिंग/अपलोडिंग की दिनांक 07.02.2026 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से दिनांक 13.02.2026 को अपराह्न 05.00 बजे तक थी। ई-नीलामी में प्राप्त निविदाओं की प्री-क्वालीफिकेशन/टेक्नीकल बिड अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में निविदा खोलने हेतु गठित समिति के सदस्यों द्वारा दिनांक 16.02.2026 की पूर्वाह्न 11.00 बजे खोली गई। उक्त ई-नीलामी सूचना संख्या-10/ई0ई0/2025-26 के अन्तर्गत आमंत्रित की गई निविदाओं के सापेक्ष शून्य निविदा प्राप्त होने के कारण पुनः ई-नीलामी हेतु निम्नानुसार निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

S.N	Particulars	Date	Time	Work Days
1	Uploading/Downlodng Start	17-02-2026	10:00 AM	30-Days
2	Uploading/Downlodng End	23-02-2026	05:00 PM	
3	Technical Bid Opening	24-02-2026	11:00 AM	
4	Financial Bid Opening	Date will be Decided after Technical bid evaluation and will be communicated online to successful bidders in Technical bid.		

शेष शर्तें पूर्व की भांति यथावत रहेंगी।

अधिशासी अभियन्ता

अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ।

दिनांक:- 16.02.2026

पत्रांक :- 388/अशाख/टी-10/ई-नीलामी

प्रतिलिपि निम्नलिखित को ऑनलाईनर ई-नीलामी सूचना की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- मुख्य अभियन्ता (पश्चिम) स्तर-1, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ०प्र० मेरठ।
- 2- मुख्य अभियन्ता (गंगा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० मेरठ।
- 3- जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर
- 4- अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), जनपद मुजफ्फरनगर।
- 5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर।
- 6- अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम मण्डल सिंचाई कार्य, मेरठ।
- 7- उपजिलाधिकारी जनपद मुजफ्फरनगर।
- 8- पुलिस अधीक्षक (नगर) मुजफ्फरनगर।
- 9- प्रभागीय वनाधिकारी मुजफ्फरनगर।
- 10- थाना भोपा जनपद मुजफ्फरनगर।
- 11- जिला सूचना अधिकारी, मुजफ्फरनगर।
- 12- जिला खनन अधिकारी, जनपद मुजफ्फरनगर।
- 13- अधिशासी अभियन्ता मेरठ खण्ड गंगा नहर, मेरठ/मु०नगर खण्ड गंगा नहर मु०नगर को मुख्य अभियन्ता (गंगा) मेरठ के कार्यालय ज्ञाप सं०-12608/मु०अ०गंगा/निविदा समिति, दिनांक 12.12.2018 के सन्दर्भ में कृपया निर्धारित तिथि व समय पर निविदा खोलने हेतु उपस्थित होने का कष्ट करें।
- 14- सहायक अभियन्ता प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ, हापुड एवं बुलन्दशहर।
- 15- नोटिस बोर्ड हेतु।

अधिशासी अभियन्ता

अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ।

181

Tender Management

org Hierarchy Master

ew Internal Documents

er Management

ebiar User

y Organisation Hierarchy

y Accounts

der Management

reate Tender / Tender List

ublish Tender

ublished Tenders

seek Clarifications

re-bid Meeting

ownloaded Tenders

ds Submitted Tenders

TENDER MANAGEMENT

Bids Submitted For Tenders

Search

Tender ID

2026_UPIDC_1113262_2

Tender Title

Clear

Search

Tender List

S.No	Tender ID	Tender Title/Tender Ref No.	Bid Opening Date	No.of Valid Bids
1.	2026_UPIDC_1113262_2	E-Auction/TN-10/EE/2025-26 E-Auction of/Removal of Excess silt/clay on both the middle banks of Anupshahar Branch Canal from Km 0.000 to Km 22.930 in Tehsil Jansath of Muzaffarnagar district.Lot-01/E-Auction TN-10/EE/2025-26	24-Feb-2026 12:00 PM	0

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर, मेरठ।

पत्रांक:-472/अशाख/टी-10/ई-नीलामी

दिनांक:-27.02.2026

:-कार्यालय ज्ञाप:-

पुनः ई-नीलामी आमंत्रण पत्र।

इस कार्यालय के पत्रांक 260/अशाख/टी-10/ई-नीलामी दिनांक 29.01.2026 के द्वारा अल्पकालीन ई-नीलामी सूचना संख्या-10/ई0ई0/2025-26 के अन्तर्गत जनपद मुजफ्फरनगर के तहसील जानसठ में अनूपशहर शाखा नहर के कि०मी० 0.000 से कि०मी० 22.930 तक मध्य दोनो बैंको पर अतिरिक्त सिल्ट/मिट्टी की ई-नीलामी हेतु निविदाएं आमंत्रित की गयी थी, जिसमें शून्य निविदा प्राप्त होने पर इस कार्यालय के पत्रांक 388/अशाख/टी-10/ई-नीलामी दिनांक 16.02.2026 द्वारा पुनः ई-नीलामी हेतु निविदाएं आमंत्रित की गयी, जिसमें पुनः शून्य निविदा प्राप्त होने के कारण पुनः ई-नीलामी हेतु निम्नानुसार निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

S.N	Particulars	Date	Time	Work Days
1	Uploading/Downloding Start	28-02-2026	10:00 AM	30-Days
2	Uploading/Downloding End	05-03-2026	05:00 PM	
3	Technical Bid Opening	06-03-2026	11:00 AM	
4	Financial Bid Opening	Date will be Decided after Technical bid evaluation and will be communicated online to successful bidders in Technical bid.		

शेष शर्तें पूर्व की भांति यथावत रहेंगी।

अधिशासी अभियन्ता

अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ।

पत्रांक :-472/अशाख/टी-10/ई-नीलामी/दिनांक:-27.02.2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- मुख्य अभियन्ता (पश्चिम) स्तर-1, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ०प्र० मेरठ।
- 2- मुख्य अभियन्ता (गंगा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० मेरठ।
- 3- जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर
- 4- अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), जनपद मुजफ्फरनगर।
- 5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर।
- 6- अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम मण्डल सिंचाई कार्य, मेरठ।
- 7- उपजिलाधिकारी जनपद मुजफ्फरनगर।
- 8- पुलिस अधीक्षक (नगर) मुजफ्फरनगर।
- 9- प्रभागीय वनाधिकारी मुजफ्फरनगर।
- 10- थाना भोपा जनपद मुजफ्फरनगर।
- 11- जिला सूचना अधिकारी, मुजफ्फरनगर।
- 12- जिला खनन अधिकारी, जनपद मुजफ्फरनगर।
- 13- अधिशासी अभियन्ता मेरठ खण्ड गंगा नहर, मेरठ/मु०नगर खण्ड गंगा नहर मु०नगर को मुख्य अभियन्ता (गंगा) मेरठ के कार्यालय ज्ञाप सं०-12808/मु०अ०गंगा/निविदा समिति, दिनांक 12.12.2018 के सन्दर्भ में कृपया निर्धारित तिथि व समय पर निविदा खोलने हेतु उपस्थित होने का कष्ट करें।
- 14- सहायक अभियन्ता प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ, हापुड एवं बुलन्दशहर।
- 15- नोटिस बोर्ड हेतु।

अधिशासी अभियन्ता

अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ।

BID OPENING

Master Management

- Org Hierarchy Master
- View Internal Documents

User Management

- Debar User
- My Organisation Hierarchy
- My Accounts

Tender Management

- Create Tender / Tender List
- Publish Tender
- Published Tenders
- Seek Clarifications
- Pre-bid Meeting
- Downloaded Tenders
- Bids Submitted Tenders
- Tender Status
- Archived Tenders
- Archived Clarification

Corrigendum

- Create Corrigendum
- Publish Corrigendum
- Published Corrigendum

Bid Opening

- Tenders to be Opened

Bid Evaluation

- Technical Evaluation
- Financial Evaluation

Bid Opening → Bid Openers

Tender Reference Number : E-Auction TN-10/EE/2025-26

Tender ID : 2026_UPIDC_1113262_3

E-Auction/TN-10/EE/2025-26 E-Auction of/Removal of Excess silt/day
Tender Title : on both the middle banks of Anupshahar Branch Canal from Km 0.000
to Km 22.930 in Tehsil Jansath of Muzaffarnagar district.Lot-01

Bid Opening Date & Time : 06-Mar-2026 12:36 PM

Bid Opener Type : 2 Of 3 (Minimum 2 bid openers should decrypt)

Bid Openers

 Refresh

vikas kumar



Man Mohan Singh



SUBHASH CHANDRA



Total No. of Bids : 0

Total No. of Withdrawn Bids : 0

Bid Packets

Fee/PreQual/Technical



Back

प्रेषक,

अधिशायी अभियन्ता
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ।

184

प्रेषित,

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पत्रांक:- 982/अशाख/टी-01/ई-नीलामी

दिनांक:-14.05.2026

विषय:- अल्पकालीन ऑनलाईन ई-नीलामी सूचना संख्या 01/ई0ई0/2026-27 का प्रकाशन।

महोदय,

अल्पकालीन ई-नीलामी सूचना सं0 01/ई0ई0/2026-27 आपको 6 प्रतियों में सी0डी0 सहित इस आशय से प्रेषित है कि कृपया इस निविदा सूचना का प्रकाशन मुजफ्फरनगर तथा उसके आस-पास सबसे अधिक क्रय किये वाले हिन्दी के दो प्रमुख, समाचार पत्रों में केवल एक-एक बार तीन दिन के अन्तराल से प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

आपके पत्रांक 82/सू0 एवं ज0सं0वि0(विज्ञा)-924/2014 दिनांक 17.03.2015 के द्वारा वांछित दूरभाष नं0 कार्यालय 0121-2664976 एवं ई-मेल आई0डी eeabmrt@gmail.com है। कृपया प्रकाशन संबंधी सूचना इन्ही दूरभाष नम्बर व ई-मेल आई0डी0 पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अधिशायी अभियन्ता
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

पत्रांक:-982/अशाख/टी-01/ई-नीलामी

दिनांक:-14.05.2026

1. प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता, कंप्यूटर केन्द्र कार्यालय प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ को उपरोक्त अल्पकालीन ऑनलाईन ई-निविदा की हार्ड कापी एवं सी0डी0 सहित शासनादेश सं0 763/05/27-सी-3-8-टी0/84 दिनांक 03.03.2005 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

(मनमोहन सिंह)

अधिशायी अभियन्ता

अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ।

पत्रांक :-982/अशाख/टी-01/ई-नीलामी/दिनांक:-14.05.2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को ऑनलाईनर ई-नीलामी सूचना की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- मुख्य अभियन्ता (पश्चिम) स्तर-1, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 मेरठ।
- 2- मुख्य अभियन्ता (गंगा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 मेरठ।
- 3- जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर
- 4- अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), जनपद मुजफ्फरनगर।
- 5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर।
- 6- अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम मण्डल सिंचाई कार्य, मेरठ।
- 7- उपजिलाधिकारी जनपद मुजफ्फरनगर।
- 8- पुलिस अधीक्षक (नगर) मुजफ्फरनगर।
- 9- प्रभागीय वनाधिकारी मुजफ्फरनगर।
- 10- थाना भोपा जनपद मुजफ्फरनगर।
- 11- जिला सूचना अधिकारी, मुजफ्फरनगर।
- 12- जिला खनन अधिकारी, जनपद मुजफ्फरनगर।
- 13- अधिशायी अभियन्ता मेरठ खण्ड गंगा नहर, मेरठ/मु0नगर खण्ड गंगा नहर मु0नगर को मुख्य अभियन्ता (गंगा) मेरठ के कार्यालय ज्ञाप सं0-12608/मु0अ0गंगा/निविदा समिति, दिनांक 12.12.2018 के सन्दर्भ में कृपया निर्धारित तिथि व समय पर निविदा खोलने हेतु उपस्थित होने का कष्ट करें।
- 14- सहायक अभियन्ता प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ, हापुड एवं बुलन्दशहर।
- 15- नोटिस बोर्ड हेतु।

अधिशायी अभियन्ता
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर, मेरठ।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर, मेरठ।


अल्पकालीन ऑनलाईन ई-नीलामी सूचना संख्या-01/ई0ई0/2026-2027

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या 113/2019/718/19-27-सि0(डब्लू)/2019 दिनांक 02.04.2019, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (अनुश्रवण एवं मूल्यांकन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के अ0शा0प0-1026/अनु0एव0मु0/अनिम0-5/सिनिक/सि0स0/दिनांक 18.12.2019 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में इस खण्ड के कार्यक्षेत्र जनपद मुजफ्फरनगर के तहसील जानसठ में अनूपशहर शाखा नहर के कि0मी0 0.000 से कि0मी0 22.930 तक मध्य दोनो बैंको पर अतिरिक्त सिल्ट/मिट्टी की नीलामी ऑनलाईन के माध्यम से दिनांक 01.06.2026 को अपराह्न 05:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है, जो अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में निविदा खोलने हेतु गति समिति के सदस्यों द्वारा दिनांक 02.06.2026 पूर्वाह्न 11.00 बजे खोली जायेगी। कार्यालय बन्द होने अथवा अवकाश होने की दशा में यह निविदायें अगले कार्यदिवस में उसी समय खोली जायेगी। निविदा दिनांक 25.05.2026 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से दिनांक 01.06.2026 को अपराह्न 05.00 बजे तक डाउनलोड/अपलोड की जा सकती है।

प्रत्येक निविदादाता को ऑनलाईन ई-नीलामी की धरोहर धनराशि ऑनलाईन जमा करनी होगी तथा निविदादाता से अपेक्षा की जाती है कि ई-नीलामी की निविदा डालने से पूर्व निविदा प्रपत्र के क्लॉज में अंकित न्यूनतम अर्हता के सम्बन्ध में शर्तों का भली-भाँति अध्ययन कर लें।

क्र० सं०	कार्य का विवरण	सुरक्षित रूप से निकाली जाने वाली सिल्ट/मिट्टी की मात्रा (घन मीटर में)	अनुसूची के अनुसार निर्धारित दर रु० में (रायल्टी प्रति घन मीटर में)	अनुसूची के अनुसार निर्धारित दर से सम्भावित मात्रा के आधार पर आकलित कुल रायल्टी (रु० में)	निविदा के साथ ई0एम0डी0 के रूप में जमा की जाने वाली धनराशि (रायल्टी का 10 प्रतिशत रु० में)	निविदा प्रपत्र एवं स्टेशनरी का मूल्य + वेबसाइट हैण्डलिंग चार्ज +जी0एस0टी0 (रु० में)
1	जनपद मुजफ्फरनगर के तहसील जानसठ में अनूपशहर शाखा नहर के कि0मी0 0.000 से कि0मी0 14.500 तक मध्य दोनो बैंको पर अतिरिक्त सिल्ट/मिट्टी।	13000.00	59.00	767000.00	76700.00	300+500+144 कुल-944 रु०
2	जनपद मुजफ्फरनगर के तहसील जानसठ में अनूपशहर शाखा नहर के कि0मी0 14.500 से कि0मी0 22.930 तक मध्य दोनो बैंको पर अतिरिक्त सिल्ट/मिट्टी।	14000.00	59.00	826000.00	82600.00	300+500+144 कुल-944 रु०

नोट:-यह ई-नीलामी सूचना संख्या उ0प्र0 सरकार की वेबसाइट (<http://upgovt.nic.in>) तथा सिंचाई विभाग की वेबसाइट (<http://www.irrigation.up.in>, <http://www.idup.upgovt.in>) उपलब्ध है।


(मनमोहन सिंह)

अधिशासी अभियन्ता

अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ।

नियम व शर्तें:-

1. उक्त ई-नीलामी प्रक्रिया में निविदाकारों की श्रेणी का वर्गीकरण नहीं किया गया है। राज्य सरकार में विभिन्न विभागों में पंजीकृत किसी भी श्रेणी के आवेदक ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।
2. ई-निविदाकार का अपना पैनकार्ड, आधार कार्ड, जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण पत्र, सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी द्वारा जारी किया हुआ अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र एवं हैसियत प्रमाण-पत्र की छायाप्रति की स्वप्रमाणित प्रतियाँ अपलोड करना होगा। जिन ई-निविदाकारों द्वारा मूल-अभिलेख की स्वप्रमाणित छायाप्रति ऑनलाईन अपलोड नहीं की जायेगा, उनकी ई-निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
3. ई-नीलामी कमेटी द्वारा ई-निविदाकारों के समक्ष ऑनलाईन ई-नीलामी खोली जायेगी। प्रति घन मीटर सर्वोच्च बोली के आधार पर ई-निविदाकार का चयन किया जायेगा।
4. नहर से तालिका में उल्लिखित मापन के अनुसार उच्चतम बोलीदाता द्वारा स्वयं के व्यय पर नहर पर से अतिरिक्त सिल्ट/मिट्टी उखाई जायेगी। सिल्ट/मिट्टी उखाने हेतु विभाग द्वारा किसी प्रकार की धनराशि अथवा पारितोषिक देय नहीं होगा।
5. नहर पर अतिरिक्त सिल्ट/मिट्टी हटाये/उठाये जाने पर यदि किसी भी प्रकार की क्षति होती है, तो उसकी प्रतिपूर्ति उच्चतम बोलीदाता को स्वयं के व्यय पर करनी होगा।
6. सिल्ट/मिट्टी उठाये जाने हेतु रायल्टी की दर रु0 59.00 प्रति घन मीटर आधार मानते हुये उच्च बोली का प्रस्ताव ई-निविदा पोर्टल पर देना होगा। सर्वोच्च बोली के आधार पर उक्त कार्य हेतु ई-निविदाकार का चयन किया जायेगा।
7. जनपद मुजफ्फरनगर अनूपशहर शाखा नहर के दोनो बैंको पर अतिरिक्त सिल्ट/मिट्टी के अतिरिक्त किसी अन्य जगह से सिल्ट/मिट्टी नहीं उखायी जायेगी, अन्य स्थल से सिल्ट/मिट्टी उखाने पर उच्चतम बोलीदाता के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
8. नहर के दोनो बैंको पर से सिल्ट/मिट्टी उठाये जाने का कार्य सम्बन्धित रीच के सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर/जिलेदार की देख-रेख में सूर्योदय से सूर्यास्त तक मानव श्रम एवं राजस्थानी ट्रेक्टर द्वारा नहर को क्षतिग्रस्त किये बिना किया जायेगा।
9. चयनित ई-निविदाकार द्वारा ई-निविदा में उल्लिखित मात्रा की सिल्ट/मिट्टी उखाया जाना अनिवार्य होगा, यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो निविदादाता के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
10. उच्चतम बोली की धनराशि पर नियमानुसार 2.06 प्रतिशत टी0सी0एस0, 10 प्रतिशत डी0एम0एफ एवं 02 प्रतिशत स्टम्प शुल्क देय होगा।
11. माननीय न्यायालय/मा0 निर्वाचन आयोग, भारत सरकार/उ0प्र0 शासन/सिंचाई विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/शासनादेशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।
12. किसी भी समय उक्त कार्य की ई-नीलामी को बिना कारण बताये अस्वीकार/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी का होगा।
13. ई-नीलामी में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निष्पादन जनपद मेरठ/अधीक्षण अभियन्ता प्रथम मण्डल सिंचाई कार्य मेरठ द्वारा किया जायेगा, जो समस्त निविदादाताओं को मान्य होगा।
14. ई-नीलामी की अधिकतम बोली स्वीकृत होने के एक सप्ताह के अन्दर समस्त राशि जो अधिशासी अभियन्ता, अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ के नाम तथा जनपद मुजफ्फरनगर को देय होगी/जमा करनी होगा।
15. ई-नीलामी की अधिकतम बोली की धनराशि के 10 प्रतिशत धनराशि की एफ0डी0आर जो अधिशासी अभियन्ता अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ के नाम बन्धक होगी जमानत के रूप में जमा करनी होगी, जो कार्य पूर्ण होने के उपरान्त अवमुक्त कर दी जायेगी। निविदादाता द्वारा 10 प्रतिशत धनराशि जो ऑनलाईन निविदा अपलोड करते समय जमा होगी वह धनराशि एफ0डी0आर0 प्राप्त होने के उपरान्त वापस की जायेगी।
16. ई-नीलामी पूर्ण होने के उपरान्त उच्चतम बोलीदाता को शत-प्रतिशत धनराशि नीलामी की सिल्ट/मिट्टी उखाने से पूर्व चालान के माध्यम से कोषागार जनपद मुजफ्फरनगर में जमा करनी होगी।
17. सिल्ट/मिट्टी उखाने की कार्य अवधि 30 दिन होगी।
18. निविदा निर्धारित दर से प्रारम्भ होकर अधिकतम प्राप्त दर ही स्वीकार की जायेगी।
19. यदि नहर का सैक्शन/डौला/सर्विस रोड सिल्ट/मिट्टी उखाने के समय क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो उसको ठीक कराये जाने का व्यय उच्चतम बोलीदाता द्वारा वहन किया जायेगा।
20. नहर के सैक्शन को मॅटेन करने के उपरान्त ही अतिरिक्त सिल्ट/मिट्टी कार्य स्थल से उखायी जा सकेगी।
21. समस्त निविदादाताओं को सूचित किया जाता है कि उक्त कार्य हेतु ई-नीलामी में प्रतिभाग करने से पूर्व उक्त कार्यक्षेत्र का निरीक्षण एवं सिल्ट/मिट्टी की मात्रा का निरीक्षण भलीभाति करना अनिवार्य होगा एवं इस आशय का शपथ-पत्र भी अपलोड करना होगा की उनके द्वारा कार्यक्षेत्र का निरीक्षण, सिल्ट/मिट्टी की मात्रा का निरीक्षण भलीभाति कर लिया गया है, एवं निविदादाता ने निरीक्षण के दौरान कार्य सम्पादन हेतु कार्य स्थल पर कोई अवरोध नहीं पाया है।


2

ई-नीलामी की निविदा खुलने के उपरान्त कार्यक्षेत्र के सम्बन्ध में, सिल्ट/मिट्टी के उठान कार्य के सम्बन्ध में एवं सिल्ट/मिट्टी की मात्रा के सम्बन्ध में उच्चतम बोलीदाता का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

22. निविदानुसार नीलामी की जाने वाली सिल्ट/मिट्टी उठाने का कार्य इंजीनियर इन्चार्ज की देख-रेख में किया जायेगा। निर्धारित समय के अतिरिक्त रात्रि/मध्य रात्रि में सिल्ट/मिट्टी उठई जाती है तो उच्चतम बोलीदाता के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

23. बैंक ड्राफ्ट बनवाने का व्यय एवं समस्त व्यय उच्चतम बोलीदाता द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

24. नीलामी के माध्यम से उठई जाने वाली सिल्ट/मिट्टी का कार्य इस प्रकार निष्पादित किया जाएगा कि अनूपशहर शाखा के दोनों ओर स्थित नहरी पट्टी, जो कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का भाग है, पर वन विभाग द्वारा किए गए वृक्षारोपण को किसी भी प्रकार की क्षति न पहुँचे। यदि कार्य के दौरान किसी भी वृक्ष अथवा पौधारोपण को क्षति होती है, तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की होगी तथा क्षतिपूर्ति/दायित्व की कार्यवाही नियमानुसार ठेकेदार के विरुद्ध की जाएगी।


(मनमोहन सिंह)

अधिशायी अभियन्ता

अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ।

188

शीर्ष प्राथमिकता/महत्वपूर्णसंख्या-1/1227112/2026(177187)

प्रेषक,

अशोक कुमार सरोज,

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, 30प्र0, लखनऊ।

2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 04-02-2026

विषय: "उत्तर प्रदेश उपखनिज परिहार (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2026" के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अधिसूचना संख्या-1/1225960/2026, दिनांक 04.02.2026 द्वारा प्रख्यापित "उत्तर प्रदेश उपखनिज परिहार (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2026" की हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति संलग्न कर अग्रतर आवश्यक कार्यवाही हेतु आपके उपयोगार्थ प्रेषित करने का मुझे निदेश हुआ है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय

Digitally signed by
ASHOK KUMAR SAROJ

Date: 04-02-2026

18:03:45

(अशोक कुमार सरोज)

अनु सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग-1

संख्या:I./1225960/2026

लखनऊ, दिनांक 04.02.2026

अधिसूचना

साधारण खंड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या-10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या-67 सन् 1957) की धारा-15 की उप धारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2021 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं अर्थात्:-

उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2026

संक्षिप्त नाम 1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2026 कही और प्रारम्भ जायेगी।

(2) यह सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

प्रथम अनुसूची 2- उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2021 (जिसे आगे "उक्त नियमावली" कहा गया का संशोधन है) में नीचे स्तम्भ-एक में दी गयी प्रथम अनुसूची के स्थान पर स्तम्भ-दो में दी गयी अनुसूची रख दी जायेगी, अर्थात्: -

स्तम्भ-एक (विद्यमान अनुसूची) प्रथम अनुसूची स्वामित्व (नियम-21 देखिये)			स्तम्भ-दो (एतद्वारा प्रतिस्थापित अनुसूची) प्रथम अनुसूची स्वामित्व की दर (नियम-21 देखें)		
क्र० सं०	खनिज	स्वामित्व की दर	क्रम संख्या	खनिज	स्वामित्व की दर
1-	चूना पत्थर	रु० 150.00 प्रतिटन या रु० 275.00 प्रति घनमीटर	1-	निकाल दिया गया	निकाल दिया गया

2-	मार्बल या मार्बल चिप्स (संगमरमर)	रु0 206.00 प्रतिटन या रु0 405.00 प्रति घनमीटर	2-	मार्बल या मार्बल चिप्स (संगमरमर)	रु0 206.00 प्रतिटन या रु0 405.00 प्रति घनमीटर
3-	ईट बनाने की मिट्टी	शून्य	3-	ईट बनाने की मिट्टी	शून्य
4-	ईमारती पत्थर (बिल्डिंग स्टोन)		4-	ईमारती पत्थर (बिल्डिंग स्टोन)	
(i)	ग्रेनाइट (साइज्ड डायमेशनल स्टोन)		(i)	ग्रेनाइट (साइज्ड डायमेशनल स्टोन)	
	(क) एक मीटर या ऊपर के साइज के	रु0 5000.00 प्रति घनमीटर		(क) एक मीटर या ऊपर के साइज के	रु0 6000.00 प्रति घनमीटर
	(ख) एक मीटर या नीचे के साइज के	रु0 3000.00 प्रति घनमीटर		(ख) एक मीटर के नीचे के साइज के	रु0 4000.00 प्रति घनमीटर
(ii)	स्लैब्स और अक्षर सहित साइज्ड डायमेशनल स्टोन (सैण्ड स्टोन, क्वार्टजाइट)	रु0 650.00 प्रति घनमीटर	(ii)	स्लैब्स और अक्षर सहित साइज्ड डायमेशनल स्टोन (सैण्ड स्टोन, क्वार्टजाइट)	रु0 850.00 प्रति घनमीटर
(iii)	मिल स्टोन व हाथ चक्की (सैण्ड स्टोन, क्वार्टजाइट)	रु0 600.00 प्रति घनमीटर	(iii)	मिल स्टोन व हाथ चक्की (सैण्ड स्टोन, क्वार्टजाइट)	रु0 600.00 प्रति घनमीटर

(iv)	खण्डास और बोल्डर		(iv)	खण्डास और बोल्डर	
	(क) ग्रेनाइट व डोलो स्टोन (25cm×25cm× 25cm) तक साइज्ड का	रु0 125.00 प्रति घनमीटर		(क) ग्रेनाइट व डोलो स्टोन (25cm×25cm×25cm) से मी0 तक साइज्ड का	रु0 125.00 प्रति घनमीटर
	(ख) सैण्ड स्टोन और क्वार्टजाईट (25cm×25cm× 25cm) तक साइज्ड का	रु0 100.00 प्रति घनमीटर		(ख) सैण्ड स्टोन और क्वार्टजाईट (25cm×25cm×25cm) सेमी0 तक साइज्ड का	रु0 100.00 प्रति घनमीटर
(v)	वैलास्ट (गिट्टी)		(v)	वैलास्ट (गिट्टी)	
	(क) ग्रेनाइट और डोलोस्टोन	रु0 160.00 प्रति घनमीटर		(क) ग्रेनाइट और डोलोस्टोन	रु0 165.00 प्रति घनमीटर
	(ख) सैण्ड स्टोन और क्वार्टजाईट	रु0 110.00 प्रति घनमीटर		(ख) सैण्ड स्टोन और क्वार्टजाईट	रु0 140.00 प्रति घनमीटर
	(ग) स्टोन डस्ट	रु0 100.00 प्रति घनमीटर		(ग) स्टोन डस्ट	रु0 100.00 प्रति घनमीटर
5	मौरम		5	मौरम	
	(क) नदी तल में उपलब्ध	रु0 150.00 प्रति घनमीटर		(क) नदी तल में उपलब्ध	रु0 190.00 प्रति घनमीटर
	(ख) पहाड़ों के क्षरण के फलस्वरूप उत्पन्न लाल मौरम	रु0 75.00 प्रति घनमीटर		(ख) पहाड़ों के क्षरण के कारण उत्पन्न लाल मौरम	रु0 100.00 प्रति घनमीटर

6	साधारण बालू (विहित प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त होने वाले बालू से भिन्न)		6	साधारण बालू (विहित प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त होने वाले बालू से भिन्न)	
	(क) प्रथम श्रेणी, (अनुसूची-दो में उल्लिखित जिलों में उपलब्ध)	₹ 65.00 प्रति घनमीटर		(क) प्रथम श्रेणी, (अनुसूची-दो में उल्लिखित जिलों में उपलब्ध)	₹ 80.00 प्रति घनमीटर
	(ख) द्वितीय श्रेणी, (अनुसूची- दो में उल्लिखित जिलों में उपलब्ध)	₹ 55.00 प्रति घनमीटर		(ख) द्वितीय श्रेणी, (अनुसूची-दो में उल्लिखित जिलों में उपलब्ध)	₹ 70.00 प्रति घनमीटर
7	बजरी (सिंगिल)	₹ 110.00 प्रति घनमीटर	7	(i) बजरी (सिंगिल) (ii) बालू/बजरी/बोल्डर मिश्रित अवस्था में (आर0बी0एम0)	₹ 110.00 प्रति घनमीटर ₹ 160.00 प्रति घनमीटर
8	साधारण मृदा (आरडिनरी क्ले) अथवा साधारण मिट्टी (आरडिनरी अर्थ)	शून्य	8	साधारण मृदा (आरडिनरी क्ले) अथवा साधारण मिट्टी (आरडिनरी अर्थ)	शून्य
9	पायरोफिलाइट	₹ 300.00 प्रति टन	9	पायरोफिलाइट	₹ 340.00 प्रति टन
10	डायस्पोर	₹ 500.00 प्रति टन	10	डायस्पोर	₹ 525.00 प्रति टन

11	सिलिका सैण्ड	रु0 100.00 प्रति टन	11	सिलिका सैण्ड	रु0 150.00 प्रति टन
12	चाइना क्ले	खान पर खनिमुख मूल्य का 12 प्रतिशत	12	चाइना क्ले	खनिमुख मूल्य का 12 प्रतिशत
13	कैलसाइट	खान पर खनिमुख मूल्य का 12 प्रतिशत	13	कैलसाइट	खनिमुख मूल्य का 12 प्रतिशत
14	क्वार्टज	रु0 100.00 प्रति टन	14	निकाल दिया गया	निकाल दिया गया
15	कोई अन्य उपखनिज जिसके लिये स्वामित्व की दर विनिर्दिष्ट नहीं है।	खान पर विक्री मूल्य का 10 प्रतिशत	15	कोई अन्य उपखनिज जिसके लिये स्वामित्व की दर विनिर्दिष्ट नहीं है।	खनिमुख मूल्य का 10 प्रतिशत

द्वितीय अनुसूची 3- उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दी गयी द्वितीय अनुसूची के का स्थान पर स्तम्भ-2 में दी गयी अनुसूची रख दी जायेगी, अर्थात्: - संशोधन

स्तम्भ-1 विविध अनुसूची द्वितीय अनुसूची अपरिहार्य भाटक (नियम-22 देखिये)				स्तम्भ-2 (एतद्वारा प्रतिस्थापित अनुसूची) द्वितीय अनुसूची अपरिहार्य भाटक (नियम-22 देखें)			
क्र० सं०	उपखनिजों के नाम	जिले/नदी का नाम	प्रति एकड़ वार्षिक अपरिहार्य भाटक की दर	क्र० सं०	खनिज	जिले/नदी का नाम	प्रति एकड़ वार्षिक अपरिहार्य भाटक की दर

1	मार्बल और मार्बल चिप्स	सोनभद्र और अन्य जिले, यदि कोई हों।	रु0 40000.00	1	मार्बल, मार्बल चिप्स (संगमरमर)	सोनभद्र और अन्य जिले, यदि कोई हों।	रु0 60000.00
2	चूना पत्थर (लाईम स्टोन)	सोनभद्र और अन्य जिले, यदि कोई हों।	रु040000.00	2	निकाल दिया गया	निकाल दिया गया	निकाल दिया गया
3				3	इमारती पत्थर (बिल्डिंग स्टोन)		
	(क) सैण्डस्टोन एवं क्वार्टजाइट	ललितपुर, बांदा, मिर्जापुर, सोनभद्र, आगरा, प्रयागराज, चित्रकूट, मथुरा और अन्य जिले यदि कोई हों।	रु0 65000.00	(क)	ललितपुर, बांदा, मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, मथुरा और अन्य जिले यदि कोई हों।	रु0 97500.00	
	(ख) ग्रेनाइट, डोलोस्टोन	झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा, जालौन, सोनभद्र और अन्य जिले यदि कोई हों।	रु0 120000.00	(ख)	झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा, जालौन, सोनभद्र और अन्य जिले यदि कोई हों।	रु0 180000.00	
4	ऐसे इमारती पत्थर, गिट्टी, (बैलास्ट) बजरी और साधारण	बिजनौर, सहारनपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर और अन्य जिले यदि कोई हों।	(बोल्डर) रु0 90000.00 (बजरी) रु0 90000.00 (साधारण बालू)	4	ऐसे इमारती पत्थर, गिट्टी, (बैलास्ट) बजरी और साधारण	बिजनौर, सहारनपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर और अन्य जिले यदि कोई हों।	रु0 135000.00 0 (बोल्डर) रु0 135000.00 0 (बजरी) रु0 60000.00

	बालू जो मिली जुली अवस्था में नदी के तल पर मिलते हैं।		₹0 40000.00 प्रत्येक खनिज पर अलग अलग दर लागेगी।		बालू जो मिली जुली अवस्था में नदी के तल पर मिलते हैं।	(साधारण बालू) प्रत्येक खनिज पर पृथक दर प्रभारित होगी।	
5	मौरम- (एक) नदी तल	हमीरपुर, महोबा, झांसी, बांदा, जालौन, ललितपुर, चित्रकूट, कौशाम्बी (यमुना), फतेहपुर, सोनभद्र एवं अन्य जिले यदि कोई हों	₹0 90000.00	5	मौरम नदी तल	हमीरपुर, महोबा, झांसी, बांदा, चित्रकूट, जालौन, ललितपुर, कौशाम्बी (यमुना), फतेहपुर, सोनभद्र एवं अन्य जिले यदि कोई हों।	₹0 135000.00
	(दो) पहाड़ों के क्षरण के फलस्वरूप जमा लाल मौरम		₹0 24000.00	(पहाड़ों के क्षरण के कारण जमा लाल मौरम)	समस्त जिले जहां उपलब्ध हो		₹0 36000.00
6	साधारण बालू (प्रथम श्रेणी)	प्रयागराज (यमुना), मिर्जापुर, फिरोजाबाद, आगरा, मेरठ, मऊ, गाजियाबाद, बागपत, गौतमबुद्धनगर, वाराणसी, गोरखपुर, चंदौली, संतरविदास नगर, आजमगढ़,	₹0 50000.00	6	साधारण बालू (प्रथम श्रेणी)	प्रयागराज (यमुना), मिर्जापुर, फिरोजाबाद, आगरा, मेरठ, मऊ, गाजियाबाद, बागपत, गौतमबुद्धनगर, वाराणसी, गोरखपुर, चंदौली, संतरविदास नगर,	₹0 75000.00

		कानपुर नगर, बिजनौर, उन्नाव, इटावा, औरैया, बलिया, अयोध्या, बुलन्दशहर, मुजफ्फरनगर, अम्बेडकर नगर, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, संतकबीर नगर, गोण्डा, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, गाजीपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बाराबंकी, सहारनपुर, शामली, हापुड, कासगंज, सम्भल, अमरोहा, कानपुर देहात			आजमगढ़, कानपुर नगर, बिजनौर, उन्नाव, इटावा, औरैया, बलिया, अयोध्या, बुलन्दशहर, मुजफ्फरनगर, अम्बेडकर नगर, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, संतकबीर नगर, गोण्डा, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, गाजीपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बाराबंकी, सहारनपुर, शामली, हापुड, कासगंज, सम्भल, अमरोहा, कानपुर देहात		
7	साधारण बालू (द्वितीय श्रेणी)	शाहजहांपुर, मथुरा, मुरादाबाद, बदायूं, रामपुर, लखनऊ, अलीगढ़, हरदोई, रायबरेली, फतेहपुर (गंगा), कौशाम्बी (गंगा), प्रयागराज (गंगा), प्रतापगढ़, एटा, बरेली, सुल्तानपुर, सीतापुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, पीलीभीत, मैनपुरी, हाथरस, जौनपुर, लखीमपुर खीरी, अमेठी।	₹0 30000.00	7	साधारण बालू (द्वितीय श्रेणी)	शाहजहांपुर, मथुरा, मुरादाबाद, बदायूं, रामपुर, लखनऊ, अलीगढ़, हरदोई, रायबरेली, फतेहपुर (गंगा), कौशाम्बी (गंगा), प्रयागराज (गंगा), प्रतापगढ़, एटा, बरेली, सुल्तानपुर, सीतापुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, पीलीभीत, मैनपुरी, हाथरस, जौनपुर, लखीमपुर खीरी, अमेठी।	₹0 45000.00

8	साधारण मृदा (आरडिन री क्ले) अथवा साधारण मिट्टी (आरडिन री अर्थ)	समस्त जनपद जहां उपलब्ध हो।	रु० 10000.00	8	साधारण मृदा (आरडिन री क्ले) अथवा साधारण मिट्टी (आरडिन री अर्थ)	समस्त जिले जहां उपलब्ध हो।	रु० 15000.00
9	पायरोफि लाईट, डायस्पोर, सिलिका सैण्ड, चाइना क्ले, कैलसाईट एवं अन्य उपखनिज	समस्त जनपद जहां उपलब्ध हो।	रु० 20000.00	9	पायरोफि लाईट, डायस्पोर, सिलिका सैण्ड, चाइना क्ले, कैलसाईट एवं अन्य उपखनिज	समस्त जिले जहां उपलब्ध हो।	रु० 30000.00

आज्ञा से,
Digitally signed by
MALA SRIVASTAVA
(माला श्रीवास्तव)
11:49:26
संयोजक

Uttar Pradesh Shasan
Bhootatva Evam Khanikaram Anubhag-1

In pursuance of provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English translation of notification no. I/1225960/2026 dated 04.02.2026

Notification

No. I/1225960/2026

Lucknow; Dated: 04.02.2026

In exercise of the powers under sub-section (1) of section 15 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (Act No. 67 of 1957) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act No. 10 of 1897), the Governor is pleased to make the following rules, with a view to amend the Uttar Pradesh Minor Minerals (Concession) Rules, 2021, namely:-

THE UTTAR PRADESH MINOR MINERALS (CONCESSION)

(SECOND AMENDMENT) RULES, 2026

Short title and commencement 1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Minor Minerals (Concession) (Second Amendment) Rules, 2026.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

Amendment of First Schedule 2. In the Uttar Pradesh Minor Minerals (Concession) Rules, 2021 (hereinafter referred to as the "said rules") for the First Schedule set out in Column-I below, the Schedule as set out in Column-II shall be substituted, namely :-

COLUMN-I (Existing Schedule) First Schedule Rate of Royalty (See rule-21)			COLUMN-II (Schedule as hereby substituted) First Schedule Rate of Royalty (See rule-21)		
Sl. No.	Minerals	Rate of Royalty	Sl. No.	Minerals	Rate of Royalty
1	2	3	1	2	3

1.	Limestone	Rs. 150.00 per tonne or Rs. 275.00 per cubic meter	1	Omitted	Omitted
2.	Marble or Marble Chips (Sangmermer)	Rs. 206.00 per tonne or Rs. 405.00 per cubic meter	2.	Marble or Marble Chips (Sangmermer)	Rs. 206.00 per tonne or Rs. 405.00 per cubic meter
3.	Brick earth	Nil	3.	Brick earth	Nil
4.	Building Stone		4.	Building Stone	
(i)	Granite (sized dimensional stone)		(i)	Granite (sized dimensional stone)	
	(a) 1 meter or above size	Rs. 5000.00 per cubic meter		(a) 1 meter or above size	Rs. 6000.00 per cubic meter
	(b) below 1 meter size	Rs. 3000.00 per cubic meter		(b) below 1 meter size	Rs. 4000.00 per cubic meter
(ii)	Sized dimensional stone including slabs and ashlar (sand stone, quartzite)	Rs. 650.00 per cubic meter	(ii)	Sized dimensional stone including slabs and ashlar, (sand stone, quartzite)	Rs. 850.00 per cubic meter
(iii)	Millstone and Hand Chakis (Sand Stone, Quartzite)	Rs. 600.00 per cubic meter	(iii)	Millstone and Hand Chakis (Sand Stone, Quartzite)	Rs. 600.00 per cubic meter
(iv)	Khandas and Boulders		(iv)	Khandas and Boulders	
	(a) Granite and Dolostone sized up to 25cm25cm25cm	Rs. 125.00 per cubic meter		(a) Granite and Dolostone sized up to 25cm25cm25cm	Rs. 125.00 per cubic meter
	(b) Sand stone and Quartzite sized up to	Rs. 100.00 per cubic		(b) Sand stone and Quartzite sized up to	Rs. 100.00 per cubic

	25cm25cm25cm	meter		25cm25cm25cm	meter
(v)	Ballast (Gitti)		(v)	Ballast (Gitti)	
	(a) Granite and Dolostone	Rs. 160.00 per cubic meter		(a) Granite and Dolostone	Rs. 165.00 per cubic meter
	(b) Sand Stone/ Quartzite	Rs. 110.00 per cubic meter		(b) Sand Stone/ Quartzite	Rs. 140.00 per cubic meter
	(c) Stone Dust	Rs. 100.00 per cubic meter		(c) Stone Dust	Rs. 100.00 per cubic meter
5.	Morrum		5.	Morrum	
	(a) available in the river bed	Rs. 150.00 per cubic meter		(a) available in the river bed	Rs. 190.00 per cubic meter
	(b) red morrum deposit due to erosion of hills	Rs. 75.00 per cubic meter		(b) red morrum deposit due to erosion of hills	Rs. 100.00 per cubic meter
6.	Ordinary sand (Other than sand used for prescribed purposes)		6.	Ordinary sand (Other than sand used for prescribed purposes)	
	(a) First Category (Found in districts mentioned in schedule second)	Rs. 65.00 per cubic meter		(a) First Category (Found in districts mentioned in schedule second)	Rs. 80.00 per cubic meter
	(b) Second Category (Found in districts mentioned in schedule second)	Rs. 55.00 per cubic meter		(b) Second Category (Found in districts mentioned in schedule second)	Rs. 70.00 per cubic meter
7.	Bajri (Single)	Rs. 110.00 per cubic meter	7.	(i) Bajri (Single) (ii) Sand/ Bajri/ Boulder in mixed state (R.B.M.)	Rs. 110.00 per cubic meter Rs. 160.00 per cubic meter
8.	Ordinary Clay or Ordinary earth	Nil	8.	Ordinary Clay or Ordinary earth	Nil
9.	Pyrophyllite	Rs. 300.00 per tonne	9.	Pyrophyllite	Rs. 340.00 per tonne

10.	Diaspore	Rs. 500.00 per tonne	10.	Diaspore	Rs. 525.00 per tonne
11.	Silica Sand	Rs. 100.00 per tonne	11.	Silica Sand	Rs. 150.00 per tonne
12.	China Clay	12% of Pit mouth value	12.	China Clay	12% of Pit mouth value
13.	Calcite	12% of Pit mouth value	13.	Calcite	12% of Pit mouth value
14.	Quartz	Rs. 100 per tonne	14.	Omitted	Omitted
15.	Any other minor mineral for which the rate of royalty not specified	10% of Pit mouth value	15.	Any other minor mineral for which the rate of royalty not specified	10% of Pit mouth value

Amendment of 3. In the said rules, for the Second Schedule set out in Column-I
Second below, the Schedule as set out in Column-II shall be substituted,
Schedule namely:-

COLUMN-I (Existing Schedule)				COLUMN-II (Schedule as hereby substituted)			
Second Schedule Rate of Dead Rent (See rule-22)				Second Schedule Rate of Dead Rent (See rule-22)			
Sl. No.	Minerals	Name of Districts/River	Rate of Dead Rent per acre per annum	Sl. No.	Minerals	Name of Districts/River	Rate of Dead Rent per acre per annum
1.	Marble and Marble Chips	Sonebhadra and other district if any.	Rs. 40,000.00	1.	Marble, Marble Chips (Sangmermer)	Sonebhadra and other district if any.	Rs. 60,000.00
2.	Limestone	Sonebhadra and	Rs. 40,000.00	2.	Omitted	Omitted	Omitted

		other district if any.				
3.	Building Stone			3.	Building Stone	
(A)	Sand stone and Quartzite	Lalitpur, Banda, Mirzapur, Sonbhadra, Prayagraj Mathura and other districts if any	Rs. 65,000.00	(A)	Sand stone and Quartzite	Lalitpur, Banda, Mirzapur, Sonbhadra, Prayagraj Mathura and other districts if any
(B)	Granite Dolostone	Jhansi, Lalitpur, Hamirpur, Mahoba, Banda, Jalaun, Sonbhadra and other districts if any	Rs. 1,20,000.00	(B)	Granite Dolostone	Jhansi, Lalitpur, Hamirpur, Mahoba, Banda, Jalaun, Sonbhadra and other districts if any
4.	Such Building Stone, Ballast, Bajri and Ordinary Sand as are found in mixed form in the river bed.	Bijnor, Saharanpur, Bahrich, Lakhimpur khiri, Balrampur and other districts if any	Rs. 90,000.00 (Boulder) Rs. 90,000.00 (Bajri) Rs. 40,000.00 (Ordinary Sand) The separate rate will be charged on each minerals.	4.	Such Building Stone, Ballast, Bajri and Ordinary Sand as are found in mixed form in the river bed.	Bijnor, Saharanpur, Bahrich, Lakhimpur khiri, Balrampur and other districts if any

5.	Morrum			5.	Morrum	
(I)	River bed	Hamirpur, Mahoba, Jhansi, Banda, Chitrakoot, Jalaun, Lalitpur, Kaushambi (Yamuna) Fatehpur, Sonbhadra and other districts if any	Rs. 90,000.00	(I)	River bed	Hamirpur, Mahoba, Jhansi, Banda, Chitrakoot, Jalaun, Lalitpur, Kaushambi (Yamuna) Fatehpur, Sonbhadra and other districts if any
(II)	Red morrum deposit due to erosion of hills	All districts where available.	Rs. 24,000.00	(II)	Red morrum deposit due to erosion of hills	All districts where available.
6.	Ordinary sand Category-I	Prayagraj (Yamuna), Mirzapur, Firozabad, Agra, Meerut, Mau, Ghaziabad, Bagpat, Gautam buddh nagar Varanasi, Gorakhpur, Chandauli, Sant Ravidas Nagar, Azamgarh, Kanpur nagar, Bijnor, Unnao, Etawah, Auraiya,	Rs. 50,000.00	6.	Ordinary sand Category-I	Prayagraj (Yamuna), Mirzapur, Firozabad, Agra, Meerut, Mau, Ghaziabad, Bagpat, Gautam buddh nagar Varanasi, Gorakhpur, Chandauli, Sant Ravidas Nagar, Azamgarh, Kanpur nagar, Bijnor, Unnao, Etawah, Auraiya,
						Rs. 75,000.00

		Ballia, Ayodhya, Bulandsahar, Muzaffarnagar, Ambedkar nagar, Deoria, Kushinagar, Basti, Santkabir nagar, Gonda, Maharajganj, Sidharth nagar, Balrampur, Gazipur, Bahrich, Sharawasti, Barabanki, Saharanpur, Shamli, Hapur, Kasganj, Sambhal, Amroha,			Ballia, Ayodhya, Bulandsahar, Muzaffarnagar, Ambedkar nagar, Deoria, Kushinagar, Basti, Santkabir nagar, Gonda, Maharajganj, Sidharth nagar, Balrampur, Gazipur, Bahrich, Sharawasti, Barabanki, Saharanpur, Shamli, Hapur, Kasganj, Sambhal, Amroha,		
7.	Ordinary sand Category-II	Kanpur Dehat Shahjahanpur, Mathura, Moradabad, Badaun, Rampur, Lucknow, Aligarh, Hardoi, Raebareliy, Fatehpur (Ganga), Kaushambi (Ganga), Prayagraj (Ganga),	Rs. 30,000.00	7.	Ordinary sand Category-II	Kanpur Dehat Shahjahanpur, Mathura, Moradabad, Badaun, Rampur, Lucknow, Aligarh, Hardoi, Raebareliy, Fatehpur (Ganga), Kaushambi (Ganga), Prayagraj (Ganga),	Rs. 45,000.00

		Pratapgarh, Etah, Bareilly, Sultanpur, Sitapur, Farukhabad, Kannauj, Pilibhit, Mainpuri, Hathras, Jaunpur, Lakhimpur kheri, Amethi			Pratapgarh, Etah, Bareilly, Sultanpur, Sitapur, Farukhabad, Kannauj, Pilibhit, Mainpuri, Hathras, Jaunpur, Lakhimpur kheri, Amethi	
8.	Ordinary Clay or Ordinary earth	In all districts where available.	Rs. 10,000.00	8.	Ordinary Clay or Ordinary earth	In all districts where available. Rs. 15,000.00
9.	Pyrophyllite, Diaspore, Silica Sand, China Clay, Calcite and other minor minerals	In all districts where available.	Rs. 20,000.00	9.	Pyrophyllite, Diaspore, Silica Sand, China Clay, Calcite and other minor minerals	In all districts where available. Rs. 30,000.00

By order,

Digitally signed by
MALA SRIVASTAVA
Date: 04-03-2026
11:51:22
Secretary.

मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण
दि0 28-5-26 से पूर्व अनुपालन आख्या
मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल की जानी है
तत्काल/आवश्यक/महत्वपूर्ण

कार्यालय जिलाधिकारी, मेरठ।

संख्या: 534 / क्षेत्र प्रदूषण / एन0जी0टी0 प्रकरण / 2026

दिनांक 15-05-2026

कार्यालय आदेश

- 1- उप जिलाधिकारी, मवाना।
- 2- क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मेरठ।
- 3- अधिशासी अभियन्ता, अनूपशहर शाखा खण्ड गंग नहर मेरठ।

कृपया जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय आदेश संख्या 7150/ओएसडी कैम्प/2026 दिनांक 14-05-2026 के साथ परामर्शदाता (न्यायिक) राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान न्यायपीठ, फरीदकोट हाऊस कॉपरनिकस मार्ग नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रेषित पत्र संख्या एन0जी0टी0 (पी0बी0)/जूडिशियल/ओ0ए0/233/2026/1045-1050 दिनांक 07-05-2026 द्वारा मूल आवेदन 233/2026 संदीप नागर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 24-04-2026 को पारित आदेश की प्रति सूचना एवं अनुपालन हेतु प्रेषित की गयी है। मा0 एन0जी0टी0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24-04-2026 के अनुपालन में उक्त प्रकरण में अधोहस्ताक्षरी को नोडल अधिकारी नामित करते हुए प्रश्नगत प्रकरण में मा0 एन0जी0टी0 न्यायालय के आदेशों का नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित करते हुए, अनुपालन आख्या दिनांक 28-05-2026 से पूर्व मा0 एन0जी0टी0 न्यायालय में प्रेषित करवाने के निर्देश दिये गये हैं।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या 233/2026 संदीप नागर बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 में दिनांक 24-04-2026 को आदेश पारित किये गये हैं, जिसके सुसंगत अंश निम्नवत् हैं :-

"..... 2. The Applicant has raised grievances regarding huge quantity of silt being deposited on the side of road while desilting of the 120km long Ganga Canal travelling from village Jolly of JanpadMujaffarnagar to Aupshahr of JanpadBulandshahr, AnupshahrShakha by khand Meerut, in violation of environmental norms thereby causing damage to environment due to dust pollution and serious health hazard to local residents and posing inconvenience in movement of vehicles.

मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश में शिकायती स्थल का निरीक्षण करने, शिकायतकर्ता द्वारा की गयी शिकायत की तथ्यात्मक जाँच एवं वास्तविक स्थिति का सत्यापन कर यथोचित उपचारात्मक कार्यवाही से अवगत कराते हुए, कार्यवाही की आख्या दिनांक 28-05-2026 से पूर्व मा0 अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु आदेशित किया गया है।

तत्क्रम में निर्देशित किया जाता है कि शिकायतकर्ता द्वारा की गयी शिकायत की तथ्यात्मक जाँच एवं वास्तविक स्थिति का सत्यापन करते हुए यथोचित उपचारात्मक कार्यवाही से अवगत कराते हुए, कार्यवाही की आख्या 05 दिवस के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, जिससे अनुपालन आख्या मा0 अधिकरण के समक्ष ससमय प्रस्तुत की जा सके।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

(सत्य प्रकाश सिंह)

अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)/
नोडल अधिकारी, मेरठ।

प्रतिलिपि:-

- 1- जिलाधिकारी महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
- 2- क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मेरठ को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त प्रकरण में तथ्यात्मक जाँच एवं वास्तविक स्थिति की आख्या प्राप्त कर मा0 एन0जी0टी0 में दिनांक 28-05-2026 से पूर्व दाखिल कराने का कष्ट करें।

(सत्य प्रकाश सिंह)

अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)/
नोडल अधिकारी, मेरठ।

माननीय न्यायालय, राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 233/2026 संदीप नागर बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 में पारित आदेश दिनांक 24.04.2026 के अनुपालना में निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त विषयक माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 233/2026 संदीप नागर बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 में मा0 अधिकरण द्वारा दिनांक 24.04.2026 को आदेश पारित किये गये, जिसके सुसंगत अंश निम्नवत् है।

"..... 2. The Applicant has raised grievances regarding huge quantity of silt being deposited on the side of road while desilting of the 120km long Ganga Canal travelling from Village Jolly of Janpad Mujaffarnagar to Aupshahr of Janpad Bulandshahr, Anupshahr Shakha by khand Meerut, in violation of environmental norms thereby causing damage to environment due to dust pollution and serious health hazard to local residents and posing inconvenience in movement of vehicles.


8. In view of the averments in the application, we consider it appropriate to have response of (1) State of Uttar Pradesh through Principal Secretary, Environment, Forest and Climate Change, Government of U.P.; (2) Principal Secretary, Irrigation and Water Resources Department, Uttar Pradesh; (3) District Magistrate, Meerut; (4) District Magistrate, Muzaffarnagar; (5) District Magistrate, Bulandsahar and (6) Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) through Member Secretary who are impleaded as respondents no. 1 to 6.


13. In view of the facts and circumstances of the case, we consider it appropriate that a Joint Committee be constituted with direction to verify the factual position and to suggest appropriate remedial measures. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of representatives of Principal Secretary, Environment, Forest and Climate Change, Government of U.P., Principal Secretary, Irrigation and Water Resources Department, Uttar Pradesh, Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB), District Magistrate, Meerut, District Magistrate, Muzaffarnagar and District Magistrate, Bulandshahar and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and suggest appropriate remedial action and to submit its report within one month to this Tribunal and send a copy of the report to the concerned authorities who shall be bound to take appropriate action in accordance with law and Principles of Natural Justice by giving opportunity of being heard to the concerned project proponent and to submit action taken report within next one month.

16. List on 28.05.2026 for further consideration."


A.E.E.

UP Pollution Control Board
Meerut


(मनमोहन सिंह)
अधिसासी अभियन्ता
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर
मेरठ


उपजिलाधिकारी
मकाना, मेरठ

उक्त आदेशों के अनुपालन हेतु जिलाधिकारी, मेरठ के पत्रांक 7150/ओ0एस0डी0-कैम्प/2026 दिनांक 14.05.2026 के अनुक्रम में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)/नोडल अधिकारी, मेरठ के पत्रांक 534/क्षे0प्रदू0 अधि0/एन0जी0टी0प्रकरण/2026/ दिनांक 15.05.2026 द्वारा स्थलीय निरीक्षण किये जाने हेतु निम्नवत् समिति गठित की गयी:-

- 1-उपजिलाधिकारी तहसील मवाना, जनपद मेरठ।
- 2-क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ।
- 3-अधिशाली अभियन्ता अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ।

मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में गठित समिति द्वारा ग्राम जोली जनपद मुजफ्फरनगर में अपर गंगा नहर के कि0मी0 81.118 बाएं बैंक से निकली अनूपशहर शाखा के कि0मी0 22.930 कि0मी0 65.570 के मध्य का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 18.05.2026 को किया गया। अधिशाली अभियन्ता, अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ द्वारा अवगत कराया गया कि स्वीकृत परियोजना अनूपशहर शाखा नहर के कि0मी0 0.000 से कि0मी0 131.940 तक क्षमता पुर्नस्थापना एवं पक्की संरचनाओं की मरम्मत कार्यों की परियोजना के अन्तर्गत अनूपशहर शाखा के कि0मी0 0.000 से 131.940 कि0मी0 तक नहर के आन्तरिक अनुभाग में सिल्ट सफाई का कार्य पूर्ण लम्बाई में माह नवम्बर-दिसम्बर 2025 में पूर्ण किया गया है। कार्य के दौरान नहर से निकली सिल्ट का डिस्पोजल नहर के दाएं एवं बाएं बैंक पर किया गया तथा निकाली गई सिल्ट से नहर के बाएं बैंक पर डोला निर्माण एवं नहर के क्षतिग्रस्त बैंकों की मरम्मत करने के पश्चात अतिरिक्त बची सिल्ट की नीलामी शासनादेश संख्या-12/2020/2496/86-2019-46 (सामान्य)/2019 भूत्तव एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊ दिनांक 31.12.2019 के अनुक्रम में जिलाधिकारी जनपद मेरठ द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी (वि.रा.) जनपद मेरठ की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से नीलामी की कार्यवाही की जा रही है, जिसमें पांच बार ई-नीलामी के माध्यम से निविदा आमंत्रित की गई, परन्तु अब तक इस नीलामी में कोई भी निविदा प्राप्त नहीं हुई है। वर्तमान में ई-नीलामी हेतु निविदा आमंत्रित करने की कार्यवाही प्रगति में है।

अधिशाली अभियन्ता अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि वादी संदीप नागर ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 20.12.2025 में जो फोटोग्राफ संलग्न किये गये हैं वह कार्य के दौरान के फोटोग्राफ हैं, जिसका मौका स्थल अनूपशहर शाखा नहर के कि0मी0 38.800 ग्राम कुडी कमालपुर तहसील मवाना जनपद मेरठ का है। कार्य के दौरान निकाली गई सिल्ट से नहर सेवामार्ग पर डोला निर्माण एवं

क्षतिग्रस्त आंतरिक बैकों की पुनर्स्थापना का कार्य कराया जाना शेष था। वादी संदीप नागर द्वारा कार्य पूर्ण होने से पूर्व ही मा0 माननीय न्यायालय, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) नई दिल्ली में शिकायत दर्ज करा दी गई थी। वर्तमान में नहर सेवामार्ग पर डोला निर्माण का कार्य एवं क्षतिग्रस्त आंतरिक बैकों की पुनर्स्थापना का कार्य करा दिया गया है तथा अतिरिक्त सिल्ट का उचित निस्तारण भी कर दिया गया है। वर्तमान में वाहनों के आवागमन एवं धूल उड़ने की समस्या का समाधान हो गया है।

निष्कर्ष

समिति द्वारा दिनांक 18.05.2026 को जनपद मेरठ के अन्तर्गत अनूपशहर शाखा नहर के कि०मी० 22.930 से कि०मी० 65.570 के मध्य किये गये निरीक्षण के समय पाया गया कि निकाली गई सिल्ट से बॉए बैंक पर स्थित नहर सेवा मार्ग पर पूर्ण लम्बाई में डोला बना हुआ है और अतिरिक्त सिल्ट का उचित डिस्पोजल नहर के दॉए व बॉए बैंक पर किया गया है, जिसकी नीलामी की कार्यवाही प्रगति में है। जो अतिरिक्त सिल्ट दॉए व बॉए बैंक पर पड़ी हुई है तथा डोला निर्माण में प्रयोग हुई है, उसपर प्राकृतिक रूप से वनस्पति उग आई है जिससे सिल्ट मजबूती से जम गई है। उक्त रींच में वाहनो और आम जन का आवागमन सुचारु रूप से हो रहा है। किसी भी स्थल पर सिल्ट से वायु प्रदूषण जैसी स्थिति नहीं पाई है। निरीक्षण के दौरान मौका स्थल पर वादी संदीप नागर उपस्थित रहे।



(निरीक्षण के समय गठित समिति द्वारा वादी संदीप नागर से की जा रही वार्ता का फोटोग्राफ)।

जिसमें वादी द्वारा अवगत कराया गया कि कार्य के संपादन के दौरान सिंचाई विभाग द्वारा नहर के बैंको पर अत्याधिक मात्रा में सिल्ट डाल दी


गई थी, जो वाहनों के आवागमन से उड रही थी। वर्तमान में सिंचाई विभाग द्वारा नहर के बैंक पर रखी गई सिल्ट से सेवामार्ग पर डोले का निर्माण करवा दिया गया है तथा अतिरिक्त सिल्ट का उचित निस्तारण कर दिया गया है, जिसके फलस्वरूप वाहनों के आवागमन एवं धूल उडने की समस्या भी समाप्त हो गयी है। शिकायत निस्तारण के संबंध में की गई कार्यवाही के संबंध में वादी द्वारा संतुष्टि व्यक्त की गई।


उपरोक्तानुसार कार्यस्थल पर किये गये सिल्ट सफाई के कार्य के निरीक्षण में वर्तमान में जनपद मेरठ की सीमा में आने वाली अनूपशहर शाखा नहर की रीच कि०मी० 22.930 से कि०मी० 65.570 के मध्य ऐसी कोई स्थिति विद्यमान नहीं पाई गई, जिससे पर्यावरण अथवा वायू प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती हो।


संलग्नक:-

1:-निरीक्षण के फोटोग्राफ्स।

2:-अधिशाली अभियन्ता अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ द्वारा उपलब्ध कराये गये नीलामी प्रक्रिया से सम्बन्धित अभिलेखों की प्रतिया।



(योगेश कुमार मिश्रा)
सहा०पर्या०अभियन्ता
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
मेरठ।


(मनमोहन सिंह)
अधिशाली अभियन्ता
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा
नहर मेरठ।


(संतोष कुमार सिंह)
उपजिलाधिकारी
मवाना, मेरठ।

211




जनपद मेरठ के अन्तर्गत अनुपशहर शाखा नहर के कि०मी० 22.930 से कि०मी० 65.570 के मध्य किये गये निरीक्षण के फोटोग्राफ।



A. P. Singh
UP Pollution Control Board
Meerut

M
(मनमोहन सिंह)
अधिशायी अभियन्ता
अनुपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर
मेरठ

अपिल्लो विकारी
भवाना, मेरठ




[Handwritten Signature]

A.E.E.
 UP Pollution Control Board
 Meerut

[Handwritten Signature]
 (मनमोहन सिंह)

अधिसासी अभियन्ता
 अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर
 मेरठ

[Handwritten Signature]
 उपजिलाधिकारी
 मधाना, मेरठ



Ying

A.E.E.
UP Pollution Control Board
Meerut

M.S.

(मनमोहन सिंह)
अधिसासी अभियन्ता
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर
मेरठ

Am

उपजिलाधिकारी, भवाना
मेरठ.

जनपद मेरठ में अनूपशहर शाखा नहर के 22.930 से कि०मी० 65.570 तक मध्य उपलब्ध अतिरिक्त सिल्ट/मिट्टी की ई-नीलामी प्रक्रिया निम्नानुसार है।

जनपद मेरठ में अनूपशहर शाखा नहर के कि०मी० 22.930 से कि०मी० 65.570 तक मध्य दोनो बैंको, पटरी दायी व पटरी बायी पर पड़ी सिल्ट/मिट्टी की नीलामी/निस्तारण हेतु शासनादेश संख्या-12/2020/2496/86-2019-46(सामान्य)/2019 भूत्तव एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊ दिनांक 31.12.2019 (संलग्नक-01) के आलोक में जिलाधिकारी जनपद मेरठ द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी (वि.रा.) जनपद मेरठ की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा सिल्ट/मिट्टी के दर निर्धारण हेतु कार्यवृत्त दिनांक 29.01.2026 (संलग्नक-02) को जारी किया गया। कार्यवृत्त अनुसार अधिशासी अभियन्ता अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ द्वारा अल्पकालीन ई-नीलामी सूचना सं०-11/ई०ई०/2025-26 (संलग्नक-03) के अन्तर्गत जनपद मेरठ में अनूपशहर शाखा नहर के कि०मी० 22.930 से कि०मी० 65.570 तक मध्य दोनो बैंको पर पड़ी सिल्ट/मिट्टी की नीलामी ऑनलाईन ई-निविदा आमंत्रित की गई, जिसकी प्रेस विज्ञप्ति का प्रकाशन दैनिक जागरण अखबार में दिनांक 06.02.2026 को हुआ (संलग्नक-04)। उक्त ई-नीलामी में प्राप्त ई-निविदा का विवरण निम्नानुसार है।

लॉट सं०	विवरण	निविदा आमंत्रित करने की दिनांक	निविदा खोलने की दिनांक	प्राप्त निविदाओं की संख्या	अभ्युक्ति
1	जनपद मेरठ में अनूपशहर शाखा नहर के कि०मी० 22.930 से कि०मी० 65.570 तक मध्य दोनो बैंको पर अतिरिक्त सिल्ट/मिट्टी।	29-01-2026	14-02-2026	लॉट सं०-01-शून्य	संलग्नक-05

उक्त अल्पकालीन ई-नीलामी सूचना संख्या के सापेक्ष कोई भी निविदा प्राप्त नहीं हुई।

उक्त ई-नीलामी में निविदा प्राप्त न होने के कारण अतिरिक्त दो बार (Retender) पुनः ई-निविदा आमंत्रित की गई, जिसमें भी कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई। विवरण निम्नानुसार है।

(Retender) पुनः आमंत्रित की गई ऑनलाईन ई-निविदा का विवरण।

क्र०सं०	निविदा आमंत्रित करने की दिनांक	निविदा खोलने की दिनांक	प्राप्त निविदाओं की संख्या	अभ्युक्ति
1	16-02-2026	24-02-2026	लॉट सं०-01-शून्य	संलग्नक-06 व 07

द्वितीय अवसर पर (Retender) पुनः आमंत्रित की गई ऑनलाईन ई-निविदा का विवरण।

क्र०सं०	निविदा आमंत्रित करने की दिनांक	निविदा खोलने की दिनांक	प्राप्त निविदाओं की संख्या	अभ्युक्ति
1	27-02-2026	06-03-2026	लॉट सं०-01-शून्य	संलग्नक-08 व 09

उक्त अल्पकालीन निविदा सूचना संख्या के अन्तर्गत कुल तीन अवसरों पर शून्य निविदा प्राप्त होने के दृष्टिगत उक्त सिल्ट/मिट्टी के त्वरित नीलामी/निस्तारण हेतु शासनादेश संख्या-12/2020/2496/86-2019-46 (सामान्य) 2019 भूत्तव एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊ दिनांक 31.12.2019 (संलग्नक-01) के आलोक में जिलाधिकारी जनपद मेरठ द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी (वि.रा.) जनपद मेरठ की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा जनपद मेरठ के अन्तर्गत रींच को पृथक-पृथक तीन भागों में बाटकर एक नवीन अल्पकालीन ई-नीलामी सूचना संख्या आमंत्रित करने का समिति द्वारा निर्णय लिया गया (संलग्नक-10)।

उक्त समिति द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में पूर्व आमंत्रित अल्पकालीन ई-नीलामी सूचना सं०-11/ई०ई०/2025-26 को निरस्त किया गया (संलग्नक-11), एवं एक नवीन अल्पकालीन ई-नीलामी

(मनमोहन सिंह)
अधिशासी अभियन्ता
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर
मेरठ

सूचना सं०-15/ ई०ई०/2025-26 के अन्तर्गत तीन लॉट्स में ई-निविदा आमंत्रित की गई, (संलग्नक-12) जिसकी प्रेस विज्ञप्ति का प्रकाशन दैनिक जागरण अखबार में दिनांक 30.03.2026 को हुआ (संलग्नक-13)। उक्त ई-नीलामी में प्राप्त ई-निविदा का विवरण निम्नानुसार है।

लॉट सं०	विवरण	निविदा आमंत्रित करने की दिनांक	निविदा खोलने की दिनांक	प्राप्त निविदाओं की संख्या	अभ्युक्ति
1	जनपद मेरठ में अनूपशहर शाखा नहर के कि०मी० 22.930 से कि०मी० 38.800 तक मध्य दोनो बैंको पर अतिरिक्त सिल्ट/मिट्टी।	23-03-2026	09-04-2026	लॉट सं०-01-शून्य	संलग्नक-14
2	जनपद मेरठ में अनूपशहर शाखा नहर के कि०मी० 38.800 से कि०मी० 50.000 तक मध्य दोनो बैंको पर अतिरिक्त सिल्ट/मिट्टी।	23-03-2026	09-04-2026	लॉट सं०-02-शून्य	संलग्नक-15
3	जनपद मेरठ में अनूपशहर शाखा नहर के कि०मी० 50.000 से कि०मी० 65.570 तक मध्य दोनो बैंको पर अतिरिक्त सिल्ट/मिट्टी।	23-03-2026	09-04-2026	लॉट सं०-03-शून्य	संलग्नक-16

उक्त अल्पकालीन ई-नीलामी सूचना संख्या के सापेक्ष कोई भी निविदा प्राप्त नहीं हुई।

उक्त ई-नीलामी में निविदा प्राप्त न होने के कारण अतिरिक्त एक बार (Retender) पुनः ई-निविदा आमंत्रित की गई, (संलग्नक-17) जिसमें भी कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई। विवरण निम्नानुसार है।

(Retender) पुनः आमंत्रित की गई ऑनलाईन ई-निविदा का विवरण।

लॉट सं०	निविदा आमंत्रित करने की दिनांक	निविदा खोलने की दिनांक	प्राप्त निविदाओं की संख्या	अभ्युक्ति
1	09-04-2026	17-04-2026	लॉट सं०-01-शून्य	संलग्नक-18 व 19
2	09-04-2026	17-04-2026	लॉट सं०-01-शून्य	संलग्नक-18 व 19
3	09-04-2026	17-04-2026	लॉट सं०-01-शून्य	संलग्नक-18 व 19

(Retender) पुनः आमंत्रित की गई ऑनलाईन ई-निविदा के सापेक्ष कोई भी निविदा प्राप्त नहीं हुई।

नवीन शासनादेश संख्या-1/1227112/ 2026 (177187) भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 04.02.2026 (संलग्नक-20) द्वारा जारी अधिसूचना में उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 में संशोधन कर, उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2026 जारी कर दी गई है, जिसके अनुसार खनिजों की दरों को संशोधित कर दिया गया है।

उक्त शासनादेश के क्रम में उपखनिज की दरों में संशोधन होने के कारण शासनादेश संख्या-12/2020/2496/86-2019-46(सामान्य)/2019 भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊ दिनांक 31.12.2019 (संलग्नक-01) के आलोक में जिलाधिकारी जनपद मेरठ द्वारा नामित अपरजिलाधिकारी (वि.रा.) जनपद मेरठ की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा पूर्व आमंत्रित अल्पकालीन ई-नीलामी सूचना सं०-15/ई०ई०/2025-26 को निरस्त करने एवं साथ ही सिल्ट/मिट्टी के त्वरित नीलामी/निस्तारण हेतु संशोधित दर के अनुसार एक नवीन अल्पकालीन ई-नीलामी सूचना संख्या के अन्तर्गत ई-निविदा आमंत्रित करने हेतु कार्यवाही प्रगति में है।



(मनमोहन सिंह)

अधिसूचना अभियन्ता

अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर

मेरठ

प्रेषक,

डा0 रोशन जैकब,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म,
उ0प्र0, लखनऊ।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग

विषय:-परियोजना की स्थापना/निर्माण कार्य के अन्तर्गत खुदाई के दौरान निकले उपखनिजों के निस्तारण की प्रक्रिया।

महोदय,

उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित अपने पत्र संख्या-1427/एम-प्रवर्तन जालौन/2019, दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद जालौन में मेसर्स वुड स्पिन टेक्सटाइल इण्डिया प्रा0लि0 द्वारा जनपद में टेक्सटाइल की औद्योगिक परियोजना की स्थापना के दौरान खुदाई से निकले उपखनिजों के निस्तारण के सम्बन्ध में विचार कर अवगत कराने का अनुरोध किया गया है।

2. उक्त के सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि किसी परियोजना की स्थापना/निर्माण कार्य के अन्तर्गत खुदाई के दौरान निकले उपखनिजों के निस्तारण हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निम्नवत् समिति का गठन किया जाता है :-

- | | |
|--|---------|
| (1) जिलाधिकारी या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि जो ए0डी0एम0 स्तर से कम न हो। | अध्यक्ष |
| (2) प्रभारी वनाधिकारी या उनके द्वारा नामित अधिकारी | सदस्य |
| (3) परियोजना से सम्बन्धित विभाग का अधिशाषी अभियन्ता | सदस्य |
| (4) सम्बन्धित उपजिलाधिकारी | सदस्य |
| (5) सम्बन्धित खान अधिकारी/खान निरीक्षक | सदस्य |

3. उक्त समिति द्वारा उपखनिज की गुणवत्ता के अनुसार उसका न्यूनतम आरक्षित मूल्य निर्धारित करने, तदुपरान्त उसको उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 के माध्यम से ई-निविदा द्वारा निस्तारित कराने की कार्यवाही किया जाएगा। सम्पूर्ण परियोजना का कार्य यथास्थिति नियमानुसार प्राप्त पर्यावरणीय अनापत्ति के अधीन किया जायेगा।

भवदीय,
(डा0 रोशन जैकब)
विशेष सचिव।

संख्या-2496(1)/86-2019, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
2. अपर मुख्य सचिव, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग, उ0प्र0 शासन को उनके पत्र संख्या-1860/अमुस/रे0ह0व0/2019, दिनांक 18.12.2019 के सन्दर्भ में।

भवदीय,

(हृदय नारायण सिंह यादव)
अनु सचिव।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

Photo Copy Attested

(नरेंद्र सिंह)

सहायक अभियन्ता-प्रथम
अनूपशहर शाखा खगड गंगा नहर
मेरठ

महोदय,

सूचनीय है कि जनपद मुजफ्फरनगर में ऊपरी गंगा नहर के बाएं बैंक के कि०मी० 81.118 से अनूपशहर शाखा नहर निकलती है, जिसकी कुल लम्बाई 131.940 कि०मी० है। उक्त नहर के संचालन, कृषकों को सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराने, मरम्मत आदि का कार्य कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर, मेरठ द्वारा किया जाता है। उक्त नहर के माध्यम से जनपद मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड, बुलन्दशहर के कृषकों को सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराया जाता है। अनूपशहर शाखा नहर जनपद मेरठ में कि०मी० 22.930 से कि०मी० 62.750 तक (कुल 39.820 कि०मी०) पड़ती है, जिसमें मुख्यतः ग्राम भुम्मा, बटावली, अकबरपुर, बूनझुनी, मवाना, ढिकौली, कुडीकमालपुर, नासरपुर, सठला, पुठ्ठी, परीक्षितगढ, बडला, कैली रामपुर, राधना एवं ईशापुर आदि ग्राम पड़ते हैं।

वर्तमान में राज्य सरकार से अनुमोदित "अनूपशहर शाखा नहर के कि०मी० 0.000 से कि०मी० 131.940 तक क्षमता पुर्नस्थापना एवं पक्की संरचनाओं की मरम्मत की परियोजना" के अन्तर्गत अनूपशहर शाखा नहर की पूर्ण लम्बाई में नहर के आन्तरिक अनुभाग में सिल्ट सफाई का कार्य सिंचाई विभाग के अन्तर्गत कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर, मेरठ द्वारा कराया जा रहा है। उक्त कार्य को सम्पादित किये जाने हेतु सक्षम स्तर से अनुबन्ध गठित किया गया है एवं परियोजना के अन्तर्गत कार्यों को जनवरी 2026 तक पूर्ण किया जाना है। जनपद मेरठ में नहर की कुल लम्बाई 39.820 कि०मी० के आन्तरिक अनुभाग में सफाई उपरान्त लगभग 4.52 लाख घनमीटर सिल्ट/मृदा एकत्र हुयी है, जिसका उपयोग नहर के सैक्शन को ठीक करने, डोला बनाने/बैंकों की मरम्मत आदि में किया जाना है। नहर के सैक्शन को ठीक करने के उपरान्त लगभग 1.02 लाख घनमीटर अतिरिक्त सिल्ट/मृदा शेष बच जाने का अनुमान है, जो बांयी पट्टी पर लगभग 0.40 लाख घनमीटर एवं दांयी पट्टी पर लगभग 0.62 लाख घनमीटर होगी। उक्त सिल्ट/मृदा की नियमानुसार नीलामी की जानी प्रस्तावित है।

प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के पत्र संख्या 2111/14-27-सिं०-4-78(डब्लू)/14, दिनांक 16.10.2014 (संलग्नक-1) के अनुसार नहरों में जमा सिल्ट/मृदा आदि की निकासी कर, जल संरचनाओं को उनके वास्तविक स्वरूप में लाने हेतु प्रक्रिया निदान किया गया है, जिसके अनुसार सिल्ट/मृदा का सर्वेक्षण कर, चिह्नित कर, मात्रा एवं गुणवत्ता का आंकलन किया जायेगा तथा सिंचाई विभाग की संस्तुति के आधार पर खनन विभाग द्वारा लाईसेंस एवं परिवहन हेतु वांछित प्रपत्र निर्गत किया जायेगा। अधिकृत ठेकेदार एवं एजेंसी द्वारा आंकलित सिल्ट की मात्रा के आधार पर रायल्टी जमा करने के उपरान्त उसका नियमानुसार निष्पादन करने का अधिकार होगा।

विशेष सचिव, उ०प्र०, शासन के पत्र सं० 12/2020/296/86-2019-46(सामान्य)/2019, दिनांक 31-12-2019 (संलग्नक-2) में दिये गये प्राविधानुसार किसी परियोजना की स्थापना/निर्माण कार्य के अन्तर्गत खुदाई के दौरान निकले उपखनिजों के निस्तारण के सम्बन्ध में के क्रम में उक्त सिल्ट की नीलामी हेतु आपके स्तर से समिति गठित की जानी है। उक्त पत्र के अनुसार समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य निम्नानुसार नामित किये गये हैं-

1	जिलाधिकारी या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि जो ए०डी०एम० स्तर से कम न हो।	अध्यक्ष
2	प्रभारी वनाधिकारी या उनके द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
3	परियोजना से सम्बन्धित विभाग का अधिशासी अभियन्ता	सदस्य
4	सम्बन्धित उपजिलाधिकारी	सदस्य
5	सम्बन्धित खान अधिकारी/खान निरीक्षण	सदस्य

उपरोक्त के क्रम में अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार समिति का गठन किये जाने हेतु अनुमति प्रदान करना चाहे।

3.12.2025
अधिशासी अभियन्ता,
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर,
मेरठ

ADM (P/R)
रजिस्ट्रार

Photo Copy Attested

(नरेन्द्र सिंह)

सहायक अभियन्ता-प्रथम
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर
मेरठ

657/21/2025
जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट
मेरठ।

कैम्प कार्यालय, जिलाधिकारी, मेरठ
के कार्यालय प्रवेश करने का दिनांक 3/12/25
हस्ताक्षरोपरान्त फाइल/पत्राचार
वापसी का दिनांक 5/12/25

कार्यवृत्त

जिलाधिकारी महोदय, मेरठ के निर्देशानुसार अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ/हापुड के नियंत्रणाधीन प्रथम एवं द्वितीय उपखण्ड मेरठ के कार्यक्षेत्र में अनूपशहर शाखा नहर के आन्तरिक अनुभाग की पुनर्स्थापना की परियोजना के कार्य से प्राप्त सिल्ट/मृदा का डिस्पोजल व ड्रेसिंग के पश्चात शेष सिल्ट/मृदा (उपखनिज) की नीलामी/निस्तारण हेतु एक बैठक अपर जिलाधिकारी (वि/रा), मेरठ की अध्यक्षता में दिनांक 29.01.2026 समय 4.00 बजे (अपराह्न) उनके कार्यालय कक्ष में आहुत की गयी, जिसमें निम्न अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

11. अपर जिलाधिकारी (वि/रा), मेरठ।
12. प्रभागीय निदेशक वन विभाग, मेरठ द्वारा नामित अधिकारी।
13. अधिशासी अभियन्ता, अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ/हापुड।
14. उप जिलाधिकारी मवाना, मेरठ।
15. खान अधिकारी, मेरठ।

अधिशासी अभियन्ता, अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ/हापुड द्वारा कार्यालय पत्रांक 3717/अशाख/सिल्ट नीलामी/दिनांक 05.12.2025 के क्रम में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मृदा परीक्षण कराकर रिपोर्ट पत्रांक 918/अ0मु0वि0 अलीगढ़/सीईडी दिनांक 31.12.2025 से उपलब्ध करायी गयी। परीक्षण के दौरान विभिन्न चैनलों पर मृदा में बालू (Sand) की मात्रा अलग-अलग पायी गयी, जिसका विवरण निम्नवत है।

क्रमांक	अनूपशहर शाखा के चैनेज	बालू (Sand) की मात्रा (प्रतिशत में)	शेष (प्रतिशत में)
1	50.300	68.5 %	31.5 %
2	61.400	68 %	32 %
	औसत	68.25 %	31.75 %

उपरोक्तानुसार प्राप्त उपखनिज में औसतन 68.25 प्रतिशत बालू (Sand) की मात्रा एवं 31.75 प्रतिशत सिल्ट (Silt) अंकलित की गयी है। अधिशासी अभियन्ता, अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ/हापुड द्वारा संलग्न पत्र 3717/अशाख/दिनांक 05.12.2025 के अनुसार लगभग 102000.00 घन मी0 अंकलित की गयी है। उपरोक्त Samples की परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के अनुसूची-1 के अनुसार न्यूनतम दर रू0 65.00 प्रति घन मी0 अंकलित/निर्धारित की जाती है, जिसके आधार पर नियमानुसार ई-टेण्डर प्रक्रिया के माध्यम से नीलामी की जायेगी।

Alim
29/01/2026
खान अधिकारी
मेरठ।

AM
29.1.26
उप जिलाधिकारी
मवाना (मेरठ)।

MW
29.1.26
अधिशासी अभियन्ता
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ/हापुड

PO
29/1/2026
क्षेत्रीय वनाधिकारी, मेरठ
प्रतिनिधि प्रभागीय निदेशक
मेरठ।

OP
29/1/26
अपर जिलाधिकारी (वि/रा)
मेरठ।

Photo Copy Attested

SP
(नरेंद्र सिंह)

सहायक अभियन्ता-प्रथम
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर
मेरठ

पत्रांक: 300/अशाख/टी-11/ई-नीलामी

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर, मेरठ।

दिनांक: -02.02.2026

3

-:कार्यालय ज्ञाप:-

शुद्धि पत्र

इस कार्यालय के पत्रांक 263/अशाख/टी-11/ई-नीलामी दिनांक 29.01.2026 के द्वारा अल्पकालीन ई-नीलामी सूचना-11/ई0ई0/2025-26 के अन्तर्गत जनपद मेरठ में अनूपशहर शाखा नहर के कि0मी0 22.930 से कि0मी0 62.750 तक मध्य दोनो बैंको पर अतिरिक्त सिल्ट/मिट्टी की ई-नीलामी हेतु निविदाएं आमंत्रित की गयी है, जिसके कार्य के विवरण/चैनेज में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है।

क्र0सं0	कार्य का विवरण
01	जनपद मेरठ में अनूपशहर शाखा नहर के कि0मी0 22.930 से कि0मी0 65.570 तक मध्य दोनो बैंको पर अतिरिक्त सिल्ट/मिट्टी।

शेष शर्तें पूर्व की भांति यथावत रहेंगी।

अधिशासी अभियन्ता

अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ।

दिनांक: -02.02.2026

पत्रांक : 300/अशाख/टी-11/ई-नीलामी

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
- 1- मुख्य अभियन्ता (पश्चिम) स्तर-1, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 मेरठ।
 - 2- मुख्य अभियन्ता (गंगा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 मेरठ।
 - 3- जिलाधिकारी, मेरठ।
 - 4- अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), जनपद मेरठ।
 - 5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ।
 - 6- अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम मण्डल सिंचाई कार्य, मेरठ।
 - 7- उपजिलाधिकारी तहसील मवाना जनपद मेरठ।
 - 8- पुलिस अधीक्षक (नगर) मेरठ।
 - 9- प्रभागीय वनाधिकारी मेरठ।
 - 10- थाना मवाना/परीक्षितगढ़/किठौर जनपद मेरठ।
 - 11- जिला सूचना अधिकारी, मेरठ।
 - 12- जिला खनन अधिकारी, जनपद मेरठ।
 - 13- अधिशासी अभियन्ता मेरठ खण्ड गंगा नहर, मेरठ/मु0नगर खण्ड गंगा नहर मु0नगर को मुख्य अभियन्ता (गंगा) मेरठ के कार्यालय ज्ञाप सं0-12608/मु0अ0गंगा/निविदा समिति, दिनांक 12.12.2018 के सन्दर्भ में कृपया निर्धारित तिथि व समय पर निविदा खोलने हेतु उपस्थित होने का कष्ट करें।
 - 14- सहायक अभियन्ता प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ, हापुड एवं बुलन्दशहर।
 - 15- नोटिस बोर्ड हेतु।

Photo Copy Attested

(नरेन्द्र सिंह)
सहायक अभियन्ता-प्रथम
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर
मेरठ

अधिशासी अभियन्ता

अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ।

प्रेषक,

अधिकासी अभियन्ता
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ।

220

प्रेषित,

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पत्रांक:-263/अशाख/टी-11/ई-नीलामी

दिनांक:-29.01.2026

विषय:-
महोदय,

अल्पकालीन ऑनलाईन ई-नीलामी सूचना संख्या 11/ई0ई0/2025-26 का प्रकाशन।

अल्पकालीन ई-नीलामी सूचना सं0 11/ई0ई0/2025-26 आपको 6 प्रतियों में सी0डी0 सहित इस आशय से प्रेषित है कि कृपया इस निविदा सूचना का प्रकाशन मेरठ तथा उसके आस-पास सबसे अधिक क्रय किये वाले हिन्दी के दो प्रमुख, समाचार पत्रों में केवल एक-एक बार तीन दिन के अन्तराल से प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

आपके पत्रांक 82/सू0 एवं ज0सं0वि0(विज्ञा)-924/2014 दिनांक 17.03.2015 के द्वारा वांछित दूरभाष नं0 कार्यालय 0121-2664976 एवं ई-मेल आई0डी ceabmrt@gmail.com है। कृपया प्रकाशन संबंधी सूचना इन्ही दूरभाष नम्बर व ई-मेल आई0डी0 पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अधिकासी अभियन्ता
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

पत्रांक:-263/अशाख/टी-11/ई-नीलामी

दिनांक:-29.01.2026

1. प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता, कंप्यूटर केन्द्र कार्यालय प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ को उपरोक्त अल्पकालीन ऑनलाईन ई-निविदा की हार्ड कापी एवं सी0डी0 सहित शासनादेश सं0 763/05/27-सी-3-8-टी0/84 दिनांक 03.03.2005 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

(मनमोहन सिंह)

अधिकासी अभियन्ता

अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ।

पत्रांक :-263/अशाख/टी-11/ई-नीलामी

दिनांक:-29.01.2026

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को ऑनलाईन ई-नीलामी सूचना की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
- 1- मुख्य अभियन्ता (पश्चिम) स्तर-1, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 मेरठ।
 - 2- मुख्य अभियन्ता (गंगा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 मेरठ।
 - 3- जिलाधिकारी, मेरठ।
 - 4- अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), जनपद मेरठ।
 - 5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ।
 - 6- अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम मण्डल सिंचाई कार्य, मेरठ।
 - 7- उपजिलाधिकारी तहसील मवाना जनपद मेरठ।
 - 8- पुलिस अधीक्षक (नगर) मेरठ।
 - 9- प्रभागीय वनाधिकारी मेरठ।
 - 10- थाना मवाना/परीक्षितगढ़/किठौर जनपद मेरठ।
 - 11- जिला सूचना अधिकारी, मेरठ।
 - 12- जिला खनन अधिकारी, जनपद मेरठ।
 - 13- अधिकासी अभियन्ता मेरठ खण्ड गंगा नहर, मेरठ/मु0नगर खण्ड गंगा नहर मु0नगर को मुख्य अभियन्ता (गंगा) मेरठ के कार्यालय ज्ञाप सं0-12608/मु0अ0गंगा/निविदा समिति, दिनांक 12.12.2018 के सन्दर्भ में कृपया निर्धारित तिथि व समय पर निविदा खोलने हेतु उपस्थित होने का कष्ट करें।
 - 14- सहायक अभियन्ता प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ, हापुड एवं बुलन्दशहर।
 - 15- नोटिस बोर्ड हेतु।

Photo Copy Attested

(नरेन्द्र सिंह)

सहायक अभियन्ता-प्रथम
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर
मेरठ

अधिकासी अभियन्ता
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर, मेरठ।

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या 113/2019/718/19-27-सि0(डब्लू)/2019 दिनांक 02.04.2019, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (अनुश्रवण एवं मूल्यांकन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के अ0शा0प0-1026/अनु0एव0मु0/अनिम0-5/सिनिक/सि0स0/दिनांक 18.12.2019 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में इस खण्ड के कार्यक्षेत्र जनपद मेरठ में अनूपशहर शाखा नहर के कि0मी0 22.930 से कि0मी0 62.750 तक मध्य दोनो बैंको पर अतिरिक्त सिल्ट/मिट्टी की नीलामी ऑनलाईन के माध्यम से दिनांक 13.02.2026 को अपराह्न 05:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है, जो अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में निविदा खोलने हेतु गति समिति के सदस्यों द्वारा दिनांक 14.02.2026 पूर्वाह्न 11.00 बजे खोली जायेगी। कार्यालय बन्द होने अथवा अवकाश होने की दशा में यह निविदायें अगले कार्यदिवस में उसी समय खोली जायेगी। निविदा दिनांक 07.02.2026 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से दिनांक 13.02.2026 को अपराह्न 05.00 बजे तक डाउनलोड/अपलोड की जा सकती है।

प्रत्येक निविदादाता को ऑनलाईन ई-नीलामी की धरोहर धनराशि ऑनलाईन जमा करनी होगी तथा निविदादाता से अपेक्षा की जाती है कि ई-नीलामी की निविदा डालने से पूर्व निविदा प्रपत्र के क्लॉज में अंकित न्यूनतम अर्हता के सम्बन्ध में शर्तों का भली-भाँति अध्ययन कर लें।

क्र० सं०	कार्य का विवरण	सुरक्षित रूप से निकाली जाने वाली सिल्ट/मिट्टी की मात्रा (घन मीटर में)	अनुसूची के अनुसार निर्धारित दर रु० में (रायल्टी प्रति घन मीटर में)	अनुसूची के अनुसार निर्धारित दर से सम्भावित मात्रा के आधार पर आकलित कुल रायल्टी (रु० में)	निविदा के साथ ई0एम0डी0 के रूप में जमा की जाने वाली धनराशि (रायल्टी का 10 प्रतिशत रु० में)	जनपद का नाम
1	जनपद मेरठ में अनूपशहर शाखा नहर के कि०मी० 22.930 से कि०मी० 62.750 तक मध्य दोनो बैंको पर अतिरिक्त सिल्ट/मिट्टी।	102000.00	65.00	6630000.00	663000.00	मेरठ

नियम व शर्तें:-

- उक्त ई-नीलामी प्रक्रिया में निविदाकारों की श्रेणी का वर्गीकरण नहीं किया गया है। राज्य सरकार में विभिन्न विभागों में पंजीकृत किसी भी श्रेणी के आवेदक ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।
- ई-निविदाकार का अपना पैनकार्ड, आधार कार्ड, जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण पत्र, सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी द्वारा जारी किया हुआ अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र एवं हैसियत प्रमाण-पत्र की छायाप्रति की स्वप्रमाणित प्रतियाँ अपलोड करना होगा। जिन ई-निविदाकारों द्वारा मूल-अभिलेख की स्वप्रमाणित छायाप्रति ऑनलाईन अपलोड नहीं की जायेगी, उनकी ई-निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
- ई-नीलामी कमेटी द्वारा ई-निविदाकारों के समक्ष ऑनलाईन ई-नीलामी खोली जायेगी। प्रति घन मीटर सर्वोच्च बोली के आधार पर ई-निविदाकार का चयन किया जायेगा।
- नहर से तालिका में उल्लिखित मापन के अनुसार उच्चतम बोलीदाता द्वारा स्वयं के व्यय पर नहर पर से अतिरिक्त सिल्ट/मिट्टी उखाई जायेगी। सिल्ट/मिट्टी उखाने हेतु विभाग द्वारा किसी प्रकार की धनराशि अथवा पारितोषिक देय नहीं होगा।
- नहर पर अतिरिक्त सिल्ट/मिट्टी हटाये/उठाये जाने पर यदि किसी भी प्रकार की क्षति होती है, तो उसकी प्रतिपूर्ति उच्चतम बोलीदाता को स्वयं के व्यय पर करनी होगी।
- सिल्ट/मिट्टी उठाये जाने हेतु रायल्टी की दर रु० 65.00 प्रति घन मीटर आधार मानते हुये उच्च बोली का प्रस्ताव ई-निविदा पोर्टल पर देना होगा। सर्वोच्च बोली के आधार पर उक्त कार्य हेतु ई-निविदाकार का चयन किया जायेगा।
- जनपद मेरठ में अनूपशहर शाखा नहर के कि०मी० 22.930 से कि०मी० 62.750 तक मध्य दोनो बैंको पर अतिरिक्त सिल्ट/मिट्टी के अतिरिक्त किसी अन्य जगह से सिल्ट/मिट्टी नहीं उखायी जायेगी, अन्य स्थल से सिल्ट/मिट्टी उखाने पर उच्चतम बोलीदाता के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

(मनमोहन सिंह)

अधिशासी अभियन्ता

अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ।

Photo Copy Attested

(नरेंद्र सिंह)

सहायक अभियन्ता-प्रथम
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर
मेरठ

8. नहर के दोनो बैंको पर से सिल्ट/मिट्टी उठाने का कार्य सम्बन्धित रीच के सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर/जिलेदार की देख-रेख में सूर्योदय से सूर्यास्त तक मानव श्रम एवं राजस्थानी ट्रेक्टर द्वारा नहर को क्षतिग्रस्त किये बिना किया जायेगा।
9. चयनित ई-निविदाकार द्वारा ई-निविदा में उल्लिखित मात्रा की सिल्ट/मिट्टी उठया जाना अनिवार्य होगा, यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो निविदादाता के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
10. उच्चतम बोली की धनराशि पर नियमानुसार 2.06 प्रतिशत टी0सी0एस0, 10 प्रतिशत डी0एम0एफ एवं 02 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क देय होगा।
11. माननीय न्यायालय/मा0 निर्वाचन आयोग, भारत सरकार/उ0प्र0 शासन/सिंचाई विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/शासनादेशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।
12. किसी भी समय उक्त कार्य की ई-नीलामी को बिना कारण बताये अस्वीकार/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अद्योहस्ताक्षरी का होगा।
13. ई-नीलामी में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निष्पादन जनपद मेरठ/अधीक्षण अभियन्ता प्रथम मण्डल सिंचाई कार्य मेरठ द्वारा किया जायेगा, जो समस्त निविदादाताओं को मान्य होगा।
14. ई-नीलामी की अधिकतम बोली स्वीकृत होने के एक सप्ताह के अन्दर समस्त राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जो अधिशासी अभियन्ता, अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ के नाम तथा जनपद मेरठ को देय होगी/जमा करनी होगा।
15. ई-नीलामी की अधिकतम बोली की धनराशि के 10 प्रतिशत धनराशि की एफ0डी0आर जो अधिशासी अभियन्ता अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ के नाम बन्धक होगी जमानत के रूप में जमा करनी होगी, जो कार्य पूर्ण होने के उपरान्त अवमुक्त कर दी जायेगी। निविदादाता द्वारा 10 प्रतिशत धनराशि जो ऑनलाईन निविदा अपलोड करते समय जमा होगी वह धनराशि एफ0डी0आर0 प्राप्त होने के उपरान्त वापस की जायेगी।
16. ई-नीलामी पूर्ण होने के उपरान्त उच्चतम बोलीदाता को शत-प्रतिशत धनराशि नीलामी की सिल्ट/मिट्टी उठाने से पूर्व कार्यालय अधिशासी अभियन्ता अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करनी होगी।
17. सिल्ट/मिट्टी उठाने की कार्य अवधि 30 दिन होगी।
18. निविदा निर्धारित दर से प्रारम्भ होकर अधिकतम प्राप्त दर ही स्वीकार की जायेगी।
19. यदि नहर का सैक्शन/डौला/सर्विस रोड सिल्ट/मिट्टी उठाने के समय क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो उसको ठीक कराये जाने का व्यय उच्चतम बोलीदाता द्वारा वहन किया जायेगा।
20. नहर के सैक्शन को मॅटेन करने के उपरान्त ही अतिरिक्त सिल्ट/मिट्टी कार्य स्थल से उठयी जा सकेगी।
21. समस्त निविदादाताओं को सूचित किया जाता है कि उक्त कार्य हेतु ई-नीलामी में प्रतिभाग करने से पूर्व उक्त कार्यक्षेत्र का निरीक्षण एवं सिल्ट/मिट्टी की मात्रा का निरीक्षण भलीभांति करना अनिवार्य होगा एवं इस आशय का शपथ-पत्र भी अपलोड करना होगा की उनके द्वारा कार्यक्षेत्र का निरीक्षण, सिल्ट/मिट्टी की मात्रा का निरीक्षण भलीभांति कर लिया गया है, एवं निविदादाता ने निरीक्षण के दौरान कार्य सम्पादन हेतु कार्य स्थल पर कोई अवरोध नहीं पाया है। ई-नीलामी की निविदा खुलने के उपरान्त कार्यक्षेत्र के सम्बन्ध में, सिल्ट/मिट्टी के उठाने कार्य के सम्बन्ध में एवं सिल्ट/मिट्टी की मात्रा के सम्बन्ध में उच्चतम बोलीदाता का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
22. निविदानुसार नीलामी की जाने वाली सिल्ट/मिट्टी उठाने का कार्य इंजीनियर इन्चार्ज की देख-रेख में किया जायेगा। निर्धारित समय के अतिरिक्त रात्रि/मध्य रात्रि में सिल्ट/मिट्टी उठाई जाती है तो उच्चतम बोलीदाता के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
23. जनपद मेरठ में अनूपशहर शाखा नहर के कि0मी0 22.930 से कि0मी0 62.750 तक मध्य दोनो बैंको पर अतिरिक्त सिल्ट/मिट्टी की मात्रा (घन मीटर में) 102000.00 के अतिरिक्त कार्य स्थल पर सिल्ट/मिट्टी की मात्रा उपलब्ध है, जिसका उपयोग डोला बनाने हेतु किया जाना है। 102000.00 घन मीटर सिल्ट/मिट्टी की मात्रा के अतिरिक्त कार्य स्थल पर अतिरिक्त उपलब्ध सिल्ट/मिट्टी को उच्चतम बोलीदाता द्वारा नहीं उठया जायेगा।
24. बैंक ड्राफ्ट बनवाने का व्यय उच्चतम बोलीदाता द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।
25. नीलामी के माध्यम से उठाई जाने वाली सिल्ट/मिट्टी का कार्य इस प्रकार निष्पादित किया जाएगा कि अनूपशहर शाखा के दोनो ओर स्थित नहरी पट्टी, जो कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का भाग है, पर वन विभाग द्वारा किए गए वृक्षारोपण को किसी भी प्रकार की क्षति न पहुँचे। यदि कार्य के दौरान किसी भी वृक्ष अथवा पौधारोपण को क्षति होती है, तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की होगी तथा क्षतिपूर्ति/दायित्व की कार्यवाही नियमानुसार ठेकेदार के विरुद्ध की जाएगी।

(मनमोहन सिंह) 25.1.25/26

अधिशासी अभियन्ता

अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ।

Photo Copy Attested

(नरेन्द्र सिंह)

सहायक अभियन्ता-प्रथम

अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर

मेरठ

योजना के आवेदनों को निरस्त कर रहे बैंक, कार्रवाई होगी

मेरठ : देने पर उन्होंने नाराजगी जताई। बैंक आफ बड़ौदा में 330 आवेदनों में से 131 आवेदन पर ऋण प्रदान किया गया और 227 आवेदन को निरस्त कर दिया गया। बैंक आफ इण्डिया में 76 आवेदन में से 40 आवेदन स्वीकृत किए गए 36 को निरस्त कर दिया गया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 25 में से 12 आवेदन निरस्त कर दिए। केनरा बैंक में 598 आवेदन में से

सभागार में 213 को स्वीकृत किया गया और 394 को निरस्त कर दिया। इण्डियन बैंक की शाखाओं में 231 में से 151

आवेदन पत्र निरस्त कर दिए गए। पंजाब नेशनल बैंक ने 854 में से 555 आवेदनों को निरस्त कर दिया। भारतीय स्टेट बैंक ने 790 में से 567 आवेदन निरस्त कर दिए। डीएम ने सरकार को रिपोर्ट भेजने तथा बैंकों के उच्चाधिकारियों को पत्र भेजकर कार्रवाई की संस्तुति करने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने केनरा बैंक को 200, बैंक आफ बड़ौदा को 100,

भारतीय स्टेट बैंक को 300, पंजाब नेशनल बैंक को 300 आवेदनों एक सप्ताह में ऋण प्रदान करने का निर्देश दिया। सीडीओ नूपुर गoyal, उप आयुक्त उद्योग दीपेन्द्र कुमार, सुकेश कुमार अजमेरा क्षेत्रीय प्रबन्धक, मीतू ढाका जिला समन्वयक रीजन 2, राकेश कंसल मुख्य प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक, आरके खन्ना अग्रणी बैंक प्रबन्धक मौजूद रहे।

भियन्ता

नहर, मेरठ।

दिनांक-10/02/2025-2026

2019/718/19-27-सि0 (डब्लू)/ 2019 (डब्लू) / 2019 दिनांक 02.04.2019, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (अनुश्रवण एवं मूल्यांकन), सिवाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के अशा0प0-1026/अनु0एव0मु0/अनिम0-5/सिनि0/सि0सि0/सि0सि0/दिनांक 18.12.2019 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में इस खण्ड के कार्यक्षेत्र जनपद मेरठ में अनुपशहर शाखा नहर के कि0मी0 22.930 से कि0मी0 62.750 तक मध्य दोनो बैंको पर अतिरिक्त सिल्ट/मिट्टी की नीलामी के माध्यम से दिनांक 13.02.2026 को अपरान्ह 05:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है, जो अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में निविदा खोलने हेतु गठित समिति के सदस्यों द्वारा दिनांक 14.02.2026 पूर्वाह्न 11.00 बजे खोली जायेगी। कार्यालय बन्द होने अथवा अवकाश होने की दशा में यह निविदायें अगले कार्यदिवस में उसी समय खोली जायेगी। निविदा दिनांक 07.02.2026 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से दिनांक 13.02.2026 को अपरान्ह 05.00 बजे तक डाउनलोड/अपलोड की जा सकती है।

प्रत्येक निविदादाता को ऑनलाईन ई-नीलामी की धरोहर धनराशि ऑनलाईन जमा करनी होगी तथा निविदादाता से अपेक्षा की जाती है कि ई-नीलामी की निविदा डालने से पूर्व निविदा प्रपत्र के बलाज में अंकित न्यूनतम-अर्हता के सम्बन्ध में शर्तों का भली-भाँति अध्ययन कर ले।

क्र0 सं0	जनपद	कार्य का विवरण	सुरक्षित रूप से निकाली जाने वाली सिल्ट/मिट्टी की मात्रा (घन मीटर में)	अनुसूची के अनुसार निर्धारित दर रू0 में (रायल्टी प्रति घन मीटर में)	अनुसूची के अनुसार निर्धारित दर से सम्भावित मात्रा के आधार पर आकलित कुल रायल्टी (रू0 में)	निविदा के साथ ई0एम0डी0 के रूप में जमा की जाने वाली धनराशि (रायल्टी का 10 प्रतिशत रू0 में।)
1	मेरठ	जनपद मेरठ में अनुपशहर शाखा नहर के कि0मी0 22.930 से कि0मी0 62.750 तक मध्य दोनो बैंको पर अतिरिक्त सिल्ट/मिट्टी।	102000.00	65.00	6630000.00	663000.00

UP-245258 दिनांक 04.02.2026 विज्ञापन वेबसाइट www.upgov.nic.in पर उपलब्ध है।

अनुसूची के अनुसार निर्धारित दर रू0 में (रायल्टी प्रति घन मीटर में)	अनुसूची के अनुसार निर्धारित दर से सम्भावित मात्रा के आधार पर आकलित कुल रायल्टी (रू0 में)	निविदा के साथ ई0एम0डी0 के रूप में जमा की जाने वाली धनराशि (रायल्टी का 10 प्रतिशत रू0 में।)
65.00	1755000.00	175500.00

(मनमोहन सिंह)
अधिशारी अभियन्ता
नहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ।
www.upgov.nic.in पर उपलब्ध है।

अभियन्ता

कार्यालय अधिशारी अभियन्ता

अनुपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर, मेरठ।

अल्पकालीन ऑनलाईन ई-नीलामी सूचना संख्या-11/ई0ई0/2025-2026

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या-113/2019/718/19-27-सि0 (डब्लू)/ 2019 दिनांक 02.04.2019, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (अनुश्रवण एवं मूल्यांकन), सिवाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के अशा0प0-1026/अनु0एव0मु0/अनिम0-5/सिनि0/सि0सि0/सि0सि0/दिनांक 18.12.2019 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में इस खण्ड के कार्यक्षेत्र जनपद मेरठ में अनुपशहर शाखा नहर के कि0मी0 22.930 से कि0मी0 62.750 तक मध्य दोनो बैंको पर अतिरिक्त सिल्ट/मिट्टी की नीलामी के माध्यम से दिनांक 13.02.2026 को अपरान्ह 05:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है, जो अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में निविदा खोलने हेतु गठित समिति के सदस्यों द्वारा दिनांक 14.02.2026 पूर्वाह्न 11.00 बजे खोली जायेगी। कार्यालय बन्द होने अथवा अवकाश होने की दशा में यह निविदायें अगले कार्यदिवस में उसी समय खोली जायेगी। निविदा दिनांक 07.02.2026 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से दिनांक 13.02.2026 को अपरान्ह 05.00 बजे तक डाउनलोड/अपलोड की जा सकती है।

प्रत्येक निविदादाता को ऑनलाईन ई-नीलामी की धरोहर धनराशि ऑनलाईन जमा करनी होगी तथा निविदादाता से अपेक्षा की जाती है कि ई-नीलामी की निविदा डालने से पूर्व निविदा प्रपत्र के बलाज में अंकित न्यूनतम-अर्हता के सम्बन्ध में शर्तों का भली-भाँति अध्ययन कर ले।

क्र0 सं0	जनपद	कार्य का विवरण	सुरक्षित रूप से निकाली जाने वाली सिल्ट/मिट्टी की मात्रा (घन मीटर में)	अनुसूची के अनुसार निर्धारित दर रू0 में (रायल्टी प्रति घन मीटर में)	अनुसूची के अनुसार निर्धारित दर से सम्भावित मात्रा के आधार पर आकलित कुल रायल्टी (रू0 में)	निविदा के साथ ई0एम0डी0 के रूप में जमा की जाने वाली धनराशि (रायल्टी का 10 प्रतिशत रू0 में।)
1	मेरठ	जनपद मेरठ में अनुपशहर शाखा नहर के कि0मी0 22.930 से कि0मी0 62.750 तक मध्य दोनो बैंको पर अतिरिक्त सिल्ट/मिट्टी।	102000.00	65.00	6630000.00	663000.00

(मनमोहन सिंह)

अधिशारी अभियन्ता

अनुपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ।

UP-245258 दिनांक 04.02.2026 विज्ञापन वेबसाइट www.upgov.nic.in पर उपलब्ध है।

कार्यालय अधिशारी अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गौतमबुद्धनगर।

दिनांक- 31.01.2026

पत्रांक:- 305/7ए

अल्पकालीन ई-प्रोक्योरमेंट निविदा सूचना

महामहिम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की ओर से निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाईन निविदायें <http://etender.up.gov.nic.in> के माध्यम से आर्धराइज्ड रजिस्टर्ड फर्म से दिनांक 07.02.2026 से दिनांक 13.02.2026 तक दोपहर 12.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा की विड दिनांक 13.02.2026 को अपरान्ह 12.30 बजे अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में उपस्थित गठित समिति के समक्ष ऑनलाईन खोली जायेगी। टेक्नीकल विड में बगलीफाइड पाये गये ठेकेदारों की फाइनेंशियल विड की दिनांक अलग से सूचित की जायेगी। कार्यालय बन्द होने अथवा मिट्टी होने की दशा में यह निविदायें अगले कार्यदिवस में उसी समय खोली जायेगी।

Photo Copy Attested

(निरन्तर सिंह)

अभियन्ता-प्रथम

नहर शाखा खण्ड गंगा नहर

मेरठ



BID OPENING

Bid Opening → Bid Openers

5

Tender Reference Number : E-Auction TN-11/EE/2025-26
Tender ID : 2026_UPIDC_1113274_1
Tender Title : E-Auction/TN-11/EE/2025-26 E-Auction of/Removal of Excess silt/clay on both the middle banks of Anupshahar branch canal from Km 22.930 to Km 65.570 in Meerut district. Lot-01
Bid Opening Date & Time : 14-Feb-2026 11:00 AM
Bid Opener Type : 2 Of 3 (Minimum 2 bid openers should decrypt)

Bid Openers

Refresh

vikas kumar



Man Mohan Singh



SUBHASH CHANDRA



Total No. of Bids : 0
Total No. of Withdrawn Bids : 0

Bid Packets

Fee/PreQual/Technical



Photo Copy Attested

(नरेन्द्र सिंह)

सहायक अभियन्ता-प्रथम
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर
मेरठ

Back

224

- Master Management**
 - Org Hierarchy Master
 - View Internal Documents
- User Management**
 - Debar User
 - My Organisation Hierarchy
 - My Accounts
- Tender Management**
 - Create Tender / Tender List
 - Publish Tender
 - Published Tenders
 - Seek Clarifications
 - Pre-bid Meeting
 - Downloaded Tenders
 - Bids Submitted Tenders
 - Tender Status
 - Archived Tenders
 - Archived Clarification
- Corrigendum**
 - Create Corrigendum
 - Publish Corrigendum
 - Published Corrigendum
- Bid Opening**
 - Tenders to be Opened
- Bid Evaluation**
 - Technical Evaluation
 - Financial Evaluation

225
कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर, मेरठ।

(6)

पत्रांक:-389/अशाख/टी-11/ई-नीलामी

दिनांक:-16.02.2026

-:कार्यालय ज्ञाप:-

पुनः ई-नीलामी आमंत्रण पत्र।

इस कार्यालय के पत्रांक 263/अशाख/टी-11/ई-नीलामी दिनांक 29.01.2026 के द्वारा अल्पकालीन ई-नीलामी सूचना संख्या-11/ई0ई0/2025-26 के अन्तर्गत जनपद मेरठ में अनूपशहर शाखा नहर के कि०मी० 22.930 से कि०मी० 65.570 तक मध्य दोनो बैंको पर अतिरिक्त सिल्ट/मिट्टी की ई-नीलामी हेतु निविदाएं आमंत्रित की गयी थी। उक्त ई-नीलामी सूचना संख्या के आमंत्रित की गई निविदाओं हेतु डाउनलोडिंग/अपलोडिंग की दिनांक 07.02.2026 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से दिनांक 13.02.2026 को अपराह्न 05.00 बजे तक थी। ई-नीलामी में प्राप्त निविदाओं की प्री-क्वालीफिकेशन/ टेक्नीकल बिड अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में निविदा खोलने हेतु गठित समिति के सदस्यों द्वारा दिनांक 16.02.2026 की पूर्वाह्न 11.00 बजे खोली गई। उक्त ई-नीलामी सूचना संख्या-11/ई0ई0/2025-26 के अन्तर्गत आमंत्रित की गई निविदाओं के सापेक्ष शून्य निविदा प्राप्त होने के कारण पुनः ई-नीलामी हेतु निम्नानुसार निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

S.N	Particulars	Date	Time	Work Days
1	Uploading/Downloding Start	17-02-2026	10:00 AM	30-Days
2	Uploading/Downloding End	23-02-2026	05:00 PM	
3	Technical Bid Opening	24-02-2026	11:00 AM	
4	Financial Bid Opening	Date will be Decided after Technical bid evaluation and will be communicated online to successful bidders in Technical bid.		

शेष शर्तें पूर्व की भांति यथावत रहेंगी।

M. L. L. L. L.
अधिशासी अभियन्ता
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर, मेरठ।

पत्रांक :-389/अशाख/टी-11/ई-नीलामी

दिनांक:-16.02.2026

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को ऑनलाईनर ई-नीलामी सूचना की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
- 1- मुख्य अभियन्ता (पश्चिम) स्तर-1, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ०प्र० मेरठ।
 - 2- मुख्य अभियन्ता (गंगा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० मेरठ।
 - 3- जिलाधिकारी, मेरठ।
 - 4- अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), जनपद मेरठ।
 - 5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ।
 - 6- अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम मण्डल सिंचाई कार्य, मेरठ।
 - 7- उपजिलाधिकारी तहसील मवाना जनपद मेरठ।
 - 8- पुलिस अधीक्षक (नगर) मेरठ।
 - 9- प्रभागीय वनाधिकारी मेरठ।
 - 10- थाना मवाना/परीक्षितगढ़/किठौर जनपद मेरठ।
 - 11- जिला सूचना अधिकारी, मेरठ।
 - 12- जिला खनन अधिकारी, जनपद मेरठ।
 - 13- अधिशासी अभियन्ता मेरठ खण्ड गंगा नहर, मेरठ/मु०नगर खण्ड गंगा नहर मु०नगर को मुख्य अभियन्ता (गंगा) मेरठ के कार्यालय ज्ञाप सं०-12608/मु०अ०गंगा/निविदा समिति, दिनांक 12.12.2018 के सन्दर्भ में कृपया निर्धारित तिथि व समय पर निविदा खोलने हेतु उपस्थित होने का कष्ट करें।
 - 14- सहायक अभियन्ता प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ, हाफुड एवं बुलन्दशहर।
 - 15- नोटिस बोर्ड हेतु।

Photo Copy Attested

(नरेन्द्र सिंह)

सहायक अभियन्ता-प्रथम
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर
मेरठ

M. L. L. L. L.
अधिशासी अभियन्ता
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ।

226

7

- Master Management
- Org Hierarchy Master
- View Internal Documents
- Role Management
- Web User
- Org Organisation Hierarchy
- Org Accounts
- Tender Management
- Create Tender / Tender List
- Publish Tender
- Published Tenders
- Seek Clarifications
- Re-bid Meeting
- Downloaded Tenders
- Bids Submitted Tenders

TENDER MANAGEMENT

Bids Submitted For Tenders

Search

Tender ID	<input type="text" value="2026_UPIDC_1113274_2"/>	Tender Title	<input type="text"/>
-----------	---	--------------	----------------------

Tender List				
S.No	Tender ID	Tender Title/Tender Ref No.	Bid Opening Date	No.of Valid Bids
1.	2026_UPIDC_1113274_2	E-Auction/TN-11/EE/2025-26 E-Auction of/Removal of Excess silt/clay on both the middle banks of Anupshahar branch canal from Km 22.930 to Km 65.570 in Meerut district.Lot-01/E-Auction TN-11/EE/2025-26	24-Feb-2026 12:00 PM	0

Photo Copy Attested

(नरेन्द्र सिंह)
सहायक अभियन्ता-प्रथम
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर
मेरठ

227
कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर, मेरठ।

(8)

पत्रांक:-473/अशाख/टी-11/ई-नीलामी

दिनांक:-27.02.2026


-:कार्यालय ज्ञाप:-

पुनः ई-नीलामी आमंत्रण पत्र।

इस कार्यालय के पत्रांक 263/अशाख/टी-11/ई-नीलामी दिनांक 29.01.2026 के द्वारा अल्पकालीन ई-नीलामी सूचना संख्या-11/ई0ई0/2025-26 के अन्तर्गत जनपद मेरठ में अनूपशहर शाखा नहर के कि०मी० 22.930 से कि०मी० 65.570 तक मध्य दोनो बैंको पर अतिरिक्त सिल्ट/मिट्टी की ई-नीलामी हेतु निविदाएं आमंत्रित की गयी थी। जिसमें शून्य निविदा प्राप्त होने पर इस कार्यालय के पत्रांक 389/अशाख/टी-11/ई-नीलामी दिनांक 16.02.2026 द्वारा पुनः ई-नीलामी हेतु निविदाएं आमंत्रित की गयी, जिसमें पुनः शून्य निविदा प्राप्त होने के कारण पुनः ई-नीलामी हेतु निम्नानुसार निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

S.N	Particulars	Date	Time	Work Days
1	Uploading/Downlodng Start	28-02-2026	10:00 AM	30-Days
2	Uploading/Downlodng End	05-03-2026	05:00 PM	
3	Technical Bid Opening	06-03-2026	11:00 AM	
4	Financial Bid Opening	Date will be Decided after Technical bid evaluation and will be communicated online to successful bidders in Technical bid.		

शेष शर्तें पूर्व की भाँति यथावत रहेंगी।


 अधिशासी अभियन्ता
 अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ।


पत्रांक :-473/अशाख/टी-11/ई-नीलामी/दिनांक:-27.02.2026

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
- 1- मुख्य अभियन्ता (पश्चिम) स्तर-1, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ०प्र० मेरठ।
 - 2- मुख्य अभियन्ता (गंगा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० मेरठ।
 - 3- जिलाधिकारी, मेरठ।
 - 4- अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), जनपद मेरठ।
 - 5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ।
 - 6- अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम मण्डल सिंचाई कार्य, मेरठ।
 - 7- उपजिलाधिकारी तहसील मवाना जनपद मेरठ।
 - 8- पुलिस अधीक्षक (नगर) मेरठ।
 - 9- प्रभागीय वनाधिकारी मेरठ।
 - 10- थाना मवाना/परीक्षितगढ़/किठौर जनपद मेरठ।
 - 11- जिला सूचना अधिकारी, मेरठ।
 - 12- जिला खनन अधिकारी, जनपद मेरठ।
 - 13- अधिशासी अभियन्ता मेरठ खण्ड गंगा नहर, मेरठ/मु०नगर खण्ड गंगा नहर मु०नगर को मुख्य अभियन्ता (गंगा) मेरठ के कार्यालय ज्ञाप सं०-12608/मु०अ०गंगा/निविदा समिति, दिनांक 12.12.2018 के सन्दर्भ में कृपया निर्धारित तिथि व समय पर निविदा खोलने हेतु उपस्थित होने का कष्ट करें।
 - 14- सहायक अभियन्ता प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ, हापुड एवं बुलन्दशहर।
 - 15- नोटिस बोर्ड हेतु।

Photo Copy Attested

(नरेन्द्र सिंह)

सहायक अभियन्ता-प्रथम
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर
मेरठ।


 अधिशासी अभियन्ता
 अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ।

BID OPENING

Master Management

- Org Hierarchy Master
- View Internal Documents

User Management

- Debar User
- My Organisation Hierarchy
- My Accounts

Tender Management

- Create Tender / Tender List
- Publish Tender
- Published Tenders
- Seek Clarifications
- Pre-bid Meeting
- Downloaded Tenders
- Bids Submitted Tenders
- Tender Status
- Archived Tenders
- Archived Clarification

Corrigendum

- Create Corrigendum
- Publish Corrigendum
- Published Corrigendum

Bid Opening

- Tenders to be Opened

Bid Evaluation

- Technical Evaluation

Bid Opening → Bid Openers

9

Tender Reference Number : E-Auction TN-11/EE/2025-26

Tender ID : 2026_UPIDC_1113274_3

Tender Title : E-Auction/TN-11/EE/2025-26 E-Auction of/Removal of Excess silt/clay on both the middle banks of Anupshahar branch canal from Km 22.930 to Km 65.570 in Meerut district.Lot-01

Bid Opening Date & Time : 06-Mar-2026 11:00 AM

Bid Opener Type : 2 Of 3 (Minimum 2 bid openers should decrypt)

Bid Openers

Refresh

vikas kumar



Man Mohan Singh



SUBHASH CHANDRA



Total No. of Bids : 0

Total No. of Withdrawn Bids : 0

Photo Copy Attested

(नरेंद्र सिंह)

सहायक अभियन्ता-प्रथम
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर
मेरठ

Bid Packets

Fee/PreQual/Technical





सेवा में,


सादर अवगत कराना है कि इस कार्यालय के पत्रांक 263/अ०शा०ख०/टी०-11/ई-नीलामी दिनांक 29.01.2026 के द्वारा अल्पकालीन ई-नीलामी सूचना सख्या 11/ई०ई०/2025-26 (छायाप्रति दांयी ओर सलंगन) के अर्न्तगत इस खण्ड के कार्यक्षेत्र जनपद मेरठ में अनूपशहर शाखा नहर के कि०मी० 22.930 से कि०मी० 65.570 तक मध्य दोनों बैकों पर अतिरिक्त पडी हुई सिल्ट/मिट्टी की ई-नीलामी हेतु निविदायें आमन्त्रित की गई थी, जिसकी प्रेस विज्ञप्ति का प्रकाशन दैनिक जागरण अखबार में हुआ (छायाप्रति दांयी ओर सलंगन)। उक्त ई-नीलामी सूचना सख्या के आमन्त्रित की गई, निविदाओं हेतु डाउनलोडिंग/अपलोडिंग की दिनांक 07.02.2026 को पूर्वान्ह 10 बजे से दिनांक 13.02.2026 को अपरान्ह 5 बजे तक थी। ई-नीलामी में प्राप्त निविदाओं की प्री-क्वालीफिकेशन/ टेक्नीकल बिड अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में निविदा खोलने हेतु गठित समिति के सदस्यों द्वारा दिनांक 16.02.2026 को पूर्वान्ह 11 बजे खोली गई। उक्त ई-नीलामी सूचना सख्या 11/ई०ई० 2025-26 के अर्न्तगत आमन्त्रित की गई निविदाओं के सापेक्ष शून्य निविदा प्राप्त होने के कारण (छायाप्रति दांयी ओर सलंगन) पुनः ई-नीलामी हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 389/अ०शा०ख०/टी-11/ई-नीलामी दिनांक 16.02.2026 द्वारा निविदायें आमन्त्रित की गई (छायाप्रति दांयी ओर सलंगन) जिसकी डाउनलोडिंग/अपलोडिंग की दिनांक 17.02.2026 को पूर्वान्ह 10 बजे दिनांक 23.02.2026 को अपरान्ह 05 बजे तक थी। उक्त नीलामी में प्राप्त निविदाओं की प्री-क्वालीफिकेशन/टेक्नीकल बिड अधोहस्ताक्षरी कार्यालय कक्ष में निविदा खोलने हेतु गठित समिति के सदस्यों द्वारा दिनांक 24.02.2026 की पूर्वान्ह 11 बजे खोली गई, जिसमें पुनः शून्य निविदा प्राप्त होने के कारण (छायाप्रति दांयी ओर सलंगन) इस कार्यालय के पत्रांक 473/अ०शा०ख०/टी-11/ई नीलामी दिनांक 27.02.2026 द्वारा निविदायें आमन्त्रित की गई (छायाप्रति दांयी ओर सलंगन) जिसकी डाउनलोडिंग/अपलोडिंग की दिनांक 28.02.2026 को पूर्वान्ह 10 बजे दिनांक 05.03.2026 को अपरान्ह 05 बजे तक थी। उक्त नीलामी में प्राप्त निविदाओं की प्री-क्वालीफिकेशन/टेक्नीकल बिड अधोहस्ताक्षरी कार्यालय कक्ष में निविदा खोलने हेतु गठित समिति के सदस्यों द्वारा दिनांक 06.03.2026 की पूर्वान्ह 11 बजे खोली गई, जिसमें तृतीय अवसर पर भी शून्य निविदा प्राप्त हुई है (छायाप्रति दांयी ओर सलंगन)। सज्ञान में आया है कि नहर पर पडी हुई सिल्ट/मिट्टी की कम-कम मात्रा में ई-नीलामी में प्रतिभाग करने हेतु निविदाकार इच्छुक है।


अतः जनपद मेरठ में अनूपशहर शाखा नहर के कि०मी० 22.930 से कि०मी० 65.570 के मध्य सम्बन्धित रीच को पृथक-पृथक भागों में विभाजित कर अनूपशहर शाखा की दोनों पटरियों से सिल्ट/मिट्टी की ई-नीलामी कराये जाने का प्रस्ताव निम्नवत् तैयार किया गया है। अतः उपरोक्त प्रस्ताव की सहमति की दशा में अनुमोदन देना चाहें।

क्र० सं०	कि०मी० कहाँ से	कि०मी० कहाँ तक	उपलब्ध सिल्ट/मिट्टी की मात्रा (घन मीटर में)	अनुसूची के अनुसार निर्धारित दर रु० में (ययल्टी प्रति घन मीटर में)	अनुसूची के अनुसार निर्धारित दर से सम्भावित मात्रा के आधार पर आकलित कुल ययल्टी (रु० में)
1	22.930	38.800	16000.00	65.00	1040000.00
2	38.800	50.000	38800.00	65.00	2522000.00
3	50.000	65.570	47200.00	65.00	3068000.00
कुल उपलब्ध सिल्ट/मिट्टी की मात्रा-			102000.00	कुल योग-	6630000.00


अधिसासी अभियन्ता अनूपशहर
शाखा खण्ड गंगा नहर
मेरठ/हापुड।
16.3.2026


खनन अधिकारी
मेरठ।
16/03/2026


उपजिलाधिकारी
मवाना।
16.3.26


प्रभागीय अधिकारी
मेरठ।
16.3.26



अपरजिलाधिकारी (वि०रा०)
मेरठ।
16/3/26

Photo Copy Attested

(नरेश सिंह)

सहायक अभियन्ता-प्रथम
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर
मेरठ

230
कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर, मेरठ।


(11)

पत्रांक:- 624 /अशाख/टी-11/ई-नीलामी

दिनांक:-23.03.2026

-:कार्यालय ज्ञाप:-

इस कार्यालय द्वारा अल्पकालीन ई-नीलामी सूचना संख्या-11/ई0ई0/2025-26 के अन्तर्गत इस खण्ड के कार्यक्षेत्र जनपद मेरठ में अनूपशहर शाखा नहर के कि०मी० 22.930 से कि०मी० 65.570 तक मध्य दोनो बैंको पर अतिरिक्त सिल्ट/मिट्टी की ई-नीलामी हेतु निविदाएं आमंत्रित की गयी थी, जिसको अपरिहार्य कारणों से प्रारम्भ से निरस्त करने के एतद्द्वारा आदेश निर्गत किये जाते हैं।


अधिशासी अभियन्ता
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ।

पत्रांक :- 624 /अशाख/टी-11/ई-नीलामी /दिनांक:-23.03.2026

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
- 1- मुख्य अभियन्ता (पश्चिम) स्तर-1, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ०प्र० मेरठ।
 - 2- मुख्य अभियन्ता (गंगा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० मेरठ।
 - 3- जिलाधिकारी, मेरठ।
 - 4- अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), जनपद मेरठ।
 - 5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ।
 - 6- अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम मण्डल सिंचाई कार्य, मेरठ।
 - 7- उपजिलाधिकारी तहसील मवाना जनपद मेरठ।
 - 8- पुलिस अधीक्षक (नगर) मेरठ।
 - 9- प्रभागीय वनाधिकारी मेरठ।
 - 10- थाना मवाना /परीक्षितगढ़/किठौर जनपद मेरठ।
 - 11- जिला सूचना अधिकारी, मेरठ।
 - 12- जिला खनन अधिकारी, जनपद मेरठ।
 - 13- अधिशासी अभियन्ता मेरठ खण्ड गंगा नहर, मेरठ/मु०नगर खण्ड गंगा नहर मु०नगर।
 - 14- सहायक अभियन्ता प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ, हापुड एवं बुलन्दशहर।
 - 15- नोटिस बोर्ड हेतु।




अधिशासी अभियन्ता
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ।

Photo Copy Attested


(नरेन्द्र सिंह)
सहायक अभियन्ता-प्रथम
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर
मेरठ

प्रेषक,

अधिकासी अभियन्ता
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ।

प्रेषित,

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पत्रांक:- /अशाख/टी-15/ई-नीलामी

दिनांक:-

विषय:- अल्पकालीन ऑनलाईन ई-नीलामी सूचना संख्या 15/ई0ई0/2025-26 का प्रकाशन।
महोदय,

अल्पकालीन ई-नीलामी सूचना सं0 15/ई0ई0/2025-26 आपको 6 प्रतियों में सी0डी0 सहित इस आशय से प्रेषित है कि कृपया इस निविदा सूचना का प्रकाशन मेरठ तथा उसके आस-पास सबसे अधिक क्रय किये वाले हिन्दी के दो प्रमुख, समाचार पत्रों में केवल एक-एक बार तीन दिन के अन्तराल से प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

आपके पत्रांक 82/सू0 एवं ज0सं0वि0(विज्ञा)-924/2014 दिनांक 17.03.2015 के द्वारा वांछित दूरभाष नं0 कार्यालय 0121-2664976 एवं ई-मेल आई0डी eeabmrt@gmail.com है। कृपया प्रकाशन संबंधी सूचना इन्ही दूरभाष नम्बर व ई-मेल आई0डी0 पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अधिकासी अभियन्ता
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

पत्रांक:-620/अशाख/टी-15/ई-नीलामी

दिनांक:-23-03-26

1. प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता, कंप्यूटर केन्द्र कार्यालय प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ को उपरोक्त अल्पकालीन ऑनलाईन ई-निविदा की हार्ड कापी एवं सी0डी0 सहित शासनादेश सं0 763/05/27-सी-3-8-टी0/84 दिनांक 03.03.2005 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

(मनमोहन सिंह)

अधिकासी अभियन्ता

अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ।

दिनांक:-

पत्रांक :- /अशाख/टी-15/ई-नीलामी

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को ऑनलाईनर ई-नीलामी सूचना की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
- 1- मुख्य अभियन्ता (पश्चिम) स्तर-1, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 मेरठ।
 - 2- मुख्य अभियन्ता (गंगा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 मेरठ।
 - 3- जिलाधिकारी, मेरठ।
 - 4- अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), जनपद मेरठ।
 - 5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ।
 - 6- अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम मण्डल सिंचाई कार्य, मेरठ।
 - 7- उपजिलाधिकारी तहसील मयाना जनपद मेरठ।
 - 8- पुलिस अधीक्षक (नगर) मेरठ।
 - 9- प्रभागीय वनाधिकारी मेरठ।
 - 10- थाना मयाना/परीक्षितगढ़/किठौर जनपद मेरठ।
 - 11- जिला सूचना अधिकारी, मेरठ।
 - 12- जिला खनन अधिकारी, जनपद मेरठ।
 - 13- अधिकासी अभियन्ता मेरठ खण्ड गंगा नहर, मेरठ/मु0नगर खण्ड गंगा नहर मु0नगर को मुख्य अभियन्ता (गंगा) मेरठ के कार्यालय ज्ञाप सं0-12608/मु0अ0गंगा/निविदा समिति, दिनांक 12.12.2018 के सन्दर्भ में कृपया निर्धारित तिथि व समय पर निविदा खोलने हेतु उपस्थित होने का कष्ट करें।
 - 14- सहायक अभियन्ता प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ, हापुड एवं बुलन्दशहर।
 - 15- नोटिस बोर्ड हेतु।

Photo Copy Attested

(नरेन्द्र सिंह)

सहायक अभियन्ता-प्रथम
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर
मेरठअधिकासी अभियन्ता
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर, मेरठ।

232

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर, मेरठ।

अल्पकालीन ऑनलाईन ई-नीलामी सूचना संख्या-15/ई0ई0/2025-2026

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या 113/2019/718/19-27-सि0(डब्लू)/2019 दिनांक 02.04.2019, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (अनुभ्रवण एवं मूल्यांकन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के अ0शा0प0-1026/अनु0एव0मु0/अनिम0-5/सिनि0सि0स0/दिनांक 18.12.2019 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में इस खण्ड के कार्यक्षेत्र जनपद मेरठ में अनूपशहर शाखा नहर के कि0मी0 22.930 से कि0मी0 65.570 तक मध्य दोनो बैंको पर अतिरिक्त सिल्ट/मिट्टी की नीलामी ऑनलाईन के माध्यम से दिनांक 08.04.2026 को अपराह्न 05:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है, जो अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में निविदा खोलने हेतु गठित समिति के सदस्यों द्वारा दिनांक 09.04.2026 पूर्वाह्न 11.00 बजे खोली जायेगी। कार्यालय बन्द होने अथवा अवकाश होने की दशा में यह निविदायें अगले कार्यदिवस में उसी समय खोली जायेगी। निविदा दिनांक 02.04.2026 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से दिनांक 08.04.2026 को अपराह्न 05.00 बजे तक डाउनलोड/अपलोड की जा सकती है।

प्रत्येक निविदादाता को ऑनलाईन ई-नीलामी की धरोहर धनराशि ऑनलाईन जमा करनी होगी तथा निविदादाता से अपेक्षा की जाती है कि ई-नीलामी की निविदा डालने से पूर्व निविदा प्रपत्र के क्लॉज में अंकित न्यूनतम अर्हता के सम्बन्ध में शर्तों का भली-भाँति अध्ययन कर लें।

क्र0 स0	कार्य का विवरण	सुरक्षित रूप से निकाली जाने वाली सिल्ट/मिट्टी की मात्रा (घन मीटर में)	अनुसूची के अनुसार निर्धारित दर (रायल्टी प्रति घन मीटर में)	अनुसूची के अनुसार निर्धारित दर से सम्भावित मात्रा के आधार पर आकलित कुल रायल्टी (रु0 में)	निविदा के साथ ई0एम0डी0 के रूप में जमा की जाने वाली धनराशि (रायल्टी का 10 प्रतिशत रु0 में।)	जनपद का नाम
1	जनपद मेरठ में अनूपशहर शाखा नहर के कि0मी0 22.930 से कि0मी0 38.800 तक मध्य दोनो बैंको पर अतिरिक्त सिल्ट/मिट्टी।	16000.00	65.00	1040000.00	104000.00	मेरठ
2	जनपद मेरठ में अनूपशहर शाखा नहर के कि0मी0 38.800 से कि0मी0 50.000 तक मध्य दोनो बैंको पर अतिरिक्त सिल्ट/मिट्टी।	38800.00	65.00	2522000.00	252200.00	मेरठ
3	जनपद मेरठ में अनूपशहर शाखा नहर के कि0मी0 50.000 से कि0मी0 65.570 तक मध्य दोनो बैंको पर अतिरिक्त सिल्ट/मिट्टी।	47200.00	65.00	3068000.00	306800.00	मेरठ

नोट-यह ई-नीलामी सूचना संख्या उ0प्र0 सरकार की वेबसाइट (<http://upgovt.nic.in>) तथा सिंचाई विभाग की वेबसाइट (<http://www.irrigation.up.in>, <http://www.idup.upgovt.in>) उपलब्ध है।

Photo Copy Attested

(नरेंद्र सिंह)

सहायक अभियन्ता-प्रथम
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर
मेरठ

(मममोहन सिंह)

अधिशासी अभियन्ता
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ।

नियम व शर्तें:-

1. उक्त ई-नीलामी प्रक्रिया में निविदाकारों की श्रेणी का वर्गीकरण नहीं किया गया है। राज्य सरकार में विभिन्न विभागों में पंजीकृत किसी भी श्रेणी के आवेदक ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।
2. ई-निविदाकार का अपना पैनकार्ड, आधार कार्ड, जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण पत्र, सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी द्वारा जारी किया हुआ अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र एवं हैसियत प्रमाण-पत्र की छायाप्रति की स्वप्रमाणित प्रतियाँ अपलोड करना होगा। जिन ई-निविदाकारों द्वारा मूल-अभिलेख की स्वप्रमाणित छायाप्रति ऑनलाईन अपलोड नहीं की जायेगी, उनकी ई-निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
3. ई-नीलामी कमेटी द्वारा ई-निविदाकारों के समक्ष ऑनलाईन ई-नीलामी खोली जायेगी। प्रति घन मीटर सर्वोच्च बोली के आधार पर ई-निविदाकार का चयन किया जायेगा।
4. नहर से तालिका में उल्लिखित मापन के अनुसार उच्चतम बोलीदाता द्वारा स्वयं के व्यय पर नहर पर से अतिरिक्त सिल्ट/मिट्टी उखाई जायेगी। सिल्ट/मिट्टी उठाने हेतु विभाग द्वारा किसी प्रकार की धनराशि अथवा पारितोषिक देय नहीं होगा।
5. नहर पर अतिरिक्त सिल्ट/मिट्टी हटाने/उठाने जाने पर यदि किसी भी प्रकार की क्षति होती है, तो उसकी प्रतिपूर्ति उच्चतम बोलीदाता को स्वयं के व्यय पर करनी होगी।
6. सिल्ट/मिट्टी उठाने हेतु रायल्टी की दर रु0 65.00 प्रति घन मीटर आधार मानते हुये उच्च बोली का प्रस्ताव ई-निविदा पोर्टल पर देना होगा। सर्वोच्च बोली के आधार पर उक्त कार्य हेतु ई-निविदाकार का चयन किया जायेगा।
7. जनपद मेरठ अनूपशहर शाखा नहर के दोनो बैंको पर अतिरिक्त सिल्ट/मिट्टी के अतिरिक्त किसी अन्य जगह से सिल्ट/मिट्टी नहीं उठायी जायेगी, अन्य स्थल से सिल्ट/मिट्टी उठाने पर उच्चतम बोलीदाता के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
8. नहर के दोनो बैंको पर से सिल्ट/मिट्टी उठाने जाने का कार्य सम्बन्धित रीच के सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर/जिलेदार की देख-रेख में सूर्योदय से सूर्यास्त तक मानव श्रम एवं राजस्थानी ट्रेक्टर द्वारा नहर को क्षतिग्रस्त किये बिना किया जायेगा।
9. चयनित ई-निविदाकार द्वारा ई-निविदा में उल्लिखित मात्रा की सिल्ट/मिट्टी उठाना अनिवार्य होगा, यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो निविदादाता के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
10. उच्चतम बोली की धनराशि पर नियमानुसार 2.06 प्रतिशत टी0सी0एस0, 10 प्रतिशत डी0एम0एफ एवं .02 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क देय होगा।
11. माननीय न्यायालय/मा0 निर्वाचन आयोग, भारत सरकार/उ0प्र0 शासन/सिंचाई विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/शासनादेशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।
12. किसी भी समय उक्त कार्य की ई-नीलामी को बिना कारण बताये अस्वीकार/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अद्योहस्ताक्षरी का होगा।
13. ई-नीलामी में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निष्पादन जनपद मेरठ/अधीक्षण अभियन्ता प्रथम मण्डल सिंचाई कार्य मेरठ द्वारा किया जायेगा, जो समस्त निविदादाताओं को मान्य होगा।
14. ई-नीलामी की अधिकतम बोली स्वीकृत होने के एक सप्ताह के अन्दर समस्त राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जो अधिशासी अभियन्ता, अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ के नाम तथा जनपद मेरठ को देय होगी/जमा करनी होगी।
15. ई-नीलामी की अधिकतम बोली की धनराशि के 10 प्रतिशत धनराशि की एफ0डी0आर जो अधिशासी अभियन्ता अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ के नाम बन्धक होगी जमानत के रूप में जमा करनी होगी, जो कार्य पूर्ण होने के उपरान्त अवमुक्त कर दी जायेगी। निविदादाता द्वारा 10 प्रतिशत धनराशि जो ऑनलाईन निविदा अपलोड करते समय जमा होगी वह धनराशि एफ0डी0आर0 प्राप्त होने के उपरान्त वापस की जायेगी।
16. ई-नीलामी पूर्ण होने के उपरान्त उच्चतम बोलीदाता को शत-प्रतिशत धनराशि नीलामी की सिल्ट/मिट्टी उठाने से पूर्व कार्यालय अधिशासी अभियन्ता अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करनी होगी।
17. सिल्ट/मिट्टी उठाने की कार्य अवधि 30 दिन होगी।
18. निविदा निर्धारित दर से प्रारम्भ होकर अधिकतम प्राप्त दर ही स्वीकार की जायेगी।
19. यदि नहर का सैक्शन/डौला/सर्विस रोड सिल्ट/मिट्टी उठाने समय क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो उसको ठीक कराये जाने का व्यय उच्चतम बोलीदाता द्वारा वहन किया जायेगा।
20. नहर के सैक्शन को मेंटन करने के उपरान्त ही अतिरिक्त सिल्ट/मिट्टी कार्य स्थल से उठायी जा सकेगी।
21. समस्त निविदादाताओं को सूचित किया जाता है कि उक्त कार्य हेतु ई-नीलामी में प्रतिभाग करने से पूर्व उक्त कार्यक्षेत्र का निरीक्षण एवं सिल्ट/मिट्टी की मात्रा का निरीक्षण भलीभांति करना अनिवार्य होगा एवं इस आशय का शपथ-पत्र भी अपलोड करना होगा की उनके द्वारा कार्यक्षेत्र का निरीक्षण, सिल्ट/मिट्टी की मात्रा का निरीक्षण भलीभांति कर लिया गया है, एवं निविदादाता ने निरीक्षण के दौरान कार्य सम्पादन हेतु कार्य स्थल पर कोई अवरोध नहीं पाया है।

Photo Copy Attested

(नरन्द्र सिंह)

सहायक अभियन्ता-प्रथम
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर
मेरठ


ई-नीलामी की निविदा खुलने के उपरान्त कार्यवाही के सम्बन्ध में, सिल्ट/मिट्टी के उठान कार्य के सम्बन्ध में एवं सिल्ट/मिट्टी की मात्रा के सम्बन्ध में उच्चतम बोलीदाता का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

22. निविदानुसार नीलामी की जाने वाली सिल्ट/मिट्टी उठाने का कार्य इंजीनियर इन्चार्ज की देख-रेख में किया जायेगा। निर्धारित समय के अतिरिक्त रात्रि/मध्य रात्रि में सिल्ट/मिट्टी उठाई जाती है तो उच्चतम बोलीदाता के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

23. अनूपशहर शाखा नहर के उक्त लॉटों की रीच पर बैंको पर नहर किनारे डोला बनाया जाना प्रस्तावित है, जिस हेतु सुरक्षित रूप से निकाली जाने वाली सिल्ट/मिट्टी की मात्रा (घन मीटर में) उक्त लॉटों के सम्मुख अंकित सिल्ट/मिट्टी की मात्रा के अतिरिक्त कार्य स्थल पर सिल्ट/मिट्टी की मात्रा उपलब्ध है, जिसका उपयोग डोला बनाने हेतु किया जाना है। उक्त लॉटों के सम्मुख अंकित सिल्ट/मिट्टी की मात्रा के अतिरिक्त कार्य स्थल पर अतिरिक्त उपलब्ध सिल्ट/मिट्टी को उच्चतम बोलीदाता द्वारा नहीं उठाया जायेगा।

24. बैंक ड्राफ्ट बनवाने का व्यय उच्चतम बोलीदाता द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

25. नीलामी के माध्यम से उठाई जाने वाली सिल्ट/मिट्टी का कार्य इस प्रकार निष्पादित किया जाएगा कि अनूपशहर शाखा के दोनों ओर स्थित नहरी पट्टी, जो कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का भाग है, पर वन विभाग द्वारा किए गए वृक्षारोपण को किसी भी प्रकार की क्षति न पहुँचे। यदि कार्य के दौरान किसी भी वृक्ष अथवा पौधारोपण को क्षति होती है, तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की होगी तथा क्षतिपूर्ति/दायित्व की कार्यवाही नियमानुसार ठेकेदार के विरुद्ध की जाएगी।


(मनमोहन सिंह) 23.3.2026

अधिशाली अभियन्ता

अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ।

Photo Copy Attested


(नरेंद्र सिंह)

सहायक अभियन्ता-प्रथम
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर
मेरठ

पत्तार उड़ानों में बिना अतिरिक्त शुल्क के 20 अप्रैल से मिलेंगी 60% सीटें

स्थ मंत्री



हता स्वास्थ्य पाल सरकार बंध: एक्स गतिविधियों

भेज दिया। रोध में और ग को लेकर में प्रदर्शन ओं से जुड़ी लिपता की दस दिन की हुए खक या गी था। हिरासत में

नई दिल्ली, प्रेद: एयरलाइन कंपनियों 20 अप्रैल से किसी भी उड़ान में कम से कम 60 प्रतिशत सीटें बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के उपलब्ध कराना शुरू कर देंगी। इसके साथ ही एयरलाइन कंपनियों पारदर्शी सीट आवंटन नीति भी बनाएंगी। मौजूदा व्यवस्था में केवल करीब 20 प्रतिशत सीटें ही बिना शुल्क के उपलब्ध होती हैं, जबकि बाकी सीटों के चयन के लिए अतिरिक्त शुल्क लिया जाता है।

नगर विमानन मंत्रालय ने 18 मार्च को बताया था कि डीजीसीए के माध्यम से एयरलाइनों को यात्री सुविधाएं बढ़ाने के लिए कई अहम निर्देश जारी किए गए हैं। डीजीसीए को निर्देश दिए गए हैं कि वह एयरलाइंस को किसी भी उड़ान में कम से कम 60 प्रतिशत सीटें मुफ्त चयन के लिए आवंटित करने का निर्देश दे। इस संबंध में डीजीसीए ने 20 मार्च को संशोधित एयर ट्रांसपोर्ट सर्कुलर जारी किया।

नई दिल्ली, प्रेद: सुरक्षा दबाव और पुनर्वास प्रयासों के संयोजन ने देश के सबसे लंबे समय तक चलने वाले विरोहों में से एक माओवाद को घातक झटका दिया है। इसमें पिछले दशक में 10 हजार से अधिक माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश से माओवाद को समाप्त करने की समयसीमा 31 मार्च निर्धारित की है। 2025 में 2,300 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया और 2026 के पहले तीन महीनों में 630 से अधिक कैदरों ने सशस्त्र विद्रोह के बजाय मुख्यधारा का जीवन चुना।

माओवाद के खात्मे पर आज चर्चा करेगी लोकसभा

नई दिल्ली, प्रेद: लोकसभा सोमवार को वामपंथी माओवाद से देश को मुक्त करने के प्रयासों पर चर्चा करेगी, जो कि माओवाद समाप्त करने के लिए सरकार की 31 मार्च की समयसीमा से एक दिन पहले है। लोकसभा सचिवालय ने "वामपंथी माओवाद (एलडब्ल्यूई) से देश को मुक्त करने के प्रयास" पर चर्चा को नियम 193 के तहत सूचीबद्ध किया

है, जिसमें मतदान की आवश्यकता नहीं है। इस नियम के तहत संक्षिप्त अवधि की चर्चा में सरकार का उत्तर आवश्यक है। इस चर्चा की शुरुआत तेदपा सांसद बायरडूडी शबरी और शिवसेना के सदस्य श्रीकांत शिंदे करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की थी कि माओवादी समरथा को 31 मार्च, 2026 तक पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा।

रणथंभौर के पास अब नहीं होगी वाहनों से वन्य जीवों की भिड़त
जांस, जयपुर: अब रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से गुजरने वाले दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर मनुष्यों और वन्य जीवों में कोई टकराव नहीं होगा। रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बफर जोन से गुजर रहे इस एक्सप्रेसवे के करीब 12 किलोमीटर लंबे हिस्से पर वन्य जीवों की सुरक्षित आवाजाही के लिए विशेष

अंडरपास और ओवरपास बनाए गए हैं। एक्सप्रेसवे पर वन्य जीवों और यातायात के सह-अस्तित्व को न्यूनतम व्यवधान के साथ सुनिश्चित करने के लिए विशेष इंजीनियरिंग उपाय किए गए हैं। ओवरपास को प्राकृतिक रूप देने के लिए आसपास बड़ी संख्या में पेड़-पौधे लगाने के साथ ही झाड़ियों से ढंका गया है।

2014 से 2026 की शुरुआत तक के वामपंथी माओवाद (एलडब्ल्यूई) आत्मसमर्पण के आधिकारिक आंकड़े बताते हैं सरकार ने माओवाद के खिलाफ पिछले सरकारों के बिखरे हुए दृष्टिकोण को बदलती है। "रेड कारिडोर" में सड़क निर्माण इसका एक उदाहरण है, जो एक आर्क है जो कभी "पशुपति

से तिरुपति" तक फैला हुआ था, जिसमें बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल थे, जहां केंद्र ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलजीए) के मुख्य क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए चांडर रोड्स आर्गनाइजेशन (बीआरओ) को जिम्मेदारी दी, जिसमें इन विद्रोह के गढ़ों में पांच प्रमुख सड़कों और छह महत्वपूर्ण

पुलों का निर्माण शामिल है। माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में 15 हजार किमी से अधिक सड़कों का निर्माण किया गया है। इसमें से पिछले 10 वर्षों में 12,250 किलोमीटर का निर्माण पूरा किया गया है। सुरक्षित पुलिस स्टेशनों की संख्या 2014 में 66 से बढ़कर पिछले 10 वर्षों में 586 हो गई है। छह वर्षों में 361 नए सुरक्षा शिविर स्थापित किए गए हैं और 68 रात-उतरण हेलिपैड बनाए गए हैं।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर, मेरठ।

4.03.2026

अल्पकालीन ऑनलाईन ई-नीलामी सूचना संख्या-15/ई0ई0/2025-2026

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या 113/2019/718/19-27-सि0(डब्ल्यू)/2019 दिनांक 02.04.2019, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (अनुभ्रमण एवं मूल्यांकन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के अ0शा0पो-1026/अनु0एव0मु0/अनिम0-5/सिनि0/सि0स0/दिनांक 18.12.2019 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में इस खण्ड के कार्यक्षेत्र जनपद मेरठ में अनूपशहर शाखा नहर के कि0मी0 22.930 से कि0मी0 65.570 तक मध्य दोनों बैंकों पर अतिरिक्त सिल्ट/मिट्टी की नीलामी ऑनलाईन के माध्यम से दिनांक 08.04.2026 को अपरान्ह 05:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है, जो अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में निविदा खोलने हेतु गठित समिति के सदस्यों द्वारा दिनांक 09.04.2026 पूर्वान्ह 11.00 बजे खोली जायेगी। कार्यालय बन्द होने अथवा अवकाश होने की दशा में यह निविदायें अगले कार्यदिवस में उसी समय खोली जायेगी। निविदा दिनांक 02.04.2026 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से दिनांक 08.04.2026 को अपरान्ह 05.00 बजे तक डाउनलोड/अपलोड की जा सकती है।

प्रत्येक निविदादाता को ऑनलाईन ई-नीलामी की धरोहर धनराशि ऑनलाईन जमा करनी होगी तथा निविदादाता से अपेक्षा की जाती है कि ई-नीलामी की निविदा डालने से पूर्व निविदा प्रपत्र के क्लजा में अंकित न्यूनतम अर्हता के सम्बन्ध में शर्तों का भली-भाँति अध्ययन कर लें।

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	सुरक्षित रूप से बिकाली जाने वाली सिल्ट/मिट्टी की मात्रा (घन मीटर में)	अनुसूची के अनुसार निर्धारित दर (प्रति घन मीटर में)	अनुसूची के अनुसार निर्धारित दर से सम्भावित मात्रा के आधार पर आकलित कुल राशयटी (रु0 में)	निविदा के साथ ई0एन0डी0 के रूप में जमा की जाने वाली धनराशि (घन मीटर रु0 10 प्रतिशत रु0 में)	जनपद का नाम
1	जनपद मेरठ में अनूपशहर शाखा नहर के कि0मी0 22.930 से कि0मी0 38.800 तक मध्य दोनों बैंकों पर अतिरिक्त सिल्ट/मिट्टी।	16000.00	65.00	1040000.00	104000.00	मेरठ
2	जनपद मेरठ में अनूपशहर शाखा नहर के कि0मी0 38.800 से कि0मी0 50.000 तक मध्य दोनों बैंकों पर अतिरिक्त सिल्ट/मिट्टी।	38800.00	65.00	2522000.00	252200.00	मेरठ
3	जनपद मेरठ में अनूपशहर शाखा नहर के कि0मी0 50.000 से कि0मी0 65.570 तक मध्य दोनों बैंकों पर अतिरिक्त सिल्ट/मिट्टी।	47200.00	65.00	3068000.00	306800.00	मेरठ

नोट:-यह ई-नीलामी सूचना संख्या उ0प्र0 सरकार की वेबसाइट (<http://upgovt.nic.in>) तथा सिंचाई विभाग की वेबसाइट (<http://www.irrigation.up.in>, <http://www.idup.upgovt.in>) उपलब्ध है।

(मनमोहन सिंह)
अधिशासी अभियन्ता
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ।

UP-249028 दिनांक 27.03.2026 विज्ञापन वेबसाइट www.upgovt.nic.in पर उपलब्ध है।

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता
मेरठ वृत्त, लो0नि0वि0, मेरठ

पत्रांक 988/11 केंद्रिय-3030(नि0वि0)मेरठ दिनांक -23.03.2026

ई-प्रोक्वायरेमेंट अल्पकालीन निविदा सूचना

1. महामहोम राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश की ओर से उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत निविदादाताओं से ई-टेंडरिंग के माध्यम से दर्शाये गये कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रु0 लाख में)	धरोहर धनराशि (रु0 लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य को पूर्ण करने की अवधि वर्षों काल सहित	अधिशासी अभियन्ता का पता	अधीक्षण अभियन्ता का पता	मुख्य अभियन्ता का पता	पंजीकृत ठेकेदारों की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

द्वितीय बार

1	मेरठ करनाल मार्ग दिल्ली से पली वाया छुर कालन्दी बंध के कि0मी0। (935)2,3,4(626),5,6(626)का सामान्य मरम्मत के साथ नवीकरण का कार्य।	63.50	05.18	2000+300+GST 18%=-2714.00	02 मह	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, मेरठ	मेरठ वृत्त लो0नि0वि0, मेरठ	मुख्य अभियन्ता, मेरठ क्षेत्र, लो0 नि0 वि0, मेरठ	ए.बी.सी. मार्ग कार्य
---	--	-------	-------	---------------------------	-------	-------------------------------	----------------------------	---	----------------------

- बित ऑफ क्वॉन्टिटी में नमाई गयी दर तभी करो जो जोड़ते हुये लख जीएसटी0 को जोड़ते हुये लगाई गयी है।
- निविदा में मांगी गयी धरोहर धनराशि एवं निविदा शुल्क (ऑनलैम नं-4 व 5 के अनुसार) ऑन लाईन केवल नेट बैंक द्वारा मुगतान के पश्चात् यूटी0आर प्रति रसीद के रूप में सबूत होगी।

2. निविदा से सम्बन्धित विस्तृत विवरण एवं कर्तव्य साईट <http://etender.up.nic.in> पर ऑनलाईन उपलब्ध है।

3. बिड डायरेक्ट वेबसाईट <http://etender.up.nic.in> पर दिनांक 02.04.2026 से दिनांक 08.04.2026 को दोपहर 12:00 बजे तक अपलोड किये जा सकते हैं। निविदा की तककी बिड दिनांक 08.04.2026 को दोपहर 12:30 बजे कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, मेरठ वृत्त, लो0नि0वि0, मेरठ में खोली जायेगी।

4. निविदा डालने हेतु निविदादाता के पास किती डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट सॉफ्टवेयर प्राधिकरण द्वारा जारी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है।

5. शासनादेश संख्या 879(1)/23-7-2020, लो0नि0 अनुभाग-7, लखनऊ दिनांक 25.08.2020 के आदेशानुसार प्रहरी एप पर चाणक्य के माध्यम से निविदा डालने हेतु पंजीकरण करना आवश्यक होगा।

6. धरोहर धनराशि शासनादेश संख्या 682/23-7-2024 लोक निर्माण अनुभाग-7 लखनऊ दिनांक 09-08-2024 में दिये गये निर्देशों के अनुसार ही ली जायेगी।

(संजय सिंह)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, मेरठ

(जगदीप प्रसाद)
अधीक्षण अभियन्ता,
मेरठ वृत्त, लो0नि0वि0, मेरठ

UP-249062 दिनांक 27.03.2026 विज्ञापन वेबसाइट www.upgovt.nic.in पर उपलब्ध है।

Photo Copy Attested

(नरेन्द्र सिंह)
सहायक अभियन्ता-प्रथम
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर
मेरठ

Master Management

- Org Hierarchy Master
- View Internal Documents

User Management

- Debar User
- My Organisation Hierarchy
- My Accounts

Tender Management

- Create Tender / Tender List
- Publish Tender
- Published Tenders
- Seek Clarifications
- Pre-bid Meeting
- Downloaded Tenders
- Bids Submitted Tenders
- Tender Status
- Archived Tenders
- Archived Clarification

Corrigendum

- Create Corrigendum
- Publish Corrigendum
- Published Corrigendum

Bid Opening

- Tenders to be Opened

Bid Evaluation

- Technical Evaluation
- Financial Evaluation

BID OPENING**Bid Opening** → Bid Openers

Tender Reference Number : E-Auction TN-15/EE/2025-26

Tender ID : 2026_UPIDC_1132062_1

Tender Title : AUCTION/TN-15/EE/2025-26 Excess silt/clay on both the middle banks of Anupshahar branch canal from Km 22.930 to Km 38.800 in Meerut district. Lot No-01

Bid Opening Date & Time : 09-Apr-2026 02:03 PM

Bid Opener Type : 2 Of 3 (Minimum 2 bid openers should decrypt)

Bid Openers

Refresh

vikas kumar



Man Mohan Singh



SUBHASH CHANDRA



Total No. of Bids : 0

Total No. of Withdrawn Bids : 0

Photo Copy Attested

(नरेंद्र सिंह)

सहायक अभियन्ता-प्रथम
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर
मेरठ**Bid Packets**

Fee/PreQual/Technical



Back

Master Management
→ Org Hierarchy Master
→ View Internal Documents
User Management
→ Debar User
→ My Organisation Hierarchy
→ My Accounts
Tender Management
→ Create Tender / Tender List
→ Publish Tender
→ Published Tenders
→ Seek Clarifications
→ Pre-bid Meeting
→ Downloaded Tenders
→ Bids Submitted Tenders
→ Tender Status
→ Archived Tenders
→ Archived Clarification
Corrigendum
→ Create Corrigendum
→ Publish Corrigendum
→ Published Corrigendum
Bid Opening
→ Tenders to be Opened
Bid Evaluation
→ Technical Evaluation
→ Financial Evaluation

BID OPENING

● Bid Opening → Bid Openers

15

Tender Reference Number : E-Auction TN-15/EE/2025-26

Tender ID : 2026_UPIDC_1132062_2

AUCTION/TN-15/EE/2025-26 Excess silt/clay on both the banks
Tender Title : between Km 38.800 to Km 50.000 of Anupshahar Branch Canal in
Meerut district. Lot No-02

Bid Opening Date & Time : 09-Apr-2026 11:00 AM

Bid Opener Type : 2 Of 3 (Minimum 2 bid openers should decrypt)

Bid Openers

Refresh

vikas kumar



Man Mohan Singh



SUBHASH CHANDRA



Total No. of Bids : 0

Total No. of Withdrawn Bids : 0

Bid Packets

Fee/PreQual/Technical



Photo Copy Attested

(नरेन्द्र सिंह)
सहायक अभियन्ता-प्रथम
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर
मेरठ

Back

Master Management

- Org Hierarchy Master
- View Internal Documents

User Management

- Debar User
- My Organisation Hierarchy
- My Accounts

Tender Management

- Create Tender / Tender List
- Publish Tender
- Published Tenders
- Seek Clarifications
- Pre-bid Meeting
- Downloaded Tenders
- Bids Submitted Tenders
- Tender Status
- Archived Tenders
- Archived Clarification

Corrigendum

- Create Corrigendum
- Publish Corrigendum
- Published Corrigendum

Bid Opening

- Tenders to be Opened

Bid Evaluation

- Technical Evaluation
- Financial Evaluation

BID OPENING**Bid Opening** → Bid Openers

15

Tender Reference Number : E-Auction TN-15/EE/2025-26

Tender ID : 2026_UPIDC_1132062_3

AUCTION/TN-15/EE/2025-26 Excess silt/clay on both the banks
 Tender Title : between Km 50.000 to Km 65.570 of Anupshahar Branch Canal in Meerut district. Lot No-03

Bid Opening Date & Time : 09-Apr-2026 11:00 AM

Bid Opener Type : 2 Of 3 (Minimum 2 bid openers should decrypt)

Bid Openers

Refresh

vikas kumar



Man Mohan Singh



SUBHASH CHANDRA



Total No. of Bids : 0

Total No. of Withdrawn Bids : 0

Bid Packets

Fee/PreQual/Technical



Photo Copy Attested

(नरेन्द्र सिंह)

सहायक अभियन्ता-प्रथम
 अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर
 मेरठ

Back

239
कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर, मेरठ।

(17)

पत्रांक:-709/अशाख/टी-15/ई-नीलामी

दिनांक:-09.04.2026

-:कार्यालय ज्ञाप:-

पुनः ई-नीलामी आमंत्रण पत्र।

इस कार्यालय के पत्रांक 620/अशाख/टी-15/ई-नीलामी दिनांक 23.03.2026 के द्वारा अल्पकालीन ई-नीलामी सूचना संख्या-15/ई0ई0/2025-26 के अन्तर्गत जनपद मेरठ में अनूपशहर शाखा नहर के कि०मी० 22.930 से कि०मी० 65.570 तक मध्य दोनो बैंको पर अतिरिक्त सिट्ट/मिट्टी की ई-नीलामी हेतु निविदाएं आमंत्रित की गयी थी, जिसकी डाउनलोडिंग/अपलोडिंग की दिनांक 02.04.2026 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से दिनांक 08.04.2026 को अपराह्न 05.00 बजे तक थी। उक्त ई-नीलामी सूचना के अन्तर्गत लॉट पर प्राप्त निविदाओं की प्री-क्वालीफिकेशन/ टेक्नीकल बिड अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में निविदा खोलने हेतु गठित समिति के सदस्यों द्वारा दिनांक 09.04.2026 की पूर्वाह्न 11.00 बजे खोली गई, जिसमें लॉट सं०-01, 02, व लॉट सं०-03 के अन्तर्गत आमंत्रित की गई निविदाओं के सापेक्ष शून्य निविदा प्राप्त होने के कारण पुनः ई-नीलामी हेतु उक्त लॉट संख्याओं पर निम्नानुसार निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

S.N	Particulars	Date	Time	Work Days
1	Uploading/Downlodng Start	10-04-2026	10:00 AM	30-Days
2	Uploading/Downlodng End	16-04-2026	05:00 PM	
3	Technical Bid Opening	17-04-2026	11:00 AM	
4	Financial Bid Opening	Date will be Decided after Technical bid evaluation and will be communicated online to successful bidders in Technical bid.		

शेष शर्तें पूर्व की भांति यथावत रहेंगी।

(Handwritten Signature)
अधिशासी अभियन्ता
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ।

पत्रांक :- 709 / अशाख / टी-15 / ई-नीलामी / दिनांक:-09.04.2026

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
- 1- मुख्य अभियन्ता (पश्चिम) स्तर-1, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ०प्र० मेरठ।
 - 2- मुख्य अभियन्ता (गंगा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० मेरठ।
 - 3- जिलाधिकारी, मेरठ।
 - 4- अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), जनपद मेरठ।
 - 5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ।
 - 6- अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम मण्डल सिंचाई कार्य, मेरठ।
 - 7- उपजिलाधिकारी तहसील मवाना जनपद मेरठ।
 - 8- पुलिस अधीक्षक (नगर) मेरठ।
 - 9- प्रभागीय वनाधिकारी मेरठ।
 - 10- थाना मवाना/परीक्षितगढ़/किठौर जनपद मेरठ।
 - 11- जिला सूचना अधिकारी, मेरठ।
 - 12- जिला खनन अधिकारी, जनपद मेरठ।
 - 13- अधिशासी अभियन्ता मेरठ खण्ड गंगा नहर, मेरठ/मु०नगर खण्ड गंगा नहर मु०नगर को मुख्य अभियन्ता (गंगा) मेरठ के कार्यालय ज्ञाप सं०-12608/मु०अ०गंगा/निविदा समिति, दिनांक 12.12.2018 के सन्दर्भ में कृपया निर्धारित तिथि व समय पर निविदा खोलने हेतु उपस्थित होने का कष्ट करें।
 - 14- सहायक अभियन्ता प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ, हापुड एवं बुलन्दशहर।
 - 15- नोटिस बोर्ड हेतु।

Photo Copy Attested

(नरेंद्र सिंह)

सहायक अभियन्ता-प्रथम
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर
मेरठ

(Handwritten Signature)
अधिशासी अभियन्ता
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ।

TENDER MANAGEMENT

Master Management

- ▶ Org Hierarchy Master
- ▶ View Internal Documents

User Management

- ▶ Debar User
- ▶ My Organisation Hierarchy
- ▶ My Accounts

Tender Management

- ▶ Create Tender / Tender List
- ▶ Publish Tender
- ▶ Published Tenders
- ▶ Seek Clarifications
- ▶ Pre-bid Meeting
- ▶ Downloaded Tenders
- ▶ Bids Submitted Tenders
- ▶ Tender Status
- ▶ Archived Tenders
- ▶ Archived Clarification

Corrigendum

- ▶ Create Corrigendum
- ▶ Publish Corrigendum
- ▶ Published Corrigendum

Bid Opening

- ▶ Tenders to be Opened

Bid Evaluation

- ▶ Technical Evaluation
- ▶ Financial Evaluation

Bids Submitted For Tenders

Search

Tender ID

Tender Title

Clear

Search

The latest 20 tenders are displayed below. Click on search with required details for listing specific tenders.

Tender List

S.No	Tender ID	Tender Title/Tender Ref No.	Bid Opening Date	No.of Valid Bids
1.	2026_UPIDC_1117934_23	E-Auction/TN-13/EE/2025-26 Excess silt/soil lying on both the banks between Km 85.436 to Km 87.290 of Anupshahr branch canal in Garh tehsil of Hapur district Lot-06/E-Auction TN-13/EE/2025-26	07-May-2026 11:00 AM	1
2.	2026_UPIDC_1117934_22	E-Auction/TN-13/EE/2025-26 Excess silt/soil lying on both the banks between Km 81.281 to Km 85.436 of Anupshahr branch canal in Garh tehsil of Hapur district Lot-05/E-Auction TN-13/EE/2025-26	07-May-2026 11:00 AM	0
3.	2026_UPIDC_1117934_21	E-Auction/TN-13/EE/2025-26 Excess silt/soil lying on both the banks between Km 77.969 to Km 81.281 of Anupshahr branch canal in Garh tehsil of Hapur district Lot-04/E-Auction TN-13/EE/2025-26	07-May-2026 11:00 AM	0
4.	2026_UPIDC_1117934_20	E-Auction/TN-13/EE/2025-26 Excess silt/soil lying on both the banks between Km 65.570 to Km 69.425 of Anupshahr branch canal in Garh tehsil of Hapur district Lot-01/E-Auction TN-13/EE/2025-26	07-May-2026 11:00 AM	0
5.	2026_UPIDC_1132062_4	AUCTION/TN-15/EE/2025-26 Excess silt/clay on both the middle banks of Anupshahr branch canal from Km 22.930 to Km 38.800 in Meerut district. Lot No-01/E-Auction TN-15/EE/2025-26	17-Apr-2026 11:00 AM	0
6.	2026_UPIDC_1132062_6	AUCTION/TN-15/EE/2025-26 Excess silt/clay on both the banks between Km 50.000 to Km 65.570 of Anupshahr Branch Canal in Meerut district. Lot No-03/E-Auction TN-15/EE/2025-26	17-Apr-2026 11:00 AM	0
7.	2026_UPIDC_1132062_5	AUCTION/TN-15/EE/2025-26 Excess silt/clay on both the banks between Km 38.800 to Km 50.000 of Anupshahr Branch Canal in Meerut district. Lot No-02/E-Auction TN-15/EE/2025-26	17-Apr-2026 11:00 AM	0
8.	2026_UPIDC_1125864_15	AUCTION/TN-14/EE/2025-26 Excess silt/soil lying on both the banks between Km 114.575 to Km 120.670 of Anupshahr Branch Canal in Anupshahr Tehsil of Bulandshahr district. Lot No-04/E-Auction TN-14/EE/2025-26	16-Apr-2026 11:00 AM	0

Photo Copy Attested

(नरेन्द्र सिंह)
सहायक अभियन्ता-प्रथम
अनूपशहर शाखा खण्ड मंत्रालय
मेरठ

241

20

शीर्ष प्राथमिकता/महत्वपूर्ण
संख्या-1/1227112/2026(177187)

प्रेषक,

अशोक कुमार सरोज,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, 30प्र0, लखनऊ।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 04-02-2026

विषय: "उत्तर प्रदेश उपखनिज परिहार (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2026" के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अधिसूचना संख्या-1/1225960/2026, दिनांक 04.02.2026 द्वारा प्रख्यापित "उत्तर प्रदेश उपखनिज परिहार (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2026" की हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति संलग्न कर अग्रतर आवश्यक कार्यवाही हेतु आपके उपयोगार्थ प्रेषित करने का मुझे निदेश हुआ है।

संलग्नक-यथोक्त।

Photo Copy Attested

(नरेन्द्र सिंह)
सहायक अभियन्ता-प्रथम
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर
मेरठ

भवदीय
Digitally signed by
ASHOK KUMAR SAROJ
Date: 04-02-2026
18:03:45
(अशोक कुमार सरोज)
अनु सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग-1

संख्या:I./1225960/2026

लखनऊ, दिनांक 04.02.2026

अधिसूचना

साधारण खंड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या-10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या-67 सन् 1957) की धारा-15 की उप धारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2021 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं अर्थात्:-

उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2026

संक्षिप्त नाम 1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2026 कही और प्रारम्भ जायेगी।

(2) यह सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

प्रथम अनुसूची 2- उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2021 (जिसे आगे "उक्त नियमावली" कहा गया का संशोधन है) में नीचे स्तम्भ-एक में दी गयी प्रथम अनुसूची के स्थान पर स्तम्भ-दो में दी गयी अनुसूची रख दी जायेगी, अर्थात्: -

स्तम्भ-एक (विद्यमान अनुसूची) प्रथम अनुसूची स्वामित्व (नियम-21 देखिये)			स्तम्भ-दो (एतद्वारा प्रतिस्थापित अनुसूची) प्रथम अनुसूची स्वामित्व की दर (नियम-21 देखें)		
क्र० सं०	खनिज	स्वामित्व की दर	क्रम संख्या	खनिज	स्वामित्व की दर
1-	चूना पत्थर	₹0 150.00 प्रतिटन या ₹0 275.00 प्रति घनमीटर	1-	निकाल दिया गया	निकाल दिया गया

Photo Copy Attested

(नरेन्द्र सिंह)
सहायक अभियन्ता-प्रथम
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर
मेरठ

2-	मार्बल या मार्बल चिप्स (संगमरमर)	रु0 206.00 प्रतिटन या रु0 405.00 प्रति घनमीटर	2-	मार्बल या मार्बल चिप्स (संगमरमर)	रु0 206.00 प्रतिटन या रु0 405.00 प्रति घनमीटर
3-	ईट बनाने की मिट्टी	शून्य	3-	ईट बनाने की मिट्टी	शून्य
4-	ईमारती पत्थर (बिल्डिंग स्टोन)		4-	ईमारती पत्थर (बिल्डिंग स्टोन)	
(i)	ग्रेनाइट (साइज्ड डायमेशनल स्टोन)		(i)	ग्रेनाइट (साइज्ड डायमेशनल स्टोन)	
	(क) एक मीटर या ऊपर के साइज के	रु0 5000.00 प्रति घनमीटर		(क) एक मीटर या ऊपर के साइज के	रु0 6000.00 प्रति घनमीटर
	(ख) एक मीटर या नीचे के साइज के	रु0 3000.00 प्रति घनमीटर		(ख) एक मीटर के नीचे के साइज के	रु0 4000.00 प्रति घनमीटर
(ii)	स्लैब्स और अक्षर सहित साइज्ड डायमेशनल स्टोन (सैण्ड स्टोन, क्वार्टजाइट)	रु0 650.00 प्रति घनमीटर	(ii)	स्लैब्स और अक्षर सहित साइज्ड डायमेशनल स्टोन (सैण्ड स्टोन, क्वार्टजाइट)	रु0 850.00 प्रति घनमीटर
(iii)	मिल स्टोन व हाथ चक्की (सैण्ड स्टोन, क्वार्टजाइट)	रु0 600.00 प्रति घनमीटर	(iii)	मिल स्टोन व हाथ चक्की (सैण्ड स्टोन, क्वार्टजाइट)	रु0 600.00 प्रति घनमीटर

(iv)	खण्डास और बोल्डर		(iv)	खण्डास और बोल्डर	
	(क) ग्रेनाइट व डोलो स्टोन (25cm×25cm× 25cm) तक साइज्ड का	₹ 125.00 प्रति घनमीटर		(क) ग्रेनाइट व डोलो स्टोन (25cm×25cm×25cm) से मी0 तक साइज्ड का	₹ 125.00 प्रति घनमीटर
	(ख) सैण्ड स्टोन और क्वार्टजाईट (25cm×25cm× 25cm) तक साइज्ड का	₹ 100.00 प्रति घनमीटर		(ख) सैण्ड स्टोन और क्वार्टजाईट (25cm×25cm×25cm) सेमी0 तक साइज्ड का	₹ 100.00 प्रति घनमीटर
(v)	वैलास्ट (गिट्टी)		(v)	वैलास्ट (गिट्टी)	
	(क) ग्रेनाइट और डोलोस्टोन	₹ 160.00 प्रति घनमीटर		(क) ग्रेनाइट और डोलोस्टोन	₹ 165.00 प्रति घनमीटर
	(ख) सैण्ड स्टोन और क्वार्टजाईट	₹ 110.00 प्रति घनमीटर		(ख) सैण्ड स्टोन और क्वार्टजाईट	₹ 140.00 प्रति घनमीटर
	(ग) स्टोन डस्ट	₹ 100.00 प्रति घनमीटर		(ग) स्टोन डस्ट	₹ 100.00 प्रति घनमीटर
5	मौरम		5	मौरम	
	(क) नदी तल में उपलब्ध	₹ 150.00 प्रति घनमीटर		(क) नदी तल में उपलब्ध	₹ 190.00 प्रति घनमीटर
	(ख) पहाड़ों के क्षरण के फलस्वरूप उत्पन्न लाल मौरम	₹ 75.00 प्रति घनमीटर		(ख) पहाड़ों के क्षरण के कारण उत्पन्न लाल मौरम	₹ 100.00 प्रति घनमीटर

6	साधारण बालू (विहित प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त होने वाले बालू से भिन्न)		6	साधारण बालू (विहित प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त होने वाले बालू से भिन्न)	
	(क) प्रथम श्रेणी, रू० 65.00 प्रति घनमीटर (अनुसूची-दो में उल्लिखित जिलों में उपलब्ध)			(क) प्रथम श्रेणी, (अनुसूची-दो में उल्लिखित जिलों में उपलब्ध)	रू० 80.00 प्रति घनमीटर
	(ख) द्वितीय श्रेणी, (अनुसूची-दो में उल्लिखित जिलों में उपलब्ध)	रू० 55.00 प्रति घनमीटर		(ख) द्वितीय श्रेणी, (अनुसूची-दो में उल्लिखित जिलों में उपलब्ध)	रू० 70.00 प्रति घनमीटर
7	बजरी (सिंगिल)	रू० 110.00 प्रति घनमीटर	7	(i) बजरी (सिंगिल) (ii) बालू/बजरी/बोल्डर मिश्रित अवस्था में (आर०बी०एम०)	रू० 110.00 प्रति घनमीटर रू० 160.00 प्रति घनमीटर
8	साधारण मृदा (आरडिनरी क्ले) अथवा साधारण मिट्टी (आरडिनरी अर्थ)	शून्य	8	साधारण मृदा (आरडिनरी क्ले) अथवा साधारण मिट्टी (आरडिनरी अर्थ)	शून्य
9	पायरोफिलाइट	रू० 300.00 प्रति टन	9	पायरोफिलाइट	रू० 340.00 प्रति टन
10	डायस्पोर	रू० 500.00 प्रति टन	10	डायस्पोर	रू० 525.00 प्रति टन

11	सिलिका सैण्ड	रु0 100.00 प्रति टन	11	सिलिका सैण्ड	रु0 150.00 प्रति टन
12	चाइना क्ले	खान पर खनिमुख मूल्य का 12 प्रतिशत	12	चाइना क्ले	खनिमुख मूल्य का 12 प्रतिशत
13	कैलसाइट	खान पर खनिमुख मूल्य का 12 प्रतिशत	13	कैलसाइट	खनिमुख मूल्य का 12 प्रतिशत
14	क्वार्टज	रु0 100.00 प्रति टन	14	निकाल दिया गया	निकाल दिया गया
15	कोई अन्य उपखनिज जिसके लिये स्वामित्व की दर विनिर्दिष्ट नहीं है।	खान पर विक्री मूल्य का 10 प्रतिशत	15	कोई अन्य उपखनिज जिसके लिये स्वामित्व की दर विनिर्दिष्ट नहीं है।	खनिमुख मूल्य का 10 प्रतिशत

द्वितीय अनुसूची 3- उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दी गयी द्वितीय अनुसूची के का स्थान पर स्तम्भ-2 में दी गयी अनुसूची रख दी जायेगी, अर्थात्: - संशोधन

स्तम्भ-1 विविध अनुसूची द्वितीय अनुसूची अपरिहार्य भाटक (नियम-22 देखिये)				स्तम्भ-2 (एतद्वारा प्रतिस्थापित अनुसूची) द्वितीय अनुसूची अपरिहार्य भाटक (नियम-22 देखें)			
क्र० सं०	उपखनिजों के नाम	जिले/नदी का नाम	प्रति एकड़ वार्षिक अपरिहार्य भाटक की दर	क्र० सं०	उपखनिज	जिले/नदी का नाम	प्रति एकड़ वार्षिक अपरिहार्य भाटक की दर

1	मार्बल और मार्बल चिप्स	सोनभद्र और अन्य जिले, यदि कोई हों।	रु0 40000.00	1	मार्बल, मार्बल चिप्स (संगमरमर)	सोनभद्र और अन्य जिले, यदि कोई हों।	रु0 60000.00
2	चूना पत्थर (लाईम स्टोन)	सोनभद्र और अन्य जिले, यदि कोई हों।	रु040000.00	2	निकाल दिया गया	निकाल दिया गया	निकाल दिया गया
3				3	इमारती पत्थर (बिल्डिंग स्टोन)		
	(क) सैण्डस्टोन एवं क्वार्टजाइट	ललितपुर, बांदा, मिर्जापुर, सोनभद्र, आगरा, प्रयागराज, चित्रकूट, मथुरा और अन्य जिले यदि कोई हों।	रु0 65000.00	(क) सैण्डस्टोन एवं क्वार्टजाइट	ललितपुर, बांदा, मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, मथुरा और अन्य जिले यदि कोई हों।	रु0 97500.00	
	(ख) ग्रेनाइट, डोलोस्टोन	झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा, जालौन, सोनभद्र और अन्य जिले यदि कोई हों।	रु0 120000.00	(ख) ग्रेनाइट, डोलोस्टोन	झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा, जालौन, सोनभद्र और अन्य जिले यदि कोई हों।	रु0 180000.00	
4.	ऐसे इमारती पत्थर, गिट्टी, (बैलास्ट) बजरी और साधारण	बिजनौर, सहारनपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर और अन्य जिले यदि कोई हों।	(बोल्डर) रु0 90000.00 (बजरी) रु0 90000.00 (साधारण बालू)	4	ऐसे इमारती पत्थर, गिट्टी, (बैलास्ट) बजरी और साधारण	बिजनौर, सहारनपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर और अन्य जिले यदि कोई हों।	रु0 135000.00 0 (बोल्डर) रु0 135000.00 0 (बजरी) रु0 60000.00

	बालू जो मिली जुली अवस्था में नदी के तल पर मिलते हैं।	₹0 40000.00 प्रत्येक खनिज पर अलग अलग दर लागेगी।		बालू जो मिली जुली अवस्था में नदी के तल पर मिलते हैं।	(साधारण बालू) प्रत्येक खनिज पर पृथक दर प्रभारित होगी।	
5	मौरम- (एक) नदी तल	हमीरपुर, महोबा, झांसी, बांदा, जालौन, ललितपुर, चित्रकूट, कौशाम्बी (यमुना), फतेहपुर, सोनभद्र एवं अन्य जिले यदि कोई हों	₹0 90000.00	5 मौरम (एक) नदी तल	हमीरपुर, महोबा, झांसी, बांदा, चित्रकूट, जालौन, ललितपुर, कौशाम्बी (यमुना), फतेहपुर, सोनभद्र एवं अन्य जिले यदि कोई हों।	₹0 135000.00
	(दो) पहाड़ों के क्षरण के फलस्वरूप जमा लाल मौरम	₹0 24000.00	(दो) पहाड़ों के क्षरण के कारण जमा लाल मौरम	समस्त जिले जहां उपलब्ध हो	₹0 36000.00	
6	साधारण बालू (प्रथम श्रेणी)	प्रयागराज (यमुना), मिर्जापुर, फिरोजाबाद, आगरा, मेरठ, मऊ, गाजियाबाद, बागपत, गौतमबुद्धनगर, वाराणसी, गोरखपुर, चंदौली, संतरविदास नगर, आजमगढ़,	₹0 50000.00	6 साधारण बालू (प्रथम श्रेणी)	प्रयागराज (यमुना), मिर्जापुर, फिरोजाबाद, आगरा, मेरठ, मऊ, गाजियाबाद, बागपत, गौतमबुद्धनगर, वाराणसी, गोरखपुर, चंदौली, संतरविदास नगर,	₹0 75000.00

		कानपुर नगर, बिजनौर, उन्नाव, इटावा, औरैया, बलिया, अयोध्या, बुलन्दशहर, मुजफ्फरनगर, अम्बेडकर नगर, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, संतकबीर नगर, गोण्डा, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, गाजीपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बाराबंकी, सहारनपुर, शामली, हापुड, कासगंज, सम्भल, अमरोहा, कानपुर देहात			आजमगढ़, कानपुर नगर, बिजनौर, उन्नाव, इटावा, औरैया, बलिया, अयोध्या, बुलन्दशहर, मुजफ्फरनगर, अम्बेडकर नगर, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, संतकबीर नगर, गोण्डा, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, गाजीपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बाराबंकी, सहारनपुर, शामली, हापुड, कासगंज, सम्भल, अमरोहा, कानपुर देहात		
7	साधारण बालू (द्वितीय श्रेणी)	शाहजहांपुर, मथुरा, मुरादाबाद, बदायूं, रामपुर, लखनऊ, अलीगढ़, हरदोई, रायबरेली, फतेहपुर (गंगा), कौशाम्बी (गंगा), प्रयागराज (गंगा), प्रतापगढ़, एटा, बरेली, सुल्तानपुर, सीतापुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, पीलीभीत, मैनपुरी, हाथरस, जौनपुर, लखीमपुर खीरी, अमेठी।	रु0 30000.00	7	साधारण बालू (द्वितीय श्रेणी)	शाहजहांपुर, मथुरा, मुरादाबाद, बदायूं, रामपुर, लखनऊ, अलीगढ़, हरदोई, रायबरेली, फतेहपुर (गंगा), कौशाम्बी (गंगा), प्रयागराज (गंगा), प्रतापगढ़, एटा, बरेली, सुल्तानपुर, सीतापुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, पीलीभीत, मैनपुरी, हाथरस, जौनपुर, लखीमपुर खीरी, अमेठी।	रु0 45000.00

Uttar Pradesh Shasan
Bhootatva Evam Khanikaram Anubhag-1

In pursuance of provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English translation of notification no. I/1225960/2026 dated 04.02.2026

Notification

No. I/1225960/2026

Lucknow; Dated: 04.02.2026

In exercise of the powers under sub-section (1) of section 15 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (Act No. 67 of 1957) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act No. 10 of 1897), the Governor is pleased to make the following rules, with a view to amend the Uttar Pradesh Minor Minerals (Concession) Rules, 2021, namely:-

THE UTTAR PRADESH MINOR MINERALS (CONCESSION)

(SECOND AMENDMENT) RULES, 2026

- Short title and commencement 1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Minor Minerals (Concession) (Second Amendment) Rules, 2026.
- (2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.
- Amendment of First Schedule 2. In the Uttar Pradesh Minor Minerals (Concession) Rules, 2021 (hereinafter referred to as the "said rules") for the First Schedule set out in Column-I below, the Schedule as set out in Column-II shall be substituted, namely :-

COLUMN-I (Existing Schedule) First Schedule Rate of Royalty (See rule-21)			COLUMN-II (Schedule as hereby substituted) First Schedule Rate of Royalty (See rule-21)		
Sl. No.	Minerals	Rate of Royalty	Sl. No.	Minerals	Rate of Royalty
1	2	3	1	2	3

1.	Limestone	Rs. 150.00 per tonne or Rs. 275.00 per cubic meter	1	Omitted	Omitted
2.	Marble or Marble Chips (Sangmermer)	Rs. 206.00 per tonne or Rs. 405.00 per cubic meter	2.	Marble or Marble Chips (Sangmermer)	Rs. 206.00 per tonne or Rs. 405.00 per cubic meter
3.	Brick earth	Nil	3.	Brick earth	Nil
4.	Building Stone		4.	Building Stone	
(i)	Granite (sized dimensional stone)		(i)	Granite (sized dimensional stone)	
	(a) 1 meter or above size	Rs. 5000.00 per cubic meter		(a) 1 meter or above size	Rs. 6000.00 per cubic meter
	(b) below 1 meter size	Rs. 3000.00 per cubic meter		(b) below 1 meter size	Rs. 4000.00 per cubic meter
(ii)	Sized dimensional stone including slabs and ashlar (sand stone, quartzite)	Rs. 650.00 per cubic meter	(ii)	Sized dimensional stone including slabs and ashlar, (sand stone, quartzite)	Rs. 850.00 per cubic meter
(iii)	Millstone and Hand Chakis (Sand Stone, Quartzite)	Rs. 600.00 per cubic meter	(iii)	Millstone and Hand Chakis (Sand Stone, Quartzite)	Rs. 600.00 per cubic meter
(iv)	Khandas and Boulders		(iv)	Khandas and Boulders	
	(a) Granite and Dolostone sized up to 25cm25cm25cm	Rs. 125.00 per cubic meter		(a) Granite and Dolostone sized up to 25cm25cm25cm	Rs. 125.00 per cubic meter
	(b) Sand stone and Quartzite sized up to	Rs. 100.00 per cubic		(b) Sand stone and Quartzite sized up to	Rs. 100.00 per cubic

25cm25cm25cm	meter	25cm25cm25cm	meter
(v) Ballast (Gitti)		(v) Ballast (Gitti)	
(a) Granite and Dolostone	Rs. 160.00 per cubic meter	(a) Granite and Dolostone	Rs. 165.00 per cubic meter
(b) Sand Stone/ Quartzite	Rs. 110.00 per cubic meter	(b) Sand Stone/ Quartzite	Rs. 140.00 per cubic meter
(c) Stone Dust	Rs. 100.00 per cubic meter	(c) Stone Dust	Rs. 100.00 per cubic meter
5. Morrum		5. Morrum	
(a) available in the river bed	Rs. 150.00 per cubic meter	(a) available in the river bed	Rs. 190.00 per cubic meter
(b) red morrum deposit due to erosion of hills	Rs. 75.00 per cubic meter	(b) red morrum deposit due to erosion of hills	Rs. 100.00 per cubic meter
6. Ordinary sand (Other than sand used for prescribed purposes)		6. Ordinary sand (Other than sand used for prescribed purposes)	
(a) First Category (Found in districts mentioned in schedule second)	Rs. 65.00 per cubic meter	(a) First Category (Found in districts mentioned in schedule second)	Rs. 80.00 per cubic meter
(b) Second Category (Found in districts mentioned in schedule second)	Rs. 55.00 per cubic meter	(b) Second Category (Found in districts mentioned in schedule second)	Rs. 70.00 per cubic meter
7. Bajri (Single)	Rs. 110.00 per cubic meter	7. (i) Bajri (Single) (ii) Sand/ Bajri/ Boulder in mixed state (R.B.M.)	Rs. 110.00 per cubic meter Rs. 160.00 per cubic meter
8. Ordinary Clay or Ordinary earth	Nil	8. Ordinary Clay or Ordinary earth	Nil
9. Pyrophyllite	Rs. 300.00 per tonne	9. Pyrophyllite	Rs. 340.00 per tonne

10.	Diaspore	Rs. 500.00 per tonne	10.	Diaspore	Rs. 525.00 per tonne
11.	Silica Sand	Rs. 100.00 per tonne	11.	Silica Sand	Rs. 150.00 per tonne
12.	China Clay	12% of Pit mouth value	12.	China Clay	12% of Pit mouth value
13.	Calcite	12% of Pit mouth value	13.	Calcite	12% of Pit mouth value
14.	Quartz	Rs. 100 per tonne	14.	Omitted	Omitted
15.	Any other minor mineral for which the rate of royalty not specified	10% of Pit mouth value	15.	Any other minor mineral for which the rate of royalty not specified	10% of Pit mouth value

Amendment of 3. In the said rules, for the Second Schedule set out in Column-I below, the Schedule as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

COLUMN-I (Existing Schedule)				COLUMN-II (Schedule as hereby substituted)			
Second Schedule Rate of Dead Rent (See rule-22)				Second Schedule - Rate of Dead Rent (See rule-22)			
Sl. No.	Minerals	Name of Districts/River	Rate of Dead Rent per acre per annum	Sl. No.	Minerals	Name of Districts/River	Rate of Dead Rent per acre per annum
1.	Marble and Marble Chips	Sonebhadra and other district if any.	Rs. 40,000.00	1.	Marble, Marble Chips (Sangmermer)	Sonebhadra and other district if any.	Rs. 60,000.00
2.	Limestone	Sonebhadra and	Rs. 40,000.00	2.	Omitted	Omitted	Omitted

		other district if any.				
3.	Building Stone			3.	Building Stone	
(A)	Sand stone and Quartzite	Lalitpur, Banda, Mirzapur, Sonbhadra, Prayagraj Mathura and other districts if any	Rs. 65,000.00	(A)	Sand stone and Quartzite	Lalitpur, Banda, Mirzapur, Sonbhadra, Prayagraj Mathura and other districts if any
(B)	Granite Dolostone	Jhansi, Lalitpur, Hamirpur, Mahoba, Banda, Jalaun, Sonbhadra and other districts if any	Rs. 1,20,000.00	(B)	Granite Dolostone	Jhansi, Lalitpur, Hamirpur, Mahoba, Banda, Jalaun, Sonbhadra and other districts if any
4.	Such Building Stone, Ballast, Bajri and Ordinary Sand as are found in mixed form in the river bed.	Bijnor, Saharanpur, Bahrich, Lakhimpur khiri, Balrampur and other districts if any	Rs. 90,000.00 (Boulder) Rs. 90,000.00 (Bajri) Rs. 40,000.00 (Ordinary Sand) The separate rate will be charged on each minerals.	4.	Such Building Stone, Ballast, Bajri and Ordinary Sand as are found in mixed form in the river bed.	Bijnor, Saharanpur, Bahrich, Lakhimpur khiri, Balrampur and other districts if any
						Rs. 1,35,000.00 (Boulder) Rs. 1,35,000.00 (Bajri) Rs. 60,000.00 (Ordinary Sand) The separate rate will be charged on each minerals.

5.	Morrum			5.	Morrum	
(I)	River bed	Hamirpur, Mahoba, Jhansi, Banda, Chitrakoot, Jalaun, Lalitpur, Kaushambi (Yamuna) Fatehpur, Sonbhadra and other districts if any	Rs. 90,000.00	(I)	River bed	Hamirpur, Mahoba, Jhansi, Banda, Chitrakoot, Jalaun, Lalitpur, Kaushambi (Yamuna) Fatehpur, Sonbhadra and other districts if any
(II)	Red morrur deposit due to erosion of hills	All districts where available.	Rs. 24,000.00	(II)	Red morrum deposit due to erosion of hills	All districts where available.
6.	Ordinary sand Category-I	Prayagraj (Yamuna), Mirzapur, Firozabad, Agra, Meerut, Mau, Ghaziabad, Bagpat, Gautam buddh nagar Varanasi, Gorakhpur, Chandauli, Sant Ravidas Nagar, Azamgarh, Kanpur nagar, Bijnor, Unnao, Etawah, Auraiya,	Rs. 50,000.00	6.	Ordinary sand Category-I	Prayagraj (Yamuna), Mirzapur, Firozabad, Agra, Meerut, Mau, Ghaziabad, Bagpat, Gautam buddh nagar Varanasi, Gorakhpur, Chandauli, Sant Ravidas Nagar, Azamgarh, Kanpur nagar, Bijnor, Unnao, Etawah, Auraiya,

		Ballia, Ayodhya, Bulandsahar, Muzaffarnagar, Ambedkar nagar, Deoria, Kushinagar, Basti, Santkabir nagar, Gonda, Maharajganj, Sidharth nagar, Balrampur, Gazipur, Bahrich, Sharawasti, Barabanki, Saharanpur, Shamli, Hapur, Kasganj, Sambhal, Amroha,			Ballia, Ayodhya, Bulandsahar, Muzaffarnagar, Ambedkar nagar, Deoria, Kushinagar, Basti, Santkabir nagar, Gonda, Maharajganj, Sidharth nagar, Balrampur, Gazipur, Bahrich, Sharawasti, Barabanki, Saharanpur, Shamli, Hapur, Kasganj, Sambhal, Amroha,		
7.	Ordinary sand Category-II	Kanpur Dehat Shahjahanpur, Mathura, Moradabad, Badaun, Rampur, Lucknow, Aligarh, Hardoi, Raebareliy, Fatehpur (Ganga), Kaushambi (Ganga), Prayagraj (Ganga),	Rs. 30,000.00	7.	Ordinary sand Category-II	Kanpur Dehat Shahjahanpur, Mathura, Moradabad, Badaun, Rampur, Lucknow, Aligarh, Hardoi, Raebareliy, Fatehpur (Ganga), Kaushambi (Ganga), Prayagraj (Ganga),	Rs. 45,000.00

		Pratapgarh, Etah, Bareilly, Sultanpur, Sitapur, Farukhabad, Kannauj, Pilibhit, Mainpuri, Hathras, Jaunpur, Lakhimpur kheri, Amethi			Pratapgarh, Etah, Bareilly, Sultanpur, Sitapur, Farukhabad, Kannauj, Pilibhit, Mainpuri, Hathras, Jaunpur, Lakhimpur kheri, Amethi		
8.	Ordinary Clay or Ordinary earth	In all districts where available.	Rs. 10,000.00	8.	Ordinary Clay or Ordinary earth	In all districts where available.	Rs. 15,000.00
9.	Pyrophyllite, Diaspore, Silica Sand, China Clay, Calcite and other minor minerals	In all districts where available.	Rs. 20,000.00	9.	Pyrophyllite, Diaspore, Silica Sand, China Clay, Calcite and other minor minerals	In all districts where available.	Rs. 30,000.00

By order,

Digitally signed by
MALA SRIVASTAVA
(Mala Srivastava)
Date: 01-02-2026
11:51:22
Secretary.

कार्यालय

जिलाधिकारी

बुलन्दशहर।

पत्रांक: १२/०५-२३३/२६

दिनांक 16/05/26

कार्यालय आदेश

सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक-एच 41066/सी-3/एनजीटी/2026 दिनांक 15.05.2026 के साथ संलग्न मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-233/2026 संदीप नागर बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० एवं अन्य में मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.04.2026 के सुसंगत अंश निम्नवत् है:-

".....8. In view of the averments in the application, we consider it appropriate to have response of (1) State of Uttar Pradesh through Principal Secretary, Environment, Forest and Climate Change, Government of U.P.; (2) Principal Secretary, Irrigation and Water Resources Department, Uttar Pradesh; (3) District Magistrate, Meerut; (4) District Magistrate, Muzaffarnagar; (5) District Magistrate, Bulandsahar and (6) Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) through Member Secretary who are impleaded as respondents no. 1 to 6.

9. The Registry is directed to prepare and attach memo of parties to the application and to issue notices to respondents no. 1 to 6 along with copy of the original application and documents attached with the same.

12. Replies/responses by respondents no. 1 to 6 may be filed within two months.

13. In view of the facts and circumstances of the case, we consider it appropriate that a Joint Committee be constituted with direction to verify the factual position and to suggest appropriate remedial measures. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of representatives of Principal Secretary, Environment, Forest and Climate Change, Government of U.P., Principal Secretary, Irrigation and Water Resources Department, Uttar Pradesh, Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB), District Magistrate, Meerut, District Magistrate, Muzaffarnagar and District Magistrate, Bulandshahar and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and suggest appropriate remedial action and to submit its report within one month to this Tribunal and send a copy of the report to the concerned authorities who shall be bound to take appropriate action in accordance with law and Principles of Natural Justice by giving opportunity of being heard to the concerned project proponent and to submit action taken report within next one month.

14. The Member Secretary, UPPCB will be the nodal agency for coordination and compliance regarding submission of the report of the Joint Committee and filing of action taken reports by the concerned authorities.

15. List on 28.05.2026 for further consideration.

मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन हेतु जनपद-बुलन्दशहर क्षेत्रान्तर्गत तहसील स्याना एवं अनूपशहर में प्रवाहित गंगा कैनाल, अनूपशहर खण्ड, मेरठ से सम्बन्धित शिकायती प्रकरण में शिकायती स्थल का निरीक्षण करने, शिकायतकर्ता द्वारा की गयी शिकायत की तथ्यात्मक जाँच एवं वास्तविक स्थिति का सत्यापन कर यथोचित उपचारात्मक कार्यवाही की आख्या मा० अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु निम्न समिति का गठन किया जाता है:-

1. उप जिलाधिकारी, स्याना/अनूपशहर, जनपद बुलन्दशहर।
2. अधिशासी अभियन्ता, अनूपशहर खण्ड गंगा नहर, मेरठ।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बुलन्दशहर।

260

उक्त समिति मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन में शिकायतकर्ता द्वारा की गयी शिकायत की तथ्यात्मक जाँच एवं वास्तविक स्थिति का सत्यापन करते हुये यथोचित उपचारात्मक कार्यवाही की आख्या एक सप्ताह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, जिससे कि ससमय कार्यवाही की आख्या मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण को प्रस्तुत की जा सके।

6.5.20
 (कुमार हर्ष)
 जिलाधिकारी
 बुलन्दशहर
 दिनांक:-

पृष्ठांकन सं0-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), बुलन्दशहर।
3. सम्बन्धित अधिकारियों को अनुपालनार्थ।

जिलाधिकारी
 बुलन्दशहर

माननीय न्यायालय, राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 233/2026 संदीप नागर बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 में पारित आदेश दिनांक 24.04.2026 के अनुपालना में निरीक्षण आख्या।


उपरोक्त विषयक माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 233/2026 संदीप नागर बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 में मा0 अधिकरण द्वारा दिनांक 24.04.2026 को आदेश पारित किय गये, जिसके सुसंगत अंश निम्नवत् है।

"..... 2. The Applicant has raised grievances regarding huge quantity of silt being deposited on the side of road while desilting of the 120km long Ganga Canal travelling from Village Jolly of Janpad Mujaffarnagar to Aupshahr of Janpad Bulandshahr, Anupshahr Shakha by khand Meerut, in violation of environmental norms thereby causing damage to environment due to dust pollution and serious health hazard to local residents and posing inconvenience in movement of vehicles.

8. In view of the averments in the application, we consider it appropriate to have response of (1) State of Uttar Pradesh through Principal Secretary, Environment, Forest and Climate Change, Government of U.P.; (2) Principal Secretary, Irrigation and Water Resources Department, Uttar Pradesh; (3) District Magistrate, Meerut; (4) District Magistrate, Muzaffarnagar; (5) District Magistrate, Bulandsahar and (6) Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) through Member Secretary who are impleaded as respondents no. 1 to 6.

13. In view of the facts and circumstances of the case, we consider it appropriate that a Joint Committee be constituted with direction to verify the factual position and to suggest appropriate remedial measures. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of representatives of Principal Secretary, Environment, Forest and Climate Change, Government of U.P., Principal Secretary, Irrigation and Water Resources Department, Uttar Pradesh, Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB), District Magistrate, Meerut, District Magistrate, Muzaffarnagar and District Magistrate, Bulandshahar and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and suggest appropriate remedial action and to submit its report within one month to this Tribunal and send a copy of the report to the concerned authorities who shall be bound to take appropriate action in accordance with law and Principles of Natural Justice by giving opportunity of being heard to the concerned project proponent and to submit action taken report within next one month.

16. List on 28.05.2026 for further consideration."


(मनमोहन सिंह)
अधिशाली अभियन्ता
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर
मेरठ






Sam (5)

262

उक्त आदेशों के अनुपालन हेतु जिलाधिकारी, बुलन्दशहर के पत्रांक 72/ओ0जी0-272 /2026 दिनांक 16.05.2026 द्वारा स्थलीय निरीक्षण किये जाने हेतु निम्नवत् समिति गठित की गयी:-

- 1-उपजिलाधिकारी तहसील स्याना, जनपद बुलन्दशहर।
- 2-उपजिलाधिकारी तहसील अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर।
- 3-क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बुलन्दशहर।
- 4-अधिसासी अभियन्ता अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ।

मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में गठित समिति द्वारा जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत अनूपशहर शाखा नहर के कि0मी0 87.290 से कि0मी0 131.940 तक मध्य का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 20.05.2026 को किया गया, जिसमें श्री मनमोहन सिंह अधिसासी अभियन्ता अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ द्वारा निरीक्षण के समय अवगत कराया गया कि अनूपशहर शाखा नहर ग्राम जोली जनपद मुजफ्फरनगर में अपर गंगा नहर के कि0मी0 81.118 बाएं बैंक से निकलती है, जिसकी कुल लम्बाई 205.950 कि0मी0 है। अनूपशहर शाखा के कि0मी0 0.000 कि0मी0 131.940 तक नहर का संचालन व रखरखाव अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ द्वारा किया जाता है। अनूपशहर शाखा नहर निम्नलिखित चार जनपदों की सीमा के अन्तर्गत आती है।

क्र0सं0	जनपद का नाम	अनूपशहर शाखा नहर लम्बाई में।
01	मुजफ्फरनगर।	कि0मी0 0.000 से कि0मी0 22.930 तक
02	मेरठ।	कि0मी0 22.930 से कि0मी0 65.570 तक
03	हापुड।	कि0मी0 65.570 से कि0मी0 87.290 तक
04	बुलन्दशहर।	कि0मी0 87.290 से कि0मी0 131.940 तक

अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ की स्वीकृत परियोजना अनूपशहर शाखा नहर के कि0मी0 0.000 से कि0मी0 131.940 तक क्षमता पुर्नस्थापना एवं पक्की संरचनाओं की मरम्मत कार्यों की परियोजना के अन्तर्गत अनूपशहर शाखा के कि0मी0 0.000 से 131.940 कि0मी0 तक नहर के आन्तरिक अनुभाग में सिल्ट सफाई का कार्य पूर्ण लम्बाई में माह नवम्बर-दिसम्बर 2025 में पूर्ण किया गया है।

उक्त रीच पर नहर की सफाई से निकली अतिरिक्त सिल्ट की नीलामी शासनादेश संख्या-12/2020/2496/86-2019-46 (सामान्य)/2019 भूत्तव एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊ दिनांक 31.12.2019 के अनुक्रम में जिलाधिकारी जनपद बुलन्दशहर द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी (वि.रा.) जनपद बुलन्दशहर की अध्यक्षता में गठित समिति के


(मनमोहन सिंह)
अधिसासी अभियन्ता
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर
मेरठ









माध्यम से नीलामी की कार्यवाही की जा रही है, जिसमें कुल पांच बार ई-नीलामी के माध्यम से निविदा आमंत्रित की गई, जिसमें तीन अवसरों पर शून्य निविदा प्राप्त हुई एवं दो अवसरों पर प्राप्त निविदा ई-नीलामी हेतु आवश्यक शर्तोंनुसार एवं गठित समिति द्वारा लिए गये निर्णय के अनुक्रम में विचार योग्य नहीं थी। वर्तमान में अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ द्वारा सिल्ट की ई-नीलामी हेतु दिनांक 21.05.2026 को नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। यह भी उल्लेखनीय है कि जनपद हापुड में पडने वाली अनूपशहर शाखा नहर की रींच की सिल्ट सफाई के कार्य से निकाली गई सिल्ट की ई-नीलामी के उपरान्त वर्तमान तक ₹0 25,65,409.00 मात्र का राजस्व प्राप्त हो चुका है (चालान की प्रतिया संलग्न)।

अधिसासी अभियन्ता अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि वादी संदीप नागर ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 20.12.2025 में जो फोटोग्राफ संलग्न किये गये हैं वह कार्य के दौरान के फोटोग्राफ हैं, जिसका मौका स्थल अनूपशहर शाखा नहर के कि०मी० 38.800 ग्राम कुडी कमालपुर तहसील मवाना जनपद मेरठ का है। वादी संदीप नागर द्वारा कार्य पूर्ण होने से पूर्व ही मा० माननीय न्यायालय, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) नई दिल्ली में शिकायत दर्ज करा दी गई थी।

जनपद बुलन्दशहर के सीमा के अन्तर्गत आने वाली अनूपशहर शाखा नहर कि०मी० 87.290 से कि०मी० 131.940 के मध्य दिनांक 20.05.2026 को गठित समिति द्वारा शाखा नहर की पूर्ण लम्बाई में किये गये निरीक्षण के दौरान पाया गया कि नहर की सफाई के दौरान जो सिल्ट निकाली गई उससे अनूपशहर शाखा के कि०मी० 87.290 से कि०मी० 90.600 तक डोला निर्माण कराया गया है तथा शेष सिल्ट का उचित डिस्पोजल नहर के दाएं व बाएं बैंक पर किया गया है। अनूपशहर शाखा नहर के कि०मी० 90.600 से कि०मी० 101.730 के मध्य नहर की सफाई के दौरान निकली सिल्ट, नहर के बाएं एवं दाएं बैंक पर रखी गई है। उक्त रींच में नहर सेवा मार्ग पर क्रश बैरियर लगा हुआ है, अधिकांश जगहों पर सिल्ट क्रश बैरियर के पीछे नहर की तरफ रखी पायी गई, परन्तु कुछ स्थल पर सिल्ट क्रश बैरियर के बाहर भी रखी पाई गई। अनूपशहर शाखा नहर के कि०मी० 101.730 से कि०मी० 110.000 के मध्य सिल्ट दाएं एवं बाएं बैंक पर पड़ी पाई गई। उक्त रींच में सिल्ट के डिस्पोजल हेतु उचित स्थल न होने के कारण डोला निर्माण का कार्य शेष है, सिल्ट

(मनमोहन सिंह)
अधिसासी अभियन्ता
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर
मेरठ





नीलामी उपरान्त उक्त कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। अनूपशहर शाखा नहर के कि०मी० 110.000 से कि०मी० 121.500 के मध्य डोला बना हुआ पाया गया, एवं नहर के दाएं व बाएं बैंक पर रखी सिल्ट का डिस्पोजल ठीक पाया गया। अनूपशहर शाखा नहर के कि०मी० 121.500 से कि०मी० 131.940 के मध्य सिल्ट दाएं एवं बाएं बैंक पर पड़ी है एवं इस लम्बाई में पक्की सड़क की चौड़ाई 3.00 मी० से कम होने के कारण आने-जाने वाले वाहन जब पक्की सड़क पर चलने के दौरान कच्ची सड़क की तरफ उतर जाते हैं, तब कच्ची सड़क पर पड़ी सिल्ट उड़ने लगती है। निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया की अधिकांश जगह नहर के दाएं व बाएं बैंक पर पड़ी सिल्ट पर और डोले पर प्राकृतिक रूप से वनस्पति उग आई है जिससे सिल्ट मजबूती से जम गई है।

निष्कर्ष


अनूपशहर शाखा नहर के किनारों अधिकांश जगह नहर के दाएं व बाएं बैंक पर पड़ी सिल्ट पर व डोले पर प्राकृतिक रूप से वनस्पति उग जाने के कारण सिल्ट मजबूती से जम गई है, जिससे धूल उड़ने की समस्या नहीं हो रही है। अनूपशहर शाखा नहर के कि०मी० 121.500 से कि०मी० 131.940 के मध्य पक्की सड़क की चौड़ाई 03 मी० से कम होने के कारण जब वाहन पक्की सड़क से कच्ची सड़क की तरफ उतर जाते हैं, तब वाहनों के आवागमन से धूल उड़ने लगती है।


उक्त के क्रम में संबंधित अधिशासी अभियन्ता को अनूपशहर शाखा नहर के कि०मी० 87.290 से कि०मी० 131.940 के मध्य किनारों पर पड़ी सिल्ट की नीलामी प्रक्रिया को तेज करने एवं शेष अपूर्ण कार्यों को शीघ्र-अतिशीघ्र पूर्ण कराये जाने हेतु निर्देशित कर दिया गया है, साथ ही जिन स्थलों पर धूल उड़ने की समस्या है, उन स्थलों पर तत्काल सिल्ट का उचित निस्तारण करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

संलग्नक:-


1:-निरीक्षण के फोटोग्राफ्स।


2:-अधिशासी अभियन्ता अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ द्वारा उपलब्ध कराये गये नीलासी प्रक्रिया से सम्बन्धित अभिलेखों की प्रतिया।


(विमल कुमार)
क्षेत्रीय अधिकारी
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
बुलन्दशहर।


(मममोहन सिंह)
अधिशासी अभियन्ता
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा
नहर मेरठ।


(संजय कुमार)
तहसीलदार
अनूपशहर, बुलन्दशहर।


(प्रियंका कुमारी)
उपजिलाधिकारी
अनूपशहर, बुलन्दशहर।


(लाल जी विश्वकर्मा)
उपजिलाधिकारी
स्याना, बुलन्दशहर।

265

कोषागार प्रपत्र-201 (1)

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-2

प्रपत्र संख्या-43ए (1)

(प्रस्तर 417 एवं 478 देखिए)

धनराशि जमा करने का चालान फार्म

उपकोषागार बैंक का नाम व शाखा	इन्डियन बैंक (इलाहाबाद बैंक), हापुड
1. जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो) या संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम	मै० महादेव एन्टरप्राइजेज, प्रो०-श्री परमजीत सिंह पुत्र श्री मानसिंह
2. पता	निवासी ग्राम बडढा तहसील गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड
3. पंजीकरण संख्या/पक्ष का नाम व वाद संख्या (यदि आवश्यक हो)	जनपद हापुड के गढमुक्तेश्वर तहसील में अनूपशहर शाखा नहर के कि०मी० 73.000 से कि०मी० 77.969 तक मध्य दोनो बैंकों पर अतिरिक्त पडी हुई सिल्ट/मिट्टी की नीलामी से निकलने वाली सा० मृदा/सिल्ट की नीलामी धनराशि
4. जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है।	
5. चालान की सकल राशि	10,81,250 /-
6. चालान की निबल राशि	10,81,250 /-
8. लेखा शीर्षक का पूर्ण विवरण, लेखा शीर्षक की मुहर	

9. लेखा शीर्षक का 13 डिजिट कोड

मुख्य लेखा-शीर्षक उप मुख्य-शीर्षक लघु-शीर्षक उप-शीर्षक ब्यौरेवार शीर्षक (धनराशि अंको में)

0	8	5	3	0	0	1	0	2	0	1	0	0	10,81,250 /-
									0	0	0	0	

धनराशि (शब्दों में) अंकन दस लाख इक्यासी हजार दो सौ पचास मात्र

योग

10,81,250/-

चालान में लेखा शीर्षक को पुष्टि करने वाले विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

(हस्ताक्षर)
मन निरीक्षक
हापुड।

जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

केवल उपकोषागार/बैंक के प्रयोगार्थ

चालान सं०-39
दिनांक :-

इन्डियन बैंक/Indian Bank (भारत) में रु०
Branch Haupp शब्दों में रु०
12 MAR 2025
नकद प्राप्त/CASH RECEIVED
रु०/RS. 10,81,250

(हस्ताक्षर)
(मनमोहन सिंह)

अधिशाली अभियन्ता

अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर
मेरठ

कोषागार 266-201 (1)

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-2

प्रपत्र संख्या-43ए (1)

(प्रस्तर 417 एवं 478 देखिए)

धनराशि जमा करने का चालान फार्म

उपकोषागार बैंक का नाम व शाखा
1. जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो) या संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम
2. पता
3. पंजीकरण संख्या/पक्ष का नाम व वाद संख्या (यदि आवश्यक हो)
4. जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण
5. चालान की सकल राशि
6. चालान की निबल राशि
8. लेखा शीर्षक का पूर्ण विवरण, लेखा शीर्षक की मुहर

इन्डियन बैंक (इलाहाबाद बैंक), हापुड
श्री अरविन्द कुमार कॉन्ट्रेक्टर
निवासी म0न0-557 प्रति विहार बुलन्दशहर
जनपद हापुड के गढमुक्तेश्वर तहसील में अनूपशहर शाखा नहर के कि0मी0 69.425 से कि0मी0 73.000 तक मध्य दोनो बैंकों पर अतिरिक्त पडी हुई सिल्ट/मिट्टी की नीलामी से निकलने वाली सा0 मृदा/सिल्ट की नीलामी धनराशि
14,84,159 /-
14,84,159 /-

9. लेखा शीर्षक का 13 डिजिट कोड

853 अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग

मुख्य लेखा-शीर्षक उप मुख्य-शीर्षक लघु-शीर्षक उप-शीर्षक ब्यौरेवार शीर्षक (धनराशि अंको में)

0	8	5	3	0	0	1	0	2	0	1	0	0	14,84,159 /-
									0	0	0	0	

धनराशि (शब्दों में) अंकन चौदह लाख चौरासी हजार एक सौ उनसठ मात्र योग 14,84,159/-

चालान में लेखा शीर्षक को पुष्टि करने वाले विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित



जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

इन्डियन बैंक/Indian Bank (4146)

केवल उपकोषागार/बैंक के प्रयोगार्थ

चालान सं0-4
दिनांक :-

अंको में रू0
शब्दों में रू0

06 APR 2026
ALLAHABAD
Signal
Deposit
Date
Amount Rs
Serial No.


(मनमोहन सिंह)
अधिशाली अभियन्ता
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर
मेरठ

जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत 267 अनूपशहर शाखा नहर के कि०मी० 87.290 से कि०मी० 131.940 के मध्य किये गये निरीक्षण के फोटोग्राफ।



(मनमोहन सिंह)
अधिसासी अभियन्ता
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर
मेरठ

विमल कुमार
क्षेत्रीय अधिकारी
उ०प्र० प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड
बुलन्दशहर

हसीलदार
अनूपशहर

SDM



Latitude: 28.562138
 Longitude: 78.118142
 Elevation: 195.28±5.6 m
 Accuracy: 3.0 m
 Azimuth: 318° (NW)
 Pitch: -10.8° (1.7°)
 Time: 20-05-2026 14:53
 Note: AB Canal 100.00

Powered by AngoSam



Latitude: 28.549805
 Longitude: 78.12526
 Elevation: 193.54±8.7 m
 Accuracy: 3.0 m
 Azimuth: 319° (NW)
 Pitch: -5.4° (-1.9°)
 Time: 20-05-2026 15:00
 Note: AB Canal 101.900

Powered by AngoSam

(मनमोहन सिंह)
 अधिशासी अभियन्ता
 अनुपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर उ०प्र० प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड
 मेरठ

विमल कुमार
 क्षेत्रीय अधिकारी
तहसीलदार
 अनुपशहर
 बुलन्दशहर

6
 30m



Latitude: 28.562138
 Longitude: 78.118142
 Elevation: 195.28±5.6 m
 Accuracy: 3.0 m
 Azimuth: 318° (NW)
 Pitch: -10.8° (1.7°)
 Time: 20-05-2026 14:53
 Note: AB Canal 100.00

Powered by AngleScan



Latitude: 28.549805
 Longitude: 78.12526
 Elevation: 193.54±8.7 m
 Accuracy: 3.0 m
 Azimuth: 319° (NW)
 Pitch: -5.4° (-1.9°)
 Time: 20-05-2026 15:00
 Note: AB Canal 101.900

Powered by AngleScan

(मनमोहन सिंह)
 अधिशासी अभियन्ता
 अनुपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर उ०प्र०
 मेरठ

विमल कुमार
 क्षेत्रीय अधिकारी
 प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड
 बुलन्दशहर

तहसीलदार
 अनुपशहर

6/5/26



(मनमोहन सिंह)
 अधिशासी अभियन्ता
 अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर
 मेरठ

विमल कुमार
 क्षेत्रीय अधिकारी
 उ०प्र० प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड
 बुलन्दशहर

तहसीलदार
 अनूपशहर



(मनमोहन सिंह)
 अधिशासी अभियन्ता
 अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर
 मेरठ

विमल कुमार
 क्षेत्रीय अधिकारी
 उ०प्र० प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड
 बुलन्दशहर

तहसीलदार
 अनूपशहर

SDM



(सनमीहन सिंह)
 अधिशासी अभियन्ता
 अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर
 मेरठ

विमल कुमार
 क्षेत्रीय अधिकारी
 उ०प्र० प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड
 अनूपशहर

तहसीलदार



(मनमोहन सिंह)
 अधिशासी अभियन्ता
 अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर
 मेरठ

विमल कुमार
 क्षेत्रीय अधिकारी
 उ०प्र० प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड
 बुलन्दशहर

तहसीलदार
 अनूपशहर



(मनमोहन सिंह)
अधिसासी अभियन्ता
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर
मेरठ

विमल कुमार
क्षेत्रीय अधिकारी
उ०प्र० प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड
बुलन्दशहर

तहसीलदार
अनूपशहर



Latitude: 28.322932
 Longitude: 78.222997
 Elevation: 213.79±4.38 m
 Accuracy: 230.5 m
 Time: 20-05-2026 11:17
 Note: AB Canal km. 129.500 Enc

Powered by NoteCam



Time: 20-05-2026 11:12
 Note: AB Canal km. 130.100 Roopvaas


Powered by NoteCam

(मलमोहम सिंह)
 अधिशासी अभियन्ता
 अनुपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर उ०प्र० प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड
 मेरठ बुलन्दशहर


विमल कुमार
 क्षेत्रीय अधिकारी
 उ०प्र० प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड
 बुलन्दशहर

तहसीलदार
 अनुपशहर



GPS Map Camera
Aniwass, Uttar Pradesh, India 
 9676+qrx, Aniwass, Uttar Pradesh 203390, India
 Lat 28.364725° Long 78.211721°
 GMT +05:30
 Aniwass GPS Map Camera



GPS Map Camera
Shahjahanpur, Uttar Pradesh, India 
 86x7+3g3, Shahjahanpur, Uttar Pradesh 203390, India
 Lat 28.348201° Long 78.214989°
 GMT +05:30
 Shahjahanpur Bridge GPS Map Camera


 RO-UPPCB
 BSR


 UPID.


 उपजिलाधिकारी
 अनूपशहर

जनपद बुलन्दशहर में अनूपशहर शाखा नहर के 87.290 से कि०मी० 131.940 तक मध्य अतिरिक्त सिल्ट/मिट्टी की ई-नीलामी प्रक्रिया निम्नानुसार है।

जनपद बुलन्दशहर में अनूपशहर शाखा नहर के कि०मी० 87.290 से कि०मी० 131.940 तक मध्य दोनो बैंको, पटरी दायी व पटरी बायी पर पड़ी सिल्ट/मिट्टी की नीलामी/निस्तारण हेतु शासनादेश संख्या-12/2020/2496/86-2019-46(सामान्य)/2019 भूत्त्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊ दिनांक 31.12.2019 (संलग्नक-01) के आलोक में जिलाधिकारी जनपद बुलन्दशहर द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी (वि.रा.) जनपद बुलन्दशहर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा सिल्ट/मिट्टी के दर निर्धारण हेतु कार्यवृत्त दिनांक 07.01.2026 (संलग्नक-02) को जारी किया गया। कार्यवृत्त अनुसार अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ द्वारा अल्पकालीन ई-नीलामी सूचना सं०-07/ई०ई०/2025-26 (संलग्नक-03) के अन्तर्गत जनपद बुलन्दशहर में अनूपशहर शाखा नहर के कि०मी० 87.290 से कि०मी० 131.940 तक मध्य दोनो बैंको पर पड़ी सिल्ट/मिट्टी की नीलामी ऑनलाईन ई-निविदा आमंत्रित की गई, जिसकी प्रेस विज्ञप्ति का प्रकाशन दैनिक जागरण अखबार में दिनांक 19.01.2026 को हुआ (संलग्नक-04)।

उक्त ई-नीलामी में प्राप्त ई-निविदा का विवरण निम्नानुसार है।

लॉट सं०	विवरण	निविदा आमंत्रित करने की दिनांक	निविदा खोलने की दिनांक	प्राप्त निविदाओं की संख्या	अभ्युक्ति
1	जनपद बुलन्दशहर के स्थाना एवं अनूपशहर तहसील में अनूपशहर शाखा नहर के कि०मी० 87.290 से कि०मी० 131.940 तक मध्य दोनो बैंको पर अतिरिक्त पड़ी हुई सिल्ट/मिट्टी।	13-01-2026	29-01-2026	लॉट सं०-01-शून्य	संलग्नक-05

उक्त अल्पकालीन ई-नीलामी सूचना संख्या के सापेक्ष कोई भी निविदा प्राप्त नहीं हुई।

उक्त ई-नीलामी में निविदा प्राप्त न होने के कारण अतिरिक्त एक बार (Retender) पुनः ई-निविदा आमंत्रित की गई, जिसमें भी कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई (संलग्नक-06)। विवरण निम्नानुसार है।

(Retender) पुनः आमंत्रित की गई ऑनलाईन ई-निविदा का विवरण।

क्र०सं०	निविदा आमंत्रित करने की दिनांक	निविदा खोलने की दिनांक	प्राप्त निविदाओं की संख्या	अभ्युक्ति
1	30-01-2026	07-02-2026	शून्य	संलग्नक-07

उक्त अल्पकालीन निविदा सूचना संख्या के अन्तर्गत कुल दो अवसरों पर शून्य निविदा प्राप्त होने के दृष्टिगत उक्त सिल्ट/मिट्टी के त्वरित नीलामी/निस्तारण हेतु शासनादेश संख्या-12/2020/2496/86-2019-46 (सामान्य) 2019 भूत्त्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊ दिनांक 31.12.2019 (संलग्नक-01) के आलोक में जिलाधिकारी जनपद बुलन्दशहर द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी (वि.रा.) जनपद बुलन्दशहर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत रींच को पृथक-पृथक छः भागों में बाटकर एक नवीन अल्पकालीन ई-नीलामी सूचना संख्या आमंत्रित करने का समिति द्वारा निर्णय लिया गया (संलग्नक-08)।


 (मनमोहन सिंह)
 अधिशासी अभियन्ता
 अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर
 मेरठ

उक्त समिति द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में पूर्व आमंत्रित अल्पकालीन ई-नीलामी सूचना सं०-07/ई०ई०/2025-26 को निरस्त किया गया (संलग्नक-09), एवं एक नवीन अल्पकालीन ई-नीलामी सूचना सं०-14/ई०ई०/2025-26 के अन्तर्गत छः लॉट्स में ई-निविदा आमंत्रित की गई (संलग्नक-10), जिसकी प्रेस विज्ञप्ति का प्रकाशन दैनिक जागरण अखबार में दिनांक 14.03.2026 को हुआ (संलग्नक-11)। उक्त ई-नीलामी में प्राप्त ई-निविदा का विवरण निम्नानुसार है।

लॉट सं०	विवरण	निविदा आमंत्रित करने की दिनांक	निविदा खोलने की दिनांक	प्राप्त निविदाओं की संख्या
1	जनपद बुलन्दशहर के स्याना तहसील में अनूपशहर शाखा नहर के कि०मी० 87.290 से कि०मी० 93.060 तक मध्य दोनो बैंको पर अतिरिक्त पड़ी हुई सिल्ट/मिट्टी।	05-03-2026	24-03-2026	लॉट सं०-01-शून्य
2	जनपद बुलन्दशहर के स्याना तहसील में अनूपशहर शाखा नहर के कि०मी० 93.060 से कि०मी० 105.600 तक मध्य दोनो बैंको पर अतिरिक्त पड़ी हुई सिल्ट/मिट्टी।	05-03-2026	24-03-2026	लॉट सं०-02-शून्य
3	जनपद बुलन्दशहर के स्याना तहसील में अनूपशहर शाखा नहर के कि०मी० 105.600 से कि०मी० 114.575 तक मध्य दोनो बैंको पर अतिरिक्त पड़ी हुई सिल्ट/मिट्टी।	05-03-2026	24-03-2026	लॉट सं०-03-शून्य
4	जनपद बुलन्दशहर के अनूपशहर तहसील में अनूपशहर शाखा नहर के कि०मी० 114.575 से कि०मी० 120.670 तक मध्य दोनो बैंको पर अतिरिक्त पड़ी हुई सिल्ट/मिट्टी।	05-03-2026	24-03-2026	लॉट सं०-04-शून्य
5	जनपद बुलन्दशहर के अनूपशहर तहसील में अनूपशहर शाखा नहर के कि०मी० 120.670 से कि०मी० 126.400 तक मध्य दोनो बैंको पर अतिरिक्त पड़ी हुई सिल्ट/मिट्टी।	05-03-2026	24-03-2026	लॉट सं०-05-02 नं०
6	जनपद बुलन्दशहर के अनूपशहर तहसील में अनूपशहर शाखा नहर के कि०मी० 126.400 से कि०मी० 131.940 तक मध्य दोनो बैंको पर अतिरिक्त पड़ी हुई सिल्ट/मिट्टी।	05-03-2026	24-03-2026	लॉट सं०-06-शून्य

लॉट सं०-05 के अन्तर्गत प्राप्त 02 न० निविदाओं पर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव समिति के समक्ष निर्णय लेने हेतु प्रस्तुत किया गया, एवं लॉट सं०-01, 02, 03, 04, व लॉट सं०-05 पर निविदा प्राप्त न होने के कारण (Retender) पुनः ई-निविदा आमंत्रित की गई, (संलग्नक-12) जिसमें भी कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई। विवरण निम्नानुसार है।

प्रथम अवसर पर लॉट सं०-01, 02, 03, 04 व लॉट सं०-6 पर (Retender) पुनः आमंत्रित की गई ऑनलाईन ई-निविदा का विवरण।

लॉट सं०	निविदा आमंत्रित करने की दिनांक	निविदा खोलने की दिनांक	प्राप्त निविदाओं की संख्या
1	30-03-2026	07-04-2026	लॉट सं०-01-शून्य
2	30-03-2026	07-04-2026	लॉट सं०-02-शून्य
3	30-03-2026	07-04-2026	लॉट सं०-03-शून्य
4	30-03-2026	07-04-2026	लॉट सं०-04-शून्य
6	30-03-2026	07-04-2026	लॉट सं०-06-शून्य


(मनमोहन सिंह)

अधिसायी अभियन्ता
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर
मेरठ

लॉट सं०-05 के अन्तर्गत जनपद बुलन्दशहर के अनूपशहर तहसील में अनूपशहर शाखा नहर के कि०मी० 120.670 से कि०मी० 126.400 तक मध्य दोनो बैंको पर अतिरिक्त पड़ी हुई सिल्ट/मिट्टी की नीलामी हेतु प्राप्त 02 न० निविदाओं को गठित समिति द्वारा प्रतिस्पर्धा का आभाव मानते हुए समस्त लॉट्स पर पुनः निविदा आमंत्रित करने का समिति द्वारा निर्णय लिया गया (संलग्नक-13)।

लॉट सं०-01, 02, 03, 04, व लॉट सं०-06 पर द्वितीय अवसर पर एवं लॉट सं०-05 पर प्रथम अवसर पर (Retender) पुनः आमंत्रित की गई (संलग्नक-14) ऑनलाईन ई-निविदा का विवरण।

लॉट सं०	निविदा आमंत्रित करने की दिनांक	निविदा खोलने की दिनांक	प्राप्त निविदाओं की संख्या	अभ्युक्ति
1	08-04-2026	16-04-2026	लॉट सं०-01-शून्य	संलग्नक-15
2	08-04-2026	16-04-2026	लॉट सं०-02-शून्य	
3	08-04-2026	16-04-2026	लॉट सं०-03-शून्य	
4	08-04-2026	16-04-2026	लॉट सं०-04-शून्य	
5	08-04-2026	16-04-2026	लॉट सं०-05-03 न०	
6	08-04-2026	16-04-2026	लॉट सं०-06-शून्य	

लॉट सं०-05 के अन्तर्गत 03 न० निविदाएँ प्राप्त हुई, जिसके सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) जनपद बुलन्दशहर को अवगत कराया गया, जिसके सम्बन्ध में खान निरीक्षण जनपद बुलन्दशहर द्वारा अवगत कराया गया की नवीन शासनादेश संख्या-1/1227112/2026 (177187) भूत्व एवं खनिकर्म अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 04.02.2026 (संलग्नक-16) द्वारा जारी अधिसूचना में उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 में संशोधन कर, उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2026 जारी कर दी गई है, जिसके अनुसार खनिजों की दरों को संशोधित कर दिया गया है।

उक्त शासनादेश के क्रम में उपखनिज की दरों में संशोधन होने के कारण शासनादेश संख्या-12/2020/2496/86-2019-46(सामान्य)/2019 भूत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊ दिनांक 31.12.2019 (संलग्नक-01) के आलोक में जिलाधिकारी जनपद बुलन्दशहर द्वारा नामित अपरजिलाधिकारी (वि.रा.) जनपद बुलन्दशहर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा पूर्व आमंत्रित अल्पकालीन ई-नीलामी सूचना सं०-14/ई०ई०/2025-26 को निरस्त करने एवं साथ ही सिल्ट/मिट्टी के त्वरित नीलामी/निस्तारण हेतु संशोधित दर के अनुसार एक नवीन अल्पकालीन ई-नीलामी सूचना संख्या के अन्तर्गत ई-निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया है, जिसके अनुक्रम अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ द्वारा एक नवीन अल्पकालीन ई-नीलामी सूचना संख्या के अन्तर्गत ई-निविदा आमंत्रित कर दी गई है।



(मनमोहन सिंह)
अधिसासी अभियन्ता

अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर
मेरठ

प्रेषक,

डा0 रोशन जैकब,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

①

सेवा में,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म,
उ0प्र0, लखनऊ।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग

लखनऊ: दिनांक 31 दिसम्बर, 2019

विषय:-परियोजना की स्थापना/निर्माण कार्य के अन्तर्गत खुदाई के दौरान निकले उपखनिजों के निस्तारण की प्रक्रिया।

महोदय,

उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित अपने पत्र संख्या-1427/एम-प्रयर्तन जालौन/2019, दिनांक 08 दिसम्बर, 2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद जालौन में मेसर्स युड स्पिन टेक्सटाइल इण्डिया प्रा0लि0 द्वारा जनपद में टेक्सटाइल की औद्योगिक परियोजना की स्थापना के दौरान खुदाई से निकले उपखनिजों के निस्तारण के सम्बन्ध में विचार कर अयगत कराने का अनुरोध किया गया है।

2. उक्त के सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि किसी परियोजना की स्थापना/निर्माण कार्य के अन्तर्गत खुदाई के दौरान निकले उपखनिजों के निस्तारण हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निम्नवत् समिति का गठन किया जाता है :-

- | | |
|--|---------|
| (1) जिलाधिकारी या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि जो ए0डी0एम0 स्तर से कम न हो। | अध्यक्ष |
| (2) प्रभारी वनाधिकारी या उनके द्वारा नामित अधिकारी | सदस्य |
| (3) परियोजना से सम्बन्धित विभाग का अधिशाषी अभियन्ता | सदस्य |
| (4) सम्बन्धित उपजिलाधिकारी | सदस्य |
| (5) सम्बन्धित खान अधिकारी/खान निरीक्षक | सदस्य |

3. उक्त समिति द्वारा उपखनिज की गुणवत्ता के अनुसार उसका न्यूनतम आरक्षित मूल्य निर्धारित करने, तदुपरान्त उसको उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 के माध्यम से ई-निविदा द्वारा निस्तारित कराने की कार्यवाही किया जाएगा। सम्पूर्ण परियोजना का कार्य यथास्थिति नियमानुसार प्राप्त पर्यावरणीय अनापत्ति के अधीन किया जायेगा।

भवदीय,
(डा0 रोशन जैकब)
विशेष सचिव।

संख्या-2496(1)/86-2019, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
2. अपर मुख्य सचिव, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग, उ0प्र0 शासन को उनके पत्र संख्या-1860/अमुस/रे0ह0य0/2019, दिनांक 18.12.2019 के सन्दर्भ में।

भवदीय,

(हृदय नारायण सिंह यादव)
अनु सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

महोदया,

सूचनीय है कि जनपद मुजफ्फरनगर में ऊपरी गंगा नहर के बाएँ बैंक के कि०मी० 81.118 से अनूपशहर शाखा नहर निकलती है, जिसकी कुल लम्बाई 131.940 कि०मी० है। उक्त नहर के संचालन, कृषकों को सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराने, मरम्मत आदि का कार्य कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर, मेरठ द्वारा किया जाता है। उक्त नहर के माध्यम से जनपद मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड, बुलन्दशहर के कृषकों को सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराया जाता है। अनूपशहर शाखा नहर जनपद बुलन्दशहर में कि०मी० 87.290 से कि०मी० 131.940 तक (कुल 44.650 कि०मी०) पड़ती है, जिसमें मुख्यतः ग्राम रजापुर, नहचौली, स्याना, रानापुर, मांकडी, कौंघरौट, भडकऊ, नरसैना, नरेन्द्रपुर, पिलखनी, भगवन्तपुर, बढपुरा, जटपुरा, डरौरा, पारली, अनीवास, शाहजहाँपुर, ऐचोरा, रूपवास आदि ग्राम पड़ते हैं।

वर्तमान में राज्य सरकार से अनुमोदित "अनूपशहर शाखा नहर के कि०मी० 0.000 से कि०मी० 131.940 तक क्षमता पुनर्स्थापना एवं पक्की संरचनाओं की मरम्मत की परियोजना" के अन्तर्गत अनूपशहर शाखा नहर की पूर्ण लम्बाई में नहर के आन्तरिक अनुभाग में सिल्ट सफाई का कार्य सिंचाई विभाग के अन्तर्गत कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर, मेरठ द्वारा कराया जा रहा है। उक्त कार्य को सम्पादित किये जाने हेतु सक्षम स्तर से अनुबन्ध गठित किया गया है एवं परियोजना के अन्तर्गत कार्यों को जनवरी 2026 तक पूर्ण किया जाना है। जनपद बुलन्दशहर में नहर की कुल लम्बाई 44.650 कि०मी० के आन्तरिक अनुभाग में सफाई उपरान्त लगभग 5.32 लाख घनमीटर सिल्ट/मृदा एकत्र होने का अनुमान है, जिसका उपयोग नहर के सैक्शन को ठीक करने, डोला बनाने/बैंकों की मरम्मत आदि में किया जाना है। नहर के सैक्शन को ठीक करने के उपरान्त लगभग 2.65 लाख घनमीटर अतिरिक्त सिल्ट/मृदा शेष बच जाने का अनुमान है, जो बांयी पट्टी पर लगभग 1.32 लाख घनमीटर एवं दांयी पट्टी पर लगभग 1.33 लाख घनमीटर होगी। उक्त सिल्ट/मृदा की नियमानुसार नीलामी की जानी प्रस्तावित है।

प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के पत्र संख्या 2111/14-27-सि०-4-78(डब्लू)/14, दिनांक 16.10.2014 (संलग्नक-1) के अनुसार नहरों में जमा सिल्ट/मृदा आदि की निकासी कर, जल संरचनाओं को उनके वास्तविक स्वरूप में लाने हेतु प्रक्रिया निदान किया गया है, जिसके अनुसार सिल्ट/मृदा का सर्वेक्षण कर, चिह्नित कर, मात्रा एवं गुणवत्ता का आंकलन किया जायेगा तथा सिंचाई विभाग की संस्तुति के आधार पर खनन विभाग द्वारा लाईसेंस एवं परिवहन हेतु वांछित प्रपत्र निर्गत किया जायेगा। अधिकृत ठेकेदार एवं एजेंसी द्वारा आंकलित सिल्ट की मात्रा के आधार पर रायल्टी जमा करने के उपरान्त उसका नियमानुसार निष्पादन करने का अधिकार होगा।

विशेष सचिव, उ०प्र०, शासन के पत्र सं० 12/2020/296/86-2019-46(सामान्य)/2019, दिनांक 31-12-2019 (संलग्नक-2) में दिये गये प्राविधानुसार किसी परियोजना की स्थापना/निर्माण कार्य के अन्तर्गत खुदाई के दौरान निकले उपखनिजों के निस्तारण के सम्बन्ध में के क्रम में उक्त सिल्ट की नीलामी हेतु आपके स्तर से समिति गठित की जानी है। उक्त पत्र के अनुसार समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य निम्नानुसार नामित किये गये हैं-

1	जिलाधिकारी या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि जो ए०डी०एम० स्तर से कम न हो।	अध्यक्ष
2	प्रभारी वनाधिकारी या उनके द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
3	परियोजना से सम्बन्धित विभाग का अधिशासी अभियन्ता	सदस्य
4	सम्बन्धित उपजिलाधिकारी	सदस्य
5	सम्बन्धित खान अधिकारी/खान निरीक्षण	सदस्य

उपरोक्त के क्रम में अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार समिति का गठन किये जाने हेतु अनुमति प्रदान करना चाहे।

अधिशासी अभियन्ता,

अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर,

मेरठ

ADM(F)

नामि

24/11/25


जिलाधिकारी महोदय बुलन्दशहर की निर्देशानुसार अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ/हापुड के नियन्त्रणाधीन चतुर्थ उपखण्ड बुलन्दशहर के कार्यक्षेत्र में अनूपशहर शाखा नहर के आन्तरिक अनुभाग की पुनर्रचना की परियोजना के कार्य से प्राप्त सिल्ट/मृदा का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त डिस्पोजल व ड्रेसिंग के पश्चात् बची हुई अवशेष/मृदा (उपखनिज) की नीलामी/निरतारण हेतु एक बैठक दिनांक 07.01.2026 समय 04:00 बजे (अपराह्न) कार्यालय अपर जिलाधिकारी (वि0रा0) बुलन्दशहर के कक्ष में आहुत की गयी जिसमें निम्न अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।


- 1- अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), बुलन्दशहर।
- 2- प्रभागीय वनाधिकारी, बुलन्दशहर।
- 3- अधिशारी अभियन्ता अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ/हापुड।
- 4- खान अधिकारी, बुलन्दशहर।
- 5- उपजिलाधिकारी स्याना, जनपद बुलन्दशहर।
- 6- उपजिलाधिकारी अनूपशहर, जनपद बुलन्दशहर।


अधिशारी अभियन्ता अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ/हापुड द्वारा कार्यालय पत्रांक 3666/अशाख/सिल्ट/नीलामी/ दिनांक 01.12.2025 के क्रम में अलीगढ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मृदा परीक्षण कराकर रिपोर्ट पत्रांक 918/अ0मु0वि0 अलीगढ/सी0ई0डी0 दिनांक 31.12.2025 को उपलब्ध करायी गयी, परीक्षण के दौरान विभिन्न घेनेजों पर मृदा में बालू (sand) की मात्रा अलग-अलग पाई गई जिसका विवरण निम्नवत है।


क्र0 स0	अनूपशहर शाखा के घेनेज	बालू (sand) की मात्रा (प्रतिषत में)	षेव (प्रतिषत में)
1	90.500	62.00%	38.00%
2	96.600	60.00%	40.00%
3	113.750	59.00%	41.00%
4	116.200	58.00%	42.00%
5	124.600	55.50%	44.50%
6	130.400	55.00%	45.00%
	औसत	58.17%	41.83%


उपरोक्तानुसार प्राप्त उपखनिज में औसतन 58.17% बालू (sand) की मात्रा एवं 41.83% साधारण मिट्टी (Soil/Silt) आंकलित की गयी है। अधिशारी अभियन्ता अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ/हापुड द्वारा संलग्नक पत्र संख्या 3612/सिल्ट/मृदा/नीलामी दिनांक 27.11.2025 के अनुसार लगभग 265000.00 घनमी0 अंकलित की गयी है, प्राप्त उपखनिजों के विभिन्न स्थानों से लिये गये 6 अद्द सैम्पलों में औसतन 58.17% बालू (sand) की मात्रा के आधार पर प्रति घन मी0 धनराशि रू0 65.00 की सामान्य दर के सापेक्ष निकाली गई मृदा में प्राप्त उपखनिजों का न्यूनतम मूल्य रू0 37.81 प्रति घनमी0 आंकलित/निर्धारित किया जाता है, जिसके आधार पर नियमानुसार ई-टेन्डर प्रक्रिया के माध्यम से नीलामी की जायेगी।



खान अधिकारी
बुलन्दशहर


अधिशारी अभियन्ता
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर
मेरठ/हापुड


प्रभागीय वनाधिकारी
बुलन्दशहर


उपजिलाधिकारी
स्याना, बुलन्दशहर


उपजिलाधिकारी
अनूपशहर, बुलन्दशहर


अपर जिलाधिकारी (वि/रा0)
बुलन्दशहर

पत्रांक:-194/अशाख/टी-07/ई-नीलामी

दिनांक:-19.01.2026

-:कार्यालय ज्ञाप:-

शुद्धि पत्र

इस कार्यालय के पत्रांक 149/अशाख/टी-07/ई-नीलामी दिनांक 13.01.2026 के द्वारा अल्पकालीन ई-नीलामी सूचना-07/ई0ई0/2025-26 के अन्तर्गत जनपद बुलन्दशहर के स्याना एवं अनूपशहर तहसील में अनूपशहर शाखा नहर के कि०मी० 87.290 से कि०मी० 131.940 तक मध्य दोनो बैंको पर अतिरिक्त पट्टी हुई सिल्ट/मिट्टी की ई-नीलामी हेतु निविदाएं आमंत्रित की गयी थी, जिसमें निम्नलिखित शर्तों को सम्मिलित किया जाता है।

"नीलामी के माध्यम से उठाई जाने वाली सिल्ट/मिट्टी का कार्य इस प्रकार निष्पादित किया जाएगा कि अनूपशहर शाखा के दोनों ओर स्थित नहरी पट्टी, जो कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का भाग है, पर वन विभाग द्वारा किए गए वृक्षारोपण को किसी भी प्रकार की क्षति न पहुँचे। यदि कार्य के दौरान किसी भी वृक्ष अथवा पौधारोपण को क्षति होती है, तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की होगी तथा क्षतिपूर्ति/दायित्व की कार्यवाही नियमानुसार ठेकेदार के विरुद्ध की जाएगी।"

शेष शर्तें पूर्व की भाँति यथावत रहेंगी।


अधिशासी अभियन्ता

अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ।

पत्रांक :-194/अशाख/टी-07/ई-नीलामी/दिनांक:-19.01.2026

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सेवा में प्रेषित है:-
- 1- मुख्य अभियन्ता (पश्चिम) स्तर-1, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ०प्र० मेरठ।
 - 2- मुख्य अभियन्ता (गंगा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० मेरठ।
 - 3- जिलाधिकारी, बुलन्दशहर।
 - 4- अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), जनपद बुलन्दशहर।
 - 5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर।
 - 6- अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम मण्डल सिंचाई कार्य, मेरठ।
 - 7- उपजिलाधिकारी जनपद बुलन्दशहर।
 - 8- पुलिस अधीक्षक (नगर) बुलन्दशहर।
 - 9- वनाधिकारी जनपद बुलन्दशहर।
 - 10- थाना नरसैना जनपद बुलन्दशहर।
 - 11- थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर।
 - 12- थाना अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर।
 - 13- थाना आहार जनपद बुलन्दशहर।
 - 14- जिला सूचना अधिकारी, बुलन्दशहर।
 - 15- जिला खनन अधिकारी, जनपद बुलन्दशहर।
 - 16- अधिशासी अभियन्ता मेरठ खण्ड गंगा नहर, मेरठ/मु०नगर खण्ड गंगा नहर मु०नगर को मुख्य अभियन्ता (गंगा) मेरठ के कार्यालय ज्ञाप सं०-12608/मु०अ०गंगा/निविदा समिति, दिनांक 12.12.2018 के सन्दर्भ में कृपया निर्धारित तिथि व समय पर निविदा खोलने हेतु उपस्थित होने का कष्ट करें।
 - 17- सहायक अभियन्ता प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ, हापुड एवं बुलन्दशहर।
 - 18- नोटिस बोर्ड हेतु।


अधिशासी अभियन्ता

अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ।

प्रेषक,

अधिशाली अभियन्ता
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ।

284

प्रेषित,

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पत्रांक:-149/अशाख/टी-07/ई-नीलामी

दिनांक:-13.01.2026

विषय:- अल्पकालीन ऑनलाईन ई-नीलामी सूचना संख्या 07/ई0ई0/2025-26 का प्रकाशन।

महोदय,

अल्पकालीन ई-नीलामी सूचना सं0 07/ई0ई0/2025-26 आपको 6 प्रतियों में सी0डी0 सहित इस आशय से प्रेषित है कि कृपया इस निविदा सूचना का प्रकाशन बुलन्दशहर तथा उसके आस-पास सबसे अधिक क्रय किये वाले हिन्दी के दो प्रमुख, समाचार पत्रों में केवल एक-एक बार तीन दिन के अन्तराल से प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

आपके पत्रांक 82/सू0 एवं ज0स0वि0(विज्ञा)-924/2014 दिनांक 17.03.2015 के द्वारा वांछित दूरभाष नं0 कार्यालय 0121-2664976 एवं ई-मेल आई0डी eeabmr@gmail.com है। कृपया प्रकाशन संबंधी सूचना इन्ही दूरभाष नम्बर व ई-मेल आई0डी0 पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अधिशाली अभियन्ता
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

पत्रांक:-149/अशाख/टी-07/ई-नीलामी

दिनांक:-13.01.2026

1. प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता, कंप्यूटर केन्द्र कार्यालय प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ को उपरोक्त अल्पकालीन ऑनलाईन ई-निविदा की हार्ड कापी एवं सी0डी0 सहित शासनादेश सं0 763/05/27-सीं-3-8-टी0/84 दिनांक 03.03.2005 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

अधिशाली अभियन्ता
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ।

पत्रांक :-149/अशाख/टी-07/ई-नीलामी

दिनांक:-13.01.2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को ऑनलाईनर ई-नीलामी सूचना की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- मुख्य अभियन्ता (पश्चिम) स्तर-1, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 मेरठ।
- 2- मुख्य अभियन्ता (गंगा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 मेरठ।
- 3- जिलाधिकारी, बुलन्दशहर।
- 4- अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), जनपद बुलन्दशहर।
- 5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर।
- 6- अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम मण्डल सिंचाई कार्य, मेरठ।
- 7- उपजिलाधिकारी जनपद बुलन्दशहर।
- 8- पुलिस अधीक्षक (नगर) बुलन्दशहर।
- 9- थाना नरसैना जनपद बुलन्दशहर।
- 10- थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर।
- 11- थाना अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर।
- 12- थाना आहार जनपद बुलन्दशहर।
- 13- जिला सूचना अधिकारी, बुलन्दशहर।
- 14- जिला खनन अधिकारी, जनपद बुलन्दशहर।
- 15- अधिशाली अभियन्ता मेरठ खण्ड गंगा नहर, मेरठ/मु0नगर खण्ड गंगा नहर मु0नगर को मुख्य अभियन्ता (गंगा) मेरठ के कार्यालय ज्ञाप सं0-12608/मु0अ0गंगा/निविदा समिति, दिनांक 12.12.2018 के सन्दर्भ में कृपया निर्धारित तिथि व समय पर निविदा खोलने हेतु उपस्थित होने का कष्ट करें।
- 16- सहायक अभियन्ता प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ, हापुड एवं बुलन्दशहर।
- 17- नोटिस बोर्ड हेतु।

अधिशाली अभियन्ता
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर, मेरठ।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर, मेरठ।

अल्पकालीन ऑनलाईन ई-नीलामी सूचना संख्या-07/ई0ई0/2025-2026


सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या 113/2019/718/19-27-सि0(हब्बू)/2019 दिनांक 02.04.2019, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (अनुश्रवण एवं मूल्यांकन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के अ0शा0प0-1026/अनु0एव0मु0/अनिम0-5/सिनिक/सि0स0/दिनांक 18.12.2019 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में इस खण्ड के कार्यक्षेत्र जनपद बुलन्दशहर के स्थाना एवं अनूपशहर तहसील में अनूपशहर शाखा नहर के कि0मी0 87.290 से कि0मी0 131.940 तक मध्य दोनों बैंको पर अतिरिक्त सिल्ट/मिट्टी की नीलामी ऑनलाईन के माध्यम से दिनांक 28.01.2026 को अपराह्न 05:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है, जो अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में निविदा खोलने हेतु गठित समिति के सदस्यों द्वारा दिनांक 29.01.2026 पूर्वाह्न 11.00 बजे खोली जायेगी। कार्यालय बन्द होने अथवा अवकाश होने की दशा में यह निविदायें अगले कार्यदिवस में उसी समय खोली जायेगी। निविदा दिनांक 22.01.2026 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से दिनांक 28.01.2026 को अपराह्न 05.00 बजे तक डाउनलोड/अपलोड की जा सकती है।

प्रत्येक निविदादाता को ऑनलाईन ई-नीलामी की धरोहर धनराशि ऑनलाईन जमा करनी होगी तथा निविदादाता से अपेक्षा की जाती है कि ई-नीलामी की निविदा डालने से पूर्व निविदा प्रपत्र के क्लोज में अंकित न्यूनतम अर्हता के सम्बन्ध में शर्तों का भली-भाँति अध्ययन कर लें।

क्र० सं०	कार्य का विवरण	सुरक्षित रूप से निकाली जाने वाली सिल्ट/मिट्टी की मात्रा (घन मीटर में)	अनुसूची के अनुसार निर्धारित दर रु० में (रायल्टी प्रति घन मीटर में)	अनुसूची के अनुसार निर्धारित दर से सम्भावित मात्रा के आधार पर आकलित कुल रायल्टी (रु० में)	निविदा के साथ ई0एम0डी0 के रूप में जमा की जाने वाली धनराशि (रायल्टी का 10 प्रतिशत रु० में।)	जनपद का नाम
1	जनपद बुलन्दशहर के स्थाना एवं अनूपशहर तहसील में अनूपशहर शाखा नहर के कि0मी0 87.290 से कि0मी0 131.940 तक मध्य दोनों बैंको पर अतिरिक्त पड़ी हुई सिल्ट/मिट्टी।	265000.00	37.81	10019650.00	1001965.00	बुलन्दशहर

नियम व शर्तें:-


- उक्त ई-नीलामी प्रक्रिया में निविदाकारों की श्रेणी का वर्गीकरण नहीं किया गया है। राज्य सरकार में विभिन्न विभागों में पंजीकृत किसी भी श्रेणी के आवेदक ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।
- ई-निविदाकार का अपना पैनकार्ड, आधार कार्ड, जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण पत्र, सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी द्वारा जारी किया हुआ अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र एवं हैसियत प्रमाण-पत्र की छायाप्रति की स्वप्रमाणित प्रतियाँ अपलोड करना होगा। जिन ई-निविदाकारों द्वारा मूल-अभिलेख की स्वप्रमाणित छायाप्रति ऑनलाईन अपलोड नहीं की जायेगा, उनकी ई-निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
- ई-नीलामी कमेटी द्वारा ई-निविदाकारों के समक्ष ऑनलाईन ई-नीलामी खोली जायेगी। प्रति घन मीटर सर्वोच्च बोली के आधार पर ई-निविदाकार का चयन किया जायेगा।
- नहर से तालिका में उल्लिखित मापन के अनुसार उच्चतम बोलीदाता द्वारा स्वयं के व्यय पर नहर पर से अतिरिक्त सिल्ट/मिट्टी उखाई जायेगी। सिल्ट/मिट्टी उखाने हेतु विभाग द्वारा किसी प्रकार की धनराशि अथवा पारितोषिक देय नहीं होगा।
- नहर पर अतिरिक्त सिल्ट/मिट्टी हटायें/उखायें जाने पर यदि किसी भी प्रकार की क्षति होती है, तो उसकी प्रतिपूर्ति उच्चतम बोलीदाता को स्वयं के व्यय पर करनी होगा।
- सिल्ट/मिट्टी उखायें जाने हेतु रायल्टी की दर रु० 37.81 प्रति घन मीटर आधार मानते हुये उच्च बोली का प्रस्ताव ई-निविदा पोर्टल पर देना होगा। सर्वोच्च बोली के आधार पर उक्त कार्य हेतु ई-निविदाकार का चयन किया जायेगा।
- जनपद बुलन्दशहर अनूपशहर शाखा नहर के कि0मी0 87.290 से कि0मी0 131.940 तक मध्य दोनों बैंको पर अतिरिक्त सिल्ट/मिट्टी के अतिरिक्त किसी अन्य जगह से सिल्ट/मिट्टी नहीं उखायी जायेगी, अन्य स्थल से सिल्ट/मिट्टी उखाने पर उच्चतम बोलीदाता के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।


(मनमोहन सिंह)

अधिशासी अभियन्ता

अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ।

8. नहर के दोनो बैंको पर से सिल्ट/मिट्टी उठाने का कार्य सम्बन्धित रीच के सहायक अभियन्त/जूनियर इंजीनियर/जिलेदार की देख-रेख में सूर्योदय से सूर्यास्त तक मानव श्रम एवं राजस्थानी ट्रेक्टर द्वारा नहर को क्षतिग्रस्त किये बिना किया जायेगा।
9. चयनित ई-निविदाकार द्वारा ई-निविदा में उल्लिखित मात्रा की सिल्ट/मिट्टी उठाना अनिवार्य होगा, यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो निविदादाता के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
10. उच्चतम बोली की धनराशि पर नियमानुसार 2.06 प्रतिशत टी0सी0एस0, 10 प्रतिशत डी0एम0एफ एवं 02 प्रतिशत स्टैम्प शुल्क देय होगा।
11. माननीय न्यायालय/मा0 निर्वाचन आयोग, भारत सरकार/उ0प्र0 शासन/सिंचाई विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/शासनादेशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।
12. किसी भी समय उक्त कार्य की ई-नीलामी को बिना कारण बताये अस्वीकार/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अद्योहस्ताक्षरी का होगा।
13. ई-नीलामी में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निष्पादन जनपद मेरठ/अधीक्षण अभियन्ता प्रथम मण्डल सिंचाई कार्य मेरठ द्वारा किया जायेगा, जो समस्त निविदादाताओं को मान्य होगा।
14. ई-नीलामी की अधिकतम बोली स्वीकृत होने के एक सप्ताह के अन्दर समस्त राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जो अधिशासी अभियन्ता, अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ के नाम तथा जनपद बुलन्दशहर को देय होगी/जमा करनी होगी।
15. ई-नीलामी की अधिकतम बोली की धनराशि के 10 प्रतिशत धनराशि की एफ0डी0आर जो अधिशासी अभियन्ता अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ के नाम बन्धक होगी जमानत के रूप में जमा करनी होगी, जो कार्य पूर्ण होने के उपरान्त अवमुक्त कर दी जायेगी। निविदादाता द्वारा 10 प्रतिशत धनराशि जो ऑनलाईन निविदा अपलोड करते समय जमा होगी वह धनराशि एफ0डी0आर0 प्राप्त होने के उपरान्त वापस की जायेगी।
16. ई-नीलामी पूर्ण होने के उपरान्त उच्चतम बोलीदाता को शत-प्रतिशत धनराशि नीलामी की सिल्ट/मिट्टी उठाने से पूर्व कार्यालय अधिशासी अभियन्ता अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करनी होगी।
17. सिल्ट/मिट्टी उठाने की कार्य अवधि 30 दिन होगी।
18. निविदा निर्धारित दर से प्रारम्भ होकर अधिकतम प्राप्त दर ही स्वीकार की जायेगी।
19. यदि नहर का सैक्शन/डौला/सर्विस रोड सिल्ट/मिट्टी उठाने के समय क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो उसको ठीक कराये जाने का व्यय उच्चतम बोलीदाता द्वारा वहन किया जायेगा।
20. नहर के सैक्शन को मॅटेन करने के उपरान्त ही अतिरिक्त सिल्ट/मिट्टी कार्य स्थल से उठायी जा सकेगी।
21. समस्त निविदादाताओं को सूचित किया जाता है कि उक्त कार्य हेतु ई-नीलामी में प्रतिभाग करने से पूर्व उक्त कार्यक्षेत्र का निरीक्षण एवं सिल्ट/मिट्टी की मात्रा का निरीक्षण भलीभांति करना अनिवार्य होगा एवं इस आशय का शपथ-पत्र भी अपलोड करना होगा की उनके द्वारा कार्यक्षेत्र का निरीक्षण, सिल्ट/मिट्टी की मात्रा का निरीक्षण भलीभांति कर लिया गया है, एवं निविदादाता ने निरीक्षण के दौरान कार्य सम्पादन हेतु कार्य स्थल पर कोई अवरोध नहीं पाया है। ई-नीलामी की निविदा खुलने के उपरान्त कार्यक्षेत्र के सम्बन्ध में, सिल्ट/मिट्टी के उठाने कार्य के सम्बन्ध में एवं सिल्ट/मिट्टी की मात्रा के सम्बन्ध में उच्चतम बोलीदाता का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
22. निविदानुसार नीलामी की जाने वाली सिल्ट/मिट्टी उठाने का कार्य इंजीनियर इन्वार्ज की देख-रेख में किया जायेगा। निर्धारित समय के अतिरिक्त रात्रि/मध्य रात्रि में सिल्ट/मिट्टी उठाई जाती है तो उच्चतम बोलीदाता के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
23. अनूपशहर शाखा नहर के कि0मी0 87.290 से कि0मी0 131.940 के मध्य बैंको पर नहर किनारे डोला बनाया जाना प्रस्तावित है, जिस हेतु सुरक्षित रूप से उठाने वाली सिल्ट/मिट्टी की मात्रा (घन मीटर में) 265000.00 के अतिरिक्त कार्य स्थल पर सिल्ट/मिट्टी की मात्रा उपलब्ध है, जिसका उपयोग डोला बनाने हेतु किया जाना है। 265000.00 घन मीटर सिल्ट/मिट्टी की मात्रा के अतिरिक्त कार्य स्थल पर अतिरिक्त उपलब्ध सिल्ट/मिट्टी को उच्चतम बोलीदाता द्वारा नहीं उठाना जायेगा।
24. बैंक ड्राफ्ट बनवाने का व्यय उच्चतम बोलीदाता द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।


(मनमोहन सिंह) 13.1.2016

अधिशासी अभियन्ता

अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ।



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर, मेरठ।

अल्पकालीन ऑनलाईन ई-नीलामी सूचना संख्या-07/ई0ई0/2025-2026

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या 113/2019/718/19-27-सि0(खल)/2019 दिनांक 02.04.2019, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (अनुभवाण एवं मूल्यांकन), सिंचाई एवं खल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के अ0शा0प0-1026/अनु0एव0मु0/अनिम0-5/सिचि0/सि0स0/दिनांक 18.12.2019 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में इस खण्ड के कार्यक्षेत्र जनपद बुलन्दशहर के स्थाना एवं अनूपशहर तहसील में अनूपशहर शाखा नहर के कि0मी0 87.290 से कि0मी0 131.940 तक मध्य दोनों बैंको पर अतिरिक्त सिल्ट/मिट्टी की नीलामी ऑनलाईन के माध्यम से दिनांक 28.01.2026 को अपराह्न 05:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है, जो अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में निविदा खोलने हेतु गति समिति के सदस्यों द्वारा दिनांक 29.01.2026 पूर्वाह्न 11:00 बजे खोली जायेगी। कार्यालय बन्द होने अथवा अवकाश होने की दशा में यह निविदाये अगले कार्यदिवस में उसी समय खोली जायेगी। निविदा दिनांक 22.01.2026 को पूर्वाह्न 10:00 बजे से दिनांक 28.01.2026 को अपराह्न 05:00 बजे तक डाउनलोड/अपलोड की जा सकती है।

प्रत्येक निविदादाता को ऑनलाईन ई-नीलामी की परेडर धनराशि ऑनलाईन जमा करनी होगी तथा निविदादाता से अपेक्षा की जाती है कि ई-नीलामी की निविदा डालने से पूर्व निविदा प्रपत्र के क्लॉक में अंकित न्यूनतम अर्हता के सम्बन्ध में शर्तों का भली-भांति अध्ययन कर लें।

क्र0 स0	कार्य का विवरण	सुरक्षित रूप से निकाली जाने वाली सिल्ट/मिट्टी की मात्रा (घन मीटर में)	अनुसूची के अनुसार निर्धारित दर रु0 में (रकबूँ प्रति घन मीटर में)	अनुसूची के अनुसार निर्धारित दर से सम्प्रति मात्रा के आधार पर आकस्मिक कुल रकबूँ (रु0 में)	निविदा के साथ ई0एम0डी0 के रूप में जमा की जाने वाली धनराशि (रकबूँ का 10 प्रतिशत रु0 में।)	जनपद का नाम
1	जनपद बुलन्दशहर के स्थाना एवं अनूपशहर तहसील में अनूपशहर शाखा नहर के कि0मी0 87.290 से कि0मी0 131.940 तक मध्य दोनों बैंको पर अतिरिक्त पड़ी हुई सिल्ट/मिट्टी।	265000.00	37.81	10019650.00	1001965.00	बुलन्दशहर

(मनमोहन सिंह)

अधिशासी अभियन्ता

अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा
नहर मेरठ।

Tender Reference Number : E-Auction TN-07/EE/2025-26

Tender ID : 2026_UPIDC_1108394_1

Tender Title : E-Auction TN-07/EE/2025-26-E-Auction of Excess silt/soil lying on both the banks between Km 87.290 to Km 131.940 of Anupshahr branch canal in Syana and Anupshahr tehsils of Bulandshahr district. Lot-01

Bid Opening Date & Time : 29-Jan-2026 11:00 AM

Bid Opener Type : 2 Of 3 (Minimum 2 bid openers should decrypt)

Bid Openers

 Refresh

vikas kumar



Man Mohan Singh



SUBHASH CHANDRA



Total No. of Bids : 0

Total No. of Withdrawn Bids : 0

Bid Packets

Fee/PreQual/Technical



Back

288

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर, मेरठ।

पत्रांक:- 278/अशाख/टी-07/ई-नीलामी

दिनांक:-30.01.2026

6

--:कार्यालय ज्ञाप:-

पुनः ई-नीलामी आमंत्रण पत्र।

इस कार्यालय के पत्रांक 149/अशाख/टी-07/ई-नीलामी दिनांक 13.01.2026 के द्वारा अल्पकालीन ई-नीलामी सूचना संख्या-07/ई0ई0/2025-26 के अन्तर्गत जनपद बुलन्दशहर के स्याना एवं अनूपशहर तहसील में अनूपशहर शाखा नहर के कि०मी० 87.290 से कि०मी० 131.940 तक मध्य दोनों बैंको पर अतिरिक्त पड़ी हुई सिल्ट/मिट्टी की ई-नीलामी हेतु निविदाएं आमंत्रित की गयी थी। उक्त ई-नीलामी सूचना संख्या के आमंत्रित की गई निविदाओं हेतु डाउनलोडिंग/अपलोडिंग की दिनांक 22.01.2026 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से दिनांक 28.01.2026 को अपराह्न 05.00 बजे तक थी। ई-नीलामी में प्राप्त निविदाओं की प्री-क्वालीफिकेशन/ टेक्नीकल बिड अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में निविदा खोलने हेतु गठित समिति के सदस्यों द्वारा दिनांक 29.01.2026 की पूर्वाह्न 11.00 बजे खोली जानी थी। उक्त ई-नीलामी सूचना संख्या-07/ई0ई0/2025-26 के अन्तर्गत आमंत्रित की गई निविदाओं के सापेक्ष शून्य निविदा प्राप्त होने के कारण पुनः ई-नीलामी हेतु निम्नानुसार निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

S.N	Particulars	Date	Time	Work Days
1	Uploading/Downlodng Start	31-01-2026	10:00 AM	30-Days
2	Uploading/Downlodng End	06-02-2026	05:00 PM	
3	Technical Bid Opening	07-02-2026	11:00 AM	
4	Financial Bid Opening	Date will be Decided after Technical bid evaluation and will be communicated online to successful bidders in Technical bid.		

शेष शर्तें पूर्व की भाँति यथावत रहेंगी।

अधिशासी अभियन्ता

अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर, मेरठ।

दिनांक:-30.01.2026

पत्रांक :- 278/अशाख/टी-07/ई-नीलामी

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- मुख्य अभियन्ता (पश्चिम) स्तर-1, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ०प्र० मेरठ।
- 2- मुख्य अभियन्ता (गंगा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० मेरठ।
- 3- जिलाधिकारी, बुलन्दशहर।
- 4- अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), जनपद बुलन्दशहर।
- 5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर।
- 6- अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम मण्डल सिंचाई कार्य, मेरठ।
- 7- उपजिलाधिकारी जनपद बुलन्दशहर।
- 8- पुलिस अधीक्षक (नगर) बुलन्दशहर।
- 9- थाना नरसैना जनपद बुलन्दशहर।
- 10- थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर।
- 11- थाना अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर।
- 12- थाना आहार जनपद बुलन्दशहर।
- 13- जिला सूचना अधिकारी, बुलन्दशहर।
- 14- जिला खनन अधिकारी, जनपद बुलन्दशहर।
- 15- अधिशासी अभियन्ता मेरठ खण्ड गंगा नहर, मेरठ/मु०नगर खण्ड गंगा नहर मु०नगर को मुख्य अभियन्ता (गंगा) मेरठ के कार्यालय ज्ञाप सं०-12608/मु०अ०गंगा/निविदा समिति, दिनांक 12.12.2018 के सन्दर्भ में कृपया निर्धारित तिथि व समय पर निविदा खोलने हेतु उपस्थित होने का कष्ट करें।
- 16- सहायक अभियन्ता प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ, हापुड एवं बुलन्दशहर।
- 17- नोटिस बोर्ड हेतु।

अधिशासी अभियन्ता

अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर, मेरठ।



7

290

BID OPENING

Master Management

- Org Hierarchy Master
- View Internal Documents

User Management

- Debar User
- My Organisation Hierarchy
- My Accounts

Tender Management

- Create Tender / Tender List
- Publish Tender
- Published Tenders
- Seek Clarifications
- Pre-bid Meeting
- Downloaded Tenders
- Bids Submitted Tenders
- Tender Status
- Archived Tenders
- Archived Clarification

Corrigendum

- Create Corrigendum
- Publish Corrigendum
- Published Corrigendum

Bid Opening

- Tenders to be Opened

Bid Evaluation

- Technical Evaluation

Bid Opening → Bid Openers

Tender Reference Number : E-Auction TN-07/EE/2025-26

Tender ID : 2026_UPIDC_1108394_2

E-Auction TN-07/EE/2025-26-E-Auction of Excess silt/soil lying on both the banks between Km 87.290 to Km 131.940 of Anupshahr branch canal in Syana and Anupshahr tehsils of Bulandshahr district. Lot-01

Bid Opening Date & Time : 07-Feb-2026 11:00 AM

Bid Opener Type : 2 Of 3 (Minimum 2 bid openers should decrypt)

Bid Openers

Refresh

vikas kumar 	Man Mohan Singh 	SUBHASH CHANDRA
------------------------	----------------------------	----------------------------

Total No. of Bids : 0

Total No. of Withdrawn Bids : 0

Bid Packets

Fee/PreQual/Technical



Back

सेवा में,

सावर अवगत कराना है कि इस कार्यालय के पत्रांक 149/अ०शा०ख०/टी०-7/ई- नीलामी दिनांक 13.01.2026 के द्वारा अल्पकालीन ई-नीलामी सूचना संख्या 07/ई०ई०/2025-26 (छायाप्रति दांयी और सलंगन) के अर्न्तगत इस खण्ड के कार्यक्षेत्र जनपद बुलन्दशहर के स्थाना एवं अनूपशहर तहसील में अनूपशहर शाखा नहर के कि०मी० 82.290 से कि०मी० 131.940 तक मध्य दोनों बैंकों पर अतिरिक्त पडी हुई सिल्ट/मिट्टी की ई-नीलामी हेतु निविदायें आमन्त्रित की गई थी, जिसकी प्रेस विज्ञापि का प्रकाशन दैनिक जागरण अखबार में हुआ (छायाप्रति दांयी और सलंगन)। उक्त ई-नीलामी सूचना संख्या के आमन्त्रित की गई, निविदाओं हेतु डाउनलोडिंग/अपलोडिंग की दिनांक 22.01.2026 को पूर्वाह्न 10 बजे से दिनांक 28.01.2026 को अपराह्न 5 बजे तक थी। ई- नीलामी में प्राप्त निविदाओं की प्री-क्वालीफिकेशन/ टेक्नीकल बिड अघोहस्ताक्षरी के कार्यालय कम में निविदा खोलने हेतु गठित समिति के सदस्यों द्वारा दिनांक 29.01.2026 को पूर्वाह्न 11 बजे खोली गई। उक्त ई- नीलामी सूचना संख्या 07/ई०ई० 2025-26 के अर्न्तगत आमन्त्रित की गई निविदाओं के सापेक्ष शून्य निविदा प्राप्त होने के कारण पुनः ई- नीलामी हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 278/अ०शा०ख०/टी-07/ई नीलामी दिनांक 30.01.2026 द्वारा निविदायें आमन्त्रित की गई (छायाप्रति दांयी और सलंगन) जिसकी डाउनलोडिंग/अपलोडिंग की दिनांक 31.01.2026 को पूर्वाह्न 10 बजे दिनांक 06.02.2026 को अपराह्न 05 बजे तक थी। उक्त नीलामी में प्राप्त निविदाओं की प्री- क्वालीफिकेशन/टेक्नीकल बिड अघोहस्ताक्षरी कार्यालय कम में निविदा खोलने हेतु गठित समिति के सदस्यों द्वारा दिनांक 07.02.2026 को पूर्वाह्न 11 बजे खोली गई, जिसमें पुनः शून्य निविदा प्राप्त हुई (छायाप्रति दांयी और सलंगन) सत्रांन में आया है कि नहर पर पडी हुई सिल्ट/मिट्टी की कम कम मात्रा में ई-नीलामी में प्रतिभाग करने हेतु निविदाकार इच्छुक है।

उक्त के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि जनपद बुलन्दशहर के अर्न्तगत अनूपशहर शाखा के कि०मी० 87.290 से कि०मी० 131.940 के मध्य संग्रहित नमूनों के आधार पर सम्बन्धित रीच को पृथक-पृथक भागों में विभाजित कर अनूपशहर शाखा की दोनों पटरियों से मिट्टी उठाने हेतु पुनः दर निर्धारण करती हुए ई-नीलामी कराये जाने का प्रस्ताव निम्नवत तैयार किया गया है। अतः उपरोक्त प्रस्ताव की सहमति की दशा में अनुमोदन देना चाहें।

क्रम सं०	कि०मी० कट्ट से	कि०मी० कट्ट तक	उपलब्ध सिल्ट/मिट्टी की मात्रा (घन मीटर में)	बालू पर सैंपली की दर रू० में (प्रति घन मीटर)	टेस्टिंग अनुसार बालू की मात्रा (प्रतिशत में)	नमूनेवार दर रू० में (प्रति घन मीटर)	समिति द्वारा निर्धारित की गई नमूनेवार दर रू० में (प्रति घन मीटर)	अनुसूची अनुसार निर्धारित दर से सम्भावित मात्रा के अन्धार पर अंकित कुल राशय्टी (रू०में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	87.290	93.060	23020.00	65	62.00%	40.30	40.30	927706.00
2	93.060	105.600	85900.00	65	60.00%	39.00	39.00	3350100.00
3	105.600	114.575	60310.00	65	59.00%	38.35	38.35	2312889.00
4	114.575	120.670	29570.00	65	58.00%	37.70	37.81	1118042.00
5	120.670	126.400	27340.00	65	55.50%	36.08	37.81	1033725.00
6	126.400	131.940	38860.00	65	55.00%	35.75	37.81	1469297.00
		योग-	265000.00			योग-		10211759.00

नोट-उक्त सूची में क्रमांक संख्या 4, 5 एवं 6 पर संग्रहित नमूनों की दर (कॉलम संख्या 7 में अंकित) पूर्व निर्धारित दर रू० 37.81 से पाई गई है। अतः समिति द्वारा विधायोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि क्रमांक संख्या 4, 5 एवं 6 से सम्बन्धित कॉट की दरें रू० 37.81 (कॉलम संख्या 8 में अंकित) निर्धारित की जाती है, जिसके आधार पर नियमानुसार ई-टेन्डर प्रक्रिया के माध्यम से नीलामी की जायेगी।

अधिसाक्षी अभियन्ता अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ/हापुड।
28.2.2026

खनन अधिकारी बुलन्दशहर।
28/2/26

उपजिलाधिकारी स्थाना।
28/02/2026

उपजिलाधिकारी अनूपशहर।
28/2/2026

प्रभागीय वनाधिकारी बुलन्दशहर।
28.2.2026

अपरजिलाधिकारी (वि०/रा०) बुलन्दशहर।
28/2/26

28/2/26

292
कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर, मेरठ।


पत्रांक:- 489/अशाख/टी-07/ई-नीलामी

दिनांक:- 05.03.2026

(9)

-:कार्यालय ब्राप:-


इस कार्यालय द्वारा अल्पकालीन ई-नीलामी सूचना संख्या-07/ई0ई0/2025-26 के अन्तर्गत इस खण्ड के कार्यक्षेत्र जनपद बुलन्दशहर के स्याना एवं अनूपशहर तहसील में अनूपशहर शाखा नहर के कि०मी० 87.290 से कि०मी० 131.940 तक मध्य दोनो बैंको पर अतिरिक्त सिल्ट/मिट्टी की ई-नीलामी हेतु निविदाएं आमंत्रित की गयी थी, जिसको अपरिहार्य कारणों से प्रारम्भ से निरस्त करने के एतद्वारा आदेश निर्गत किये जाते हैं।


5.3.2026
अधिशासी अभियन्ता
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ।

पत्रांक :- 489/अशाख/टी-07/ई-नीलामी

दिनांक:- 05.03.2026

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को ऑनलाईनर ई-नीलामी सूचना की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
- 1- मुख्य अभियन्ता (पश्चिम) स्तर-1, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ०प्र० मेरठ।
 - 2- मुख्य अभियन्ता (गंगा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० मेरठ।
 - 3- जिलाधिकारी, बुलन्दशहर।
 - 4- अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), जनपद बुलन्दशहर।
 - 5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर।
 - 6- अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम मण्डल सिंचाई कार्य, मेरठ।
 - 7- उपजिलाधिकारी जनपद बुलन्दशहर।
 - 8- पुलिस अधीक्षक (नगर) बुलन्दशहर।
 - 9- थाना नरसैना जनपद बुलन्दशहर।
 - 10- थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर।
 - 11- थाना अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर।
 - 12- थाना आहार जनपद बुलन्दशहर।
 - 13- जिला सूचना अधिकारी, बुलन्दशहर।
 - 14- जिला खनन अधिकारी, जनपद बुलन्दशहर।
 - 15- अधिशासी अभियन्ता मेरठ खण्ड गंगा नहर, मेरठ/मु०नगर खण्ड गंगा नहर मु०नगर।
 - 16- सहायक अभियन्ता प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ, हापुड एवं बुलन्दशहर।
 - 17- नोटिस बोर्ड हेतु।


5.3.2026
अधिशासी अभियन्ता
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ।

प्रेषक,

अधिशाली अभियन्ता
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ।

293

10

प्रेषित,

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पत्रांक:-487/अशाख/टी-14/ई-नीलामी

दिनांक:-05.03.2026

विषय:- अल्पकालीन ऑनलाईन ई-नीलामी सूचना संख्या 14/ई0ई0/2025-26 का प्रकाशन।

महोदय,

अल्पकालीन ई-नीलामी सूचना सं0 14/ई0ई0/2025-26 आपको 6 प्रतियों में सी0डी0 सहित इस आशय से प्रेषित है कि कृपया इस निविदा सूचना का प्रकाशन बुलन्दशहर तथा उसके आस-पास सबसे अधिक क्रय किये वाले हिन्दी के दो प्रमुख, समाचार पत्रों में केवल एक-एक बार तीन दिन के अन्तराल से प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

आपके पत्रांक 82/सू0 एवं ज0सं0वि0(विज्ञा)-924/2014 दिनांक 17.03.2015 के द्वारा वांछित दूरभाष सं0 कार्यालय 0121-2664976 एवं ई-मेल आई0डी eeabmrt@gmail.com है। कृपया प्रकाशन संबंधी सूचना इन्ही दूरभाष नम्बर व ई-मेल आई0डी0 पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अधिशाली अभियन्ता

अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

पत्रांक:-487/अशाख/टी-14/ई-नीलामी/दिनांक:-05.03.2026

1. प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता, कंप्यूटर केन्द्र कार्यालय प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ को उपरोक्त अल्पकालीन ऑनलाईन ई-निविदा की हार्ड कापी एवं सी0डी0 सहित शासनादेश सं0 763/05/27-सीं-3-8-टी0/84 दिनांक 03.03.2005 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

(मनमोहन सिंह)

अधिशाली अभियन्ता

अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ।

पत्रांक :-487/अशाख/टी-14/ई-नीलामी/दिनांक:-05.03.2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को ऑनलाईन ई-नीलामी सूचना की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- मुख्य अभियन्ता (पश्चिम) स्तर-1, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 मेरठ।
- 2- मुख्य अभियन्ता (गंगा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 मेरठ।
- 3- जिलाधिकारी, बुलन्दशहर।
- 4- अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), जनपद बुलन्दशहर।
- 5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर।
- 6- अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम मण्डल सिंचाई कार्य, मेरठ।
- 7- उपजिलाधिकारी तहसील स्याना जनपद बुलन्दशहर।
- 8- उपजिलाधिकारी तहसील अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर।
- 9- प्रभागीय वनाधिकारी जनपद बुलन्दशहर।
- 10- पुलिस अधीक्षक (नगर) बुलन्दशहर।
- 11- थाना नरसैना जनपद बुलन्दशहर।
- 12- थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर।
- 13- थाना अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर।
- 14- थाना आहार जनपद बुलन्दशहर।
- 15- जिला सूचना अधिकारी, बुलन्दशहर।
- 16- जिला खनन अधिकारी, जनपद बुलन्दशहर।
- 17- अधिशाली अभियन्ता मेरठ खण्ड गंगा नहर, मेरठ/मु0नगर खण्ड गंगा नहर मु0नगर को मुख्य अभियन्ता (गंगा) मेरठ के कार्यालय झाप सं0-12608/मु0अ0गंगा/निविदा समिति, दिनांक 12.12.2018 के संदर्भ में कृपया निर्धारित तिथि व समय पर निविदा खोलने हेतु उपस्थित होने का कष्ट करें।
- 18- सहायक अभियन्ता प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ, हापुड एवं बुलन्दशहर।
- 19- नोटिस बोर्ड हेतु।

अधिशाली अभियन्ता

अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर, मेरठ।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर, मेरठ।


अल्पकालीन ऑनलाईन ई-नीलामी सूचना संख्या-14/ई0ई0/2025-2026

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या 113/2019/718/19-27-सि0(डब्ल्यू)/2019 दिनांक 02.04.2019, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (अनुभवण एवं मूल्यांकन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के अ0शा0प0-1026/अनु0एव0मु0/अनिम0-5/सिनिक/सि0स0/दिनांक 18.12.2019 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में इस खण्ड के कार्यक्षेत्र जनपद बुलन्दशहर के स्थाना एवं अनूपशहर तहसील में अनूपशहर शाखा नहर की विभिन्न रीचों के मध्य दोनो बैंको पर अतिरिक्त सिल्ट/मिट्टी की नीलामी ऑनलाईन के माध्यम से दिनांक 23.03.2026 को अपराह्न 05:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है, जो अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में निविदा खोलने हेतु गति समिति के सदस्यों द्वारा दिनांक 24.03.2026 पूर्वाह्न 11.00 बजे खोली जायेगी। कार्यालय बन्द होने अथवा अवकाश होने की दशा में यह निविदाये अगले कार्यदिवस में उसी समय खोली जायेगी। निविदा दिनांक 16.03.2026 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से दिनांक 23.03.2026 को अपराह्न 05.00 बजे तक डाउनलोड/अपलोड की जा सकती है।

प्रत्येक निविदादाता को ऑनलाईन ई-नीलामी की धरोहर धनराशि ऑनलाईन जमा करनी होगी तथा निविदादाता से अपेक्षा की जाती है कि ई-नीलामी की निविदा हालने से पूर्व निविदा प्रपत्र के क्लोज में अंकित न्यूनतम अर्हता के सम्बन्ध में शर्तों का भली-भाँति अध्ययन कर लें।

लॉट सं०	कार्य का विवरण	उपलब्ध सिल्ट/मिट्टी की मात्रा (घन मीटर में)	अनुसूची के अनुसार निर्धारित दर रू० में (रायल्टी प्रति घन मीटर में)	अनुसूची के अनुसार निर्धारित दर से सम्भावित मात्रा के आधार पर आकलित कुल रायल्टी (रू० में)	निविदा के साथ ई0एम0डी0 के रूप में जमा की जाने वाली धनराशि (रायल्टी का 10 प्रतिशत रू० में)	जनपद का नाम
1	जनपद बुलन्दशहर के स्थाना तहसील में अनूपशहर शाखा नहर के कि०मी० 87.290 से कि०मी० 93.060 तक मध्य दोनो बैंको पर अतिरिक्त पड़ी हुई सिल्ट/मिट्टी।	23020.00	40.30	927706.00	92771.00	बुलन्दशहर
2	जनपद बुलन्दशहर के स्थाना तहसील में अनूपशहर शाखा नहर के कि०मी० 93.060 से कि०मी० 105.600 तक मध्य दोनो बैंको पर अतिरिक्त पड़ी हुई सिल्ट/मिट्टी।	85900.00	39.00	3350100.00	335010.00	बुलन्दशहर
3	जनपद बुलन्दशहर के स्थाना तहसील में अनूपशहर शाखा नहर के कि०मी० 105.600 से कि०मी० 114.575 तक मध्य दोनो बैंको पर अतिरिक्त पड़ी हुई सिल्ट/मिट्टी।	60310.00	38.35	2312888.50	231289.00	बुलन्दशहर
4	जनपद बुलन्दशहर के अनूपशहर तहसील में अनूपशहर शाखा नहर के कि०मी० 114.575 से कि०मी० 120.670 तक मध्य दोनो बैंको पर अतिरिक्त पड़ी हुई सिल्ट/मिट्टी।	29570.00	37.81	1118041.70	111804.00	बुलन्दशहर
5	जनपद बुलन्दशहर के अनूपशहर तहसील में अनूपशहर शाखा नहर के कि०मी० 120.670 से कि०मी० 126.400 तक मध्य दोनो बैंको पर अतिरिक्त पड़ी हुई सिल्ट/मिट्टी।	27340.00	37.81	1033725.40	103373.00	बुलन्दशहर
6	जनपद बुलन्दशहर के अनूपशहर तहसील में अनूपशहर शाखा नहर के कि०मी० 126.400 से कि०मी० 131.940 तक मध्य दोनो बैंको पर अतिरिक्त पड़ी हुई सिल्ट/मिट्टी।	38860.00	37.81	1469296.60	146930.00	बुलन्दशहर

नोट-यह ई-नीलामी सूचना संख्या 30प्र0 सरकार की वेबसाइट (<http://upgovt.nic.in>) तथा सिंचाई विभाग की वेबसाइट (<http://www.irrigation.up.in>, <http://www.idup.upgovt.in>) उपलब्ध है।


(मनमोहन सिंह) 5.3.2025

अधिशासी अभियन्ता

अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ।

नियम व शर्तें-

1. उक्त ई-नीलामी प्रक्रिया में निविदाकारों की श्रेणी का पंजीकरण नहीं किया गया है। राज्य सरकार में विभिन्न विभागों में पंजीकृत किसी भी श्रेणी के आवेदक ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।
2. ई-निविदाकार का अपना पैनकार्ड, आधार कार्ड, जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण पत्र, सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी द्वारा जारी किया हुआ अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र एवं हैसियत प्रमाण-पत्र की छायाप्रति की स्वप्रमाणित प्रतियाँ अपलोड करना होगा। जिन ई-निविदाकारों द्वारा मूल-अभिलेख की स्वप्रमाणित छायाप्रति ऑनलाईन अपलोड नहीं की जायेगा, उनकी ई-निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
3. ई-नीलामी कमेटी द्वारा ई-निविदाकारों के समक्ष ऑनलाईन ई-नीलामी खोली जायेगी। प्रति घन मीटर सर्वोच्च बोली के आधार पर ई-निविदाकार का चयन किया जायेगा।
4. नहर से तालिका में उल्लिखित मापन के अनुसार उच्चतम बोलीदाता द्वारा स्वयं के व्यय पर नहर पर से अतिरिक्त सिल्ट/मिट्टी उखाई जायेगी। सिल्ट/मिट्टी उखाने हेतु विभाग द्वारा किसी प्रकार की धनराशि अथवा पारितोषिक देय नहीं होगा।
5. नहर पर अतिरिक्त सिल्ट/मिट्टी हटाने/उखाने जाने पर यदि किसी भी प्रकार की क्षति होती है, तो उसकी प्रतिपूर्ति उच्चतम बोलीदाता को स्वयं के व्यय पर करनी होगी।
6. सिल्ट/मिट्टी उखाने हेतु रायल्टी की दर उक्त तालिका में अंकित लॉट वार रु0 प्रति घन मीटर आधार मानते हुये उच्च बोली का प्रस्ताव ई-निविदा पोर्टल पर देना होगा। सर्वोच्च बोली के आधार पर उक्त कार्य हेतु ई-निविदाकार का चयन किया जायेगा।
7. जनपद बुलन्दशहर अनूपशहर शाखा नहर की विभिन्न रीचों के मध्य लॉट अनुसार दोनो बैंको पर अतिरिक्त सिल्ट/मिट्टी के अतिरिक्त किसी अन्य जगह से सिल्ट/मिट्टी नहीं उखयी जायेगी, अन्य स्थल से सिल्ट/मिट्टी उखाने पर उच्चतम बोलीदाता के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
8. नहर के दोनो बैंको पर से सिल्ट/मिट्टी उखाने जाने का कार्य सम्बन्धित रीच के सहायक अभियन्त/जूनियर इंजीनियर/जिलेदार की देख-रेख में सूर्योदय से सूर्यास्त तक मानव श्रम एवं राजस्थानी ट्रेक्टर द्वारा नहर को क्षतिग्रस्त किये बिना किया जायेगा।
9. चयनित ई-निविदाकार द्वारा ई-निविदा में उल्लिखित मात्रा की सिल्ट/मिट्टी उखाना अनिवार्य होगा, यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो निविदादाता के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
10. उच्चतम बोली की धनराशि पर नियमानुसार 2.06 प्रतिशत टी0सी0एस0, 10 प्रतिशत डी0एम0एफ एवं 02 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क देय होगा।
11. माननीय न्यायालय/मा0 निर्वाचन आयोग, भारत सरकार/उ0प्र0 शासन/सिंचाई विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/शासनादेशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।
12. किसी भी समय उक्त कार्य की ई-नीलामी को बिना कारण बताये अस्वीकार/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अद्योहस्ताक्षरी का होगा।
13. ई-नीलामी में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निष्पादन जनपद मेरठ/अधीक्षण अभियन्ता प्रथम मण्डल सिंचाई कार्य मेरठ द्वारा किया जायेगा, जो समस्त निविदादाताओं को मान्य होगा।
14. ई-नीलामी की अधिकतम बोली स्वीकृत होने के एक सप्ताह के अन्दर समस्त राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जो अधिशासी अभियन्ता, अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ के नाम तथा जनपद बुलन्दशहर को देय होगी/जमा करनी होगी।
15. ई-नीलामी की अधिकतम बोली की धनराशि के 10 प्रतिशत धनराशि की एफ0डी0आर जो अधिशासी अभियन्ता अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ के नाम बन्धक होगी जमानत के रूप में जमा करनी होगी, जो कार्य पूर्ण होने के उपरान्त अवमुक्त कर दी जायेगी। निविदादाता द्वारा 10 प्रतिशत धनराशि जो ऑनलाईन निविदा अपलोड करते समय जमा होगी वह धनराशि एफ0डी0आर0 प्राप्त होने के उपरान्त वापस की जायेगी।
16. ई-नीलामी पूर्ण होने के उपरान्त उच्चतम बोलीदाता को शत-प्रतिशत धनराशि नीलामी की सिल्ट/मिट्टी उखाने से पूर्व कार्यालय अधिशासी अभियन्ता अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करनी होगी।
17. सिल्ट/मिट्टी उखाने की कार्य अवधि 30 दिन होगी।
18. निविदा निर्धारित दर से प्रारम्भ होकर अधिकतम प्राप्त दर ही स्वीकार की जायेगी।
19. यदि नहर का सैक्शन/डौला/सर्विस रोड सिल्ट/मिट्टी उठाने के समय क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो उसको ठीक कराने के व्यय उच्चतम बोलीदाता द्वारा वहन किया जायेगा।
20. नहर के सैक्शन को मंटेन करने के उपरान्त ही अतिरिक्त सिल्ट/मिट्टी कार्य स्थल से उखयी जा सकेगी।
21. समस्त निविदादाताओं को सूचित किया जाता है कि उक्त कार्य हेतु ई-नीलामी में प्रतिभाग करने से पूर्व उक्त कार्यक्षेत्र का निरीक्षण एवं सिल्ट/मिट्टी की मात्रा का निरीक्षण भलीभांति करना अनिवार्य होगा एवं इस आशय का शपथ-पत्र भी अपलोड करना होगा की उनके द्वारा कार्यक्षेत्र का निरीक्षण, सिल्ट/मिट्टी की मात्रा का निरीक्षण भलीभांति कर लिया गया है, एवं निविदादाता ने निरीक्षण के दौरान कार्य सम्पादन हेतु कार्य स्थल पर कोई अवरोध नहीं पाया है।


ई-नीलामी की निविदा सुलने के उपरान्त कार्यक्षेत्र के सम्बन्ध में सिल्ट/मिट्टी के उठान कार्य के सम्बन्ध में एवं सिल्ट/मिट्टी की मात्रा के सम्बन्ध में उच्चतम बोलीदाता का कोई भी मान्य नहीं होगा।

22. निविदानुसार नीलामी की जाने वाली सिल्ट/मिट्टी उठाने का कार्य इंजीनियर इन्वार्ज की देख-रेख में किया जायेगा। निर्धारित समय के अतिरिक्त रात्रि/मध्य रात्रि में सिल्ट/मिट्टी उठाई जाती है तो उच्चतम बोलीदाता के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

23. अनूपशहर शाखा नहर की विभिन्न रीचों के (लॉट अनुसार) मध्य बैंको पर नहर किनारे होला बनाया जाना प्रस्तावित है, जिस हेतु सुरक्षित रूप से उठाने जाने वाली सिल्ट/मिट्टी की मात्रा (घन मीटर में) 265000.00 के अतिरिक्त कार्य स्थल पर सिल्ट/मिट्टी की मात्रा उपलब्ध है, जिसका उपयोग होला बनाने हेतु किया जाना है। 265000.00 घन मीटर सिल्ट/मिट्टी की मात्रा के अतिरिक्त कार्य स्थल पर अतिरिक्त उपलब्ध सिल्ट/मिट्टी को उच्चतम बोलीदाता द्वारा नहीं उठया जायेगा।

24. बैंक ड्राफ्ट बनवाने का ख्य उच्चतम बोलीदाता द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

25. नीलामी के माध्यम से उठाई जाने वाली सिल्ट/मिट्टी का कार्य इस प्रकार निष्पादित किया जाएगा कि अनूपशहर शाखा के दोनों ओर स्थित नहरी पट्टी, जो कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का भाग है, पर वन विभाग द्वारा किए गए वृक्षारोपण को किसी भी प्रकार की क्षति न पहुँचे। यदि कार्य के दौरान किसी भी वृक्ष अथवा पौधारोपण को क्षति होती है, तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की होगी तथा क्षतिपूर्ति/दायित्व की कार्यवाही नियमानुसार ठेकेदार के विरुद्ध की जाएगी।


(मनमोहन सिंह) 5.3.2016

अधिशायी अभियन्ता

अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ।

श जैन रितुराज • सी. कमेटी

मेटी दिगंबर जैन, बिरादरी के अध्यक्ष
श जैन रितुराज, प्रधान मंत्री सुरेंद्र

297
कुमार जैन, प्रेमचंद जैन, हंस कुमार
जैन व संजय जैन धम्मो मौजूद रहे।

प्रमा दास, पिपल पुनार, उत्तम
अग्रवाल, ज्ञानेंद्र अग्रवाल, विपिन कुमार
निशांत बंसल व अन्य का सहयोग रहा।

(11)



कार्य का
स्वयं
करण
भारंभ

ग द्वारा 24
उद्दीनपुर से
सुदृढीकरण
द्र तोमर ने

र ने कहा
क्षेत्र की
समय की
ानों और
में निरंतर
ंत्री योगी
वसर पर
पा मंडल
डू गगोल,
न विजय
जुद रहे।



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर, मेरठ।

अल्पकालीन ऑनलाईन ई-नीलामी सूचना संख्या-14/ई0ई0/2025-2026

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या 113/2019/718/19-27-सि0(इक्यू)/20 दिनांक 02.04.2019, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (अनुभवण एवं मूल्यांकन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के अ0शा0प0-1026/अनु0एव0मु0/अनिम0-5/सिनिक/सि0स0/दिनांक 18.12.2019 द्वारा दिये गये निर्देशों के अंतर्गत इस खण्ड के कार्यक्षेत्र जनपद बुलन्दशहर के स्थाना एवं अनूपशहर-तहसील में अनूपशहर शाखा नहर की विभिन्न सीमाओं के मध्य दोनो बैंकों पर अतिरिक्त सिल्ट/मिट्टी की नीलामी ऑनलाईन के माध्यम से दिनांक 23.03.2026 अपराह्न 05:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है, जो अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में निविदा खोलने हेतु गठित सत्र के सदस्यों द्वारा दिनांक 24.03.2026 पूर्वाह्न 11:00 बजे खोली जायेगी। कार्यालय बन्द होने अथवा अवकाश होने पर दिनांक 23.03.2026 को अपराह्न 05.00 बजे तक डाउनलोड/अपलोड की जा सकती है।

प्रत्येक निविदादाता को ऑनलाईन ई-नीलामी की धरोहर धवरशि ऑनलाईन जमा करनी होगी तथा निविदा से अपेक्षा की जाती है कि ई-नीलामी की निविदा डालने से पूर्व निविदा प्रपत्र के क्लॉज में अंकित न्यूनतम अर्हता सम्बन्ध में शर्तों का भली-भाँति अध्ययन कर लें।

लॉट सं०	कुर्च का विवरण	उपलब्ध सिल्ट/मिट्टी की मात्रा (घन मीटर में)	अनुसूची के अनुसार निर्धारित दर रु० में (घन मीटर प्रति घन मीटर में)	अनुसूची के अनुसार निर्धारित दर से सम्भावित मात्रा के आधार पर आकलित कुल राश्वटी (रु० में)	निविदा के साथ ई0एन0डी0 के रूप में जमा की जाने वाली धवरशि (घन मीटर प्रति घन मीटर रु० में)	जनपद का कोड
1	जनपद बुलन्दशहर के स्थाना तहसील में अनूपशहर शाखा नहर के कि०मी० 87.290 से कि०मी० 93.060 तक मध्य दोनो बैंकों पर अतिरिक्त पड़ी हुई सिल्ट/मिट्टी।	23020.00	40.30	927706.00	92771.00	बुलन्दशहर
2	जनपद बुलन्दशहर के स्थाना तहसील में अनूपशहर शाखा नहर के कि०मी० 93.060 से कि०मी० 105.600 तक मध्य दोनो बैंकों पर अतिरिक्त पड़ी हुई सिल्ट/मिट्टी।	85900.00	39.00	3354100.00	335010.00	बुलन्दशहर
3	जनपद बुलन्दशहर के स्थाना तहसील में अनूपशहर शाखा नहर के कि०मी० 105.600 से कि०मी० 114.675 तक मध्य दोनो बैंकों पर अतिरिक्त पड़ी हुई सिल्ट/मिट्टी।	60310.00	38.35	2312888.50	231289.00	बुलन्दशहर
4	जनपद बुलन्दशहर के अनूपशहर तहसील में अनूपशहर शाखा नहर के कि०मी० 114.675 से कि०मी० 120.870 तक मध्य दोनो बैंकों पर अतिरिक्त पड़ी हुई सिल्ट/मिट्टी।	29570.00	37.81	1118041.70	111804.00	बुलन्दशहर
5	जनपद बुलन्दशहर के अनूपशहर तहसील में अनूपशहर शाखा नहर के कि०मी० 120.870 से कि०मी० 126.400 तक मध्य दोनो बैंकों पर अतिरिक्त पड़ी हुई सिल्ट/मिट्टी।	27340.00	37.81	1033725.40	103373.00	बुलन्दशहर
6	जनपद बुलन्दशहर के अनूपशहर तहसील में अनूपशहर शाखा नहर के कि०मी० 126.400 से कि०मी० 131.940 तक मध्य दोनो बैंकों पर अतिरिक्त पड़ी हुई सिल्ट/मिट्टी।	38860.00	37.81	1469296.60	146930.00	बुलन्दशहर

नोट-यह ई-नीलामी सूचना संख्या 3050 सरकार की वेबसाइट (<http://upgovt.nic.in>) तथा सिंचाई विभाग की वेबसाइट (<http://www.irrigation.up.in>, <http://www.idup.upgovt.in>) उपलब्ध है।

(मनमोहन सिंह)

अधिशासी अभियन्ता

अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ।

UP-247905 दिनांक 12.03.2026 विज्ञापन वेबसाइट www.upgovt.nic.in पर उपलब्ध

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर, मेरठ।

298

12

पत्रांक:- 658/अशाख/टी-14/ई-नीलामी

दिनांक:- 30.03.2026


-:कार्यालय ज्ञाप:-

पुनः ई-नीलामी आमंत्रण पत्र।

इस कार्यालय के पत्रांक 487/अशाख/टी-14/ई-नीलामी दिनांक 05.03.2026 के द्वारा अल्पकालीन ई-नीलामी सूचना संख्या-14/ई0ई0/2025-26 के अन्तर्गत जनपद बुलन्दशहर के स्याना एवं अनूपशहर तहसील में अनूपशहर शाखा नहर की विभिन्न रीचों के मध्य दोनो बैंको पर अतिरिक्त सिल्ट/मिट्टी की ई-नीलामी हेतु निविदाएं आमंत्रित की गयी थी, जिसकी डाउनलोडिंग/अपलोडिंग की दिनांक 16.03.2026 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से दिनांक 23.03.2026 को अपराह्न 05.00 बजे तक थी। उक्त ई-नीलामी सूचना के अन्तर्गत लॉट पर प्राप्त निविदाओं की प्री-क्वालीफिकेशन/ टेक्नीकल बिड अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में निविदा खोलने हेतु गठित समिति के सदस्यों द्वारा दिनांक 24.03.2026 की पूर्वाह्न 11.00 बजे खोली गई, जिसमें लॉट सं0-01, 02, 03, 04 व लॉट सं0-06 के अन्तर्गत आमंत्रित की गई निविदाओं के सापेक्ष शून्य निविदा प्राप्त होने के कारण पुनः ई-नीलामी हेतु उक्त लॉट संख्याओं पर निम्नानुसार निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

S.N	Particulars	Date	Time	Work Days
1	Uploading/Downlodng Start	01-04-2026	10:00 AM	30-Days
2	Uploading/Downlodng End	06-04-2026	05:00 PM	
3	Technical Bid Opening	07-04-2026	11:00 AM	
4	Financial Bid Opening	Date will be Decided after Technical bid evaluation and will be communicated online to successful bidders in Technical bid.		


शेष शर्तें पूर्व की भांति यथावत रहेंगी।


30.3.2026
अधिशासी अभियन्ता

अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ।

पत्रांक :- 658/अशाख/टी-14/ई-नीलामी/दिनांक:- 30.03.2026

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को ऑनलाईनर ई-नीलामी सूचना की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
- 1- मुख्य अभियन्ता (पश्चिम) स्तर-1, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 मेरठ।
 - 2- मुख्य अभियन्ता (गंगा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 मेरठ।
 - 3- जिलाधिकारी, बुलन्दशहर।
 - 4- अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), जनपद बुलन्दशहर।
 - 5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर।
 - 6- अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम मण्डल सिंचाई कार्य, मेरठ।
 - 7- उपजिलाधिकारी तहसील स्याना जनपद बुलन्दशहर।
 - 8- उपजिलाधिकारी तहसील अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर।
 - 9- प्रमाणीय यनाधिकारी जनपद बुलन्दशहर।
 - 10- पुलिस अधीक्षक (नगर) बुलन्दशहर।
 - 11- थाना नरसैना जनपद बुलन्दशहर।
 - 12- थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर।
 - 13- थाना अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर।
 - 14- थाना आहार जनपद बुलन्दशहर।
 - 15- जिला सूचना अधिकारी, बुलन्दशहर।
 - 16- जिला खनन अधिकारी, जनपद बुलन्दशहर।
 - 17- अधिशासी अभियन्ता मेरठ खण्ड गंगा नहर, मेरठ/मु0नगर खण्ड गंगा नहर मु0नगर को मुख्य अभियन्ता (गंगा) मेरठ के कार्यालय ज्ञाप सं0-12808/मु0अ0गंगा/निविदा समिति, दिनांक 12.12.2018 के सन्दर्भ में कृपया निर्धारित तिथि व समय पर निविदा खोलने हेतु उपस्थित होने का कष्ट करें।
 - 18- सहायक अभियन्ता प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ, हापुड एवं बुलन्दशहर।
 - 19- नोटिस बोर्ड हेतु।


30.3.2026
अधिशासी अभियन्ता

अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ।

प्रेषक

अधिकासी अभियन्ता
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर,
मेरठ।

(13)

प्रेषित

जिलाधिकारी

जनपद बुलन्दशहर।

पत्रांक:-

710 /अशाख/ई-नीलामी/

दिनांक:-09-04-26

विषय:-


जनपद बुलन्दशहर के स्याना एवं अनूपशहर तहसील में अनूपशहर शाखा नहर के कि०मी० 87.290 से कि०मी० 131.940 तक मध्य दोनो बैंको पर अतिरिक्त पड़ी हुई सिल्ट/मिट्टी की ई-नीलामी के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में आपको सादर अवगत कराना है कि इस कार्यालय के पत्रांक 487/अशाख/टी-14/ई-नीलामी दिनांक 05.03.2026 के द्वारा अल्पकालीन ई-नीलामी सूचना संख्या-14/ई०ई०/2025-26 के अन्तर्गत जनपद बुलन्दशहर के स्याना एवं अनूपशहर तहसील में अनूपशहर शाखा नहर की विभिन्न रीचों के मध्य दोनो बैंको पर अतिरिक्त सिल्ट/मिट्टी की ई-नीलामी हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई थी, जिसमें लॉट सं०-05 के अन्तर्गत 02 निविदाएं प्राप्त हुईं एवं लॉट सं० 01, 02, 03, 04 व लॉट सं०-06 पर शून्य निविदाएं प्राप्त हुईं। सहायक अभियन्ता चतुर्थ अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर बुलन्दशहर द्वारा उक्त प्रकरण समिति के संज्ञान में लाया गया, जिसमें समिति द्वारा लिए गये निर्णय के क्रम में लॉट सं०-05 पर पर्याप्त प्रतिस्पर्धा के आभाव में एवं लॉट सं०-01, 02, 03, 04 व लॉट सं०-06 पर शून्य निविदा प्राप्त होने के कारण लॉट सं०-01, 02, 03, 04, 05 व लॉट सं०-06 पर दिनांक 09.04.2026 को पुनः निविदाएं आमंत्रित कर दी गई है (छयाप्रति संलग्न)।

अतः उक्त के क्रम में आख्या सूचनार्थ प्रेषित है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।



अधिकासी अभियन्ता

अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ।

पत्रांक :- 710 /अशाख/ई-नीलामी/दिनांक:-09-04-26

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है।

1. मुख्य अभियन्ता (गंगा) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ०प्र० मेरठ।
2. अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम मण्डल सिंचाई कार्य मेरठ।
3. अपरजिलाधिकारी (वि./रा.) जनपद बुलन्दशहर।
4. सहायक अभियन्ता चतुर्थ अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर बुलन्दशहर को उनके पत्रांक 280/सिल्ट नीलामी दिनांक 07.04.2026 के क्रम में।


अधिकासी अभियन्ता

अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ।

पत्रांक:-701/अशाख/टी-14/ई-नीलामी

दिनांक:-08.04.2026

(19)

-:कार्यालय ज्ञाप:-

पुनः ई-नीलामी आमंत्रण पत्र।

इस कार्यालय के पत्रांक 487/अशाख/टी-14/ई-नीलामी दिनांक 05.03.2026 के द्वारा अल्पकालीन ई-नीलामी सूचना संख्या-14/ई0ई0/2025-26 के अन्तर्गत जनपद बुलन्दशहर के स्याना एवं अनूपशहर तहसील में अनूपशहर शाखा नहर की विभिन्न रीचों के मध्य दोनो बैंको पर अतिरिक्त सिल्ट/मिट्टी की ई-नीलामी हेतु निविदा आमंत्रित की गयी थी, जिसमें लॉट सं0-05 पर 02 नं0 निविदाएं प्राप्त हुईं एवं लॉट सं0-01, 02, 03, 04 व लॉट सं0-06 पर शून्य निविदाएं प्राप्त हुईं। लॉट सं0-05 पर पर्याप्त प्रतिस्पर्धा के आभाव में एवं लॉट सं0-01, 02, 03, 04 व लॉट सं0-06 पर शून्य निविदा प्राप्त होने के कारण पुनः ई-नीलामी हेतु उक्त लॉट संख्याओं पर निम्नानुसार निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

S.N	Particulars	Date	Time	Work Days
1	Uploading/Downlodng Start	09-04-2026	10:00 AM	30-Days
2	Uploading/Downlodng End	15-04-2026	05:00 PM	
3	Technical Bid Opening	16-04-2026	11:00 AM	
4	Financial Bid Opening	Date will be Decided after Technical bid evaluation and will be communicated online to successful bidders in Technical bid.		

शेष शर्तें पूर्व की भांति यथावत रहेंगी।

अधिसासी अभियन्ता

/ अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ।

पत्रांक :-701/अशाख/टी-14/ई-नीलामी/दिनांक:-08.04.2026

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
- 1- मुख्य अभियन्ता (पश्चिम) स्तर-1, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 मेरठ।
 - 2- मुख्य अभियन्ता (गंगा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 मेरठ।
 - 3- जिलाधिकारी, बुलन्दशहर।
 - 4- अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), जनपद बुलन्दशहर।
 - 5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर।
 - 6- अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम मण्डल सिंचाई कार्य, मेरठ।
 - 7- उपजिलाधिकारी तहसील स्याना जनपद बुलन्दशहर।
 - 8- उपजिलाधिकारी तहसील अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर।
 - 9- प्रमाणीय वनाधिकारी जनपद बुलन्दशहर।
 - 10- पुलिस अधीक्षक (नगर) बुलन्दशहर।
 - 11- थाना नरसैना जनपद बुलन्दशहर।
 - 12- थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर।
 - 13- थाना अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर।
 - 14- थाना आहार जनपद बुलन्दशहर।
 - 15- जिला सूचना अधिकारी, बुलन्दशहर।
 - 16- जिला खनन अधिकारी, जनपद बुलन्दशहर।
 - 17- अधिसासी अभियन्ता मेरठ खण्ड गंगा नहर, मेरठ/मु0नगर खण्ड गंगा नहर मु0नगर को मुख्य अभियन्ता (गंगा) मेरठ के कार्यालय ज्ञाप सं0-12808/मु0अ0गंगा/निविदा समिति, दिनांक 12.12.2018 के सन्दर्भ में कृपया निर्धारित तिथि व समय पर निविदा खोलने हेतु उपस्थित होने का कष्ट करें।
 - 18- सहायक अभियन्ता प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ, हापुड एवं बुलन्दशहर।
 - 19- नोटिस बोर्ड हेतु।

अधिसासी अभियन्ता

/ अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ।

Master Management

Org Hierarchy Master

View Internal Documents

User Management

Debar User

My Organisation Hierarchy

My Accounts

Tender Management

Create Tender / Tender List

Publish Tender

Published Tenders

Seek Clarifications

Pre-bid Meeting

Downloaded Tenders

Bids Submitted Tenders

Tender Status

Archived Tenders

Archived Clarification

Corrigendum

Create Corrigendum

Publish Corrigendum

Published Corrigendum

Bid Opening

Tenders to be Opened

Bids Submitted For Tenders**Search**

Tender ID

Tender Title

Clear

Search

The latest 20 tenders are displayed below. Click on search with required details for listing specific tenders.**Tender List**

S.No	Tender ID	Tender Title/Tender Ref No.	Bid Opening Date	No.of Valid Bids
1.	2026_UPIDC_1125864_17	AUCTION/TN-14/EE/2025-26 Excess silt/soil lying on both the banks between Km 126.400 to Km 131.940 of Anupshahr Branch Canal in Anupshahr Tehsil of Bulandshahr district. Lot No-06/E-Auction TN-14/EE/2025-26	16-Apr-2026 11:00 AM	0
2.	2026_UPIDC_1125864_12	AUCTION/TN-14/EE/2025-26 Excess silt/soil lying on both the banks between Km 87.290 to Km 93.060 of Anupshahr branch canal in Syana tehsil of Bulandshahr district. Lot No-01/E-Auction TN-14/EE/2025-26	16-Apr-2026 11:00 AM	0
3.	2026_UPIDC_1125864_16	AUCTION/TN-14/EE/2025-26 Excess silt/soil lying on both the banks between Km 120.670 to Km 126.400 of Anupshahr Branch Canal in Anupshahr Tehsil of Bulandshahr district. Lot No-05/E-Auction TN-14/EE/2025-26	16-Apr-2026 11:00 AM	3
4.	2026_UPIDC_1125864_14	AUCTION/TN-14/EE/2025-26 Excess silt/soil lying on both the banks between Km 105.600 to Km 114.575 of Anupshahr branch canal in Syana tehsil of Bulandshahr district. Lot No-03/E-Auction TN-14/EE/2025-26	16-Apr-2026 11:00 AM	0
5.	2026_UPIDC_1125864_15	AUCTION/TN-14/EE/2025-26 Excess silt/soil lying on both the banks between Km 114.575 to Km 120.670 of Anupshahr Branch Canal in Anupshahr Tehsil of Bulandshahr district. Lot No-04/E-Auction TN-14/EE/2025-26	16-Apr-2026 11:00 AM	0
6.	2026_UPIDC_1125864_13	AUCTION/TN-14/EE/2025-26 Excess silt/soil lying on both the banks between Km 93.060 to Km 105.600 of Anupshahr branch canal in Syana tehsil of Bulandshahr district. Lot No-02/E-Auction TN-14/EE/2025-26	16-Apr-2026 11:00 AM	0

301

15

(16)

शीर्ष प्राथमिकता/महत्वपूर्ण
संख्या-1/1227112/2026(177187)

प्रेषक,

अशोक कुमार सरोज,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, 30प्र0, लखनऊ।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 04-02-2026

विषय: "उत्तर प्रदेश उपखनिज परिहार (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2026" के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अधिसूचना संख्या-1/1225960/2026, दिनांक 04.02.2026 द्वारा प्रख्यापित "उत्तर प्रदेश उपखनिज परिहार (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2026" की हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति संलग्न कर अग्रतर आवश्यक कार्यवाही हेतु आपके उपयोगार्थ प्रेषित करने का मुझे निदेश हुआ है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय
Digitally signed by
ASHOK KUMAR SAROJ
Date: 04-02-2026
18:03:45
(अशोक कुमार सरोज)
अनु सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग-1
संख्या:I./1225960/2026
लखनऊ, दिनांक 04.02.2026

अधिसूचना

साधारण खंड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या-10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या-67 सन् 1957) की धारा-15 की उप धारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2021 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं अर्थात्:-

उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2026

संक्षिप्त नाम 1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2026 कही और प्रारम्भ जायेगी।

(2) यह सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

प्रथम अनुसूची 2- उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2021 (जिसे आगे "उक्त नियमावली" कहा गया है) में नीचे स्तम्भ-एक में दी गयी प्रथम अनुसूची के स्थान पर स्तम्भ-दो में दी गयी अनुसूची रख दी जायेगी, अर्थात्: -

स्तम्भ-एक (विद्यमान अनुसूची) प्रथम अनुसूची स्वामित्व (नियम-21 देखिये)			स्तम्भ-दो (एतद्वारा प्रतिस्थापित अनुसूची) प्रथम अनुसूची स्वामित्व की दर (नियम-21 देखें)		
क्र० सं०	खनिज	स्वामित्व की दर	क्रम संख्या	खनिज	स्वामित्व की दर
1-	चूना पत्थर	रु० 150.00 प्रतिटन या रु० 275.00 प्रति घनमीटर	1-	निकाल दिया गया	निकाल दिया गया

2-	मार्बल या मार्बल चिप्स (संगमरमर)	रु0 206.00 प्रतिटन या रु0 405.00 प्रति घनमीटर	2-	मार्बल या मार्बल चिप्स (संगमरमर)	रु0 206.00 प्रतिटन या रु0 405.00 प्रति घनमीटर
3-	ईट बनाने की मिट्टी	शून्य	3-	ईट बनाने की मिट्टी	शून्य
4-	ईमारती पत्थर (बिल्डिंग स्टोन)		4-	ईमारती पत्थर (बिल्डिंग स्टोन)	
(i)	ग्रेनाइट (साइज डायमेशनल स्टोन)		(i)	ग्रेनाइट (साइज डायमेशनल स्टोन)	
	(क) एक मीटर या ऊपर के साइज के	रु0 5000.00 प्रति घनमीटर		(क) एक मीटर या ऊपर के साइज के	रु0 6000.00 प्रति घनमीटर
	(ख) एक मीटर या नीचे के साइज के	रु0 3000.00 प्रति घनमीटर		(ख) एक मीटर के नीचे के साइज के	रु0 4000.00 प्रति घनमीटर
(ii)	स्लैब्स और अक्षर सहित साइज डायमेशनल स्टोन (सैण्ड स्टोन, क्वार्टजाइट)	रु0 650.00 प्रति घनमीटर	(ii)	स्लैब्स और अक्षर सहित साइज डायमेशनल स्टोन (सैण्ड स्टोन, क्वार्टजाइट)	रु0 850.00 प्रति घनमीटर
(iii)	मिल स्टोन व हाथ चक्की (सैण्ड स्टोन, क्वार्टजाइट)	रु0 600.00 प्रति घनमीटर	(iii)	मिल स्टोन व हाथ चक्की (सैण्ड स्टोन, क्वार्टजाइट)	रु0 600.00 प्रति घनमीटर

(iv)	खण्डास और बोल्डर		(iv)	खण्डास और बोल्डर	
	(क) ग्रेनाइट बोलो स्टोन (25cm×25cm× 25cm) तक साइज्ड का	रु0 125.00 प्रति घनमीटर		(क) ग्रेनाइट बोलो स्टोन (25cm×25cm×25cm) से मी0 तक साइज्ड का	रु0 125.00 प्रति घनमीटर
	(ख) सैण्ड स्टोन और क्वार्टजाईट (25cm×25cm× 25cm) तक साइज्ड का	रु0 100.00 प्रति घनमीटर		(ख) सैण्ड स्टोन और क्वार्टजाईट (25cm×25cm×25cm) सेमी0 तक साइज्ड का	रु0 100.00 प्रति घनमीटर
(v)	बैलास्ट (गिट्टी)		(v)	बैलास्ट (गिट्टी)	
	(क) ग्रेनाइट और डोलोस्टोन	रु0 160.00 प्रति घनमीटर		(क) ग्रेनाइट और डोलोस्टोन	रु0 165.00 प्रति घनमीटर
	(ख) सैण्ड स्टोन और क्वार्टजाईट	रु0 110.00 प्रति घनमीटर		(ख) सैण्ड स्टोन और क्वार्टजाईट	रु0 140.00 प्रति घनमीटर
	(ग) स्टोन डस्ट	रु0 100.00 प्रति घनमीटर		(ग) स्टोन डस्ट	रु0 100.00 प्रति घनमीटर
5	मौरम		5	मौरम	
	(क) नदी तल में उपलब्ध	रु0 150.00 प्रति घनमीटर		(क) नदी तल में उपलब्ध	रु0 190.00 प्रति घनमीटर
	(ख) पहाड़ों के क्षरण के फलस्वरूप उत्पन्न ताल मौरम	रु0 75.00 प्रति घनमीटर		(ख) पहाड़ों के क्षरण के कारण उत्पन्न ताल मौरम	रु0 100.00 प्रति घनमीटर

6	साधारण बालू (विहित प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त होने वाले बालू से भिन्न)		6	साधारण बालू (विहित प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त होने वाले बालू से भिन्न)	
	(क) प्रथम श्रेणी, (अनुसूची-दो में उल्लिखित जिलों में उपलब्ध)	₹ 65.00 प्रति घनमीटर		(क) प्रथम श्रेणी, (अनुसूची-दो में उल्लिखित जिलों में उपलब्ध)	₹ 80.00 प्रति घनमीटर
	(ख) द्वितीय श्रेणी, (अनुसूची-दो में उल्लिखित जिलों में उपलब्ध)	₹ 55.00 प्रति घनमीटर		(ख) द्वितीय श्रेणी, (अनुसूची-दो में उल्लिखित जिलों में उपलब्ध)	₹ 70.00 प्रति घनमीटर
7	बजरी (सिंगिल)	₹ 110.00 प्रति घनमीटर	7	(i) बजरी (सिंगिल) (ii) बालू/बजरी/बोल्डर मिश्रित अवस्था में (आर0बी0एम0)	₹ 110.00 प्रति घनमीटर ₹ 160.00 प्रति घनमीटर
8	साधारण मृदा (आरडिनरी क्ले) अथवा साधारण मिट्टी (आरडिनरी अर्थ)	शून्य	8	साधारण मृदा (आरडिनरी क्ले) अथवा साधारण मिट्टी (आरडिनरी अर्थ)	शून्य
9	पायरोफिलाइट	₹ 300.00 प्रति टन	9	पायरोफिलाइट	₹ 340.00 प्रति टन
10	डायस्पोर	₹ 500.00 प्रति टन	10	डायस्पोर	₹ 525.00 प्रति टन

11	सिलिका सैण्ड	रु0 100.00 प्रति टन	11	सिलिका सैण्ड	रु0 150.00 प्रति टन
12	चाइना क्ले	खान पर खनिमुख मूल्य का 12 प्रतिशत	12	चाइना क्ले	खनिमुख मूल्य का 12 प्रतिशत
13	कैलसाइट	खान पर खनिमुख मूल्य का 12 प्रतिशत	13	कैलसाइट	खनिमुख मूल्य का 12 प्रतिशत
14	क्यार्टज	रु0 100.00 प्रति टन	14	निकाल दिया गया	निकाल दिया गया
15	कोई अन्य उपखनिज जिसके लिये स्वामित्व की दर विनिर्दिष्ट नहीं है।	खान पर विक्री मूल्य का 10 प्रतिशत	15	कोई अन्य उपखनिज जिसके लिये स्वामित्व की दर विनिर्दिष्ट नहीं है।	खनिमुख मूल्य का 10 प्रतिशत

द्वितीय अनुसूची 3- उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दी गयी द्वितीय अनुसूची के का स्थान पर स्तम्भ-2 में दी गयी अनुसूची रख दी जायेगी, अर्थात्: - संशोधन

स्तम्भ-1 विद्यमान अनुसूची द्वितीय अनुसूची अपरिहार्य भाटक (नियम-22 देखिये)				स्तम्भ-2 (एतद्वारा प्रतिस्थापित अनुसूची) द्वितीय अनुसूची अपरिहार्य भाटक (नियम-22 देखें)			
क्र० सं०	उपखनिजों के नाम	जिले/नदी का नाम	प्रति एकड़ वार्षिक अपरिहार्य भाटक की दर	क्र० सं०	उपखनिज	जिले/नदी का नाम	प्रति एकड़ वार्षिक अपरिहार्य भाटक की दर

1	मार्बल और मार्बल चिप्स	सोनभद्र और अन्य जिले, यदि कोई हों।	रु0 40000.00	1	मार्बल, मार्बल चिप्स (संगमरमर)	सोनभद्र और अन्य जिले, यदि कोई हों।	रु0 60000.00
2	चूना पत्थर (लाईम स्टोन)	सोनभद्र और अन्य जिले, यदि कोई हों।	रु040000.00	2	निकाल दिया गया	निकाल दिया गया	निकाल दिया गया
3				3	इमारती पत्थर (बिल्डिंग स्टोन)		
	(क) सैण्डस्टोन एवं क्वार्टजाइट	ललितपुर, बांदा, मिर्जापुर, सोनभद्र, आगरा, प्रयागराज, चित्रकूट, मथुरा और अन्य जिले यदि कोई हों।	रु0 65000.00		(क) सैण्डस्टोन एवं क्वार्टजाइट	ललितपुर, बांदा, मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, मथुरा और अन्य जिले यदि कोई हों।	रु0 97500.00
	(ख) ग्रेनाइट, डोलोस्टोन	झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा, जालौन, सोनभद्र और अन्य जिले यदि कोई हों।	रु0 120000.00		(ख) ग्रेनाइट, डोलोस्टोन	झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा, जालौन, सोनभद्र और अन्य जिले यदि कोई हों।	रु0 180000.00
4.	ऐसे इमारती पत्थर, गिट्टी, (बैलास्ट) बजरी और साधारण	बिजनौर, सहारनपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर और अन्य जिले यदि कोई हों।	(बोल्डर) रु0 90000.00 (बजरी) रु0 90000.00 (साधारण बालू)	4	ऐसे इमारती पत्थर, गिट्टी, (बैलास्ट) बजरी और साधारण	बिजनौर, सहारनपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर और अन्य जिले यदि कोई हों।	रु0 135000.00 0 (बोल्डर) रु0 135000.00 0 (बजरी) रु0 60000.00

	बालू जो मिली जुली अवस्था में नदी के तल पर मिलते हैं।		₹0 40000.00 प्रत्येक खनिज पर अलग अलग दर लगेगी।		बालू जो मिली जुली अवस्था में नदी के तल पर मिलते हैं।		(साधारण बालू) प्रत्येक खनिज पर पृथक दर प्रभारित होगी।
5	मौरम- (एक) नदी तल	हमीरपुर, महोबा, झांसी, वांदा, जालौन, ललितपुर, चित्रकूट, कौशांबी (यमुना), फतेहपुर, सोनभद्र एवं अन्य जिले यदि कोई हों	₹0 90000.00	5	मौरम (एक) नदी तल	हमीरपुर, महोबा, झांसी, वांदा, चित्रकूट, जालौन, ललितपुर, कौशांबी (यमुना), फतेहपुर, सोनभद्र एवं अन्य जिले यदि कोई हों।	₹0 135000.00
	(दो) पहाड़ों के क्षरण के फलस्वरूप जमा लाल मौरम		₹0 24000.00	(दो) पहाड़ों के क्षरण के कारण जमा लाल मौरम	समस्त जिले जहां उपलब्ध हो		₹0 36000.00
6	साधारण बालू (प्रथम श्रेणी)	प्रयागराज (यमुना), मिर्जापुर, फिरोजाबाद, आगरा, मेरठ, मऊ, गाजियाबाद, बागपत, गौतमबुद्धनगर, वाराणसी, गोरखपुर, चंदौली, संतरविदास नगर, आजमगढ़,	₹0 50000.00	6	साधारण बालू (प्रथम श्रेणी)	प्रयागराज (यमुना), मिर्जापुर, फिरोजाबाद, आगरा, मेरठ, मऊ, गाजियाबाद, बागपत, गौतमबुद्धनगर, वाराणसी, गोरखपुर, चंदौली, संतरविदास नगर,	₹0 75000.00

		कानपुर नगर, बिजनौर, उन्नाव, इटावा, औरैया, बलिया, अयोध्या, बुलन्दशहर, मुजफ्फरनगर, अम्बेडकर नगर, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, संतकबीर नगर, गोण्डा, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, गाजीपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बाराबंकी, सहारनपुर, शामली, हापुड, कासगंज, सम्भल, अमरोहा, कानपुर देहात			आजमगढ़, कानपुर नगर, बिजनौर, उन्नाव, इटावा, औरैया, बलिया, अयोध्या, बुलन्दशहर, मुजफ्फरनगर, अम्बेडकर नगर, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, संतकबीर नगर, गोण्डा, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, गाजीपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बाराबंकी, सहारनपुर, शामली, हापुड, कासगंज, सम्भल, अमरोहा, कानपुर देहात		
7	साधारण बालू (द्वितीय श्रेणी)	शाहजहांपुर, मथुरा, मुरादाबाद, बदायूं, रामपुर, लखनऊ, अलीगढ़, हरदोई, रायबरेली, फतेहपुर (गंगा), कौशाम्बी (गंगा), प्रयागराज (गंगा), प्रतापगढ़, एटा, बरेली, सुल्तानपुर, सीतापुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, पीलीभीत, मैनपुरी, हाथरस, जौनपुर, लखीमपुर खीरी, अमेठी।	रु0 30000.00	7	साधारण बालू (द्वितीय श्रेणी)	शाहजहांपुर, मथुरा, मुरादाबाद, बदायूं, रामपुर, लखनऊ, अलीगढ़, हरदोई, रायबरेली, फतेहपुर (गंगा), कौशाम्बी (गंगा), प्रयागराज (गंगा), प्रतापगढ़, एटा, बरेली, सुल्तानपुर, सीतापुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, पीलीभीत, मैनपुरी, हाथरस, जौनपुर, लखीमपुर खीरी, अमेठी।	रु0 45000.00

8	साधारण मृदा (आरडिन री क्ले) अथवा साधारण मिट्टी (आरडिन री अर्थ)	समस्त जनपद जहां उपलब्ध हो।	रु0 10000.00	8	साधारण मृदा (आरडिन री क्ले) अथवा साधारण मिट्टी (आरडिन री अर्थ)	समस्त जिले जहां उपलब्ध हो।	रु0 15000.00
9	पायरोफि लाईट, डायस्पोर, सिलिका सैण्ड, चाइना क्ले, कैलसाईट एवं अन्य उपखनिज	समस्त जनपद जहां उपलब्ध हो।	रु0 20000.00	9	पायरोफि लाईट, डायस्पोर, सिलिका सैण्ड, चाइना क्ले, कैलसाईट एवं अन्य उपखनिज	समस्त जिले जहां उपलब्ध हो।	रु0 30000.00

आज्ञा से,
Digitally signed by
MALA SRIVASTAVA
(माला श्रीवास्तव)
11:49:26
सचिव।

Uttar Pradesh Shasan
Bhootatva Evam Khanikaram Anubhag-1

In pursuance of provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English translation of notification no. I/1225960/2026 dated 04.02.2026

Notification

No. I/1225960/2026

Lucknow; Dated: 04.02.2026

In exercise of the powers under sub-section (1) of section 15 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (Act No. 67 of 1957) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act No. 10 of 1897), the Governor is pleased to make the following rules, with a view to amend the Uttar Pradesh Minor Minerals (Concession) Rules, 2021, namely:-

THE UTTAR PRADESH MINOR MINERALS (CONCESSION)
(SECOND AMENDMENT) RULES, 2026

Short title and commencement 1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Minor Minerals (Concession) (Second Amendment) Rules, 2026.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

Amendment of First Schedule 2. In the Uttar Pradesh Minor Minerals (Concession) Rules, 2021 (hereinafter referred to as the "said rules") for the First Schedule set out in Column-I below, the Schedule as set out in Column-II shall be substituted, namely :-

COLUMN-I (Existing Schedule) First Schedule Rate of Royalty (See rule-21)			COLUMN-II (Schedule as hereby substituted) First Schedule Rate of Royalty (See rule-21)		
Sl. No.	Minerals	Rate of Royalty	Sl. No.	Minerals	Rate of Royalty
1	2	3	1	2	3

1.	Limestone	Rs. 150.00 per tonne or Rs. 275.00 per cubic meter	1	Omitted	Omitted
2.	Marble or Marble Chips (Sangmermer)	Rs. 206.00 per tonne or Rs. 405.00 per cubic meter	2.	Marble or Marble Chips (Sangmermer)	Rs. 206.00 per tonne or Rs. 405.00 per cubic meter
3.	Brick earth	Nil	3.	Brick earth	Nil
4.	Building Stone		4.	Building Stone	
(i)	Granite (sized dimensional stone)		(i)	Granite (sized dimensional stone)	
	(a) 1 meter or above size	Rs. 5000.00 per cubic meter		(a) 1 meter or above size	Rs. 6000.00 per cubic meter
	(b) below 1 meter size	Rs. 3000.00 per cubic meter		(b) below 1 meter size	Rs. 4000.00 per cubic meter
(ii)	Sized dimensional stone including slabs and ashlar (sand stone, quartzite)	Rs. 650.00 per cubic meter	(ii)	Sized dimensional stone including slabs and ashlar, (sand stone, quartzite)	Rs. 850.00 per cubic meter
(iii)	Millstone and Hand Chakis (Sand Stone, Quartzite)	Rs. 600.00 per cubic meter	(iii)	Millstone and Hand Chakis (Sand Stone, Quartzite)	Rs. 600.00 per cubic meter
(iv)	Khandas and Boulders		(iv)	Khandas and Boulders	
	(a) Granite and Dolostone sized up to 25cm25cm25cm	Rs. 125.00 per cubic meter		(a) Granite and Dolostone sized up to 25cm25cm25cm	Rs. 125.00 per cubic meter
	(b) Sand stone and Quartzite sized up to	Rs. 100.00 per cubic		(b) Sand stone and Quartzite sized up to	Rs. 100.00 per cubic

25cm25cm25cm	meter	25cm25cm25cm	meter
(v) Ballast (Gitti)		(v) Ballast (Gitti)	
(a) Granite and Dolostone	Rs. 160.00 per cubic meter	(a) Granite and Dolostone	Rs. 165.00 per cubic meter
(b) Sand Stone/ Quartzite	Rs. 110.00 per cubic meter	(b) Sand Stone/ Quartzite	Rs. 140.00 per cubic meter
(c) Stone Dust	Rs. 100.00 per cubic meter	(c) Stone Dust	Rs. 100.00 per cubic meter
5. Morrum		5. Morrum	
(a) available in the river bed	Rs. 150.00 per cubic meter	(a) available in the river bed	Rs. 190.00 per cubic meter
(b) red morrum deposit due to erosion of hills	Rs. 75.00 per cubic meter	(b) red morrum deposit due to erosion of hills	Rs. 100.00 per cubic meter
6. Ordinary sand (Other than sand used for prescribed purposes)		6. Ordinary sand (Other than sand used for prescribed purposes)	
(a) First Category (Found in districts mentioned in schedule second)	Rs. 65.00 per cubic meter	(a) First Category (Found in districts mentioned in schedule second)	Rs. 80.00 per cubic meter
(b) Second Category (Found in districts mentioned in schedule second)	Rs. 55.00 per cubic meter	(b) Second Category (Found in districts mentioned in schedule second)	Rs. 70.00 per cubic meter
7. Bajri (Single)	Rs. 110.00 per cubic meter	7. (i) Bajri (Single) (ii) Sand/ Bajri/ Boulder in mixed state (R.B.M.)	Rs. 110.00 per cubic meter Rs. 160.00 per cubic meter
8. Ordinary Clay or Ordinary earth	Nil	8. Ordinary Clay or Ordinary earth	Nil
9. Pyrophyllite	Rs. 300.00 per tonne	9. Pyrophyllite	Rs. 340.00 per tonne

10.	Diaspore	Rs. 500.00 per tonne	10.	Diaspore	Rs. 525.00 per tonne
11.	Silica Sand	Rs. 100.00 per tonne	11.	Silica Sand	Rs. 150.00 per tonne
12.	China Clay	12% of Pit mouth value	12.	China Clay	12% of Pit mouth value
13.	Calcite	12% of Pit mouth value	13.	Calcite	12% of Pit mouth value
14.	Quartz	Rs. 100 per tonne	14.	Omitted	Omitted
15.	Any other minor mineral for which the rate of royalty not specified	10% of Pit mouth value	15.	Any other minor mineral for which the rate of royalty not specified	10% of Pit mouth value

Amendment of 3. In the said rules, for the Second Schedule set out in Column-I
Second below, the Schedule as set out in Column-II shall be substituted,
Schedule namely:-

COLUMN-I (Existing Schedule)				COLUMN-II (Schedule as hereby substituted)			
Second Schedule Rate of Dead Rent (See rule-22)				Second Schedule - Rate of Dead Rent (See rule-22)			
Sl. No.	Minerals	Name of Districts/River	Rate of Dead Rent per acre per annum	Sl. No.	Minerals	Name of Districts/River	Rate of Dead Rent per acre per annum
1.	Marble and Marble Chips	Sonebhadra and other district if any.	Rs. 40,000.00	1.	Marble, Marble Chips (Sangmermer)	Sonebhadra and other district if any.	Rs. 60,000.00
2.	Limestone	Sonebhadra and	Rs. 40,000.00	2.	Omitted	Omitted	Omitted

		other district if any.				
3.	Building Stone			3.	Building Stone	
(A)	Sand stone and Quartzite	Lalitpur, Banda, Mirzapur, Sonbhadra, Prayagraj Mathura and other districts if any	Rs. 65,000.00	(A)	Sand stone and Quartzite	Lalitpur, Banda, Mirzapur, Sonbhadra, Prayagraj Mathura and other districts if any
(B)	Granite Dolostone	Jhansi, Lalitpur, Hamirpur, Mahoba, Banda, Jalaun, Sonbhadra and other districts if any	Rs. 1,20,000.00	(B)	Granite Dolostone	Jhansi, Lalitpur, Hamirpur, Mahoba, Banda, Jalaun, Sonbhadra and other districts if any
4.	Such Building Stone, Ballast, Bajri and Ordinary Sand as are found in mixed form in the river bed.	Bijnor, Saharanpur, Bahrich, Lakhimpur khiri, Balrampur and other districts if any	Rs. 90,000.00 (Boulder) Rs. 90,000.00 (Bajri) Rs. 40,000.00 (Ordinary Sand) The separate rate will be charged on each minerals.	4.	Such Building Stone, Ballast, Bajri and Ordinary Sand as are found in mixed form in the river bed.	Bijnor, Saharanpur, Bahrich, Lakhimpur khiri, Balrampur and other districts if any

5.	Morrum			5.	Morrum		
(I)	River bed	Hamirpur, Mahoba, Jhansi, Banda, Chitrakoot, Jalaun, Lalitpur, Kaushambi (Yamuna) Fatehpur, Sonbhadra and other districts if any	Rs. 90,000.00	(I)	River bed	Hamirpur, Mahoba, Jhansi, Banda, Chitrakoot, Jalaun, Lalitpur, Kaushambi (Yamuna) Fatehpur, Sonbhadra and other districts if any	Rs. 1,35,000.00
(II)	Red morrum deposit due to erosion of hills	All districts where available.	Rs. 24,000.00	(II)	Red morrum deposit due to erosion of hills	All districts where available.	Rs.36,000.00
6.	Ordinary sand Category-I	Prayagraj (Yamuna), Mirzapur, Firozabad, Agra, Meerut, Mau, Ghaziabad, Bagpat, Gautam buddh nagar Varanasi, Gorakhpur, Chandauli, Sant Ravidas Nagar, Azamgarh, Kanpur nagar, Bijnor, Unnao, Etawah, Auraiya,	Rs. 50,000.00	6.	Ordinary sand Category-I	Prayagraj (Yamuna), Mirzapur, Firozabad, Agra, Meerut, Mau, Ghaziabad, Bagpat, Gautam buddh nagar Varanasi, Gorakhpur, Chandauli, Sant Ravidas Nagar, Azamgarh, Kanpur nagar, Bijnor, Unnao, Etawah, Auraiya,	Rs. 75,000.00

		Ballia, Ayodhya, Bulandsahar, Muzaffarnagar, Ambedkar nagar, Deoria, Kushinagar, Basti, Santkabr nagar, Gonda, Maharajanj, Sidharth nagar, Balrampur, Gazipur, Bahrich, Sharawasti, Barabanki, Saharanpur, Shamli, Hapur, Kasganj, Sambhal, Amroha,			Ballia, Ayodhya, Bulandsahar, Muzaffarnagar, Ambedkar nagar, Deoria, Kushinagar, Basti, Santkabr nagar, Gonda, Maharajanj, Sidharth nagar, Balrampur, Gazipur, Bahrich, Sharawasti, Barabanki, Saharanpur, Shamli, Hapur, Kasganj, Sambhal, Amroha,		
7.	Ordinary sand Category-II	Kanpur Dehat Shahjahanpur, Mathura, Moradabad, Badaun, Rampur, Lucknow, Aligarh, Hardoi, Raebareliy, Fatehpur (Ganga), Kaushambi (Ganga), Prayagraj (Ganga),	Rs. 30,000.00	7.	Ordinary sand Category-II	Kanpur Dehat Shahjahanpur, Mathura, Moradabad, Badaun, Rampur, Lucknow, Aligarh, Hardoi, Raebareliy, Fatehpur (Ganga), Kaushambi (Ganga), Prayagraj (Ganga),	Rs. 45,000.00

		Pratapgarh, Etah, Bareilly, Sultanpur, Sitapur, Farukhabad, Kannauj, Pilibhit, Mainpuri, Hathras, Jaunpur, Lakhimpur kheri Amethi			Pratapgarh, Etah, Bareilly, Sultanpur, Sitapur, Farukhabad, Kannauj, Pilibhit, Mainpuri, Hathras, Jaunpur, Lakhimpur kheri Amethi	
8.	Ordinary Clay or Ordinary earth	In all districts where available.	Rs. 10,000.00	8.	Ordinary Clay or Ordinary earth	In all districts where available. Rs. 15,000.00
9.	Pyrophyllite, Diaspore, Silica Sand, China Clay, Calcite and other minor minerals	In all districts where available.	Rs. 20,000.00	9.	Pyrophyllite, Diaspore, Silica Sand, China Clay, Calcite and other minor minerals	In all districts where available. Rs. 30,000.00

By order,

Digitally signed by
MALA SRIVASTAVADate: 04-02-2026
11:51:22
Secretary.



320

क्षेत्रीय कार्यालय

ANNEXURE- 10

फैक्स : 05732-233879

ई-मेल : robulandshahar@uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

Uttar Pradesh Pollution Control Board

F-5, यमुनापुरम (MMR मॉल के पीछे), बुलन्दशहर-203001

संदर्भ : 114/04-28/26

दिनांक : 21/05/2026

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता,
अनूपशहर-शाखा खण्ड,
गंगा नहर, मेरठ।

अतिमहत्वपूर्ण /
मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण

विषय: जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर की सफाई के दौरान जनित सिल्ट के पर्यावरणीय दृष्टिकोण से निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0 में योजित ओ0ए0 सं0-233/2026, संदीप नागर बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.04.2026 के अनुपालन में जिलाधिकारी बुलन्दशहर द्वारा प्रश्नगत शिकायती प्रकरण में शिकायती स्थल की जाँच किये जाने हेतु गठित समिति द्वारा दिनांक 20.05.2026 को जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत अनूपशहर शाखा गंगा नहर के कि0मी0 87.290 से 131.940 तक स्थलीय निरीक्षण किया गया। समिति द्वारा निरीक्षण के दौरान पाया गया कि अनूपशहर शाखा नहर के कि0मी0 90.600 से कि0मी0 101.730 के मध्य नहर की सफाई के दौरान निकली सिल्ट कुछ स्थल पर नहर के दायें एवं बायें बैंक पर क्रशबैरियर के बाहर सिल्ट रखी पायी गयी। इसके अतिरिक्त अनूपशहर शाखा नहर के कि0मी0 121.500 से कि0मी0 131.940 के मध्य नहर के दायें व बायें किनारे पर सिल्ट पड़ी पायी गयी। उक्त रीच में निर्मित पक्की सड़क के ऊपर सिल्ट पड़ी होने के कारण वाहनों के आवागमन से पक्की सड़क व कच्ची सड़क पर सिल्ट उड़ने लगती है जिससे जनित डस्ट इमीशन से स्थानीय निवासियों एवं सड़क पर गुजरने वाले आम जनमानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वभाविक है तथा परिवेशीय वायु गुणता कुप्रभावित होती है।

उपरोक्त के दृष्टिगत आपको निर्देशित किया जाता है कि जनपद-बुलन्दशहर के अन्तर्गत अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर को सिल्ट सफाई के दौरान नहर के दायें व बायें बैंक पर अनियंत्रित रूप से पड़ी हुई सिल्ट को पर्यावरणीय दृष्टिकोण से सुरक्षित निस्तारण तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जाये तथा कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या 01 सप्ताह के अन्तर्गत इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें अन्यथा की दशा में पर्यावरणीय अधिनियमान्तर्गत की गई कार्यवाही का उत्तरदायित्व संबंधित अधिकारी का स्वयं का होगा।

भवदीय

(विमल कुमार)

o/c क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि : 1. जिलाधिकारी महोदय, बुलन्दशहर को सादर अवलोकनार्थ।

2. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), बुलन्दशहर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

o/h
E